राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

गुरूवार
27 फरवरी, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी। प्रश्न संख्या 53।

जिला चित्तौड़गढ़ के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

53. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में नये क्रमोन्नत स्कूलों में कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस स्कूल में किस किस विषय के पद रिक्त हैं? स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले के नव क्रमोन्नत स्कूलों में अध्यापकों के विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया जारी है और यथा शीघ्र भर दिये जायेंगे। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भैरोंसिंह जी शेखावत व शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से राजस्थान में पहली बार स्कूल जो क्रमोन्नत हुए वे बिना भेदभाव के हुए हैं, यह बात सही है क्योंकि कांग्रेस के टाइम में जितने भी स्कूल क्रमोन्नत हुए उनमें भेदभाव बरता गया है। मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूं और मुझे विश्वास है कि ये पद भर दिये जायेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : जो स्कूल आपने अपग्रेड किए हैं वे जुलाई-अगस्त में नहीं करके जनवरी व फरवरी में किए हैं, इसका कारण क्या है? क्या वह फाइनेंशल क्रंच था या फाइनेंशल इम्पलीकेशंस थे कि ये इतने अर्से के बाद आपने अपग्रेड किए? आपने अपग्रेड करके ठीक किया मगर इसमें देरी का कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हो गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

पाटिया, बावलवाड़ा, कल्याणपुर एवं आडीवली के राजकीय छात्रावास

54. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावास पाटिया, बावलवाड़ा, कल्याणपुर तथा आडीवली के भवनों की स्थिति बहुत खराब है और बरसात के दिनों में पानी गिरता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावासों के भवनों में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और छात्रों को अंधेरे में रहना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावास भवनों की मरम्मत एवं रोशनी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) : (1) जी हां। लेकिन पूर्ण सावधानी बरतते हुए सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर को किराये के उपयुक्त भवन लेकर छात्रावासों का उनमें स्थानान्तरण करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) यद्यपि इन छात्रावासों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है किन्तु इनमें हरिकेन द्वारा रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। छात्रों को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता है।

(3) जी हां। यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तीनों भवनों को खाली कराने के लिए आदेश कब दिए गए हैं और कब तक खाली करा दिये जायेंगे ? नं. 2, इन भवनों की मरम्मत के लिए वित्तीय साधन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : जब यह शिकायत आई और वहां के निरीक्षण के बाद हमारे अधिकारी को भेजा गया तो वहां से प्राप्त सूचना के बाद ही उप निदेशक को यह आदेश जारी कर दिए गए।

श्री अध्यक्ष : तारीख बता दीजिए, आदेश कब दिये गये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : डेट मैं उपलब्ध करवा सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आर्डर दिए ही नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : दिए हैं, मैं अभी बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : वे तो कह रहे हैं दिया है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : यह तारीख मैं अभी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा बता दीजिए कि वित्तीय सहायता कब तक होगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : चूंकि छात्रावासों में जो भवन निर्माण कराया जाता है उसमें पहले ऐसा प्रावधान था कि एस.सी. कार्पोरेशन के द्वारा केन्द्रीय सरकार से भी पैसा आता था और उसके द्वारा ये भवन बनाये जाते थे। इसमें 50 पर्सेण्ट तो केन्द्रीय सरकार का और 50 पर्सेण्ट राजस्थान सरकार का होता था उसमें अब राजस्थान सरकार ने कटौती कर दी क्योंकि 93 होस्टल्स जिनके बनाने के आदेश पहले कर दिये गये थे उनमें से 64 बना दिए गए, मगर 29 छात्रावास उनके आदेशों की पालना करते हुए बन्द कर दिए गए, उनका निर्माण रोक दिया गया। अब फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए अनुरोध किया जा रहा है कि वे पहले जो वित्तीय सहायता दे रहे थे उसको बन्द नहीं करके क्यों नहीं हमें वह सहायता....

श्री अध्यक्ष : मतलब, केन्द्र से सहायता मिलते ही आप काम शुरू कर देंगे ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, तारीख बताइये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : तारीख बताता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : केन्द्र सरकार पैसा कब देगी ? आई.एम.एफ. से पैसा आयेगा तब देगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : ये आदेश 23–2–92 को दिए गए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, 23–2–92 को तो रविवार था। यह बिलकुल गलत है। ये आदेश कब जारी किए गए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का काम हो गया, उनके आदेश हो गए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : 23 तारीख को तो सण्डे था। ये आदेश कैसे हो गया ? यह बात ही समझ के बाहर है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सत्र में रविवार को सारे दफ्तर खुले रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने सवाल किया है उनको तो पूछने दें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो यह सदन की संपत्ति हो गया। इन्होंने सदन में कहा है कि 23 को आदेश दिए हैं। 23–2–92 को रविवार था, उस दिन आदेश कैसे हो गए ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सत्र में हरेक दफ्तर इतवार को भी खुला रहता है, छुट्टी वाले दिन क्योंकि कोई सूचना देनी होती है तो वह दे दी जाती है।

श्री दयाराम परमार : आपने चाहे वो सण्डे था या और दिन था, आदेश जारी कर दिए, यह बड़ी मेहरबानी की। लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख तक आप खाली करवा देंगे ? वरना वह मकान कभी भी गिर सकता है और उससे छात्रों को नुकसान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : कब तक खाली करवा देंगे ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वह मकान किराये का लिया जाना है। वह जिस वक्त भी उपलब्ध हो जायेगा, माननीय सदस्य भी उसमें सहायता कर दें, अगर वे 10 दिन में मकान दिलवाते हैं तो उसको खाली करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृतलाल परमार।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमें कॉपी दे दीजिए। सदन की पटल पर रखवा दीजिए। यह हाउस को गुमराह करने वाली बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 23-2-92 के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखवाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस को गुमराह करने वाली कोई गलत बात बोली जाय, यह परम्परा गलत है।

श्री अध्यक्ष : हाउस को क्या गलत बताया ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तारीख बिना सोचे-समझे इन्होंने बता दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, यहां पर मंत्री जवाब अपनी जिम्मेदारी के साथ देते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो फिर आर्डर रखवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है। मैं उनके वाक्य को जो हाउस में कहा गया है गम्भीरता से लेता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम चैलेंज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चैलेंज करने का सवाल नहीं है। आप जानकारी कर लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने जानकारी कर ली।

श्री अध्यक्ष : कि 23-2-92 को आर्डर नहीं हुआ ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, नहीं हुआ।

श्री हेतराम बेनीवाल : वैसे ही कह रहे हैं। आर्डर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : तो उसके लिए आप अलग से मूव कीजिए, उसकी प्रक्रिया अलग है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेडा) : अध्यक्ष महोदय, सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा। यदि उस आदेश को पढ़कर सुना दें यहां पर।

श्री अध्यक्ष : ये आदेश लेकर थोड़े ही आए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कल बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृत लाल परमार।

Page No. 5

विधान सभा क्षेत्र बाली के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

55. **श्री अमृतलाल परमार (बाली) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाली विधान सभा क्षेत्र में स्थित वैटरिनरी अस्पतालों में लम्बे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं तथा अस्पताल कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि बीजापुर, मुंडारा व नावा के अस्पतालों में चिकित्सकों के पदस्थापन अस्पताल क्रमोन्नति के बाद नहीं हुये हैं ?

(3) सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही कर रही हैं तथा रिक्त पदों पर पशु चिकित्सकों का पदस्थापन कब तक कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी के स्थान पर श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) पशु चिकित्सकों की वांछित संख्या में अनुपलब्धता के कारण बाली विधान सभा क्षेत्र के चार पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों से पद रिक्त चल रहे हैं। इनके अभाव में प्रशिक्षित वेटरिनरी असिस्टेंट अथवा पशुधन सहायक द्वारा चिकित्सालय का कार्य संपादित किया जाता है।

(2) बीजापुर तथा मुण्डारा के चिकित्सालयों में भी पशु चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है। बेनाना में विभाग की कोई संस्था नहीं है नाणा पशु चिकित्सालय है, परन्तु पशु चिकित्सक कार्यरत नहीं है।

(3) पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.2.92 निर्धारित की गई है।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय मंत्री महोदय, वहां पर जो कार्यरत कम्पाउण्डर हैं वे अक्षम हैं, न वे जाते हैं। वहां की हालत खराब है। आपको जो रिपोर्ट मिली है वह गलत है। वह इसलिए कि वहां पर अभी भी 45 मील की दूरी नाणा और बाली की है, नाणा के पशु बाली आते हैं। डॉक्टर के अभाव में, जो पहाड़ी एरिया है, वहां का पशु धन मर चुका है। यहां पर दो साल से बोलता आ रहा हूं। मंत्रीजी गये, मैं खुद उनसे मिला हूं, मैंने कहा कि आपके पद रिक्त पड़े हैं..

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री अमृतलाल परमार : अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। यह कब तक होगा ? दो साल से कहता आया हूं। हम खुद आये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बताया है। 28.2.92 तक लोक सेवा आयोग ने एप्लीकेशन्स मांगी हैं। वे जब नियुक्ति करके भेजेंगे तो इनकी नियुक्ति होगी।

श्री अमृतलाल परमार : मैं यह नहीं बोल रहा हूं। जो वहां काम कर रहे हैं वे अनुभवहीन हैं। इसका इलाज क्या है ? जो काम कर रहे हैं, क्या करें उसका इलाज ? वहां चिकित्सक ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि चिकित्सक नहीं हैं वहां।

श्री अमृतलाल परमार : दो साल से हम कहते आये हैं। तो दो साल तक हमको बुद्धू क्यों बनाया गया ? जनता को बुद्धू क्यों बनाया गया ? मैं इसका पूछना चाहता हूं....(व्यवधान) यह क्या हुआ ? इसका जवाब क्या है ? हमको इसका जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बैठिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप गलत आदमियों में फंस गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनीराम।

उरमूल डेयरी, बीकानेर के पशुपालकों के पशुओं का रखरखाव

56. **श्री मनीराम सियाग** (लूनकरणसर) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उरमूल डेयरी, बीकानेर में पशुपालकों के रखरखाव एवं बीमारी से बचाव के लिए क्या विशेष व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि पशु उपचार के नाम पर व इमर्जेन्सी इकाई के नाम पर डेयरी के संबंधित कर्मचारी भारी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं जबकि पशुपालक को असली राहत नहीं मिल पाती ?

(2) क्या सरकार इस अव्यवस्था को सुधारने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये।

राज्य मंत्री, डेयरी विकास (श्री उम्मेदसिंह) : (1) उरमूल डेयरी, बीकानेर में पशुओं के रखरखाव एवं बीमारी से बचाव हेतु निम्न व्यवस्था की हुई है :—

(अ) समिति स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से पशुओं का प्राथमिक उपचार किया जाता है।

(ब) बीमार पशुओं के इलाज के लिए छह आपातकालीन चल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पशुओं का उपचार किया जाता है।

(स) समिति स्तर पर पशु चिकित्सा एवं बहुद्देश्यीय पशु शिविर लगाकर पशु चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाता है।

(द) पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समय-समय पर टीकाकरण कार्यक्रम किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) उरमूल डेयरी चिकित्सा सुविधाएं आनन्द पद्धति के आधार पर दी जा रही हैं जो एक श्रेष्ठ पद्धति है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार के साथ सरकारी स्तर पर उपलब्ध उपचार, सुविधाओं का भी उपयोग किया जा रहा है।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डेयरी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो सूचनाएं दी हैं वे स्पष्ट भी नहीं है और मैं उनको असत्य भी कहूंगा। क्योंकि प्रथम

(श्री मनीराम सियाग)

प्रश्न के (अ) भाग में जो प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से प्रथम उपचार के लिए कहा गया है, इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के पास कोई किट उपलब्ध रहता है ? दूसरा, बीमार पशुओं के इलाज के लिए छः आपातकालीन चल चिकित्सा इकाइयां बनाई गई हैं, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि छः पशु चल चिकित्सा इकाइयों का क्षेत्र कौन–कौन सा हैं ? तीसरा, जो (स) में है कि यह बहुद्देश्यीय चिकित्सा शिविर लगाये गये हैं, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1990–91, 1991–92 में कौन–कौन–सी जगह कितने–कितने शिविर लगाये और कितने–कितने पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ? फिर आगे संक्रामक रोगों के टीकों की बात कही गई है, क्या यह अभियान के तौर पर कोई कार्यक्रम चलाया गया है, या कोई विशेष कैम्प आयोजित करके किया है ? विशेष तौर से प्रश्न के दूसरे भाग के लिए मैं यह कहूंगा कि जो "जी नहीं" कहा है यह तो बिल्कुल ही आपको अंधेरे में रखने के लिए कहा गया है । जो इमर्जेन्सी इकाई स्थापित की गई है वह दूध समितियों के निवेदन पर । किसी भी पशुपालक का अगर पशु बीमार होता है तो वह पर्ची भिजवाता है ट्रंक सीज के साथ । उसमें यह अंकित करवाता है कि मेरा अमुक पशु अमुक जगह है और सख्त बीमार है । उस पशु के इलाज के लिए क्या कोई समय निर्धारित है वहां डॉक्टर पहुंचने के लिए ? क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आई है । इस इकाई में जितने भी साधन, व्हीकल उपलब्ध हैं उनका सही उपयोग नहीं करके डॉक्टर अपने काम में लेते हैं या दूसरी योजनाओं में प्रयोग में लिये जा रहे हैं और जब डॉक्टर वहां पहुंचता है तब तक पशु मर चुका होता है। इनका कोई उपयोग नहीं है । तो यह जो "जी नहीं" कहा है, यह आपको बिल्कुल अंधेरे में रखना है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । आपका सवाल हो गया । माननीय मंत्रीजी । सवाल समझ गये ना आप ?

श्री उम्मेद सिंह : इन्होंने जो पूछा है पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए, इस वर्ष माह जनवरी, 1992 तक 12107 पशुओं का उपचार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री उम्मेद सिंह : इन्होंने जो पूछा है, अनेक बार संघ द्वारा उक्त शिविरों में स्थानीय पशु चिकित्सा एवं महाविद्यालय के अनुभवी चिकित्सकों की सेवा भी प्रदान की जाती है । इस वर्ष जनवरी, 92 में 37 शिविर लगाकर 975 पशुओं का उपचार किया गया है । "स" में इन्होंने जो पूछा है, संक्रामक रोगों के बचाव के लिए पशुओं में समय पर टीकाकरण कार्यक्रम किया जाता है....

श्री अध्यक्ष : अभियान के रूप में लेते हैं या वैसे ही, यह पूछ रहे हैं ।

श्री उम्मेद सिंह : अभियान के रूप में । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं ।

श्री उम्मेद सिंह : सदस्यों से प्राप्त राशि संघ कार्यालय में बराबर जमा रहती है। चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा पशुओं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, उन्होंने एन्टीसिपेट कर लिया है। जो पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। समझदार आदमी समझ जाते हैं।

श्री उम्मेद सिंह : पशुओं के उपचार का विवरण निम्न प्रकार है :—

पशु चिकित्सा-आपातकालीन चिकित्सा इकाई द्वारा 4853 वर्ष 1990-91 में और 1991-92 जनवरी में 3186 व चल चिकित्सा इकाई कैम्प द्वारा 809 वर्ष 1990-91 में और 1991-92 में 975। प्राथमिक उपचार, स है इसमें 22415 और जनवरी, 1991-92 में 12107 और पशु आहार विवरण मैट्रिक टन 9830....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उम्मेद सिंह : और 1991-92 में 10954.

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। एक सवाल इनका रह गया कि कोई डॉक्टर कहीं इनका दुरुपयोग करते हैं, इसकी कोई शिकायत आई है क्या आपके पास ?

श्री उम्मेद सिंह : मैं बीकानेर, जोधपुर कई जगह स्वयं गया हूं, मैंने खुद जांच की है। इस तरह की कोई शिकायत अनियमितता की नहीं बरती गई है; न किसी प्रकार के गबन....

श्री यदुनाथ सिंह : आपने क्या जांच कर ली ? गाड़ी खाली लिये घूमते हैं। इन्होंने यह कहा था कि वे पर्ची भेजते हैं....

श्री उम्मेद सिंह : आज तक इन्होंने मेरे पास कोई शिकायत नहीं भेजी, राज्य सरकार के पास। अगर इनके पास इस तरह की कोई शिकायत हो तो मुझे आप शिकायत दें, निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा। दोषी अधिकारी को नहीं बख्शा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, संक्रामक रोग से गत वर्ष कितने पशु बीकानेर में मारे गये ? वहां कितने पशुओं पर एक चिकित्सक रखने का प्रावधान है और कुल कितने चिकित्सक काम कर रहे हैं ? गत एक वर्ष में कुल कितनी राशि संक्रामक रोगों के लिए व्यय की गई ?

श्री मनीराम सियाग : मेरा एक प्रश्न है और साहब।

श्री उम्मेदसिंह : इससे इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, यह तो प्रश्न दूसरा पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा कर देता हूं।

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी अधूरा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कितने पशु चिकित्सक काम कर रहे है उरमूल डेयरी में ?

एक माननीय सदस्य : कल्लाजी, आपका पशुओं से सम्बन्ध ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजें आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कितने पशुओं पर आपने एक चिकित्सक की व्यवस्था की है और संक्रामक रोगों पर कितनी राशि व्यय की ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बता देंगे। विश्नोईजी पूछ रहे हैं। आप बता दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अपनी उरमूल डेयरी, बीकानेर में कितने दुग्ध मार्ग हैं ? दस हैं या बीस हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री उम्मेद सिंह : इसमें मार्ग का पूछा नहीं गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं पूछ रहा हूं। और उन समस्त मार्गों पर आप बारी-बारी से किस प्रकार भेजते हैं गाड़ियां ? आपकी कितनी गाड़ी लगी हुई हैं ? चल पशु चिकित्सा इकाईयां कितनी लगी हुई है आपकी उसके ऊपर ? मान लीजिए कि बीस मार्ग हैं तो बीस मार्गों के ऊपर पांच या छः गाड़ियां प्रति दिन जाती हैं, आर्डिनरी डे में जाती हैं या किस प्रकार जाती है, यह बताइये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में मार्गों का तो पूछा ही नहीं गया है, संक्रामक रोगों का और वह पूछा गया है, वह जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सकों का पूछ रहे हैं कि किस मार्ग पर ट्रक भेजते हैं चिकित्सकों के ?

श्री उम्मेद सिंह : सब पर भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बस यही पूछ रहे हैं।

श्री उम्मेद सिंह : सब पर भेजते हैं और वैसे रामसिंहजी तो मंत्री रहे हैं इसके, इनको सब मालूम है, कहां-कहां भेजती हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है। मनीरामजी, बोलिये।

श्री मनीराम सियाग : खण्ड "अ" में मैंने पूछा था कि जो समिति स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनके पास चिकित्सा की कोई किट उपलब्ध रहती है क्या उनके उपचार के लिए ? एक तो यह था मेरा। दूसरा मेरा यह था कि....

श्री अध्यक्ष : वह तो देखिये, सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। आप शिकायत कर दीजिए किट नहीं है तो।

श्री मनीराम सियाग : शिकायत नहीं साहब, एक मेरा यह पूछना था कि जो "जी नही" कहा, उसी के....

एक माननीय सदस्य : आप तो शिकायत करा दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं मंत्री महोदय को करेक्ट कर दूं थोड़ा....(व्यवधान)

Page No. 10

(9)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मान लीजिए कि बीस मार्ग हैं और गाड़ियां इन्होंने किराये पर ले रखी हैं। एक गाड़ी के 200-250 रुपये पर-डे देते हैं उसके अन्दर डीजल अलग डलता है, उसके अन्दर कर्मचारी, डॉक्टर अलग जाते हैं उनका टी. ए., डी.ए. अलग होता है, एक दिन में एक गाड़ी पर कम से कम चार सौ रुपये खर्च होते हैं। अगर पांच गाड़ियां ली हुई हैं तो दो हजार रुपये खर्च होते हैं तो दो हजार रुपये का आपकी डेयरी के अन्दर क्या उपयोग होता है, यह माननीय सदस्य ने पूछा है। यह आप जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : पशुओं के लिए जो आप गाड़ियां भेजते हैं, वे कह रहे हैं कि जो व्यय होता है उसका उपयोग क्या होता है ? तब पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप ही जवाब दे रहे हो।

श्री उम्मेदसिंह : अब आप अलग से मुझे पूछते तो मैं जानकारी दे देता।.... (व्यवधान)

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल रह गया है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका सब उत्तर तो आ चुका है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

अल्प बचत योजना के तहत जिला जालौर को दी गई प्रोत्साहित राशि

57. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या राज्य लाटरी एवं अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में जालौर जिले ने अल्प बचत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की थी

(2) क्या यह सही है कि उक्त उपलब्धि के फलस्वरूप जालौर जिले को कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोत्साहन राशि को ग्रामीण क्षेत्र में ही व्यय करना अनिवार्य था ? यदि हां, तो जालौर जिले में उक्त राशि किस गांव में किस उद्देश्य हेतु खर्च की गई ?

(4) उक्त राशि किस विभाग के माध्यम से खर्च की गई तथा उक्त राशि खर्च किये जाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया उसका लोक निर्माण विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग से क्या विधिवत अनुमोदन करवाया गया था ?

(5) क्या उक्त राशि को खर्च करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त प्रोत्साहन राशि घोषित एवं प्रस्तावित उद्देश्य हेतु खर्च न करके अन्यत्र खर्च की गई ? क्या सरकार इस प्रकरण की विधिवत जांच करवाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, लाटरी एवं अल्प बचत (श्री जगतसिंह दायमा) : (1) जी हां, यह सही है।

(श्री जगतसिंह दायमा)

(2) जी हां, यह सही है। जिले को 38·4 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई थी।

(3) जी नहीं, उपरोक्त राशि में से कुल 1.40 लाख रुपये की प्रस्तावित लागत राशि से एक कमरा जिला कलक्टर निवास पर कार्यालय प्रयोजनार्थ बनवाया गया। उक्त राशि को ग्रामीण क्षेत्र में व्यय करना अनिवार्य नहीं था। शेष राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।

(4) निर्माण कार्य विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालौर के माध्यम से करवाया गया था। एस्टीमेट, सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनवाकर जिलाधीश जालौर से भवन के नक्शे को अनुमोदित करवाया गया था।

(5) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना शेष है। कार्यवाही की जा रही है।

(6) यह कार्य निदेशक अल्प बचत की स्वीकृति से ही किया गया है जो कि इस प्रकार की स्वीकृति के लिए सक्षम हैं। अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990–91 में जालौर को अपने अल्प बचत में विशेष उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार 3 लाख 84 हजार का दिया गया था....

एक माननीय सदस्य : आप तो मंत्री थे इनके साथ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं मंत्री था इसलिये मेरी उपलब्धि में शामिल है यह। प्रभारी मंत्री था उस जिले का। वह उपलब्धि जिले की सारी टीम और जिले की जनता के सहयोग से मिली थी। उस उपलब्धि में व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं माना जा सकता। मैं मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या यह पुरस्कार जालौर जिले की जनता के लिए दिया गया था या कलक्टर के व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया गया था ?

दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो निर्माण कार्य करवाया गया यह पंचायत समिति के माध्यम से क्यों करवाया गया ? पंचायत समिति नगरीय क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं रखती और पंचायत समिति ने भी, मंत्री महोदय, यह कार्य ग्राम पंचायत लेटा के माध्यम से करवाया है। कितनी बड़ी विसंगति है कि ग्राम पंचायत लेटा का प्रशासक जिला केन्द्र में, शहर में आकर कलक्टर के निवास में निर्माण कार्य करवा रहा है ? कलक्टर निवास के अन्दर एक आफिस का कमरा बना है।

तीसरा प्रश्न यह है, मंत्री महोदय, कि कलक्टर निवास के अन्दर अगर कोई निर्माण कार्य करवाना है तो क्या उसके लिए जी. ए. डी. से परमीशन लेना आवश्यक नहीं होता है ? फिर यह काम केवल पी. डब्ल्यू. डी. से ही नक्शा पास करवा कर क्यों इतिश्री कर दी गई ? आगे परमीशन क्यों नहीं ली गई ? पी. डब्ल्यू. डी. ने इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्यों नहीं अभी तक दिया है ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ? इसके पीछे भी राज है, कृपया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मंत्री महोदय, बतायें। इसमें जो शेष राशि बची है उसका उपयोग कहां किया जायेगा ?

श्री जगतसिंह दायमा : आपके सारे सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूं.... (व्यवधान) आप तो बोलो, आपने अल्प बचत में रकम जमा कराई हो तो बताओ। वैसे ही बोल रहे हो, बताओ क्या किया आपने इसके लिए ? यह सही है कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : खुद आपने कितना करवाया ?....(व्यवधान) आप तो बोलो।

श्री जगतसिंह दायमा : यह सही है माननीय सदस्य का यह कहना कि जिलाधीश के निवास पर यह कमरा बनवाया गया। यह निवास सरकारी है। सरकारी बिल्डिंग है। उसके लिए जब मैंने इसकी जानकारी चाही कि आपने यहां पर कमरा क्यों बनवाया तो उन्होंने यह कहा कि एक तो आफिस के लिए भी मेरे पास कमरा नहीं है और दूसरे जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनको बैठने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है। गांवों के और शहरों के सब लोग आ सकते हैं, हम भी जाते हैं तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम के लिए अगर कमरा बनवा लिया तो मैं यह समझता हूं कि कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो कि अनियमितता में आता हो। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, आपने नहीं पूछा। 1 लाख 10 हजार का तखमीना बनाया था सार्वजनिक निर्माण विभाग ने और उसमें 1 लाख 40 हजार रुपया लगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग से क्यों नहीं बनवाया, इसमें विभाग वालों ने जवाब में बताया है कि जब हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग से एप्रोच किया तो वह इतनी जल्दी कार्य करवाने में अक्षमता जाहिर कर रहे थे इसलिए एक बी.डी.ओ. स्तर के अधिकारी को यह काम सौंप करके यह कार्य करवाया गया। इसमें कहीं कोई अनियमितता की बात नहीं है और कहीं अनियमितता आपको लगे तो मुझे बता दें, मैं जांच करवा लेता हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो जानकारी दी गई है और मंत्री जी ने जो सदन में जानकारी दी है वह सत्य से परे है। वास्तव में यह 3 लाख 84 हजार में से 2 लाख रुपया का तो कार्यालय भवन बनवाया गया। जिलाधीश कार्यालय के पास में परन्तु 1 लाख 84 हजार रुपये का मिसयूज हुआ है। यह जिलाधीश ने अपने रेजीडेन्स के ऊपर विश्राम गृह बनवाया है और उसके अन्दर वहां पर जाने के लिए जो सड़क बनाई है उसके अन्दर ग्रेनाइट की टाइल्स लगाई है। नीचे दुरुपयोग हुआ है उसका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाता हूं कि यह जो खर्चा करना था, पी.डब्ल्यू.डी. ने 90 हजार का एस्टीमेट दिया। पी.डब्ल्यू.डी. का 20 पर्सेण्ट एवव याने 1 लाख 10 हजार में करने को वह तैयार थे और 1 लाख 60 हजार खर्च हुआ, आप 1 लाख 40 हजार का बता रहे हैं, इसका मिसयूज हुआ इसका क्या कारण है ? डिवीजनल कमिश्नर जब वहां आये तो उन्होंने इसकी जांच की और उन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी कि यह फालतू खर्चा हुआ है उसकी जांच डिवीजनल

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कमिश्नर ने की है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक ऐसी कार्यवाही को जायज बताया है जो किसी दृष्टि से जायज नहीं मानी जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए था।

अब आप इसको जायज बता रहे हैं कि कलेक्टर के भवन हों चाहे कार्यालय हों उनको जी.ए.डी. या जिला प्रशासन करता है। गांव वालों को प्रोत्साहित करने वालों को और इसके लिए भी लेटा के जो सरपंच हैं, सरपंच अथवा प्रशासक के माध्यम से काम कराया जा रहा है। यह तो आश्चर्य की बात है एक तरह से और इसको आप जायज ठहरा रहे हैं। यह कैसे जायज है ? सरकार के कामों के लिए यहां सेक्रेटेरियेट बना देंगे इतने रुपयों से, यह क्या बात हुई ? इससे कौन-सा प्रोत्साहन मिल जाएगा ? यदि एक कमरा कम होगा या ज्यादा होगा ? गांव में ये स्कूल बढ़ा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंहजी। आप सबसे बोल लेना। सबको बुलवा दूंगा। देखिये इसका जवाब आ चुका है, केवल सदन की भावना कलेक्टर महोदय को, सरकार को मालूम पड़नी चाहिए इसलिए बुलवा रहा हूं। जवाब कुछ नहीं आना। जवाब आ चुका है, सुन लें आप। माननीय सदस्य, इस बारे में जो स्ट्रोंग फीलिंग आपकी है केवल इसीलिए बुलवा रहा हूं। इसका जवाब तो आ चुका है। जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है आप अपनी भावनायें बता दीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो एक उदाहरण है। डी.आर.डी.ए. का बहुत-सा पैसा....

श्री अध्यक्ष : वह आगे देखेंगे, साहब, अभी तो नहीं....ठीक है। हां, बोलिये, रघुवीरसिंहजी। ठीक बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सुख और सुविधाओं का सामान है वह जिलाधीश और अधिकारियों के घर पर वीडियो और कई तरह का सामान, टी. वी आदि सब उनके घरों पर उपयोग होता है। यह क्या बात है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि इसको आपने बहुत गम्भीरता से लिया। मैं मंत्री महोदय को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अल्प बचतें में व्यक्तिगत रूप से भी भारी प्रयास किया; इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु इस जवाब को उन्होंने जितना लाइटली कर दिया है वह बहुत गम्भीर है। इसकी एक-एक काम में अनियमिततायें हुई हैं, मैला-फाइड इंटेन्शन सिद्ध हुआ है। यह जनहित का कार्यक्रम है इसको धक्का लगेगा। लोग आपको, माननीय मंत्री महोदय, पैसा नहीं देंगे यदि इस जनता के पैसे का दुरुपयोग कलक्टर के ऐशो-आराम के लिये किया गया, टाइल्स लगी हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आपका कर्तव्य केवल अधिकारियों को बचाना नहीं है दोषियों को कटघरे में खड़ा करिये और इस अल्प बचत की भावना को प्रोत्साहित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथजी।

श्री केदार नाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष जी, इस प्रोत्साहन राशि को खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने कई डाइरेक्शन दिये हैं। उसमें यह लिखा है कि देहातों में खर्च न किया जाय। क्या यह केवल प्यारेलो कलक्टर की डिस्क्रिएशन पर खर्च होता है ? राज्य सरकार की ओर से क्या निर्देश दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह जी। एक साथ जवाब देना। जवाब यही देना है आपको जांच करवानी है इसकी। बात खत्म।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आसन का बहुत आदर करता हूं लेकिन आपकी टिप्पणी जो आपने की है कि जवाब तो आ चुका है सिर्फ स्ट्रोंग फीलिंग है यहां इजहार कर दें। अब अध्यक्ष महोदय, इजहार तो कई दफा कई चीजों का करते हैं, नतीजा आखिर क्या निकलेगा ? इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपने जो अध्यक्षीय टिप्पणी की, उत्तर आ चुका है, अध्यक्ष महोदय, क्या आप स्वयं इस उत्तर से संतुष्ट हैं ? +++ का उत्तर है। दो मुद्दे हैं। मेलाफाइडी वहीं साबित हो गयी, जब शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत की मार्फत पैसा खर्च कराया उसी वक्त मेलाफाइडी इसके अन्दर साबित हो गयी। तो क्या मंत्री महोदय इस पूरे प्रकरण की किसी वरिष्ठ अधिकारी से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मैम्बर से जांच कराने के लिए तैयार हैं, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या यह सही है कि फाइनेंस डिपार्टमैण्ट ने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी कर रखा है जिसमें इस पैसे को खर्च करने के पहले राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए ? इस पर्टिकुलर केस मे क्या वित्त विभाग की माननीय जिलाधीश ने सहमति ली ? यदि नहीं ली है, फाइनेंस नियमों का उल्लंघन किया है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? जैसे हमारे मुख्य सचेतक ने अभी कहा कि क्या रेवेन्यू बोर्ड के सीनियर मेम्बर द्वारा इसकी जांच करा कर सम्बन्धित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्राजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्रीजी मुझे यह बतायें कि सारे ही सरकारी भवनों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा कोई और तामील करवा सकते हैं क्या ? यह नियम है क्या, बतायें जरा।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उत्तर तो आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक साथ आ जाएगा उत्तर।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि क्या कलक्टर के निवास स्थान पर यह कमरा बनाने का प्रस्ताव जिलाधीश महोदय ने या कलक्टर ने स्वयं किया था ? दूसरा, कौन वहां जिला कलक्टर थे ? क्योंकि अल्प बचत अधिकारी और दूसरे जो और अधिकारी पंचायत समिति और बी.डी.ओ. जितने भी हैं ये तो उनके मातहत होते हैं। जब जिला कलक्टर उनको कहें, यह करना है, उन्होंने, लॉटरी विभाग के निदेशक से इसकी स्वीकृति ले ली। आपने अपने जवाब में यह कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को वह कमरा बनाने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने जल्दी बनाने में असमर्थता व्यक्त की। क्या इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार हुआ ? अगर हुआ तो क्या आपत्ति थी उनकी ? यह भी बतायें।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। श्री रमाकान्तजी। अब इनके बाद जवाब दे देंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो यह है कि विकास अधिकारी का कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र निर्धारित है। क्या कलक्टर को पूर्ण अधिकार है कि वह उसके कार्य क्षेत्र के अन्दर एक्स्टेन्शन कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रमाकान्त शर्मा : नम्बर दो, एक और छोटा-सा सवाल है। कलक्टर का जो निवास स्थान है वह जी.ए.डी. की प्रोपर्टी है उसके अन्दर कोई आल्ट्रेशन किसी तरह का किया जाय तो जी.ए.डी. की परमिशन लेना अत्यन्त आवश्यक है ! क्या इसमें ली गयी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बार, फिर ये भूल जाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा छोट-सा सवाल है। मैं आपकी भावना के अनुरूप ही....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की भावना की कद्र करता हूं। माननीय विश्नोईजी ने जो दर्द इस विधान सभा में रखा, मैं वास्तव में उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं नहीं चाहता कि एक पैसा भी कहीं जनता का है उसका मिसयूज हो। पिछली बार भी 432 करोड़ रुपए का जो संकलन हमारे विभाग ने किया और हम ने जो मेहनत कर के काम किया उसके पीछे मेरी यही भावना है कि जो ग्राम हैं, जिनका कि आज 45 साल की आजादी के बाद भी हम विकास नहीं कर पाये उस क्षेत्र में जाकर के उन लोगों को हम सुविधा दें। मैं इसकी कद्र करता हूं।

अब मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। अभी तक हमारे पास में इसकी उपयोगिता का प्रमाण-पत्र हासिल नहीं हुआ है। आने तो दो, मैं बैठा हूं। मैं जांच करूंगा इस बात के लिए, ऐसे ही थोड़ी है। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आपने अपने जवाब में इसको जस्टिफाई, नहीं किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिलाधीश को सस्पेण्ड किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही, आगे क्या कह रहे हैं। आर्डर प्लीज। आप पहले सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : जिस तरह से जवाब दे रहे हैं यह कोई तरीका है क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : स्वीकृति प्रदान की है एक लाख 10 हजार की और इसमें बताया है कि एक लाख 40 हजार खर्च हो गये हैं। 30 हजार जो आप बता रहे हैं, दो लाख की बात कही है साहब। (व्यवधान) वे एक लाख 70 हजार लगा दें, दूंगा तो मैं ही न। नही दूं मैं पैसा, इसमें क्या है। वे तो लगा दें, कितना लगाये। भाई, एक लाख 10 हजार की स्वीकृति है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस पैसे को खर्च करने का अधिकार अल्प बचत मंत्री को नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेण्ट ने डाइरेक्टिव्ज इश्यू की हुई हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। इस पैसे की स्वीकृति देने का अधिकार मंत्री को नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेण्ट ने इस सम्बन्ध में डाइरेक्टिव्ज इश्यू कर रखी हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : वित्त मंत्रालय को अधिकार है कि वह इस पैसे को कहां-कहां खर्च करे। मंत्रीजी को खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है, स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब पूरा हो जाने दीजिए। विराजिये आप। आप बिराजिये तो सही।

श्री जगत सिंह दायमा : जब मैं कुछ भी नहीं हूं तो फिर आप मांग कैसे करते हैं मेरे से ? क्या दिक्कत है आपको ? मत करो फिर।....(व्यवधान) अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो क्वेश्चन किससे कर रहे हो आप ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये, हो गया। आप बैठिये, प्लीज। सुमित्राजी, बैठिये। आप, मंत्री महोदय, क्लियरली यह जवाब दे दीजिये, जी. ए. डी. की परमिशन थी क्या ? फाइनेन्स ने परमिशन दी थी क्या ? यह बता दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिला कलक्टर कौन है, यह भी बताया जाय।

श्री जगतसिंह दायमा : जिला कलक्टर कौन है यह तो यह खुद ही जानते हैं, वहां रहते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो नहीं जानते, सारे हाउस को बताओ ना।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिये तैयार हूं। मेरा उससे क्या है कि मैं उसको बचाऊं। कोई ऐसी बात नहीं है। गलत काम किया है तो उसको सजा देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, अपनी कुछ जांच करवाइये।....(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, इतनी गंभीरता से आपने हाउस

(श्री अध्यक्ष)

की भावना देख ली है, इसको गंभीरता से लेकर इसकी जांच करवाइये।

श्री जगतसिंह दायमा : हां, गंभीरता से लेकर।....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम यह जानना चाहते हैं, इस बात की स्वीकृति वित्त विभाग से ली थी या नहीं ली थी ?

एक माननीय सदस्य : कलक्टर को सस्पैण्ड करने का विचार रखते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी गलत बयानी की है कि मैं स्वीकृति देता हूं। हम यह जानना चाहते हैं कि इन कार्यों के लिये वित्त विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक है या नहीं ? क्या मंत्रीजी इन स्वीकृतियों को देने में सक्षम हैं या वित्त विभाग देने में सक्षम है, केवल इतना-सा बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जांच करवायेंगे अपने डायरेक्टर से। डायरेक्टर ने परमिशन पहले ही दे दी है। तो जांच करेगा कौन ? मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मामला बहुत गंभीर है यह। जिस प्रकार अल्प बचत के पैसों का दुरूपयोग हो रहा है, लोग अपने निवास पर गेस्ट हाउस बना रहे हैं, देहात के पैसे को कलेक्ट्री के अन्दर खर्च किया जा रहा है और वह भी पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत नहीं, ग्राम पंचायत की मार्फत पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।

श्री जगतसिंह दायमा : इसलिये जांच करवा रहा हूं, आप कह रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बीच में ना बोलें, आप बैठें एक मिनट कृपया। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरा नम्र निवेदन है कि जो आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, राजस्थान में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आप बात करते हैं, अगर आप इस बात को मानते हैं तो इसकी आप हाइएस्ट अथोरिटी से इन्क्वायरी के आर्डर कीजिये अन्यथा हम यह मानेंगे कि जो हो रहा है वह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनियमित कार्य की डायरेक्टर ने परमिशन दी उसके लिये डायरेक्टर के विरुद्ध मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे, पहला प्रश्न यह है। दूसरा यह भी मैं निवेदन कर दूं मंत्री महोदय को, पी. डब्ल्यू. डी. ने इसलिये इंकार कर दिया था, पी. डब्ल्यू. डी. ने कहा कि आप जी. ए. डी. से परमिशन लीजिये उसके बिना आप नहीं बना सकते। उस समय जो एक्स. ईएन. थे उन्होंने यह नियम विरुद्ध कार्य करने से मना कर दिया। इसलिये उन्होंने कार्य नहीं करवाया। तीसरी बात, वहां पर उस कमरे में जो फर्नीचर लगा है वह सारा डी. आर. डी. ए. से खरीदवा कर रखवाया गया है। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी समझ में यह नहीं आया जब मैं यह कह चुका, सारे प्रकरण की जांच करवाऊंगा फिर क्या वह रह जाता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : किससे करवायेंगे आप ? डायरेक्टर के खिलाफ क्या करोगे आप ?

श्री जगतसिंह दायमा : सारे प्रकरण की जांच करवाऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किससे करवायेंगे आप ?

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे पास सक्षम अधिकारी हैं।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाम बताइये आप ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सदन के सदस्यों की एक समिति बनायें और उससे जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप बैठिये, अब आप सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वित्त विभाग से क्या स्वीकृति हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। प्लीज। मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप सुन लीजिये पहले जवाब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय उठा है उसमें सारी पत्रावलियां मंगवा कर देखूंगा, कहां-कहां, किस-किस प्रकार की अनियमितता हुई है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो बता दिया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो तो सही, कोई फांसी लगाओगे फिर ? (व्यवधान) जो अनियमितताएं हुई हैं उन अनियमितताओं की....(व्यवधान) मुझे सब मालूम है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वैल प्रूव केस है। इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये तो सही एक मिनट। मुझे सब मालूम है।

श्री हरिसिंह : कलक्टर पांच महीने में रिटायर होने जा रहा है और सरकार उसे पदक देना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय व्यास, बिराजिये आप। आपको मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अलाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन केस एडमिटेड है।

श्री अध्यक्ष : आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, यह क्या बात हुई। आप सुन तो लीजिये पूरी बात पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारी पत्रावलियों को तुरन्त मंगवा कर देख लेऊंगा कि इसमें किस किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं और दोषी अधिकारी हैं उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी।

एक माननीय सदस्य : दोषी मंत्री है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं किसी से जांच करने की आवश्यकता हुई तो हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संकोच हो जाय, एडमिट आपके मंत्री कर रहे हैं। मंत्री एडमिट कर रहा है आपका।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले मैं देखूंगा। नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के एक पैसा खर्च नहीं कर सकते।

श्री नत्थीसिंह : हम यह जानना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहते हैं कि अल्प बचत के प्रोत्साहन का पैसा कलक्टर के भवन में लगना चाहिये, इसको उचित मानते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री माहिर आजाद। इंदिरा गांधी नहर मंत्री जी।

इंदिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा ब्रांच

58. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (श्री अमीन खां के स्थान पर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार इंदिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य गडरा रोड तक कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य टेल 95.7 किलोमीटर तक आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 1994–95 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। गडरा रोड शाखा का कार्य वर्ष 1994–95 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है तथा वर्ष 2003–04 तक पूरा करना प्रस्तावित है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, यह तथ्यों से परे है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, यह सीमा सुरक्षा, पेयजल संकट और अकाल की विभीषिका को देखते हुए क्या इस योजना को प्राथमिकता देने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो इसकी आपके पास क्या रूपरेखा है ?

मेरा नम्बर दो प्रश्न यह है कि इस योजना को टेल के स्थान पर या टेल के साथ हैड से, जो गडरा रोड से प्रारम्भ होता है, शुरू क्यों नहीं किया जा सकता ? अगर ऐसा किया जा सकता है तो क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं ?

तीसरा मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी इंदिरा गांधी नहर मंत्री थे, उस समय के विपक्ष के नेता और आज के मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब ने यह कहा था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसकी आपको चिन्ता होनी चाहिये। इसको आप टेल के बजाय गडरा रोड हैड से प्रारम्भ करवायें तो वह सुरक्षा की दृष्टि से हितकर होगा। तो क्या आपके मुख्य मंत्रीजी ने जो आशंका प्रकट की थी उस पर भी विचार करते हुए आप आगे से इस सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य टेल के साथ साथ हैड से भी प्रारम्भ करवाने जा रहे हैं ? नहीं तो फिर आपकी क्या योजना है ?

(२८)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक बात कही है कि तथ्यों से परे है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, वह कतई गलत है । पहले तो माननीय माहिर आजादजी मुझे यह बता दें, यह टेल किसको कहते हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहर दो तरीके से शुरू होती है, हैड और टेल । ऊंचान और ढलान । आपसे तो ज्यादा ज्ञान है....(व्यवधान) प्रथम छोर और अन्तिम छोर का फर्क नहीं हुआ ? प्रथम छोर और अन्तिम छोर ।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी, सर आपका ऊंचान है और पैर आपका ढलान है ।

एक माननीय सदस्य : सर और दुम नहीं हुआ क्या ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनिये पहले पूरा । जब तक सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य पूर्ण नहीं होगा....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : पूंछ, पूंछ ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब पूंछ का फैसला हो जाय, अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा है, पूंछ का फैसला हो जाय, टेल का ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे को बता दें टेल का मतलब क्या है । टेल कहां से शुरू होता है वह बता दें, तो मैं मान जाऊंगा ।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब सुनिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मेरा जवाब सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : हां जवाब दीजिये । जवाब आ रहा है, जवाब सुन लीजिये ।

एक माननीय सदस्य : आप मुख्य मंत्रीजी की टेल हैं ।

श्री अध्यक्ष : सुनें आप, जवाब सुनें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक आगे गडरा रोड का कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जो इनको चिन्ता है । पहले हमने टेल से पहुंचाने के लिये कच्ची नहर और खाले बनाने का प्रयोग करके भी देख लिया है, वे असफल हुए हैं इसलिये जब तक सागरमल गोपा ब्रांच का कार्य पूर्ण नहीं होगा उससे पहले गडरा रोड ब्रांच का कार्य शुरू नहीं हो पायेगा । अब कौन कौनसे वर्ष में कितना कार्य हमने लिया है वह जानकारी चाहें तो मैं आपको बता दूंगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह भी जानना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, आपने यह कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, तो इस सम्बन्ध में वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में क्या है, क्या व्यवस्था हो रही है वह बताइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आपको बता रहा हूं । ऐसा है यह गडरा रोड सब ब्रान्च, अध्यक्ष महोदय, 1994–95 में हमने 5 किलो मीटर की लाइनिंग रखी है 1995-96

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में 10 किलोमीटर की लाईनिंग रखी है और 1996-97 में 20 किलोमीटर की लाईनिग रखी है। यह कुल 35 किलो मीटर की लाइनिग 1994-97 के बीच में रखी गई है। उसके बाद इसका सारा कार्य वर्ष 2003 और 2004 तक सम्पूर्ण होगा। इस प्रकार वर्षवार जो मैंने लाइनिंग बताई हैं, वह वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, उसी आधार पर सन् 2003 और 2004 तक कार्य सम्पूर्ण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सागरमल गोपा शाखा के निर्माण कार्य में, इसकी लाइनिंग में बेंटोलाइट के भण्डार उपलब्ध होने से क्या कोई व्यवधान आया है ? अगर इस प्रकार का व्यवधान आया है तो सरकार ने उसके निराकरण के लिए क्या कदम उठाये हैं ? और अगर कोई टैक्निकल व्यवधान था तो किससे निराकरण करवाया गया, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, वह इससे बिल्कुल अलग है। मूल प्रश्न आप पढ़ लीजिए। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा है कि गडरा रोड ब्रान्च कब तक शुरू हो जायेगी, कब तक इस कार्य को सम्पूर्ण करा दिया जायेगा और बाकी जो उन्होंने जानकारी चाही है, मैं निश्चित तौर से आज शाम से पहले उनको यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि गोपा ब्रांच 2003 में कम्पलीट होगी। इसका मतलब आई. जी. एन. पी. 2010 से पहले कम्पलीट होने वाली नहीं है। पिछले वर्ष बजट डिबेट की रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आई. जी. एन. पी. को हम एर्थ प्लान की अवधि में पूरा कर देंगे। तो यह फर्क कैसे हुआ। आपको सैण्ट्रल से बोर्डर एरिया इम्प्रूवमैण्ट प्रोग्राम में पैसा मिलता है, बहुत कम पैसा मांगा। सेण्ट्रल यह कहता है, पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाये। अब आप उसी नहर की जो सैकंड लाईनिंग आफ डिफेन्स है, उसको आप इतने हल्के तरीके से ले रहे हो। अब 2010 में कम्पलीट करोगे तो राजस्थान के साथ अन्याय ही कर रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह मैं मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि सागरमल गोपा ब्रांच का जहां कार्य है, अब आप सारा समझते हो कि पहले राजस्थान केनाल का आकार क्या था और अभी राजस्थान केनाल का कितना प्रोडक्शन स्टेज फर्स्ट से हो रहा है। पहले सिर्फ स्टेज फर्स्ट का था। उसके बाद यह सारी पांचों ब्रांचें, यह गडरा रोड ब्रांच सब उसके बाद निकाली गई हैं। सागरमल गोपा ब्रांच तो अभी कम्पलीट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होनी नहीं है, उसके बाद ही गडरा रोड को लिया जाये। गडरा रोड ब्रांच उसमें पहले नहीं थी। गडरा रोड ब्रांच को प्रस्तावित किया है, अब आप यह पूछ रहे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : सवाल यह नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : गडरा रोड को बाद में बढ़ाया है, सागरमल गोपा ब्रांच पूरी होने पर। यह उसकी सब-ब्रांच है। उसको बाद में बढ़ाया है। इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, उसी हिसाब से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, असल में यह जो मैटर है, वह या तो मंत्री महोदय समझ नहीं पाये या इसका जवाब इनके पास नहीं है। हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, हमारी चिन्ता का विषय यह है कि इस नहर को, हम आठवीं योजना तक पूरा करना चाहते हैं तो यह जो गोपा नहर है इसको 2003 में करेंगे। 2003 का मतलब नवीं योजना के अंत में और नवीं योजना के एण्ड के बाद गडरा रोड शुरू करेंगे। इसका मतलब 11 वीं, 12 वीं योजना में, आप बतायें तो सही। उसमें भी एक कंडीशन लगा दी कि फाइनेंसेंज होंगे तो, इसका मतलब क्या है। हमें आपसे सबसे पहले यह पूछना है कि क्या राजस्थान सर-के पास इस गोपा नहर को शुरू करने का फाइनेन्स है? क्या वह शुरू कर सकते हैं, यह बता देवें। यह फाइनेन्स है क्या कि आप शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, बताइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : सागरमल गोपा ब्रांच की गडरा रोड की बात, जैसा कि आपने कहा है नवी पंचवर्षीय योजना में, बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं समझ नहीं पाया। बिल्कुल समझ चुका हूं और समझ बूझकर ही उत्तर दे रहा हूं। नम्बर एक, सागरमल गोपा ब्रांच की लाइनिंग किलोमीटर में है। यह 37 किलोमीटर तो 1992 में होगी और 19 किलोमीटर 1992–93 में होगी। 12 किलोमीटर 1993–94 में होगी और 13 किलोमीटर 1994–95 में होगी। यह 37 किलोमीटर की लाईनिंग सागरमल गोपा ब्रांच की होगी। फिर उसके बाद सब-ब्रांच सागर-मल गोपा की है, तो सब-ब्रांच का यह लाईनिंग कार्य 589 किलोमीटर है। जिसमें से 355 किलोमीटर का कार्य तो 1.4.92 तक हो जायेगा और 90 किलोमीटर 1992–93 में, 90 किलोमीटर 1993-94 में और 80 किलोमीटर 1994–95 में....

श्री हेतराम बेनीवाल : 300 किलोमीटर 1.4.92 तक? आप दुबारा पढ़ लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां, 1.4.92 तक। दुबारा ही पढ़ रहा हूं। पहले जो कार्य हो चुका है, उसको शामिल करके हो चुका है। एक साल में थोड़े ही कर रहे हैं। एक साल में नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : चलिये आप लोग आखिरी सवाल और ले लीजिए। हां, हो जायेगा। श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम एवं महुआ तहसीलों का जिला दौसा में विलय

59. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) टोडाभीम एवं महुआ तहसील को जिला दौसा में मिलाया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि मिलाया जा रहा है, तो कब तक ?

(2) क्या पूरी तहसील को मिलाया जा रहा है या कुछ हिस्सा छोड़ा जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय लिया जाना शेष है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें मंत्री महोदय ने खाली एक ही जवाब दिया है कि विचाराधीन है। मेरे इसके बारे में तीन प्रश्न हैं। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, यह मामला कब से चल रहा है, यह बताया जाये और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये; बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा निवेदन है, इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई थी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये तो सही। हां, हो गया आपका।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिसने वहां मौके पर जाकर जांच की।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। आप बैठिये। आपका हो गया जवाब।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या दुबारा कोई कमेटी बन रही है ? क्या इसमें जन–प्रतिनिधियों को भी रखा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिये। ऐसा है इसमें वहां की जनता की इच्छा है इसलिए इसको दौसा में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर लिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह अच्छा नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह जो बात मैं कह रहा हूं, उसका जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल चित्तौड़िया।

श्री रामस्वरूप मीणा : कब तक विचाराधीन रहेगा, मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाये। विचाराधीन मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। हो गया आपका।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार कोई कमेटी बना रही है तो उसमें जनप्रतिनिधियों को लिया जाय। जवाब तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बिराजिये। आपका जवाब नहीं आया बैठिये।

Page No. 24

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा जवाब बिल्कुल नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा प्रश्न का जवाब दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। ऐसे ही चलेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यह कब तक विचाराधीन रहेगा ? एक साल से विचाराधीन चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे नहीं। प्लीज सिट डाउन। I say sit down, sit down please, sit down.

श्री रामस्वरूप मीणा : विचाराधीन कब तक रहेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I say sit down, sit down, sit down.

आई.टी आई (कपासन) के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि

60. **श्री मोहनलाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या प्रावैधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कपासन आई.टी.आई. के लिए आवंटित भूमि का स्वामित्व उक्त संस्था को दे दिया गया है ? सरकार द्वारा आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक भवन निर्माण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या कपासन आई.टी.आई. में सरकार और ट्रेड बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(3) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रावैधिक शिक्षा मंत्री (श्री रतनलाल जाट) : (1) जी हां। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है। धनराशि का प्रावधान उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण करवाया जाना संभव होगा।

(2) जी नहीं। वर्ष 1992–93 में फिटर ट्रेड का एक अतिरिक्त यूनिट चालू किया जावेगा।

(3) क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता को देखते हुए संस्थान में ट्रेड खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पूछिये।

श्री मोहनलाल चित्तौड़िया : अध्यक्ष महोदय आई.टी.आई. की बिल्डिंग के पैसे कब तक सरकार देने की मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : कब तक करेगी, यह पूछ रहे हैं।

श्री रतनलाल जाट : मैंने निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही करवा दिये जायेंगे।

श्री मोहनलाल चित्तौड़िया : कब तक, पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 61 था। मेरे यहां महुआ में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति कार्यरत है। मैंने सहकारिता मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछा था। अभी मैंने आपके कार्यालय से जानकारी की थी कि इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है और यह विद्युत ऊर्जा मंत्रीजी को भिजवाया गया है। आप यह व्यवस्था दे दें कि इस प्रश्न का जवाब आ जाय तो दुबारा लिस्ट हो जायेगा इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : हां लिस्ट हो जायेगा। वह पोस्टपोन किया है, दुबारा लिस्ट हो जायेगा।

श्री हरिसिंह : इसी सत्र में ?

श्री अध्यक्ष : हां, इसी सत्र में होगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, कई बार आसन से यह निर्देश हुए हैं कि जब माननीय अध्यक्ष या आसन पैरों पर हों तो गैलेरी से अधिकारीगण मूव नहीं करेंगे। यह कई बार यहां से व्यवस्था हो चुकी है और उसकी पालना फिर बार-बार नहीं होती है, अवहेलना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ध्यान रखेगी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विशिष्ट योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु केन्द्र द्वारा आवंटित राशि

106. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विशिष्ट योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त एवं कितनी राशि राज्य सरकार ने किन-किन मदों में खर्च की ? वर्षवार आय-व्यय विवरण विभागशः सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन विभागों को खर्च करने हेतु राशि दी गई उसमें से कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गई ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विशिष्ट योजना के तहत भारत सरकार से अलग से राशि प्राप्त नहीं होती है। केवल राज्य सरकार अपनी योजना से इसके लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थ व्यय करती है जिसकी वर्षवार एवं विभागवार लक्ष्य एवं व्यय की सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। परिशिष्ट---क

(2) भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि प्राप्त होती है जो राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा जिला ग्रामीण

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

विकास अभिकरणों एवं स्वयं के माध्यम से व्यय की जाती है। उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में व्यय की गई राशि की जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट-ख। वर्ष 1988-89 में दी गई राशि से व्यय अधिक होने का कारण यह है कि पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई राशि को भी इसी वर्ष में व्यय किया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं विकलांगों को पेंशन

107. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितनों को पेंशन मिल रही है?

(2) आवेदन-पत्रों में से विचाराधीन आवेदन-पत्रों की स्वीकृति के विलम्ब के क्या कारण हैं व किन-किन के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विचाराधीन आवेदनों को कब-तक स्वीकार कर पेन्शन दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 6697 वृद्ध, अपाहिज एवं विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है।

(2) इस जिले के विभिन्न विकास अधिकारियों/उप खण्ड अधिकारियों के यहां कुल 33 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनमें से 13 आवेदन पत्र एक सप्ताह पूर्व ही प्राप्त हुए हैं। लम्बित होने का कारण एवं नाम-वार सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विचाराधीन आवेदनों में से मार्च, 1992 तक सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

सांचौर मुख्यालय का अनुसूचित जाति जनजाति का छात्रावास

108. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जालौर के सांचौर मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति का छात्रावास पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त होने से बच्चों के उपयोग में नहीं लेने का प्रमाण-पत्र दिया है? यदि हां, तो फिर उसमें छात्रों को क्यों रखा जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास को सन् 1988 में नया बनाने हेतु बजट आवंटन किया गया था? यदि हां, तो यह बजट छात्रावास निर्माण के लिए

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

काम में लिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अब उन छात्रों के लिए नया भवन बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं। लेकिन पूर्ण सावधानी बरतते हुए जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जालौर को किराये का अन्य उपयुक्त भवन लेकर छात्रावास का स्थानान्तरण उसमें करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(2) जी हां। सांचौर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 14.60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु समाज कल्याण अधिकारी, जालौर द्वारा यह सूचित करने पर कि सांचौर में छात्रावास भवन राजकीय भवन में संचालित है, के कारण स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

(3) जी हां। नये छात्रावास भवन का निर्माण राज्य के पास वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान

109. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) एवं श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने बाबत वर्ष 1989 में कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश किस-किस तिथि से अमल में लाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का केन्द्र के समान वेतनमान दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दिये गये वेतनमान की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार केन्द्र के समान वेतनमान देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां निर्णयानुसार जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के किसी पद को समकक्ष माना जाना था उसके वेतनमान के अनुरूप वेतनमान राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1989 प्रचलित कर दिनांक 1.9.1988 से संशोधित वेतनमान प्रभावशील किए गए हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गये वेतनमान राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 में दर्शाये गये अनुसार हैं। कतिपय पदों के वेतनमानों में विसंगति थी; जिसका प्रत्यावेदन समता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समता समिति की रिपोर्ट वित्त (व्यय–II) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ–20(89) एफ. डी/

Page No. 28

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

ग्रुप-II/दिनांक 1.2.92 द्वारा जारी की गई थी और अब वेतनमानों में विसंगति नहीं रही हैं।

नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में सहकारी समितियों को प्राथमिकता

110. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की नीति यह रही है कि नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि किसान उपभोक्ता सहकारी समिति, सोजत ने उक्त नीति के तहत सार्वजनिक वितरण की दुकान खोलने की अनुमति हेतु एक वर्ष पूर्व प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अभी तक अनुमति नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि किसान उपभोक्ता सहकारी समिति सोजत ने दिनांक 29.9.90 को उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सोजत तहसील में दिनांक 29.12.91 तक उचित मूल्य की कोई नई दुकान स्वीकृत ही नहीं की गई। अतएव समिति को अनुमति देने का प्रश्न नहीं है। 30.12.91 को सोजत तहसील में 7 नई दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की राज्य सरकार की योजना के तहत स्वीकृत की गई है। जिसके आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार विचार कर 7 नई दुकानों के आवंटन हेतु निर्णय लिया जावेगा।

उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं का वितरण

111. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार जनहित में पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा, पीपल्दा, खातौली, अयाना तथा गैंता (कोटा जिला) इन्द्रगढ़, सुमेरगंजमंडी, बाबई तथा बलवन (बूंदी जिला) तथा मांगरोल, बमोरी, कलां, भटवाड़ा तथा माल बमोरी (बारां जिला) में उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं वितरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के पीपल्दा एवं इटावा के लिए 500 क्विंटल का आवंटन किया गया है, गेहूं का वितरण हो रहा है। खातौली, अयाना और गैंता में गेहूं का आवंटन उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नहीं उठाया जा सका, अब उठवाया जाकर वितरण करवाया जा रहा है। इन्द्रगढ़ सुमेरगंजमण्डी तथा बाबई में गेहूं वितरण की व्यवस्था चालू है। बलवन क्षेत्र में गेहूं की मांग नहीं होने से गेहूं उपलब्ध नहीं करवाया गया। मांगरोल, बमोरीकलां, भटवाड़ा तथा मालबमोरी में

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं वितरण की व्यवस्था है।

बीदासर उप-तहसील, जिला चूरू का क्रमोन्नयन

112. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला चूरू की उप तहसील बीदासर को क्रमोन्नत करने से सम्बन्धित मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? उप-तहसील को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित कृषि भूमि का मुआवजा

113. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम नाहरगंज तथा सीसोला उप खण्ड नैनवा के कितने कृषकों की कितनी कृषि भूमि कब एवं किस प्रकरण के तहत अवाप्त की गई है ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि सरकार द्वारा दिनांक 3-6-1981 को जिलाधीशों को भेजे गये स्पष्टीकरण के मुताबिक निर्धारण करके अदा कर दी गई हैं ? यदि हां तो कब तथा कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब मुआवजा राशि कब तक अदा कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले के उपखण्ड नैनवा के ग्राम नाहरगंज के 3 कृषकों एवं ग्राम सिसोला के 2 कृषकों की भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम नाहरगंज के एक कृषक श्री रामचन्द्र तथा ग्राम–सिसोला के एक कृषक जानरायजी महाराज महंत नारायणदास द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आवेदन–पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है, जिन पर मुआवजा राशि भुगतान की कार्यवाही जेरकार है। शेष कृषकों द्वारा नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किये गये हैं।

(3) जिन दो कृषकों द्वारा मुआवजा राशि भुगतान हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किये गये हैं उनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण करने के पश्चात् भुगतान किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

Page No. 30

जैसलमेर की सब तहसील फतेहगढ़ का क्षेत्रफल

114. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर की सब तहसील फतेहगढ़ का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है ?

(2) फतेहगढ़ सब तहसील में कितने आर.आई सर्किल हैं और कितने-पटवार सर्किल ? प्रत्येक पटवार सर्किल में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) फतेहगढ़ सब तहसील के प्रत्येक पटवार सर्किल का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर की उप तहसील फतेहगढ़ का क्षेत्रफल 3480.23 किलोमीटर है।

(2) फतेहगढ़ उप तहसील में 2 आर. आई. सर्किल आंशिक 2 पूर्ण आर. आई. सर्किल हैं एवं 21 पटवार सर्किल हैं। सन् 1991 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, इस कारण सूची सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(3) उप तहसील फतेहगढ़ के पटवार सर्किलों की क्षेत्रफल की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 115
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 116
(स्थगित)

दौसा जिले की ग्राम पंचायत नांगल बैरसी में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

117. **श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की ग्राम पंचायत नांगल बैरसी में रकबा नं. 33, 34, 77, 122, 124 चरागाह की भूमि है ? यदि हां, तो उक्त चरागाह की रकबा भूमि कितनी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है तथा खातेदारी अपने नाम कराली है ? यदि हां, तो उक्त खातेदारों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) गत वर्ष से उक्त खसरा नं. 33 34, 77, 122, 124, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके मवेशियों को नहीं चरने दिया गया है। इस बारे में क्या ग्रामवासियों ने प्रशासन को शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों के नाम सरकार ने पेनल्टी लगाई है उसमें एक ही समान कब्जे वालों पर अलग-अलग दर से पेनल्टी निश्चित की है यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(श्री प्रभुलाल पटेल)

(5) क्या सरकार अतिक्रमियों के नाम खातेदारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो अब कब तक अतिक्रमण को हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चालू जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पंचायत नांगल बैरसी के ग्राम नांगल बैरसी के हाल खसरा नं. 113, 225/474, 224/476, 117/478, 79/479, 445 446, 448 चरागाह भूमि है, जिसका रकबा 14.62 हैक्टेयर है।

(2) खसरा नम्बरान 445, 446 एवं 448, की चरागाह भूमि पर संवत् 2048 में 14 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया है। शेष नम्बरान पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह सही नहीं है कि अतिक्रमियों ने उक्त भूमि अपनी खातेदारी में करा ली है।

(3) जी हां। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत करने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर दिनांक 29-10-91 को अतिक्रमियों की बेदखली हेतु नायब तहसीलदार, दौसा द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं।

(4) जी हां, उपस्थित हुए अतिक्रमियों पर लगान की 30 गुना व अनुपस्थित रहे अतिक्रमियों पर लगान की 50 गुना पेनल्टी कायम की गई। जहां तक अलग-अलग दर से पेनल्टी कायम करने का प्रश्न है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उनके न्यायिक विवेक से शास्ति लगाने की 50 गुना तक कायम करने हेतु वे अधिकृत हैं।

(5) जी नहीं। अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिये गये हैं।

पशुपालन फार्म डग (झालावाड़) में गीर नस्ल की गायें

118. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डग जिला झालावाड़ के पशुपालन फार्म में गीर नस्ल की कितनी गायें वर्तमान में हैं ?

(2) उनके लिए सन् 1990 से अब तक खाद्य सामग्री किन-किन व्यक्तियों से किस-किस भाव से क्रय की गई तथा कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री प्रति गाय को खिलाई जाती हैं ?

(3) प्रति गाय महावार कितना दूध होता है और उसे किस प्रकार से बेचा जाता है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पशु, प्रजनन फार्म, डग (झालावाड़) में गीर नस्ल की कुल 33 गायें हैं।

(2) वर्ष 1990 से अब तक फार्म की गायों हेतु क्रय की गई सामग्री तथा गायों को प्रतिदिन खिलाई गई मात्रा संबंधी पूर्ण

(पशुपालन राज्य मंत्री)

विवरण संलग्न सारिणी "क" में दर्शाया गया है।

(3) फार्म पर गीर नस्ल की प्रति गाय द्वारा एक माह में औसतन 105 लीटर दूध दिया जाता है, जिसे निदेशालय द्वारा गठित समिति के समक्ष खुली बोली द्वारा वर्ष भर के ठेके से बेचा जाता है।

(सारणी के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

आसाम से लौटे विस्थापितों का पुनर्वास

119. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आसाम से पिछले समय में कितने प्रवासी परिवार विस्थापित होकर राजस्थान लौटे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनके सम्मानपूर्वक पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाने का इरादा रखती है ? क्या इन्हें व्यापार या उद्योग व रिहायशी मकान आदि उपलब्ध कराने में रियायत देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आसाम से पिछले समय में 4 प्रवासी परिवार राजस्थान में आये हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

कंवर सैन लिफ्ट नहर लूणकरणसर की लम्बाई

120. श्री मनीराम (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कंवर सैन लिफ्ट नहर लूणकरणसर लिफ्ट की कुल लम्बाई कितने किलोमीटर है ?

(2) कंवर सैन नहर में कुल कितनी लिफ्टें है प्रत्येक की क्या ऊंचाई है और नहर की कितनी आर.डी. पर बनी हुई हैं ?

(3) प्रत्येक लिफ्ट पर कितने–कितने मोटर पम्प लगे हैं, उनकी क्षमता क्या है ?

(4) क्या सभी मोटरें चालू हालत में हैं ? यदि खराब हैं, तो कब से ?

उत्तर

(1) कंवर सैन लिफ्ट नहर की लम्बाई 151.64 किलोमीटर है।

(2) कंवर सैन लिफ्ट नहर में कुल चार लिफ्टें हैं। पहली लिफ्ट कंवर सैन लिफ्ट की बुर्जी 63 पर हैं जिसकी ऊंचाई 58 फुट, दूसरी बुर्जी 227 पर है जिसकी ऊंचाई 18.75 फुट, तीसरी बुर्जी 459 पर, जिसकी ऊंचाई 48.18 फुट एवं चौथी बुर्जी 481.590 पर, जिसकी ऊंचाई 65.20 है। कुल लिफ्ट 190.13 फुट है।

(3) पम्प व मोटरों की स्थिति प्रत्येक लिफ्ट/पम्पिंग स्टेशन पर इस प्रकार है :—

Page No. 33

(33)

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

क्र. सं.	नाम लिफ्ट पम्पिंग स्टेशन	मशीन	मात्रा	क्षमता
1.	बुर्जी 63 प्रथम पम्पिंग स्टेशन	पम्प	6	75 क्यूसेक प्रत्येक (स्टेण्ड बाई (एक खराब है)
		मोटर	6	505 किलोवाट प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		पम्प	2	100 क्यूसेक प्रत्येक
		मोटर	2	670 किलोवाट प्रत्येक
2.	बुर्जी 227 द्वितीय पम्पिंग स्टेशन	पम्प	2	60 क्यूसेक प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		पम्प	4	110 क्यूसेक प्रत्येक (एक खराब है)
		मोटर	2	150 किलोवाट प्रत्येक
		मोटर	4	270 किलोवाट प्रत्येक
3.	बुर्जी 459 तृतीय पम्पिंग स्टेशन	पम्प	3	40 क्यूसेक प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		पम्प	2	20 क्यूसेक प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		मोटर	3	250 किलोवाट प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		मोटर	2	132 किलोवाट प्रत्येक
4.	बुर्जी 481.590 चतुर्थ पम्पिंग स्टेशन	पम्प	3	40 क्यूसेक (स्टेण्ड बाई (एक खराब है)
		पम्प	2	20 क्यूसेक प्रत्येक
		मोटर	3	320 किलोवाट प्रत्येक (स्टेण्ड बाई)
		मोटर	2	160 किलोवाट प्रत्येक

Page No. 34

(34)

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(4) जी नहीं, पम्पिंग स्टेशन प्रथम पर एक पम्प सैट, जिसकी क्षमता 75 क्यूसेक है, दिनांक 29.12.91 से खराब है। पम्पिंग स्टेशन द्वितीय का एक पम्प सैट, जिसके पम्प की क्षमता 110 क्यूसेक है, दिनांक 7.2.92 से खराब है एवं पम्पिंग स्टेशन चतुर्थ पर एक पम्प सैट जिसकी क्षमता 40 क्यूसेक है, दिनांक 1.11.91 से खराब है। इसका नहर चलाने पर कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि नहर को औसत डिसचार्ज से चलाया जा रहा है।

साहवा नहर की सिंचाई क्षमता

121. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) साहवा नगर में कितने स्थानों पर पानी लिफ्ट किया जा रहा है ?

(2) नहर कुल कितने क्यूसेक की है तथा कितना रकबा सिंचाई के लिए प्रस्तावित है ?

(3) प्रत्येक लिफ्ट की ऊंचाई क्या होगी ?

(4) सुई ब्रांच कौनसी लिफ्ट पर है तथा नहर की कितनी बुर्जी से निकलेगी ?

(5) क्या सुई ब्रांच से सिंचाई होने वाला रकबा कंवर सैन लिफ्ट के एम.के.डी. के वाटर कोर्स 18 से मिलान होगा ?

(6) क्या शेरपुरा ग्राम जिसका रकबा गांव से पूर्व का दक्षिण से उत्तर तक सारा समतल है वह साहवा नहर के सूई ब्रांच से सिंचित होगा ?

(7) क्या सरकार शेरपुरा ग्राम के रकबे का सर्वे कराकर सिंचाई का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) साहवा नहर में पांच स्थानों पर पानी लिफ्ट करना प्रस्तावित है।

(2) नहर कुल 768 क्यूसेक्स की है तथा कुल सिंचाई रकबा 97049 हैक्टेयर के लिए प्रस्तावित है।

(3) प्रत्येक लिफ्ट की ऊंचाई निम्नानुसार है :—

क्रम संख्या	पम्पिंग स्टेशनों की संख्या	स्थिति	कुल लिफ्ट
(1)	प्रथम	37.90 कि.मी.	15 मीटर
(2)	द्वितीय	53.200 कि.मी.	15 मीटर
(3)	तृतीय	63.200 कि.मी.	10 मीटर
(4)	चतुर्थ	82.850 कि.मी.	5 मीटर
(5)	पंचम	108.360 कि.मी.	15 मीटर
		कुल	60 मीटर

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(4) सुई सब ब्रांच साहवा लिफ्ट पर प्रस्तावित हैं तथा यह तृतीय लिफ्ट कि.मी. 63,200 से निकलनी प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं।

(6) शेरपुरा ग्राम साहवा लिफ्ट के स्वीकृत सिंचित क्षेत्र से बाहर है, जहां तक शेरपुर ग्राम के पूर्व का, दक्षिण से उत्तर तक के क्षेत्र का सिंचित होने का प्रश्न है साहवा लिफ्ट प्रणाली क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण सर्वे आफ इंडिया से करवायी जा रहा है। शेरपुरा ग्राम के रकवे में सिंचाई के बारे में सर्वे पूरक होने पर, कन्टूर मेप प्राप्त होने तत्पश्चात् तक प्लान बनाने के बाद ही सही स्थिति का पता लग सकेगा।

(7) शेरपुरा ग्राम के पास में साहवा लिफ्ट नहर की स्वीकृति क्षेत्र में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा विस्तृत सर्वे करवाया जा रहा हैं, और यह सर्वे कार्य मार्च, 92 तक प्रस्तावित है। तत्पश्चात् इस क्षेत्र के विस्तृत नक्शे प्राप्त होने की सम्भावना है व सिंचाई सुविधा के प्रसार हेतु सुसंगत निर्णय लिया जा सकेगा।

पीपल्दा तहसील के बिनायका गांव में सिंचाई सुविधा

122. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील के बिनायका गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इटावा ब्रांच से नई नहर निकालने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कार्य की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) धनराशि प्राप्त होने पर स्वीकृति दिया जाना संभव होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 123
(स्थगित)

बांसवाड़ा में संचालित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

124. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहां-कहां चल रहा है ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा के किन-किन केन्द्रों पर क्या-क्या साधन उपलब्ध कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बांसवाड़ा जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब तक (1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक) कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No. 36

. (शिक्षा मंत्री)

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा के केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये साधन/सामग्री की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) बांसवाड़ा जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर तक राज्य योजना के तहत 5362 तथा केन्द्र योजना के तहत 5637 लोगों को लाभान्वित किया गया हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

बारां जिले के ग्राम मिर्जापुर के संकेण्डरी स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद

125. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मिर्जापुर जिला बारां के सैकेण्डरी स्कूल में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) यह पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सेकण्डरी स्कूल मिर्जापुर, बारा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का एक पद रिक्त है।

(2) रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था में सुधार

126. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था में सुधार हेतु एडवाइजरी कमेटी फोर लाइब्रेरीज की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। एडवाइजरी कमेटी फोर लायब्रेरी की सिफारिशों पर विचार विमर्श कर राज्य में पुस्तकालय विकास हेतु 10 वर्षीय भावी योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। जिस पर आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी।

बेगूं (चित्तौड़गढ़) की राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद

127. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, बेगूं (चित्तौड़गढ़) में राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल (बालक) में किस–किस विषय के अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बेगूं में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय (बालक) में अध्यापकों के एव अन्य स्टाफ के निम्न प्रकार पद रिक्त हैं :—

नाम विद्यालय उमावि	रिक्त पद संख्या का नाम	कब से रिक्त हैं
उमावि, बेगूं	कार्या. सहा. 1	सितम्बर, 90
	लैबबाय 2	" "
	क.लि. 1	" "
उमावि, भैंसरोडगढ़	उप प्रधानाचार्य 1	जुलाई, 91
	प्राध्यापक 2	4/91
	(भौतिक/हिन्दी)	
	शा. शि. 1	4/91
	द्विवेशृ.	
उमावि, रावतभाटा	प्राध्यापक 5	
	1. हिन्दी	17.12.90
	2. चित्रकला	10.7.90
	3. भौ. विज्ञान	9/91
	4. रसा. विज्ञान	7/91
	5. जीव विज्ञान	7/91
	पुस्तकालयाध्यापक-1	
	II ग्रेड	23.8.89
	कनिष्ठ लिपिक 2	3.5.90
	लेबबाय 1	7/91

(2) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

सैकेण्डरी स्कूल अरणियाली (बाड़मेर) के स्वीकृत पद

128. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ा-मालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे---

(1) सैकेण्डरी स्कूल अरणियाली, पंचायत समिति धोरीमना (जिला बाड़मेर) में किस-किस विषय के कितने अध्यापक व अन्य स्टाफ कितने-कितने समय से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस विद्यालय में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो सरकार स्टाफ की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सैकेण्डरी स्कूल अरणियाली पं. स. धोरीमना (जिला बाड़मेर) में वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	विषय	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कितने समय से कार्यरत हैं।
1.	वरिष्ठ अध्यापक	जीव विज्ञान	1	2.10.89
2.	,,	सामाजिक ज्ञान	1	21.2.90
		सामाजिक ज्ञान	1	3.7.90
		गणित	1	21.1.92
3.	अध्यापक		1	21.8.88
			1	22.11.85
3.	शारीरिक शिक्षक		1	19.9.87
4.	प्रयोगशाला सहायक		1	31.1.92
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		3	14.10.88
				18.11.85
				1.10.91

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No. 39

उच्च माध्यमिक विद्यालय (बालिका) बेगूं में अध्यापकों के रिक्त पद

129. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सीनियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं ?

(2) राज्य सरकार इन पदों की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेगूं (चितौड़) में वर्तमान में निम्नांकित व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं :—

व्याख्याता—	अंग्रेजी	10/90
व्याख्याता—	इतिहास	7/91
व्याख्याता—	गृहविज्ञान	9/88

(2) इन विषयों के व्याख्याताओं के पदों का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 5.7.91 को प्रसारित किया है, चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

लूणकरणसर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

130. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुरा, शोभोलाई की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती हैं ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में गत जुलाई, 90 सत्र से और उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभोलाई में अगस्त, 91 से प्रधानाध्यापक के पद रिक्त थे, दोनों विद्यालयों में आदेश दिनांक 17.2.92 से प्रधानाध्यापक पद भर दिये गये हैं ।

शिक्षा विभाग के उदयपुर मण्डल में वरिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

131. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1991 के मध्य उदयपुर मंडल में कितने वरिष्ठ लिपिकों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सूची में श्री रामलाल यादव तथा श्री सुरेशचन्द त्रिवेदी की पदोन्नति किस-किस आदेश से की गई ? प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिकों के पद पर उपस्थिति देने के पूर्व

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ही कनिष्ठ लेखाकार के विपरीत पद पर पदोन्नति प्रदान की जा सकती है ? यदि हां, तो किस आदेश तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें । कितने वरिष्ठ लिपिकों को पद नहीं होते हुए भी वरिष्ठ लिपिक के पद पर उक्त अवधि में पदोन्नत किया गया ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) वरिष्ठ लिपिक के पद रिक्त होते हुए भी कनिष्ठ लेखाकार के विपरीत पद पर पदोन्नति देने का क्या औचित्य हैं ? ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या राज्य सरकार ऐसे आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 90 से दिसम्बर, 91 के मध्य उदयपुर मण्डल में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ–लिपिक के पद पर 273 व्यक्तियों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) श्री रामलाल यादव की पदोन्नति आदेश दिनांक 5.1.90 द्वारा तथा श्री सुरेश त्रिवेदी की पदोन्नति आदेश दिनांक 30.3. 90 द्वारा की गई । आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । उक्त अवधि में किसी भी वरिष्ठ-लिपिक के पद नहीं होते हुये भी वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई । अतः नमजद सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) कनिष्ठ लेखाकार का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन द्वारा भरा जाता है । जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बांसवाड़ा के कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार का पद लम्बे समय से रिक्त था । इसके शीघ्र भरे जाने की संभावना न होने के कारण कार्य–व्यवस्था के निमित्त एक वरिष्ठ लिपिक को पदोन्नति पर इस पद के विरुद्ध पद स्थापित किया गया । ऐसी तात्कालिक कार्य व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं हैं ।

(सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

तहसील शिव (बाड़मेर) में शिक्षा के स्तर में सुधार

132. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील शिव, जिला बाड़मेर में जहां शिक्षा का स्तर नीचा है, उसे उठाने की दृष्टि से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां ?

उत्तर

जी हां । यह सही है कि तहसील शिव एवं बाडमेर में अन्य कई जिलों के अनुपात में साक्षरता का स्तर नीचा है ।

सत्र 1991–92 में शिव पंचायत समिति के बालेवा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर में तथा रोहड़ी व

(शिक्षा मंत्री)

मण्डालिया प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय

133. **श्री सोमा (बागीडोरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र में इस सत्र में कुल कितनी उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक (सेकण्डरी) स्कूलें खोलने का प्रस्ताव था और कितनी खोली गई बाकी स्कूलें कब तक खोलने की सरकार का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र वार विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत के लिए कोई निर्धारित नीति नहीं है। जिला बांसवाड़ा में सत्र 1991-92 निम्न विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये गये हैं :—

खोले/क्रमोन्नत विद्यालय

1. प्राथमिक विद्यालय (शहरी)

राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय व्यावसायिक क्षेत्र बांसवाड़ा

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय

विद्यालय	पं. सं.
1. काचरिया पाड़ा	घाटोल
2. भटवाड़ा	तलवाड़ा
3. उमराई	,,
4. बेदलवाड़ा	घाटोल
5. खेरडावाड़ा	तलवाड़ा
6. खेडा बडलीपाड़ा	,,

3. माध्यमिक विद्यालय

1. नया गांव — तलवाड़ा

4. सीनियर उमावि.

1. माहीडेम — बांसवाड़ा

शैक्षिक तकनीकी योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को दिये गये टी. वी. सेट्स

134. **श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शैक्षिक तकनीकी योजना के अन्तर्गत राजस्थान में चुने गये जिलों की पंचायत समितियों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रंगीन टेलीविजन सेट दिये जाने का कोई निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वल्लभनगर जिला

Page No. 42

(डी)

(श्री दयाराम परमार)

उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक अतिजिशिअ/ बल्लभ/सीट–4/89-90 दिनांक 17-3-90 द्वारा विद्यालयों से 3500/– रुपये जमा कराने एवं शेष राशि राज्य कोष से दिये जाने हेतु सभी सम्बन्धित को सूचित किया। यदि हां, तो उक्त तहसील के किस-किस विद्यालय ने कब-कब, किस-किस रसीद नम्बर से कितनी-कितनी राशि जमा कराई ? उक्त पत्र की प्रति एव सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है उक्त रंगीन टेलीविजन सैट विद्यालयों को उनसे प्राप्त राशि की तिथि से एक माह में उपलब्ध कराना था ? यदि हां, तो क्या यह उपलब्ध करा दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(4) क्या सरकार उक्त सैट दो वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं कराने के लिए दोषी अधिकारी को विभाग दण्डित करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बल्लभनगर के अधीन 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 66500/– रुपये प्राप्त किये गये थे जिसे डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. बी–106537 दिनांक 29-3-90 द्वारा जिला परिषद् उदयपुर के पी. डी. अकाउन्ट में जमा करवाकर पत्र क्रमांक प. 6(1) शिक्षा/स्टोर/परचेज/88 दिनांक 19–2–90 द्वारा निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव, ग्रामीण, विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को रंगीन टी. वी. सैट सप्लाई करने हेतु निवेदन किया गया था। ऐसे 20 विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। क्रय हेतु उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति का गठन किया गया है। टी. वी. क्रय होते ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(4) जी नहीं इसके लिये कोई दोषी नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

जालोर जिले के उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, कबूली की ढाणी का क्रमोन्नयन

135. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की सांचोर तहसील को कबूली की ढाणी के उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय को कब क्रमोन्नत किया गया ? बालिकाओं की किस-किस कक्षा में कितनी-कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस माह में तीन कन्या अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई थी और उन अध्यापिकाओं (कन्या) के साथ दुर्व्यवहार वहां के अध्यापक द्वारा

Page No. 43

(43)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

करने के कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी (कन्या), जालोर में दे दी है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां बालिकाओं की संख्या बहुत कम होने के कारण इस विद्यालय को छात्र विद्यालय में परिवर्तन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी; जालोर ने लिखा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालोर जिले की सांचोर तहसील में कबूली की ढाणी कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिनांक 3–12–88 से क्रमोन्नत किया गया था। इस विद्यालय में बालिकाओं की कक्षावार संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह प्रकरण अभी विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कठोती (नागौर) में पत्र–पत्रिकाओं का वितरण

136. **श्री सालिगराम** (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कठोती (नागौर) की रतावा न्यूज एजेन्सी, जायल (नागौर) द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का वितरण किया जाता रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त माध्यमिक विद्यालय में रतावा न्यूज ऐजन्सी के 378 रुपये जनवरी, 1990 के बकाया हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भुगतान के लिए शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एव जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कठोती को कई बार लिखा जा चुका है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों के लिखने के बावजूद प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कठोती द्वारा भुगतान के रिकार्ड में हेराफेरी की गई है और अपनी हठधर्मिता के कारण उक्त भुगतान नहीं करना चाहते हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाकर दोषी प्रधानाध्यापक को दण्डित कर भुगतान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। प्रकरण की जांच करके मैं; रतावा न्यूज ऐजन्सी जायल को उनकी रसीद सं. 38 दिनांक 22.2.92 के

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा रुपये 378/- का भुगतान किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। भुगतान हो चुका है।

प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

137. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) माह मार्च, 1990 से अब तक प्रदेश में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करके उच्च प्राथमिक विद्यालय किये गये हैं एवं कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किये गये हैं एवं कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किये गये हैं? सभी की सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विभिन्न राजकीय शिक्षण संस्थाएं किन-किन मानदण्डों के आधार पर खोली गई हैं एवं क्रमोन्नत की गई हैं?

उत्तर

(1) माह मार्च, 1990 से अब तक प्रदेश में निम्न विद्यालय क्रमोन्नत किये गये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रावि से उप्रावि	उप्रावि से मा.वि.	मावि से उमावि
शहरी ग्रामीण		
259	144	72
259	144	72

(2) उपरोक्त विद्यालय क्षेत्र की मांग, फीडर विद्यालय, जनसंख्या, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणाव-गुण के आधार पर खोले/क्रमोन्नत किये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर द्वारा जिला कलक्टर के आदेशों की अवहेलना

138. **श्री दयाराम परमार** (खैर-वाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर को जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्रांक एफ. 1 सीडी/1(10) स्था/90/1307-72, दिनांक 30-4-1990 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर ने उसकी अनुपालना की, यदि नहीं तो क्यों? प्राप्त पत्र की प्रति एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर द्वारा उक्त पत्र की अनुपालना करने के लिये बाध्य होते हुये भी इसकी अनुपालना नहीं कर अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक तथा उक्त पत्र की अनुपालना अब कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री दयाराम परमार)

(3) क्या विभाग उक्त पत्र में उल्लेखित अभ्यार्थी श्री नानालाल रेगर पुत्र श्री गोवर्द्धन लाल रेगर निवासी भीण्डर जिला उदयपुर जो कि विकलांग एवं अनुसूचित जाति का सदस्य है, को सरकार की नीति के अनुसरण में नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जी नहीं । क्योंकि जिला कलक्टर उदयपुर ने श्री नानालाल रेगर की नियुक्ति के संबंध में यह सूची पत्र 30.4.90 को भेजा था जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भरने के लिए दिनांक 22.2.90 को ही साक्षात्कार कर लिए गये थे ।

(2) जी नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही पद भरने के लिए बाध्य थे । उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं की थी । अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

पद रिक्त होने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध हटने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पद भरने की कार्यवाही की जावेगी, तभी श्री नानालाल रेगर के प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

(3) जी नहीं ।

प्रदेश के विश्व विद्यालयों में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा

139. **श्री निर्भयलाल (रूपवास)** : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के अन्दर कुल कितने विश्वविद्यालय हैं ? इन विश्वविद्यालयों में कुल कितने कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक कार्यरत हैं ? विश्वविद्यालयवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि समस्त विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो विश्वविद्यालयों वार इन वर्गों के कर्मचारी एवं अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आरक्षण कोटे को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में छ: विश्वविद्यालय कार्यरत हैं । इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों की विश्वविद्यालयवार सूचना निम्न प्रकार है :—

Page No. 46

(उच्च शिक्षा मंत्री)

विश्वविद्यालय का नाम	कर्मचारी की सं.	अधिकारी की सं.	शिक्षकों की सं.
1. राजस्थान विश्वविद्यालय	2076	75	797
2. जोधपुर वि. वि.	1177	36	570
3. मोहनलाल सुखाड़िया वि. वि.	511	29	238
4. अजमेर वि. वि.	178	23	10
5. कोटा खुला वि. वि.	279	18	34
6. राज. कृषि वि. वि.	3300	59	1180

(2) जी नहीं। सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।

जयपुर–इन्द्रगढ़ वाया टोंक उनियारा मार्ग पर बस सेवा

140. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से इन्द्रगढ़ (बूंदी) वाया टोंक, उनियारा बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग जनता द्वारा बार-बार की जाती रही है ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त मार्गों पर बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मार्ग का उनियारा से इन्द्रगढ़ तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है और इस मार्ग पर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में इस मार्ग पर निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका और निगम में संसाधनों की कमी के कारण इस मार्ग पर बस सेवा संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों का रख-रखाव

141. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए क्या प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डियों की सड़कों के रख-रखाव, मरम्मत के लिए

(श्री अमीन खां)

भविष्य में कोई प्रावधान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा बनाई गई सडकों के रख रखाव हेतु 2500/– रुपये प्रति कि.मी. प्रति वर्ष का प्रावधान है तथा 5 वर्ष बाद विशेष मरम्मत के लिए मण्डी समिति के पास उपलब्ध धनराशि व सड़क की मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति दी जाती है।

(2) जी हां, राज्य सरकार ने वर्ष 1992–93 से सड़कों के रख रखाव हेतु सिंचित क्षेत्र के लिए 8,000/– रुपये प्रति कि.मी. प्रति वर्ष एवं अन्य क्षेत्र के लिए 5,000/– रुपये प्रति कि.मी. प्रति वर्ष का प्रावधान स्वीकृत किया है।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति

142. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, 1990 में सफल 578 अभ्यर्थियों में से 165 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि 165 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात् भी अधीनस्थ कार्यालयों में अभी तक 150 पद रिक्त हैं, यदि नहीं, तो रिक्त पदों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन रिक्त पदों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों में से नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य सरकार ने केवल 165 विज्ञापित पदों के भरने हेतु ही निर्णय किया है।

फलासिया (उदयपुर) में आयुर्वेद चिकित्सालय

143. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में कहां-कहां आयुर्वेद अस्पताल खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया है। वर्ष 1991–92 में अभी तक इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है।

Page No. 48

कृषि उपज मण्डियों के चुनाव

144. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर**(नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डियों के चुनाव के विषय में क्या कोई निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ?

(2) यदि हां, तो सरकार मण्डियों के चुनाव कब तक कराने का इरादा रखती है ?

(3) क्या चुनाव न करा कर सलाहकार समितियों के रूप में कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करने की कार्यवाही राज्य सरकार ने की है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) ज्योंही पंचायत राज संस्थाओं एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव हो जावेंगे, कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव संभव हो सकेंगे ।

(3) जी नहीं, केवल मंडी समितियों के कार्यों को सही ढंग से सम्पादित करवाने एवं प्रशासक को सहयोग देने हेतु राज्य की प्रत्येक मंडी समिति के लिए सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है । जैसे ही कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव सम्पन्न हो जावेंगे इन सलाहकार मण्डलों को भंग कर दिया जावेगा । इन सलाहकार मण्डलों का गठन प्रशासनिक तौर पर ही किया गया है, कानूनी रूप से नहीं ।

लूणकरणसर में कालेज

145. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1990–91, 1991-92 में राजस्थान में कहां-कहां और कितने कालेज खोले ? क्या वर्ष 1992–93 में भी राजस्थान में कालेज खोलने का सरकार इरादा रखती है ?

(2) यदि हां, तो कालेज खोलने के क्या मापदण्ड अपनाये जायेंगे ?

(3) क्या लूणकरणसर तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर भी सरकार कालेज इसी वित्तीय वर्ष में खोलने का इरादा रखती है ?

(4) क्या पूरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कालेज नहीं है जबकि सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें 10 (दस) है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुशलगढ़ तथा रतनगढ़ वर्ष 1991–92 में सलूम्बर, बालोतरा, बयाना में नये महाविद्यालय खोले गये हैं तथा भवानी मण्डी के बिरला महाविद्यालय को अधीगृहीत करने के आदेश प्रसारित किये हैं। वर्ष 1992–93 के बजट प्रस्ताव के अनुमोदन के पूर्व यह कहना कठिन है कि वर्ष 1992–93 में कितने कालेज खोले जावेंगे ।

(2) वर्तमान में कालेज खोलते समय निम्न मापदण्ड अपनाये जाते हैं—

Page No. 49

(५१)

(उच्च शिक्षा मंत्री)

1- प्रस्तावित स्थान पर जन सहयोग से महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध हों ।

2- बीस किलोमीटर की दूरी में चार सी. हायर सैकण्ड्री स्कूल हों।

3- प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो।

4- प्रस्तावित स्थान के 30 कि. मी. की परिधि में अन्य महाविद्यालय न हों।

(3) इस वर्ष 1991-92 में तीन नये महाविद्यालय खोले जा चुके हैं एवं एक महाविद्यालय को अधिगृहित किया जा चुका है। नये महाविद्यालय खोलने के लिए गुणावगुण, मानदण्ड एवं वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निर्णय लिया जावेगा ।

(4) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कोई कालेज नहीं है लेकिन लूणकरणसर की 50 कि.मी. की परिधि में बीकानेर में महाविद्यालय की सुविधा है।

जयपुर दौसा मार्ग पर संचालित निजी बसें

146. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से दौसा जिले की ग्राम पंचायत नागल बेरसी तक वाया बड़वा, पडासोली, नेवर, खवा नायला होती हुई प्राइवेट बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें तथा उनका क्या क्या समय तथा किराया निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन बसों में यात्री काफी मात्रा में सफर करते हैं ? यदि हां, तो सरकार यात्रियों तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर से दौसा जिले की ग्राम पंचायत नागल बेरसी तक वाया बड़वा, पडासोली, नेवर, खवा, नायला होती हुई जयपुर बांदीकुई एकीकृत मार्ग की जयपुर से दौसा के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं। इस एकीकृत मार्ग की 35 वाहनें रोटेशन से चलती हैं, जो जयपुर दौसा मार्ग पर निम्न समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन तीन वापसी सेवायें प्रदान करती हैं।

अप सर्विस		डाउन सर्विस	
जयपुर	दौसा	दौसा	जयपुर
8.00 ए. एम.	12.00 ए. एम.	3.00 पी. एम.	7.00 पी. एम.
11.00 ए. एम.	3.00 पी. एम.	12.00 पी. एम.	4.00 पी. एम.
3.00 पी. एम.	7.00 पी. एम.	8.00 ए. एम.	12.00 ए. एम.

(यातायात मंत्री)

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.1.91 के अनुसार 16 पैसे प्रति कि.मी प्रति यात्री की दर से किराया निर्धारित है तथा न्यूनतम किराया प्रति वयस्क यात्री एक रुपया है ।

(2) निगम वर्तमान में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर विद्यमान संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है । अत: निकट भविष्य में प्रश्न के भाग एक में उल्लेखित मार्ग पर निगम का बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 147
(स्थगित)

सब तहसील मंडरायल की बस सेवा

148. श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या सरकार आवागमन सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए सब तहसील मंडरायल को रोडवेज सेवा से जोड़ने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) मंडरायल सब तहसील में किस–किस रूट पर कितनी–कितनी प्राइवेट बस सेवा चालू हैं ? कब कब चलकर कब–कब पहुंचती हैं ? तथा क्या किराया वसूलती हैं ? क्या यात्रियों के अनुपात में बस सेवा पर्याप्त हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सब तहसील मण्डरायल से विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं और सब तहसील मंडरायल को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है । वर्तमान में निगम विद्यमान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है । अत: निकट भविष्य में सब तहसील मण्डरायल को रोडवेज़ बस सेवा से जोड़ने का कोई विचार नहीं है ।

(2) मण्डरायल सब तहसील मे निम्नांकित 4 मार्गों पर उनके समक्ष अंकित बस सेवायें संचालित हैं :—

1– करौली मण्डरायल	8 वाहनों द्वारा 9 वापसी सेवाएं
2– करौली–रोधई वाया मण्डरायल	5 वाहनों द्वारा तीन वापसी सेवाएं
3– करौली-ग्रोड वाया मण्डरायल	3 वाहनों की 2 वापसी सेवाएं ।
4– कैलादेवी-करौली मण्डरायल	2 वाहनों की दो वापसी सेवाएं ।

इसके अतिरिक्त सचिव, प्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एक अस्थाई अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28-2-92 तक की अवधि के लिए सबलगढ़ औंढी वाया मण्डरायल मार्ग के लिए स्वीकृत है । उक्त मार्गों की समय सारणी संलग्न परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है । इन मार्गों पर यात्रियों के अनुपात में बसों की संख्या पर्याप्त है तथा किराया राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9-1-91

(यातायात मंत्री)

के अनुसार 16 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री की दर से वसूल किया जा रहा है।

(समय सारणी के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में समाज कल्याण विभाग की अनुदानित संस्थाएं

149. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी संस्थायें राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर से अनुदान प्राप्त कर रही हैं तथा किस-किस संस्था को कितना अनुदान दिया जाता है ?

(2) अनुदान प्राप्त संस्थाओं का वर्ष 1989 से 91 तक कब-कब निरीक्षण किया गया व कहां-कहां संस्था को अनुदान का दुरुपयोग करते हुये पाया गया ?

(3) अनुदान का दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर से चित्तौड़गढ़ जिले की 6 संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, अनुदानित संस्थाओं एवं उन्हें दिये गये अनुदान की राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अनुदानित संस्थाओं का वर्ष 1989 से 91 तक किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। निरीक्षण के आधार पर किसी संस्था को अनुदान का दुरुपयोग करते नहीं पाया गया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायक के पदों के सृजन की नीति

150. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार ने निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक के पदों के सृजन हेतु कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो उसके अनुसार किस-किस अधिकारी के लिए निजी सहायक के पदों का सृजन नहीं किया गया है ? नीति अनुसार इनके लिए कब तक निजी सहायकों के पदों के सृजन का विचार राज्य सरकार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि एस. आई. ई. आर. टी. में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के लिए निजी सहायक के पद का सृजन नहीं हैं, जबकि निदेशालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में निजी सहायक के पदों का सृजन है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? राज्य सरकार एस. आई. ई. आर. टी. में कब तक निजी सहायकों के पदों का सृजन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। कार्यभार को दृष्टिगत रखकर निदेशालय में निजी सहायकों के पद सृजित किये गये हैं।

एस. आई. ई. आर. टी. के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशकों के लिये कार्य भार के औचित्य सहित प्रस्ताव आने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निजी सहायकों के पदों का सृजन करने पर विचार किया जायेगा।

राज्य के आयुर्वेदिक/यूनानी दवाखाने

151. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद व यूनानी औषधालय हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में सालाना कितनी दवाइयां दी जाती हैं?

(3) राज्य में कितने औषधालयों में वैद्य/हकीम अभी तक पदस्थापित नहीं हैं अथवा कार्यरत नहीं हैं?

(4) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में कितने औषधालयों में वैद्य/हकीम पदस्थापित नहीं हैं अथवा कार्यरत नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) इन स्थानों पर कब तक वैध/हकीम पदस्थापित कर दिये जावेंगे।

(6) चालू वर्ष में कितने औषधालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 3476 आयुर्वेदिक व 77 यूनानी चिकित्सालय औषधालय संचालित हैं। इनकी जिलेवार संख्या सूची (परिशिष्ट 1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) औसतन रु. 88 लाख की राशि की दवाइयां दी जाती हैं।

(3) वर्तमान में राज्य में 149 आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक तथा 4 यूनानी औषधालयों में यूनानी चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं।

(4) बाडमेर जिले में 12 औषधालयों में तथा जैसलमेर जिले के 8 औषधालयों में चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं सूची (परिशिष्ट–2) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) शीघ्र ही पदस्थापित कर दिये जायेंगे।

(6) चालू वर्ष में 21 नवीन औषधालय खोले गये। सूची (परिशिष्ट–3) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेबारियों का गोलिया (सांचोर)

152. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

रेबारियों का गोलिया सांचौर जिला जालौर में पूर्व में श्री रूगनाथाराम विश्नोई, प्रधानाध्यापक द्वारा टी. सी. देते वक्त छात्रों से नाजायज वसूल की गई राशि के बाबत शिकायत आने पर जिला शिक्षा अधिकारी जालौर ने जांच की थी ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट में श्री रूगनाथाराम को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रूगनाथाराम विश्नोई भू. पूर्व प्रधानाध्यापक, रा. उ. प्रा. वि. रेबारियों का गोलिया, सांचोर द्वारा टी. सी. देते समय अनधिकृत राशि वसूल करने की शिकायत का जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। श्री रूगनाथाराम विश्नोई के विरूद्ध आरोप–पत्र एवं आरोप विवरण तैयार कर लिया गया है जो नियुक्ति एवं अनुशासनिक अधिकारी के विचाराधीन है। जिसके उपरान्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(जांच प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

लालसोट तहसील में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

153. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट में कुल कितनी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है ? गांव वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील लालसोट में चरागाह पैनल्टी के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि वसूल की जाती रही है ? पिछले पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चरागाह की पैनल्टी ग्राम पंचायतों को देती है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्ष में किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी–कितनी राशि दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में कुल 1284 बीघा 0.4 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) तहसील लालसोट में चरागाह पैनल्टी के रूप में वर्ष 1987–88 से 1991–92 तक तहसील लालसोट में चरागाह पर अतिक्रमण करने वालों से निम्नानुसार पैनल्टी वसूल की गई है :—

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	वसूलशुदा पैनल्टी की राशि (रुपयों में)
1.	1987–88	22,968.00
2.	1988–89	44,389.00
3.	1989–90	40,668.00
4.	1990–91	52,083.00
5.	1991–92	1,09,577.00
	कुल	2,69,685.00

(3) जी हां। खण्ड–2 के उत्तर में अंकित समस्त राशि पंचायत समिति लालसोट के मद–847-1 में बैंक चालान के जरिये जमा करवाई जा चुकी है। ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा जिले में निजी बसों को ट्यूरिस्ट के नाम परमिट

154. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले की निजी बसें जिनका रजिस्ट्रेशन नं. आर. एन. एफ. 187, आर. एन. एफ. 4777, आर. एन. एफ.–87, आर. जे. 14-पी–1451, आर. जे. ओ. 3–पी.–145 है ? बांसवाड़ा से जयपुर रूट पर चल रही है ? यदि हां, तो क्या इन्हें नियमित परमिट दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिदिन ट्यूरिस्ट के नाम से उक्त बसों का परमिट बनाया जाता है ? यदि हां, तो परमिट से परिवहन विभाग को 1991–92 में कितनी राजस्व की आय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से जयपुर, बांसवाड़ा से अहमदाबाद, बांसवाड़ा से बोम्बे, उदयपुर–इन्दौर वाया बांसवाड़ा निजी बसें चलाई जाती हैं ? जिसका परमिट ट्यूरिस्ट के आधार (नाम) से दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बांसवाड़ा से जयपुर के लिए इन बसों को कोई नियमित परमिट नहीं दिए गए हैं। वाहन सं. आरजे.–14/पी–1451 के पास आॅल इण्डिया परमिट है तथा शेष वाहनों के पास समस्त राजस्थान में चलने का संविदा वाहन का परमिट है।

(2) जी नहीं। प्रतिदिन ट्यूरिस्ट के नाम से इन्हें कोई परमिट नहीं दिये जाते। मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर एक वापसी सेवा के लिए अस्थाई परमिट जारी किए जाते हैं। संविदा वाहन के स्थायी अनुज्ञापत्रधारी से 3000/- रु. प्रति सीट प्रति वर्ष विशेष पथकर एवं 10% सरचार्ज तथा वाहन कर के 75/- रु. प्रति सीट प्रति वर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। इस

(यातायात मंत्री)

पर 20% सरचार्ज भी लिया जाता है। अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करते समय प्रति अस्थाई परमिट 35/- रु. परमिट शुल्क के रूप में वसूल किए जाते हैं।

(3) जी नहीं। इन वाहनों के इन मार्ग पर नियमित रूप से चलाने के कोई परमिट स्वीकृत नहीं हैं। यह वाहनें राष्ट्रीय एवं समस्त राजस्थान के परमिटों के अंतर्गत है। जिन्हें संविदा वाहन के रूप में चलने की अनुमति प्राप्त है। जब कभी यह वाहनें परमिटों की शर्तों का उल्लंघन करती पायी जाती हैं तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

सहकारी बैंकों में गबन व अनियमितताएं

155. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री सालिगराम** (बयाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी बैंकों के खातों में कुल "इमबैलेन्स" कितने करोड़ रुपयों का है ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सहकारी बैंकों में ऑडिट रिपोर्ट व अन्य केसेज के आधार पर गबन/मिस-एप्रोप्रियेशन कितने करोड़ रुपयों का है ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारी बैंकों में ऑडिट ऑब्जेक्शन में कितनी धनराशि की अनियमितता पाई गई ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों का समितियों पर और समितियों का सदस्यों पर बकाया ऋण राशि में लगभग पैंतालीस करोड़ का असन्तुलन है। इसी प्रकार राज. राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक का प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों पर बकाया और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का सदस्यों पर बकाया ऋण राशि में रु. 13 करोड़ 64 लाख का असन्तुलन है। इन बैंकों की कुल असन्तुलन की राशि लगभग 59 करोड़ रुपये है। बैंकवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई (परिशिष्ट "अ")

(2) सहकारी बैंकों में गबन/मिस एप्रोप्रियेशन के मामलों में कुल राशि 50.49 लाख रुपये है। बैंकवार वर्षवार गत 4 वर्षों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(3) सहकारी बैंकों में अंकेक्षण आपत्ति के अनुसार कुल राशि 233.32 लाख रुपये है। बैंकवार वर्षवार गत 4 वर्षों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "स")

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण वर्मा, श्री रामस्वरूप मीणा और श्री हबीबुर्र रहमान

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आये दिन महिलाओं पर दहेज व अन्य कारणों से अत्याचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) डा. चन्द्रभान, श्री जुबेर खान, श्री यदुनाथ सिंह, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री माहिर आजाद, श्री बिरधा राम चौधरी, श्री प्रेमसिंह दहिया और श्री रिछपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वी.आर. मेहता के कार्यकाल में शिक्षकों के चयन में निर्धारित मापदण्डों की कथित खुली अवहेलना किये जाने से शिक्षकों एवं छात्रों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, श्री रामस्वरूप मीणा और श्री हरिसिंह (महुआ) सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर तहसील के ग्राम सीतापुरा के अनुसूचित जाति के गरीब लोगों की आवासीय भूमि को भारत पैट्रोलियम को दिये जाने से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

(4) श्री गोपालसिंह खंडेला, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्री नत्थीसिंह और श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल की शीघ्र एवं त्वरित बिजली कनेक्शन योजना के तहत किसानों से करोड़ों रुपया वसूल करने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।

(5) श्री मनीराम, श्री यदुनाथ सिंह, श्री रामकरण, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री नत्थीसिंह, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री भरोसीलाल, श्री प्रकाश चन्द बैरवा, श्री जुबेर खान, श्री देवेन्द्रसिंह, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री रामप्रसाद, श्री निर्भय लाल, श्री भंवरलाल जोशी, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री रामकरण, श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य विधान सभा की ओर से कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति डा. हरज्ञानसिंह द्वारा शिक्षकों के चयन में कथित गड़बड़ियां व धांधली किये जाने के संबंध में।

(6) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की विभिन्न डाइग्नोस्टिक क्लिनिकों में एक्स–रे, सोनोग्राफी यूरिन आदि के परीक्षण की दरों में असमानता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर नगरपालिका द्वारा वैध कच्ची बस्तियों के निवासियों के मकानों में तोड़फोड़ कर मलबा मैटेरियल ले जाने से व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराने पर भी समुचित कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि आगार प्रबन्धकों के रिक्त पद भरने

(श्री अध्यक्ष)

हेतु 28.11.1987 को सेवा चयन मण्डल की बैठक में 38 कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में की गई सिफारिश बाबत 2.12.1987 को आदेश जारी किये गये। पदोन्नत सभी व्यक्तियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया लेकिन एक रिट याचिका पर निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेशों को निरस्त कर दिया और ये भी निर्देश दिये कि पदोन्नत कर्मचारी 4 माह तक बने रहेंगे और इस अवधि में नियमानुसार नये सिरे से चयन होगा। इस संबंध में डी.बी. में दायर अपील में भी पूर्व निर्णय को उचित ठहराया गया। माननीय उच्च न्यायालय की पालना में दौराने कार्यवाही कुछ कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की गई जिसमें 10.3.1992 को सुनवाई निश्चित है। निगम के द्वारा कार्यवाही इसलिये स्थगित की गई कि उसने न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं करने का वचन दिया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

अत: उक्त प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(9) श्री बिरधाराम चौधरी, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री हबीबुर रहमान, श्री रामकरण, श्री रिछपाल सिंह और श्री मोहनलाल (परबतसर) सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील परबतसर में नील गायों के द्वारा काश्तकारों की फसल को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों में राज्य के राजस्व एवं कृषि क्षेत्रों में नील गायों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है चूंकि प्राकृतिक का अभाव है। इसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के शिड्यूल में रखा है। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर, 1991 में पूरे देश में शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज्य के अलावा कुछ अन्य प्रदेशों में नील गायों द्वारा नुकसान पहुंचाने से समस्या है। अत: नील गाय को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के शिड्यूल-5 में स्थानान्तरण करने का प्रयास है जिससे समस्या का समाधान हो सकेगा। अत: उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री लक्ष्मीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द, जिला भीलवाड़ा की गम्भीर पेयजल समस्या के संबंध में।

(2) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति कराये जाने के संबंध में।

(3) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा के गोतमेश्वर की सड़क के अधूरे कार्य को तत्काल प्रारम्भ करा कर जनजाति बहुल्य जनता को राहत दिलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना

(श्री अध्यक्ष)

(नागौर) में पेयजल की गम्भीर समस्या के संबंध में।

(5) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में।

(6) श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की तहसील सुजानगढ़ की बिगड़ती पेयजल व्यवस्था के संबंध में।

(7) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम जैतारण से डिगरना तक की रोड का डामरीकरण किये जाने के संबंध में।

(8) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग, सीमेण्ट फैक्टरी, सवाई माधोपुर को चालू किये जाने के संबंध में।

(9) श्री प्रकाश चन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फागी की अकाल की समस्या व पेयजल के गम्भीर संकट के संबंध में।

(10) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से टौंक जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न कठिनाई के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर। (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय और बिजली के बारे में स्थगन प्रस्ताव आया है उसमें मेरे भी हस्ताक्षर हैं। नम्बर–1 पर नहीं है, नम्बर–2 और नम्बर–3 है लेकिन आपने मेरा नाम नहीं बोला है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपका नाम आ जायेगा।

डा. चन्द्रभान : मेरा नाम आ जायेगा उसमें आपकी कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी है ना।

डा. चन्द्रभान : हां।

श्री अध्यक्ष : हां, तो जब आयेगा आप भी शामिल हो जाना।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव जो दिया है वह परवतसर तहसील में नील गायों के आंतक के मामले के अन्दर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसके लिये दो मिनट का बोलने का मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार इस बात को मानती है और केन्द्र को लिख रही है कि इसको शिड्यूल–2 में से 5 में लगा दिया जाय ताकि इनका शिकार हो सके।

श्री बिरधाराम चौधरी : पहले भी तारांकित प्रश्न पर डिस्कशन हुआ था।

श्री अध्यक्ष : सैन्ट्रल गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक शिकार कैसे करेंगे और कोई चारा भी उसका नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दो स्थगन-प्रस्ताव हैं। एक तो जयसमंद झील की 6 करोड़ रुपये की जमीन को राज्य सरकार ने डेढ़ करोड़ में आवंटित कर दी है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आते ही मैं उसकी व्यवस्था दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन-प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार को थोड़ा टाइट किया जाय कि उसी दिन उसका जवाब दे। दो-तीन दिन का समय लगायेंगे तो फिर स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही क्या है।

श्री अध्यक्ष : 24 घण्टे का समय है, ज्यादा नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कनिष्ठ लिपिकों की जो 11 महीनों से हड़ताल चल रही है उसके बारे में आज 72 घण्टे हो गये नोटिस दिये हुये। इस संबंध में भी आपको मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अकाल के बारे में कुछ लोगों में स्थगन-प्रस्ताव दिये हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में आपने 25 तारीख को व्यवस्था दी थी और आज तीसरा दिन है। कब उस पर चर्चा होगी ?

श्री अध्यक्ष : अकाल पर 4 तारीख के बाद होगी, चर्चा गवर्नर अभिभाषण के बाद होगी। श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

आसीन्द जिला भीलवाड़ा की गम्भीर पेयजल समस्या

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा की गम्भीर पेयजल समस्या के बारे में सूचना दे रहा हूं।

आसीन्द क्षेत्र में 203 राजस्व ग्राम तथा लगभग 80 खेड़े तथा मजरे हैं इसका आधा भाग पहाड़ी एवं आधा मैदानी है। यह क्षेत्र पिछले दस वर्षों से लगातार अकाल ग्रस्त रहा है। यहां का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है तथा पानी की बहुत कमी आ गयी है। यह क्षेत्र अधिकांश फ्लोराइड से प्रभावित है जहां का पानी पीने योग्य नहीं है।

गर्मी का मौसम निकट है इसलिए आगामी कुछ दिनों बाद पेयजल की समस्या मनुष्य एवं पशुओं के लिए और भी विकट हो जायेगी। जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग भीलवाड़ा इस सम्बन्ध में अपेक्षित संवेदनशील नहीं है तथा बजट प्रावधान के अभाव में मजबूर भी है। क्षेत्र के कुछ बड़े गांवों में टंकी व नल योजनायें हैं, परन्तु पाइपों की कमी व रख रखाव और व्यवस्था

(श्री लक्ष्मीलाल)

की कमी के कारण वांछित सेवा नहीं दे पाती है । इस क्षेत्र की काफी योजनायें अधूरी हैं । यहां के 72 गांवों की योजनायें लगभग 2.5 करोड़ रुपयों की प्रस्तावित है लेकिन किसी पर भी त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है ।

आसीन्द बड़ा कस्बा है और उसकी जल पूर्ति के लिए दांतेड़ा बांध के नीचे से सीधी लाइन द्वारा पानी दिया जा रहा है । परन्तु पानी की टंकी नहीं होने से अधिकांश क्षेत्रों में पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है । इस कस्बे की पुनर्गठन योजना 57 लाख रुपयों की विभाग में प्रस्तावित है । भीलवाड़ा जिले में तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना ली गई है और इस क्षेत्र में भी कुछ टंकी व नल योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं परन्तु विभागीय शिथिलता के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है । अन्टाली, आकड़तादा, संग्रामगढ़, मोटरास बदनोर, दांतड़ा चेनपुरा, आमेसर आदि गांवों की योजना इसका उदाहरण है जहां स्वीकृति होने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहा है । अन्टाली में 3 वर्ष हो गये कुआं तैयार है, पाइप मौके पर पड़े हैं, परन्तु पाइप बिछाने का कार्य नहीं हुआ और लगभग चौथाई पाइप ही मौके से गायब हो गये हैं । इसी प्रकार अन्य जगहों पर शिथिलता है । जवानपुरा प्रथम चरण पूरा हो गया, परन्तु पांच वर्ष से द्वितीय चरण अधूरा पड़ा है और भूमिगत टंकी व पाइप लाइन के कारण पांच गांव–जवानपुरा, सवाईगढ़, गोरिया खेड़ा, गोविन्दपुरा व अक्षेगढ़ पानी के लिए तरस रहे हैं । निम्बाहेड़ा की स्कीम लोटा–फेरी में चल रही है और बड़े गांव की जनता पानी से वंचित है, क्योंकि यहां जो हैण्ड पम्प हैं वह सब कम पानी के कारण असफल हो गये हैं ।

कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी का साधन नहीं के बराबर है और गर्मी में टेंकर से पानी देने की नौबत आयेगी । क्षेत्र के गांवों व ढाणियों, खेड़ों व मजदूरों में तात्कालिक व्यवस्था के रूप में 850 हैण्ड पम्प लगाये गये थे, परन्तु इनमें से लगभग आधे हैम्प पम्प निरस्त, सूखें, खराब पानी की कमी से असफल, पाइप गलने व अन्य कारणों से खराब हो गये हैं । जहां अन्य पानी का साधन नहीं है वहां लोगों के प्यासे मरने की स्थिति आ रही है । इन हैण्ड पम्पों की देख रेख के लिए 20 मिस्त्री रखे गये है, परन्तु ये मेजर खराबी ठीक करने में असमर्थ हैं और लम्बे समय से हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । सरकार ने माह फरवरी से दो माह का अभियान चलाने का निश्चय किया है परन्तु यह खाना पूर्ति ही होगी । क्योंकि मेजर खराबी के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है और पार्ट्स के बिना हैण्ड पम्प ठीक नहीं होंगे । इस वर्ष भी आसीन्द क्षेत्र सम्पूर्ण अभावग्रस्त क्षेत्र है । जहां लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि टंकी व नल योजना के समस्त प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा से तत्काल मंगवाये जाकर स्वीकृत करावें तथा तत्काल

(श्री लक्ष्मीलाल)

व्यवस्था के लिए कम से कम 150 नये हैण्ड पम्प आसींन्द क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री नवनीतलाल नीनामा।

जिला बांसवाड़ा के उप तहसील पीपलखूंट के गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू करना

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला बांसवाड़ा के उप तहसील पीपलखूंट के गाव रिछड़ी से गोतमेश्वर वाया गांव बक्तोड, करमोडा, घण्टाली, पन्थोल, सोडलपुर, कटारो की मोहां, रणों की हरवर, हीगोतों की हरवर बोरी, वानघटी, केशरपुरा, सीदड़ी मऊडी ए-, सीदड़ी मऊड़ी–बी, ठीकरिया, सुरपुर के गांवों को राहत दिलाने के एवं युद्धस्तर पर सड़क का कार्य प्रारम्भ कर उक्त गांवों की जनता को मध्य प्रदेश व गुजरात की तरफ पलायन करने से रोकने बावत नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, मैं उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं विधायक गत दिनांक 22.2.92 को तहसील घाटोल के पूर्व भाग में जहां पर माही डेम का पानी किसानों के खेतों में नहीं जाता है वहां पर आदिवासी किसान वर्षा के आधार पर खेती कर अपना पेट व परिवार का निर्वाह करते हैं। वहां पर इस वर्ष वर्षा के अभाव में खरीफ फसलें सूख गई हैं व रबी की फसलें पानी के अभाव में बोने का सवाल ही नहीं है।

यह कि उक्त गांवों से गुजरने वाली सड़क कच्ची हालत में है जिस पर बांसवाड़ा से गोतमेश्वर वाया माही डेम, घन्टाली, सोडलपुर, सुरपुर, बड़ायला, मुरीघाटी, होकर बस चल रही है व हर वर्ष इस सड़क पर ऊंची नीची घाटियों में बस उलट जाने से एक्सीडेन्ट से 20 से 25 यात्रियों की मौतें हो जाती हैं। अतः मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इस वर्ष दक्षिणी राजस्थान की जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट के संबंधित सूखे क्षेत्र में तत्काल अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ करा भूखी जनता को राहत दिलावें। साथ ही सड़क का निर्माण करा कर जनता के आवागमन की सुविधा दिलाने की मेरी पुरजोर शब्दों में राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बांसवाड़ा से गोतमेश्वर सड़क का अधूरा कार्य तत्काल प्रारम्भ करा कर जनजाति बाहुल्य जनता को राहत दिलावें।

श्री कैलाश मेघवाल (बाढ़ एवं अकाल-राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायक से इतना ही निवेदन करना है कि आदिवासी क्षेत्र में अकाल की चुभन कम से कम हो और उनको पूरी राहत मिले इस बात की राज्य सरकार की पूरी तैयारी है और आदेश भी दे दिये गए हैं। उनकी क्रियान्विति हो रही है या नहीं, मैं एक दो दिन में आपको रिपोर्ट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (अनुपस्थित)। श्री प्रभुलाल पटेल।

सपोटरा क्षेत्र की पेयजल समस्या

श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत सपोटरा क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निवेदन है। सपोटरा विधान सभा क्षेत्र अधिकतर पथरीला इलाका है वर्षा की कमी के कारण इस डांग क्षेत्र में चलने वाले झरने व नदी सूख चुके हैं, कुआ खोदना वहां पर सम्भव नहीं होता है। ऐसी सूरत में यह क्षेत्र पानी के अभाव में दर दर भटक रहा है। हैण्ड पम्प कुछ थोड़े बहुत लगाये हैं वह सूखे पड़े हैं तथा कुछ खराब हालत में हैं। आज की तारीख में इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग पांच-पांच किलोमीटर से पानी अपने सिर पर लाकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं, जो कि एक ग्रामीण के लिये असम्भव बात बनी हुई है तथा सरकार के लिये विशेष सोचने का बिन्दु है। यह सरकार ने समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह डांग का क्षेत्र पानी के अभाव में पलायन करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। जिससे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी।

अतः इस क्षेत्र में सिर्फ ट्यूब वैल बनवा करके ही पानी मुहैया हो सकता है इसलिए सरकार विशेष मेहरबानी करके निम्नलिखित ग्रामों में भाकरी, चड़ेलीपुरा, मनाखुरे, गुरदे, वहरदे, बहादुरपुर, चूरियाकी, चौडियाखाता, वहरदा, करपुन, कसेड, अरोरा, गोगेपुखिरखन, रोधाई, ओड़ कानरदा, डगरिया आदि ग्रामों में शीघ्र ट्यूबवैल खुदवा करके पेयजल उपलब्ध करवा करके इस क्षेत्र को आभारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)।

तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की बिगड़ती पेयजल योजनाएं

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ नगर जिसकी आबादी 70 हजार से भी ऊपर है, छापर नगर जिसकी आबादी 20 हजार से ऊपर है तथा 40 अन्य गांव जिनकी भी काफी आबादी है। इनके लिए पानी की पेयजल शहरी एवं क्षेत्रीय योजना लाडनूं में बनी हुई है। जल स्रोत लाडनूं है जहां से पानी की सप्लाई इन समस्त जगहों पर की जाती है। मगर पिछले काफी समय से न्यूनतम पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है। भयंकर सर्दियों के दिनों में भी पानी की सप्लाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है।

(12.18 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष; पदासीन)

सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए जो ट्यूबवैल लाडनूं में बने हुए हैं उनको बिजली सप्लाई बाकलिया सब-ग्रिड स्टेशन एवं लाडनूं सब-ग्रिड स्टेशन से होती है। इन पी. एच. ई. डी. के ट्यूबवैल के लिए इन सब-ग्रिड स्टेशनों से अलग फीडर नहीं है। पी. एच. ई. डी. इन ट्यूबवैल के लिए जो बिजली की लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों में से प्राइवेट कृषि कुओं को तथा लाडनूं शहर को बिजली दी जाने से यह पी. एच. ई. डी. के कुए भी कटौती की चपेट में आ जाते हैं। बिजली का लोड बढ़ने से इन सब-ग्रिड स्टेशनों से या तो पूरी बिजली काट दी जाती है या दो फेज

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

में कर दी जाती है। जिससे यह पी. एच. ई. डी. के ट्यूबवैल चल नहीं पाते हैं जिस कारण सुजानगढ़ क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती हैं। अगर सुजानगढ़ क्षेत्र की इस योजना के लाडनूं स्थित ट्यूबवैल्स का अलग से फीडर हो तो कटौती नहीं की जा सकती। मगर साथ अन्य दूसरे कनेक्शन होने की वजह से लोड बढ़ जाता है जिससे इस स्कीम पर बुरा असर पड़ता है तथा लाखों की जनसंख्या पीने के पानी को तरसती रहती है। पूर्व में इस योजना का अलग से फीडर बनाकर लाडनूं राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा प्राइवेट कनेक्शन दे दिये जाने से यह समस्या पैदा हो चुकी है जिस कारण से सुजानगढ़ तहसील के इन 40 गांवों में से आधे से ज्यादा गांवों में तो कभी भी पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है तथा सुजानगढ़ जैसे बड़े शहर व छापर नगर में भी बहुत कम पानी की सप्लाई हो रही है। भयंकर सर्दियों में भी जहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि बनी रही वहां पर गर्मियों में क्या हालात होंगे। आप स्वयं इस बात को जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सुजानगढ़ की इस जल प्रदाय योजना स्रोत लाडनूं के ट्यूबवैल के लिए अलग से बिजली का फीडर करवाया जावे ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि आबादी वाले इस कस्बे में 1965 में यह जलप्रदाय योजना बनी थी। उसके बाद से बहुत कम पाइप लाइनें बिछाई गयी है तथा पुरानी पाइप लाइनें ही हैं जिसमें सफेद पत्थर जम चुका है। जिससे पाइप लाइनें अवरुद्ध हो चुकी हैं, सप्लाई में काफी बाधा आ रही है एवं काफी नयी बस्तियां भी बस चुकी हैं, जिसमें भी पाइप लाइनें नहीं बिछाई गयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुजानगढ़ शहर एवं इस योजना से जुड़े करीबन 40 गांवों की पुनर्गठित स्कीम बनाकर इन योजनाओं का विस्तार कर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करावें। धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (जलदाय मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक ट्यूबवैल वहां बनाने की गुंजाइश है। आप कृपा करके कोई स्थान वहां ऐसा हो तो बता दें, क्योंकि पानी मिलता नहीं है और यदि मिलता है तो खारा मिलता है। अगर आपके ध्यान में हो जहां अच्छा पानी उपलब्ध हो, क्योंकि आप व्यक्तिशः जानते होंगे, आप वहां के निवासी है, अगर आप बता देंगे तो मैं इस काम को करवा दूंगा।

श्री प्रभुलाल पटेल : ठीक है, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण से डिगरना तक की रोड पर डामरीकरण

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैतारण के ग्राम डिगाना, खराडी, लितरिया, निम्बैल, लौटोती, सिणाला, बोगीसानी, बेडकला में लाइम स्टोन व खडीन की बहुतायत है। प्रति दिन 150–200 ट्रक लाइम स्टोन व खडीन यहां से ट्रकों द्वारा बाहर जाता है। जिससे प्रति-दिन 15 व 20 हजार की आमदनी प्रति दिन राज्य सरकार को होती है, परन्तु 15 किलोमीटर तक सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सड़क पर मैटल एवं कंकरीट डाली हुई होने से डिगरना से जैतारण आने में 1 घण्टा लगना चाहिये परन्तु खराब सड़क होने से 4 घण्टे से भी ज्यादा समय लगता है व ट्रकों को भारी नुकसान होता है, टायर महीने–दो महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं। मैंने दो साल से लगातार उस सड़क पर डामरीकरण कार्य हेतु निवेदन कर रहा हूं, परन्तु अभी तक डामरीकरण का कार्य नहीं हुआ जिससे ग्रामवासियों में रोष है। इसलिये निवेदन है कि उक्त सड़क पर कब तक डामरीकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग या खनिज विभाग द्वारा करवा दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोतीलाल जी मीणा।

जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर को चालू करना

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सवाई-माधोपुर जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्टरी के नाम से जाना जाता है, लम्बे अर्से से बन्द रहने के कारण करीब 10 हजार परिवार बरबाद हो चुके हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें आपका लिखा हुआ ही पढ़ने का प्रावधान है। यहां पढ़ने की सुविधा दी हुयी है।

श्री मोतीलाल मीणा : जयपुर उद्योग जो सीमेंट फैक्टरी सवाई माधोपुर के नाम से जाना जाता है। लम्बे अर्से से बन्द पड़े रहने के कारण उक्त उद्योग पर आश्रित दस हजार परिवारों का जीवन प्राय: नष्ट सा हो गया है। काफी तादाद में परिवार कहीं वहां से बाहर चले गये हैं। बाकी बचे जीवन और मृत्यु के बीच अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या कसूर है उन मासूम बच्चों का तथा नवयुवक-नवयुवतियों का जिन्होंने जयपुर उद्योग में कार्यरत माता–पिता से जन्म लिया है जो आज भूख से तड़प कर मौत के शिकार हो रहे हैं।

मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि आपने गत लोक-सभा चुनाव में सीमेंट फैक्टरी की आम सभा में वायदा किया था कि हमारी पार्टी को वोट दें फैक्टरी चलाऊंगा। मुख्य मंत्रीजी यह तो आपकी मर्जी है फैक्टरी कब पुन: चालू करवायेंगे पर जब तक आप जयपुर उद्योग को पुनर्जीवित न करें तब तक आश्रित लोगों को बकाया भुगतान करावें जिससे उस पर आश्रित लोग अपना जीवन तो कम से कम एक इन्सान की तरह जी सकें। साथ ही मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग को जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब, मंत्रीजी जबाब दे रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्षजी, जिस जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्टरी को चालू कराने के संबंध में माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता जाहिर की है। राज्य सरकार भी इस संबंध में बहुत चिन्तित है और जब से इस राज्य सरकार ने कार्यभार संभाला है, निरन्तर प्रयत्नशील है कि येनकेन-प्रकरेण यह कारखाना चालू होना चाहिये । क्योंकि इससे हजारों मजदूरों की रोटी-रोजी का सवाल जुड़ा हुआ है । यह मामला बी.आई.एफ.आर. के सामने वर्षों से विचाराधीन चल रहा है । बी.आई. एफ.आर. के सामने एक पैकेज बना, उस पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार से चाहा गया कि वह सैक्रिफाइज कर दे । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके बावजूद भी कि राज्य सरकार पर काफी वित्तीय बोझ है और शायद अन्य कोई कारखाना होता तो इस स्थिति के अन्दर हम विचार भी नहीं कर सकते थे लेकिन इस कारखाने के लिये सरकार ने 26 करोड़ रुपये, जितनी हमसे सैक्रिफाइस बी.आई.एफ.आर. द्वारा मांगी गयी थी । उस सीमा तक हमने कहा कि अभी हमारे पास एक ग्रुप डंकल ग्रुप आया है या और कोई ग्रुप आये हैं, कोई भी इस कारखाने को चलाने की स्थिति में अगर बी.आई.एफ.आर. के सामने आता है तो राज्य सरकार 26 करोड़ रुपये तक की सैक्रीफाई करने को तैयार है । यह हम लिख कर दे चुके हैं । इसके अतिरिक्त स्वयं मुख्य मंत्रीजी केन्द्र सरकार से कह चुके हैं कि बी. आई.एफ.आर. के सामने मामला चलते हुए काफी उलझ गया है । हम नहीं जानते कि केन्द्र की अन्य वित्तीय संस्थाएं जो बैंकों से जुड़ी हुई हैं वह किस हद तक राजी होंगी या नहीं होंगी अपनी सैक्रीफाई के लिये, मुख्य मंत्रीजी केन्द्रीय सरकार को लिख चुके हैं कि इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हम तत्पर है कि अगर राजस्थान सरकार के स्तर पर कुछ और सैक्रिफाइस मांगी गई मजदूरों के हितों के अन्दर, चाहे डंकल ग्रुप को लेकर या अन्य कोई ग्रुप बी.आई.एफ. आर. के सामने आता है तो राज्य सरकार मजदूरों के हित में सैक्रीफाई करने में नहीं झिझकेगी, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा का विषय कहां बनता है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगी ।.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस संबंध में कहना चाहती हूं, मुझे अनुमति दी जाये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : चर्चा नहीं, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को कुछ बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं बनता है। श्रीमती सुमित्रा जी, आप पूछ लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सुझाव देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, जितने में वे पूछ रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह बात सही है....(व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक सुझाव देकर बैठ जाती हूं, बार बार उठना मेरे लिए मुश्किल है। मेरा यह सुझाव था....

श्री उपाध्यक्ष : इनके उठने-बैठने में थोड़ा व्यवधान हो रहा है। आप पूछ लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछूं कि वे पूछें ?

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाह रही हूं कि कर्मचारियों कि सहकारी समिति बनाकर उनको यह अवसर देकर और थोड़ी उनकी मदद करके राज्य सरकार यह फैक्ट्री चालू करवा दे, यह सुझाव आपके सम्मुख कई बार आया है। आपने अभी किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा भी है कि सहकारी समिति मजदूरों की बनाकर चला सकते हैं। इस सुझाव पर ध्यान दें, यह मेरा आपको कहना है। आप अपना मन्तव्य बताने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी, क्या यह बात सही है कि कुछ समय पूर्व इस उद्योग को कमल मोरारका को देने के बारे में करीब-करीब तय हो गया था ? यह तय हो गया था तो फिर बीच में क्या बाधा आयी कि जिसकी वजह से वापस यह कारखाना चालू नहीं हो सका ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, आप भी कह दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। औद्योगीकरण और विशेष तौर से रुग्ण उद्योगों के बारे में केन्द्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि उनको बिलकुल बन्द कर दिया जाय, उनके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाय। ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प हमारे पास बचता है कि राजस्थान सरकार इसे चलाये। और कोई सम्भावना है नहीं। जहां तक हम जानते है, राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति कारखाने को चलाने की शायद नहीं है। हमको स्पष्ट तय करना चाहिए कि इस के बारे में क्या करना है और उन मजदूरों का क्या उपाय करें ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बहिन उजला जी ने अपना एक विचार रखा है कि को-ऑपरेटिव सैक्टर में इस कारखाने को क्यों नहीं चलाया जाय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई कांक्रीट प्रपोजल राज्य सरकार के पास नहीं आया, बहुत समय इन्तजार करने के बाद भी नहीं आया। श्रमिकों से अलग-अलग बातचीत हुई है, वे भी अपने आप को इस स्थिति में नहीं पाते कि इस कारखाने को प्राफिट की दृष्टि से चला पाएं।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जहां तक बहिन सुमित्रा जी ने कहा, वे स्वयं मन्त्रिमण्डल में रह चुकी हैं। मुझे याद है यह शायद उनके सामने भी विचार के लिए आया था। देने का सवाल पैदा नहीं होता है। देने का फैसला तो बी.आई.एफ.आर. अपने स्तर पर करेगा। एक पैकेज बनकर हमारे सामने आया। उस पैकेज को लेकर कमल मोरारका वाला ग्रुप, यह वही डंकन वाला ग्रुप है, हमारे पास बैठा। बैठकर बातचीत हुई, अधिकारियों के स्तर पर, कि कैसे चला सकते हो कैसे नहीं चला सकते हो। उस स्तर पर जब यह तय हुआ कि हम इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, वह सैक्रिफाइस लिखकर हमने बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया। मन्त्रिमण्डल की उस पर अनुमति हुई है। इस समय सारा मामला बी.आई.एफ.आर. के सामने विचाराधीन है। जब तक बी.आई.एफ.आर. स्वयं इस मामले को नहीं निपटा लेती, राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है।

जहां तक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार की स्पष्ट नीति है, वह रुग्ण उद्योगों को राष्ट्रीयकृत नहीं करना चाहती, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पूर्व ही जोधपुर में हमारे केन्द्रीय मंत्री, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, ने खुद ही उल्लेख किया था कि यदि राज्य सरकार नहीं चला सकती तो केन्द्र सरकार चलाने को तैयार है।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये झांसे थे उनके। उद्योग मंत्री के भाषण सुनो न आप।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसी स्थिति को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने यह पत्र केन्द्रीय सरकार को लिखा है। केन्द्र सरकार निर्णय लेती है तो हम स्वागत करते हैं। हर तरह से सैक्रिफाइस हमने इधर भी किये हैं, उधर भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आज स्थिति जो कुछ वह यह है और हम आज भी आशावादी है। अगर दूसरी वित्तीय संस्थाएं, वह चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई दूसरी बैंक हो, जो कुछ भी केन्द्र सरकार के स्तर पर है वह सैक्रिफाइस किया जाता है, राज्य सरकार ने सैक्रिफाइस किया है, सम्भावना है कि यह कारखाना चालू हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर चर्चा समाप्त हुई। चर्चा का विषय नहीं है, माननीय रामसिंह जी बिश्नोई साहब।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : There is not end than.

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह कितने मैट्रिक टन क्षमता की है, कितने रुपए इस पर खर्च हो चुके और कितने देने के बाद यह चालू हो सकती है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अभी इसके पूरे डीटेल्स देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर यह प्लेटफॉर्म होता तो कुछ भी कह देता, आखिर मैं विधान सभा में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाश चन्द्र जी बैरवा।

श्री रामसिंह विश्नोई : 10 साल से चल रहा है यह मामला ।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर मिल चुका है । अब इस स्टेज पर, माननीय विश्नोई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप जो जानकारी मांग रहे हैं, दे दूंगा मैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तुम सरकार का धुआं निकाल दो, मैं फैक्टरी में धुआं निकाल दूंगा । फैक्टरी में धुआं क्यों निकला नहीं आज तक ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में तो कोई जवाब ही नहीं दिया । आपने कह दिया कि केन्द्र सरकार यह कह रही है, राज्य सरकार यह कह रही है । लेकिन उन्होंने कहा था कि धुआं निकाल दिया जाएगा तुम सरकार का धुआं निकाल दो । सरकार का धुआं निकल गया लेकिन आज तक फैक्टरी में धुआं क्यों नहीं निकला ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य । माननीय प्रकाशचन्द्र जी बैरवा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पांच हजार मजदूर रो रहे हैं, साहब । सारा सामान चोरी चला गया और कह रहे हैं अब तय कर दिया जाएगा । मजदूरों को पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो ? उनके बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज तक धुआं नहीं निकला । फैक्टरी का धुआं नहीं निकला तो फिर सरकार का धुआं निकल जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । माननीय प्रकाश जी बैरवा ।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, सर ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी एक सीमेण्ट फैक्टरी का मसला आपके सामने आया । मेरे यहां कोटपूतली में स्वदेशी सीमेण्ट फैक्टरी, जिसमें 250 टन रोजाना....

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ? इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । दिस इज नो पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज नो पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री रामकरण सिंह : वह बन्द है और उसकी भी यह हालत हो जाएगी । माननीय उद्योग मंत्रीजी उसके बारे में भी सोचें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाशचन्द्र जी बैरवा ।

विधान सभा क्षेत्र फागी में अकाल राहत कार्य खोलने संबंधी

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र फागी जयपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूरी

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

पर स्थित है। प्रकृति व ईश्वर की देन है कि जयपुर जिले में फागी, चाकसू व दूदू ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां गत 8-10 वर्षों से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है, जिससे क्षेत्र के सभी ग्रामों के तालाव सूखे पड़े हैं। थोड़ा बहुत पानी आया वह भी समाप्त हो चुका है। वर्षाभाव के कारण क्षेत्र के सारे कुओं का पानी सूख गया है। थोड़े बहुत कुओं में पानी था तो उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। गांवों में कई जगह हैण्ड पम्प सूखे गये है। जो हैंड पम्प कांग्रेस के समय में लगे थे उनसे क्षेत्र के लोग पशुओं को पानी पिलाते थे और गांवों के लोगों को पानी मिलता था। आज वर्तमान शासन में अधिकांश हैण्ड पम्प या तो खराब पड़े हैं या सूख गये हैं।

सरकार की ओर से कोई व्यवस्था इन हैण्ड पम्पों को ठीक करने व सूखे हैण्ड पम्पों को गहरा करने या खराब हैण्ड पम्प की बजाय नये लगाने की नहीं है। पानी की स्कीमें जो कांग्रेस शासन में चल रही थी, ठीक नहीं हो पा रही हैं। लोगों को पानी पिलाने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई स्कीम की व्यवस्था नहीं है। इस समय अकाल की वजह से चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। सरकार ने किसानों के पशु-धन को बचाने के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं की है। गांवों में चारों ओर चारे व पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि मच रही है। ऐसी अवस्था में सरकार का दायित्व बनता है कि गांवों में जन-धन को बचाने के लिए समुचित व्यवस्था करे, लेकिन सरकार जन नेताओं द्वारा लिये गये निर्णयों की धज्जियां उड़ाकर जनता के साथ मखौल कर रही है।

इसी प्रकार से गत माह छापरवाड़ा बांध से फागी तक गांवों में तालाबों में पानी छोड़कर पशुओं के लिए व्यवस्था करने का निर्णय जल वितरण कमेटी में लिया गया था। इसी माह की ग्यारह तारीख को जिलाधीश की अध्यक्षता में जल वितरण कमेटी की मीटिंग में फागी तक के तालाबों में पानी भरने का निर्णय लिया गया था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन नेताओं ने जो निर्णय लिया था उसको मखौल बना कर छोड़ दिया, जो अधर में पड़ा है।

अब मेरी सदन से मांग है कि वर्तमान में दूदू, फागी, चाकसू क्षेत्र में जो बांध सिंचाई के लिए हैं उससे गांवों के तालाबों में पानी डाला जाय, जिससे पशुओं को पानी मिल सके। पंचायत स्तर तक चारे के डिपो खोलकर पशुधन को बचाया जाय। पीने के पानी की समस्या से निपटने हेतु हैण्ड पम्प अविलम्ब ठीक कराये जायं तथा जो हैण्ड पम्प मृतप्राय: हैं उनकी जगह नये हैण्ड पम्प लगाये जायं। प्रत्येक पंचायत का सर्वे करवाकर 150 की आबादी वाले गांवों व ढाणियों पर हैंण्ड पम्प लगाया जाय तथा जहां खारा पानी है वहां के गांवों में पानी की स्कीमें बनाकर पंचायत स्तर पर आपूर्ति की कार्यवाही की जाय। भविष्य में सरकार पानी की स्कीमों को कहां कहां सर्वे कराएगी, कहां पर कितने हैण्ड पम्प लगाये जाएंगे, कहां कहां पर चारे के डिपो खोले जाएंगे, कितने गांवों के तालाबों में पानी छोड़ा जाएगा, यह सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसादजी जैन।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : लेकिन, साहब, यह क्या हुआ ? कांग्रेस का पानी सुखा दिया इस सरकार ने ? ये कहते हैं हैण्ड पम्पों का पानी सुखा दिया, जो इन्होंने लगाये थे।

टौंक जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जनहित सम्बन्धी अध्यापकों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। चालू सत्र 1991-92 में हुए रिक्त पद टौंक जिले में 266 हैं एवं नये स्कूलों के लिए भी अध्यापकों की भर्ती तत्काल किया जाना आवश्यक है। इस हेतु 1/91 विज्ञापन के अनुसार 136 पद तो भरे जा रहे हैं, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा में जाने, द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण सृजित हुए कुल 103 पद एवं पत्रांक 218 दिनांक 7.2.1992 के अनुसार आरक्षित 27 पद इस प्रकार कुल 266 पद रिक्त हैं।

राज्य सरकार के आदेशों के अभाव में स्थानीय सचिव, जिला परिषद, टौंक इन पदों को भरे जाने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं। यदि यह पद शीघ्र नहीं भरे गए तो बच्चों का भविष्य अन्धकार में रहेगा।

अतः में पंचायत राज राज्य मंत्रीजी से अपेक्षा करता हूं कि वह तुरन्त आज ही हस्तक्षेप कर निदेशक को आदेश प्रदान कर मैरिट लिस्ट के अनुसार रिक्त पदों को भरने की कृपया व्यवस्था करें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार है और हमारे जागरूक पंचायत राज राज्य मंत्री हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आज ही ऐसे आदेश प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं। माननीय श्री हरलालसिंहजी खर्रा।

श्री हरलालसिंह खर्रा (पंचायत राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इसी 22 फरवरी को सारे सचिवों की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में स्पष्ट निदेश दिए गए हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक तक जितने भी रिक्त पद हैं उनको भर कर रिपोर्ट पेश करें। यदि टौंक में कोई गड़बड़ी है या वह कोई असंमजसता में है तो आज ही स्पष्ट निदेशक और कर दिये जायेंगे कि वह जल्दी से जल्दी, वैसे तो हमने मार्च के फर्स्ट वीक तक के लिए कहा है, क्योंकि यह जो पद खाली हुए हैं वह एजुकेशन में जाने से खाली हुए हैं इसलिए....

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, पहले से ही खाली हैं। जिला प्रमुख ने उसमें भ्रष्टाचार किया था उसके कारण नहीं भरे गये हैं। इस कारण से रुके हुए हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अगर कोर्ट्स की दखलंदाजी के कारण से या भ्रष्टाचार के कारण से रुके हुए थे तो मार्च के फर्स्ट वीक तक यह पद भरवा दिए जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख को कांग्रेस के जिला प्रमुख ने लिए हैं, कलक्टर ने उनको धक्के देकर बाहर निकाला है। माननीय श्री सुरेन्द्रजी ने भी यह मामला उठाया है....

श्री हेतराम बेनीवाल : अब भ्रष्टाचार नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, वह तो ठीक है। इस बात की गारन्टी है कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, यह हमारी सरकार है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किसने भ्रष्टाचार किया है ? नाम तो बताओ ज़रा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि 22 तारीख को (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह बिना नोटिस दिए ही किसी का नाम ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 22 तारीख को लिखित में आर्डर....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिना पूर्व नोटिस दिए यह कैसे आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप लगाया है उसे एक्सपंज किया जाय। कल तो एक्सपंज कर दिए गए थे। यह क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है। नाम लिया है तो एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भ्रष्टाचारियों को मिटाने की कोशिश की जायेगी... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारा एतराज यह है कि मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो ये बीच में व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ? दूसरा, जो आदमी सदन का मेम्बर नहीं है उसके खिलाफ बिना पूर्व नोटिस के कोई भी आरोप नहीं लग सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई नाम लिया है क्या ? नाम लिया है तो एक्सपंज कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरीश भामनानी : आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : भ्रष्टाचारियों का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता और अगर कोई भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्द किशोर जी शर्मा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह चुके हैं।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि सी. ओ. टौंक ने कोई मार्गदर्शन चाहा है तो आज ही उनको मार्गदर्शन दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्द-किशोरजी शर्मा।

छबड़ा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था के बाबत

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख के द्वारा छबड़ा क्षेत्र

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

की सिंचाई के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, छबड़ा क्षेत्र में 6 बड़ी नदियां बहती हैं। मैंने गत वर्ष भी 295 के विशेष उल्लेख के तहत सिंचाई बाबत निवेदन किया था कि वहां नदियों में पानी प्रचुर मात्रा में है। इस सम्बन्ध में सर्वे कार्य भी हुआ है, योजनाएं भी बनी हैं। पार्वती, रेतीली, बेतली, लहासी, परवून एवं अंधेरी नदी का पानी बहकर चम्बल में होता हुआ मध्य-प्रदेश की तरफ चला जाता है। सारा बरसात का पानी बेकार ही बह जाता है और किसान उस बेकार जाते हुए पानी को देखकर पछताते रहते हैं। छबड़ा क्षेत्र में कोई तालाब भी नहीं है।

मेरा निवेदन है कि आज के युग में सिंचाई के साधन कृषि के लिए आवश्यक हैं। माननीय श्री भैरोंसिंहजी पूर्व में जब 1977–80 में मुख्य मंत्री थे। उस समय कई सर्वे कार्य हुए थे, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। कई योजनाएं उस समय शुरू होने वाली थी, परन्तु वह बन्द हो गई।

सन् 1985 में बेतली व लहासी नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग ने मान लिया है तथा आठवीं पंच-वर्षीय योजना में उसे शामिल करने की कार्यवाही हो रही है। मेरा सरकार और माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त दोनों योजनाओं से 60–60 ग्रामों की सिंचाई होगी और जल स्तर ऊंचा आने से ग्रामों को भी लाभ होगा। इसलिए उक्त मध्यम योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करवाया जावे।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कई इस प्रकार की छोटी योजनाएं हैं, उन पर भी कार्य हो सकता है—उतावली व फालिया दोनों गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थीं, पर उन पर राशि कम स्वीकृत की गई इसलिए वह अधूरी पड़ी हैं। इसलिए उन्हें भी शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय। नगदा, तूमड़ा, हान्वाहेड़ी, जला गगौर, सेवन खेड़ी जैसे छोटे-छोटे तालाब भी कई ग्रामों की सिंचाई कर सकेंगे। पार्वती नदी के पास गूगोर ग्राम में पार्वती का पानी करीब 30–40 फीट ऊंचे से नीचे की ओर गिरता है। यदि वहां पर कार्य प्रारम्भ करवाया जाय तो बिजली व पानी दोनों का लाभ मिल सकता है।

मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र में जहां छोटे व गरीब किसान रहते हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है अत: इस ओर ध्यान देकर उक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करावें। उससे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी समाप्त होगी और जनता को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवनीत लाल निनामा। (अनुपस्थित)।

श्री रिछपालसिंह जी।

डेगाना (नागौर) की पेयजल समस्या

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, डेगाना की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रिछपाल सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में इस वर्ष खरीफ की फसल के दौरान बरसात कम होने की वजह से पिछले वर्ष 1990-91 की बजाय पेयजल की समस्या के उग्र रूप धारण करने की सम्भावना अधिक बढ़ गई है। कुओं के पानी का स्तर और अधिक नीचे चला गया है। अब चूंकि गर्मी का मौसम शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है तथा ज्यों-ज्यों गर्मी में बढ़ोतरी होगी पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जायेगी। अनेक ग्रामों में पानी की सप्लाई बिलकुल नहीं हो रही है तथा अनेकों ग्रामों में सप्लाई अनियमित है। पाइप लाइन जगह जगह पर लीक हो गई है तथा विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लीकेज निकालना भी सम्भव नहीं हो रहा है। अधिकतर जल वितरण व्यवस्थाओं में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। बार-बार सम्बन्धित अधिकारियों से कर्मचारियों की अकर्मण्यता के बारे में शिकायतें की जा चुकी हैं, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

क्षेत्र के करीब 20-25 ग्रामों में पानी खारा तथा फ्लोराइड युक्त है, जो पीने योग्य नहीं है अतः इन ग्रामों को अन्य नई योजनाएं चालू करके ग्रामवासियों को मीठा पानी उपलब्ध कराया जावे। ग्राम मीठी डाबोली चुना, शाहपुरा, रेवत, सथाना, निबोला, खिवा मेहराणा आदि में पानी पीने के सर्वथा अयोग्य है।

जहां जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं वहां पर पानी की भयंकर किल्लत रहती है पंडवाला, डूंगरावास, राणास आदि ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। यह सिस्टम पूर्णतया फेल है अतः इसकी जगह नवीन योजनाओं द्वारा इन ग्रामों को जोड़ा जाकर ग्रामीण जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा दिलावें।

अनेक ग्रामों के लिए कागजों में तो जल वितरण योजनायें स्वीकृत हुए काफी अरसा हो चुका है परन्तु ग्राम अभी तक पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं तथा ग्रामीण जनता में भारी असंतोष एवं आक्रोश है। योजनाओं के शुरू नहीं किये जाने का कारण पाइपों की अनुपलब्धता है। सम्बन्धित अधिकारियों से बार-बार सम्पर्क करने पर यही जवाब मिलता है कि योजनाएं स्वीकृत हैं, परन्तु हमारे पास पाइप नहीं हैं अतः पाइप उपलब्ध होने पर ही योजनायें चालू की जा सकेंगी अतः सरकार पाइप शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

कई ग्रामों में टी. एस.एस. योजना के अन्तर्गत पेयजल का वितरण किया जा रहा है परन्तु उनके कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था एवं विद्युत बिल विभाग द्वारा नहीं भरे जाने के कारण वितरण नियमित नहीं हो रहा है।

अनेक ग्राम एवं ढाणियां अभी तक किसी भी योजना के अन्तर्गत जोड़ी नहीं जा सकी हैं जिससे उनमें भयंकर समस्या बनी हुई है। जहां-जहां पर हैंडपम्प बनाये गए हैं उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं तथा पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों में सांबा की ढाणी, डकियासर पालियावास, आच्छोजाई छोटी दुगौर, दूधडास, सथाना, निम्बोला बिश्रा, राजोद की ढाणी, बिचुपडी, रेवत

(श्री रिछपाल सिंह)

सामरियों की ढाणी जाल खुर्द, सुख बासनी चूडियाल आदि हैं।

अनेक ग्रामों में जी.एल.आर. बने हुए हैं परन्तु उनको अभी तक जोड़ा नहीं गया है। अत: समस्याग्रस्त ग्रामों में समस्या का निवारण नहीं किया गया है तो गर्मी के तेज होने के साथ ही समस्या के उग्र रूप धारण करने की सम्भावना है।

अत: इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के उपरोक्त वर्णित ग्रामों एवं ढाणियों में चल रही पेयजल समस्या का शीघ्र निवारण करने की कृपा करावें ताकि पेयजल समस्या से पीडित ग्रामीण जनता को राहत मिल सकें।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां (अनुपस्थित)। माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने लिखकर दिया था मेरे लिए....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कल हो जाएगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेमसिंह दहिया, विधायक भीनमाल, जालौर जिले की आहोर पंचायत समिति में चन्दराई से कंवला पंचायत मुख्यालय पर डामर सड़क बनवाए जाने विषयक चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राम नारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा जिला बून्दी तहसील नैनवा के दीपा का डेरा मजरा फूलेता में प्राथमिक पाठशाला स्वीकृत करवाए जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय नैनवां से आने वाले विधायक महोदय, यह प्राथमिक शाला के लिए काहे को आपने याचिका उपस्थापित की है, वैसे ही हो जाएगी वहां तो।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए की कि, सरकार काम करती नहीं है। सदन के माध्यम से फिर निवेदन करते हैं फिर भी गूंगी, बहरी, लंगडी लूली यह सरकार है। इसने तो राजस्थान का भट्टा बैठा दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जागरूक तो यह खुद नहीं हैं और न कभी मंत्री से कहते हैं और जनता इनको जगाती है तब जाकर के यहां आते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : आज दिन तक कितनी दफा कहा, सारे मंत्री यहां बैठे हैं। मैं केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के मंत्री जी के लिए नहीं कहता

(श्री रामनारायण वर्मा)

चाहता क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने उनको पट्टा दे दिया विधान सभा के सदन में, बाकी मैं सब से कह चुका हूं। किसी ने कुछ नहीं किया है।

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरः स्थापन

श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशोरजी मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सांवलिया जी मन्दिर विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री पुरः स्थापित करने के कारण भी बताएंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सांवलिया जी मंदिर विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत श्री सांवलिया जी मन्दिर अध्यादेश, 1991 (1991 का आध्यादेश संख्या–10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। ऐसा लचर अभिभाषण राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में आज

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तक नहीं पढ़ा गया है। इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा कुछ नवीन नहीं है। बजट भाषण जो दिये जाते हैं उसमें राज्य सरकार आने वाले वर्ष में क्या होगा उसके बारे में अपनी रीति-नीति को अपने आंकड़ों को स्पष्ट करती है और गवर्नर एड्रेस में गत वर्ष इन्होंने एक साल में क्या काम किए उनके बारे में उपलब्धियां बताती है। लेकिन यह तो उपलब्धि विहीन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। मैंने इसकी एक लाइन को पढ़ा है और इसको मैं अभी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हकीकत तो यह है कि इन राज्य सरकार ने जनता से जो वायदे किए उनमें से एक भी वायदे की इन्होंने पूर्ति नहीं की। ऐसी अकर्मण्य, नकारा और कर्मविहीन सरकार पिछले वर्षों में देखने में नहीं आई है। क्योंकि इन लोगों ने तीन प्रमुख वायदे किए थे। पहला हम हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। दो साल का अवसर ऐसा रहा जब नौकरियों पर बेन लगा रहा। दूसरा इन्होंने यह कहा था कि हम वृद्धावस्था पेन्शन देंगे (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारों, वृद्ध अपाहिज लोगों के साथ धोखा किया है और तीसरा धोखा इन लोगों ने किसानों के साथ किया है।

इन्होंने बिजली की दरों को बढ़ाकर बिजली लगाने में जो रेट्स और पोलिसी निर्धारित की उससे आज राजस्थान के किसानों और ग्रामीण-जनों में भारी रोष व्याप्त है। इन्होंने यदि अच्छा काम किया होता तो लोकसभा के चुनावों में जो इनकी दुर्गति हुई और राजस्थान विधान सभा के चुनावों में डीग में तो इनकी जमानत जब्त हो गई और चार चुनावों में से केवल एक जगह निवाई में यह जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके 200 वोटों से जीते हैं यह राजस्थान की जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है। अभी दो दिन पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें इनकी क्या हालत हुई है? (व्यवधान) मैं समझता हूं कि वहां 50–60 पर्सेन्ट से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। यहीं नहीं पंजाब में इनकी सिर्फ 6 सीटें आई हैं ऐसी स्थिति में जो इलेक्शन मैनीफेस्टो, कभी तो यह गाय के नाम पर चुनाव जीतते हैं, कभी भगवान श्रीराम का नाम लेकर जीतते हैं। लेकिन राम इनके अन्दर से निकल गया है और जनता इनको पहचान गई है कि इनकी स्थिति क्या है। (व्यवधान)

इन्होंने वायदा किया था कि हम पंचायतों के चुनाव कराएगें परन्तु पंचायतों को इन्होंने भंग कर दिया। आज राज्य में जो गांवों की स्थिति है कि वहां विकास के काम ठप्प पड़े हैं। मैं इन्हीं की योजना का जिक्र करना चाहता हूं "अपना गांव और अपना काम" उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 34 हजार गांव हैं। उन 34 हजार गांवों में कांग्रेस के शासन के वक्त जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी और उस योजना के अन्तर्गत गांवों को सौ प्रतिशत राशि देकर विकास के काम प्रारम्भ किए गए थे। लेकिन इन्होंने यह शर्त लगा दी कि गांवों के लोग 30 पर्सेंट राशि अपनी ओर से देंगे तो 70 पर्सेंट राशि राज्य सरकार उनको देगी। मैं समझता हूं मान-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नीय मुख्य मंत्री महोदय जब इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना प्रत्युत्तर दें तो बताएं कि 34 हजार गांवों में से कितने गांवों में काम हुआ है। गांवों में काम ही शुरू नहीं हुए। गांव के लोग, स्वयं इनकी पार्टी के लोग और हम तो खुले आम इसका विरोध करते हैं कि यह योजना गांवों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी और इससे गांवों का विकास अवरुद्ध हुआ है। इन्होंने सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : जरा सत्य तो बोलो।

(1.00 म. प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां अगर इन्होंने कहीं चुनाव करवाये हैं तो हाई कोर्ट के डाइरेक्टिव्ज से करवाये। हाई कोर्ट ने बीकानेर में स्ट्रैक्चर पास किया तब हाई कोर्ट के डण्डे पर आपने चुनाव करवाये हैं। आपने कोई चुनाव नहीं करवाये हैं। जहां चुनाव करवाये हैं वहां इनकी मट्टी–पलीत हो गयी और यह इस बुरी कदर से हारे हैं कि इसका कोई अन्दाजा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही कि हमने वार्षिक योजना को 1166 करोड़ से 14 सौ करोड़ रुपये करवा दिया और उसमें 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी।

श्री कालीचरण सराफ : 76 प्रतिशत

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने इसको पढ़ा नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : पढ़ा है इसीलिए कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस प्रकार पिछले दो वर्षों में राज्य की वार्षिक योजना में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। यह पेज 3 पर....(व्यवधान) आपको पता नहीं है। आप इकॉनोमिक्स के विद्यार्थी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ है। 46 प्रतिशत की वृद्धि इन्होंने बताई। उपाध्यक्ष महोदय, इन्फ्लेशन की रेट क्या है? इन्फ्लेशन की रेट को यदि इसमें सम्मिलित किया जाय तो मैं समझता हूं वार्षिक योजना नेगेटिव प्रिन्ट को बतलाती है। इसमें किसी प्रकार की उपलब्धि इस सरकार की नहीं आती है। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में सन् 1984 से लेकर 1989 तक इस राज्य में पांच सौ मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हुआ था लेकिन पिछले दो वर्ष में इस राज्य सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन अतिरिक्त तौर पर पूरे प्रदेश में नहीं किया। यह है इनकी उपलब्धि। हमारी योजनाओं का 60 प्रतिशत पैसा सिंचाई और बिजली की योजनाओं के ऊपर व्यय किया जाता है लेकिन दो वर्षों में इन्होंने कोई नया बिजली घर राजस्थान में नहीं बनाया है। कोई इन्होंने बिजली की नई योजना शुरू नहीं की। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी डींग हांकते थे यहां पर कि मेरे वी. पी. सिंहजी से खास दोस्ती है। चन्द्रशेखरजी इनके खास मित्र हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों में इन्होंने एक भी केन्द्रीय सरकार के माध्यम से और अपने स्तर पर,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राज्य स्तर पर कोई बिजली की नई योजना प्रदेश में शुरू नहीं की। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति राजस्थान में क्या होने वाली है। वर्ष 1990–91 में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अनुसार राज्य को 2104 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी इसकी तुलना में 1573 मेगावाट बिजली हमें उपलब्ध हो रही है और वर्ष 1990–91 में 25.2 प्रतिशत बिजली की कमी राज्य में थी। यह 1994–95 में उपाध्यक्ष महोदय, 3185 मेगावाट बिजली की हमें आवश्यकता होगी। बिजली की कमी का प्रतिशत बढ़ कर 44.9 प्रतिशत हो जायेगा लेकिन राज्य सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। आज सूरतगढ़, बरसिंहसर, पलाना, धौलपुर चित्तौड़गढ़ यह सारे के सारे प्रोजेक्ट दो वर्षों से राज्य सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण, कर्तव्य के प्रति उदासीन होने के कारण और आपसी उठा पटक के कारण यहां केवल मात्र अपने राज्य को बचाने में मशगूल रहे। राज्य कैसे बचे, दल बदल करवाया गया और इन्होंने केवल मात्र राज्य को बचाने के लिए दो वर्ष का समय लगा दिया। दो वर्ष में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1988–89 में केन्द्रीय सरकार ने पलाना, बरसिंगसर, लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। उसके बाद आज दो साल तक इन्होंने भूमि अवाप्ति का काम भी अभी प्रथम चरण का पूरा नहीं हुआ है, वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ है। दो–दो वर्ष तक यह लैण्ड एक्वीजीशन का काम नहीं करा सकते हैं तो उस प्लाण्ट को कैसे शुरू करवा पायेंगे।

इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ का जो बिजली घर सन् 1988 में स्वीकृत कर दिया गया था इन्होंने दो वर्ष में इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। धौलपुर के बिजली घर को तो पूरा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने अटका रखा है लेकिन इन्होंने क्या प्रयास किये। इन्होंने अपने प्रभाव का क्या उपयोग किया मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विपक्ष के नेताओं से सम्पर्क कर, सारे सदन को कान्फीडेन्स में लेकर जो प्रदेश के हित की योजनायें हैं, बिजली की योजनायें है उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट करवाये और वह योजनायें शुरू कर राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन के वक्त 1987–88, 1988–89 में 50 हजार हैक्टेयर से लेकर 60 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमताओं का सृजन किया गया था लेकिन इन्होंने गत एक वर्ष में 15 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। जो मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह काम भी वह काम है जो कांग्रेस के शासन के वक्त में आन गोइंग वर्क की श्रेणी में आते थे। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान की लाइफ लाइन है, जो पूरे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राजस्थान में अनाज की आपूर्ति कर सकती है इस योजना के साथ तो इन्होंने हमेशा धोखा धड़ी का काम किया है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि सन् 1977 से 1980 के बीच में जब जनता शासन आया था उस समय आते ही इन्होंने लिफ्टों को बन्द कराने का केबिनेट में निर्णय लिया और अब यह क्या कर रहे हैं। उस एरिया में कोलायत, गजनेर साहवा, चूरू, फलोदी, पोकरण इन पांचों लिफ्टों को या तो बंद करने जा रहे हैं या जो मूल प्रस्तावित योजना इण्डस वाटर ट्रीटी का पानी पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने रेगिस्थान और इस एरिड जोन को मद्देनजर रखते हुये राजस्थान को दिलाया था, आज उसी मरुस्थल की उपेक्षा करते हुये यह इस विशाल भू-भाग को जहां 15-15, 20-20 फुट ऊंचा, आप स्वयं उपाध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी इलाके से आते हैं। आप जानते हैं कि 20 से 25 फुट तक हमारे यहां रेत के टीले हैं वहां यह बता रहे हैं कि पांच मीटर के ऊपर हार्ड वेल्ट आ गया। उसको हार्ड वेल्ट बताया।

आप इन लिफ्टों को बंद करने का या मूल प्रस्तावित योजनाओं को छोटा करने का जो षड्यन्त्र कर रहे हैं यह निश्चित रूप से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इलाके में इन लिफ्टों से लगभग 3 लाख 75 हजार हैक्टेयर में जो सिंचाई की क्षमता का सृजन होने जा रहा है. यह राजस्थान की जनता के साथ, अकाल पीड़ित और अभाव पीड़ित और वर्षों से जो अभावग्रस्त जनता रही है उसके साथ राजनैतिक धोखाधड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन योजनाओं को यदि बन्द किया गया तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम जेलों को भर देंगे, जब आन्दोलन करेंगे और सरकार के घुटने टिकवा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सदन में विपक्ष में बैठते थे तो अन्तर्राज्यीय जल विवादों के बारे में, नदी जल विवादों के बारे में बहुत ऊंची-ऊंची बातें किया करते थे और यह कहते थे कि रावी व्यास नदियों का पानी यदि हम होते तो ऐसा कर देते, कांग्रेस के शासन ने रावी व्यास नदियों का पानी जो 7.8 मिलियन एकड़ फीट मिलता था वह 1.6 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को 1984 के समझौते के अन्तर्गत मिलने लगा है लेकिन आपने दो वर्षो में .1 मिलियन एकड़ फीट भी पानी हमको दिलाया है? अभी 2–3 दिन पहले गंगानगर से आने वाले हमारे माननीय साथियों ने गंग नहर लिंक चैनल का मामला यहां उठाया। जो क्लोजर लेकर के लिंक चैनल कांग्रेस ने 22 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है, उसको जोड़ने का काम तो कर नहीं सकते, अतिरिक्त पानी आप कहां से दिलायेंगे। इसलिए आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आप केवल मात्र यहां विपक्ष में रहकर लच्छेदार भाषण देने के तो आदी रहे हैं, लेकिन, काम करना नही आता। हाऊ-टू रूल, यह अभी तक आपने सीखा नहीं है और निश्चित रूप से दो वर्षों में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों में आपकी उपलब्धि नगण्य रही है। आप मुकेरिया प्रोजेक्ट का जिक्र यहां करते थे, आपने यहां पर अन्य अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों, आज पंजाब रास्ते में बिजली घर बना रहा है, रोपड़ के विद्युत गृह के बारे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में राज्य के हिस्से की बात करते थे, आपने इस बारे में क्या उपलब्धि की ? दो वर्षों में, आप अपना प्रत्युत्तर दें तो बतावें कि अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के बारे में कितनी अतिरिक्त बिजली, कितना अतिरिक्त पानी राज्य को दिलाया है ? मैं समझता हूं अभी तक जो तथ्य हम लोगों के सामने आये हैं, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। मैं इसी के साथ यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्टों के हैड-वर्क्स के तख-मीने दो साल से इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के पास विचाराधीन हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कोस्ट एस्केलेशन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन योजनाओं को समयबद्ध चरणों में पूरा नहीं किया गया तो ये राज्य के लिए बहुत महंगी सिद्ध होंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन योजनाओं को योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है, जिन योजनाओं को राज्य सरकार ने प्रारम्भ कर दिया है, उनको समयबद्ध आधार पर पूरा किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शिक्षा के बारे में लोक जुम्बिश कार्यक्रम का जिक्र किया है। 500 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह तथ्य लाना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन के समय 6000 प्राथमिक स्कूलें खोली गयी थीं। उनमें 5000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिये और कुछ मिडिल स्कूलों को बन्द किया। राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं। 5000 स्कूलों को बन्द करने से जिन गांवों में, जो आदिवासी और रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां 200 की आबादी थी, वहां प्रत्येक गांव में स्कूल खोलने की चेष्टा की गई थी। इन्होंने 5000 स्कूलों को बन्द करके और राजस्थान को शत-प्रतिशत साक्षरता में लाने का जो प्रयास कांग्रेस के शासन के समय में किया गया था, इसमें इन्होंने एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया है और राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है।....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ वक्ताओं ने कल यह बात कही। यह बात सही है कि हम प्रौढ़ शिक्षा के काम को जारी रखें लेकिन हमारी प्राथमिकताओं को हमें तय करना होगा। हमें सबसे पहले 6 से 15 वर्ष की आयु के बालकों को जो स्कूल नहीं जाते हैं, जहां स्कूल नहीं हैं उनके लिए पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसके बाद यदि हमारे पास पैसा है तो हमारी प्रायोरिटी को प्रौढ़ शिक्षा....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हमने शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट हो गये हैं। ये फर्स्ट हैं। सैकण्ड थोड़े ही है, लास्ट थोड़े ही हैं।....(व्यवधान)....आपके और आदमियों को टाइम नहीं मिलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें शिक्षा विभाग को अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा और मेरा यह सुझाव है कि सबसे पहले राज्य सरकार को आगामी 5 वर्षों में ऐसी योजना शुरू करनी चाहिये कि 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में स्कूल जाने से वंचित नहीं रहे और कम से कम 200 और 250 तक की आबादी के गांवों में कम से कम एक प्राथमिक स्कूल अवश्य खोला जाय और इसी के साथ-साथ हमारा प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्य है। इसमें जो सेवानिवृत कर्मचारी हैं, खास तौर से शिक्षक, डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और जितने राज्य के कर्मचारी हैं, उनको प्रौढ़ शिक्षा के कामों में सहयोग देना चाहिये। इसी के साथ-साथ हमारे सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 9-10-11-12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमारी एक योजना थी "इच वन टीच वन" उस योजना को इम्पलीमेंट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए उनको आगे लाना चाहिये। कुछ पंचायत समितियों में जहां शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, सुदूर गांवों में वहां पर उन्हीं गांवों के शिक्षकों के माध्यम से 8वीं पास लड़कियों को वहां पर टीचर बनाकर शिक्षा देने का काम शुरू किया था। इस योजना को भी पहले 15 पंचायत समितियों में शुरू किया था, उनको बढ़ाकर सारी पंचायत समितियों में शुरू किया जाना चाहिये।

जहां तक चिकित्सा विभाग का सवाल है, चिकित्सा विभाग ने भी जो वायदे गत वर्षों में पूरे नहीं किये है, जो वायदे उन्होंने किये हैं। आज हमारा सवाई मानसिंह अस्पताल है और इससे सम्बन्धित मेडिकल कालेज हैं, इसे पी.जी.आई. बनाया जाना चाहिये था। जब एक प्लान का एप्रोच पेपर बना था उसमें एक प्लान के पेपर में ऐसी मंशा जाहिर की गई थी कि राजस्थान में जो डिवीजनल हैड क्वार्टर्स है, उनमें जहां मेडिकल कालेज नहीं है, मेडिकल कालेज बनेंगे, पी.जी.आई. जयपुर में बनेगी और अजमेर व बीकानेर में इंजीनियरिंग कालेज बनेंगे लेकिन राज्य सरकार ने अभी इस क्षेत्र में केवल मात्र कोटा में घोषणा की है, वहां पर भी कोई काम नहीं किया है लेकिन अजमेर व बीकानेर में इंजीनियरिंग कालेज और जयपुर में पी.जी.आई. नहीं है जबकि देश के अन्य हिस्सों में जैसे चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज जयपुर के बाद बने थे, वे पी.जी.आई. बन गये लेकिन आज जयपुर में जो मेडिकल कालेज है वह पी.जी.आई. अभी तक नहीं बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राज्य के अहम मसले हैं जिसके बारे में चिकित्सा विभाग को आगे आकर काम करना चाहिये। नेत्र चिकित्सकों और नेत्र सहायकों के बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को लगभग 4.5 लाख रुपये मंजूर हुए, उसमें 30 पद मंजूर किये गये लेकिन चिकित्सा विभाग ने अभी तक जबकि मार्च आने वाला है, बजट लेप्स होने वाला है, केन्द्र सरकार के पैसे का कोई उपयोग नहीं किया। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की दी हुई राशि का चिकित्सा विभाग संचित रूप से उपयोग में लाने में असफल रहा है।

जहां तक योजनाओं का प्रश्न है, इस सरकार ने बड़े अच्छे-अच्छे सुन्दर नाम दिये हैं जैसे भागीरथ योजना, अपना गांव-अपना काम, 30 जिले-30 काम, गोपाल योजना वगैरह-वगैरह। ये योजनाएं सभी कपोल-कल्पित योजनाएं हैं। गोपाल योजना, पशु नस्ल सुधार योजना पहले से चल रही थी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

और अब गोपाल योजना के अन्तर्गत मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उरमूल डेयरी के माध्यम से जो नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा था, वहां आप जाकर पता करके देखें तो नस्ल सुधार के लिए जो सीमन बैंक बना था, उसकी क्या स्थिति है। वहां कितने उपकरण बेकार पड़े हैं, कितना रसायन बेकार पड़ा है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 31 लाख रुपये के उपकरण और रसायन वहां पर सड़ रहे हैं; उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आपकी भागीरथ योजना में 2–4 ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गये। हमारे कांग्रेस में वर्ष पर्यन्त प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते ही रहे थे और उनसे लोगों को लाभ मिलता था।

इस तरीके से इन्होंने उद्योग विभाग में सन् 1985 से 1989 के बीच एक ग्रोस सेन्टर की मंजूरी हुई थी। ग्रोस सेन्टर की जमीन भी अभी तक अवाप्त नहीं की है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो औद्योगिक नीति राजस्थान ने निर्धारित की है, उसमें सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि राजस्थान आज औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का डवलपमेंट होना चाहिए, कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए और हमारे यहां खनिज आधारित उद्योग लगना चाहिए लेकिन जब तक हम उन उद्योगों के लिए सब्सिडीज नहीं देंगे तब तक हमारे उद्योगों का चौहुमुखी विकास नहीं होगा। मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो सेल्स इंसेंटिव स्कीम लागू की गई थी। उस स्कीम में एक वर्ष तक इंसेंटिव देने के बाद अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर परेशान किया जाता है उसके कारण सेल्स टैक्स इंसेंटिव मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कल्ला जी, एकाध केस हो सकता है, एकाध केस में ऐसा हो सकता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इसके पीड़ित हैं आपको पता है।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब पूरा कीजिए, हरिसिंह जी भी बोलने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की वर्तमान अकाल, अभाव और पेयजल स्थितियों के बारे में 2 मिनिट लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको 25 मिनिट हो चुके हैं और 25 वक्ता हैं। अगर समय दिया जाय तो 12-12 मिनट मिलते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उदयपुर से शुरू करूं। मानसी वाकल परियोजना आज भी इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण आखेट में पड़ी हुई है। जोधपुर की इंदिरा गांधी पेयजल परियोजना जो बहुत तेज गति से चल रही थी उसको इन्होंने आते ही रोक लगा दी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय विधायक महोदय, जरा स्टेटिस्टिक्स देखिये जो काम इन दो सालों में हुआ है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जोधपुर लिफ्ट पर 12 करोड़ खर्च किए। आपने कितने खर्च किए ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने यह थोड़े ही कहा कि यह काम किया। ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं, यह कहा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोधपुर लिफ्ट के काम को इन्होंने एक तरह से रोक सा दिया है। इसी तरह से साहबा और गंधेली जो चूरू जिले के गांवों को पेयजल पहुंचाने की योजना थी उनके कामों को भी इन्होंने रोक सा दिया है और बीकानेर की बीसवाल जल प्रदाय योजना सरकार की नाकारा स्थिति के कारण वे भी आज आखेट अवस्था में पड़ी हैं। इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए कह दिया कि यह काम करेंगे लेकिन उन्होंने आज तक तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकाली। 6 महीने से कहते हैं कि हमने स्वीकृत कर दिया है लेकिन वहां एक ईंट नहीं लगी। ऐसा है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी अन्तर है। बीसलपुर परियोजना के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उस योजना की गति जो कांग्रेस शासन में चल रही थी उस स्थिति के मुकाबले में इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहने की बातें बहुत हैं लेकिन मैं आपके अनुशासन को मानता हुआ अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस सरकार में कुछ पावर ब्लक काम कर रहे हैं और वे पावर ब्लक राजनीतिक उठा–पटक को और राजनीतिक दाव–पेंचों को ध्यान में रखते हुए सरकार को बचाने में लगे हुए हैं किन्तु जनता को बचाने में लगे हुए नहीं हैं। आज 5 वर्ष से कोलायत में नोखा एवं लूणकरणसर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली के गांवों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है लेकिन फरवरी के महीने में राज्य सरकार गांवों को अकाल पीडित और अभावग्रस्त घोषित करती है। यह कितने शर्म की बात है। सन् 1987-88 का जो अकाल था तो सन् 1988-89 में राज्य सरकार ने अक्टूबर के महीने में टेस्ट वर्क खोल दिये। आज राहत कार्यों का कहीं कोई अता–पता ही नहीं है। इसलिए ऐसी जन विरोधी सरकार और इस जन विरोधी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गए अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आज से 2 वर्ष पहले जब प्रदेश में कांग्रेसी शासन था तो कांग्रेसी कुशासन के दौरान प्रदेश में प्रशासन में जड़ता आ गई थी, सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त था। प्रदेश में कानून और व्यवस्था का कहीं नामोनिशान नहीं था; नौकरशाही हावी हो गई थी। विकास के नाम पर थोथी घोषणाएं की जा रही थीं।

(श्री कालीचरण सराफ)

साम्प्रदायिक वैमनस्यता अपनी चरम् सीमा पर थी, अस्थिरता का ऐसा माहौल बना कि न राज्य की वित्तीय स्थिति की चिन्ता की गई न कोई जन कल्याणकारी योजना हाथ में ली गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकोष को बेशर्मी से लूटा गया, उसका दुरुपयोग किया गया। कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों की हालत तो ऐसी थी कि जैसे शतरंज के मोहरे पीटे जाते हैं, कभी शिवचरण जी माथुर, कभी हरिदेव जी जोशी, कभी हीरालालजी देवपुरा, कभी जगन्नाथ जी पहाड़िया उसी प्रकार से मुख्य मंत्रियों को बदल दिया जाता था। स्थिति यहां तक बिगड़ी हुई थी कि जिस दिन कोई मुख्य मंत्री बनता उसी दिन उसको हटाने की मुहिम कांग्रेसी विधायकों में चालू हो जाती थी। इतना ही नहीं हालत यहां तक बिगड़े कि कांग्रेसी शासन के दौरान मुख्य मंत्रियों की हालत दिल्ली के दरबार में बंधुआ मजदूरों से कम नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्य मंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाता तो 10-10 दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता और उसके बाद उनको समय नहीं मिलता और कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि प्रधानमंत्री के पी.ए. से मिलकर मुख्य मंत्रीजी को संतोष करना पड़ता और वे बैरंग वहां से लौट आते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके मुख्य मंत्री को मिलने में कितना समय लगता है वह मुझे भी पता हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह दहिया : काम तो आपसे हुआ नहीं। काम किया ही नहीं और आंकड़े बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : समय ने करवट ली और कांग्रेसी कुशासन से प्रदेश की जनता को मुक्ति मिली। कांग्रेसी कुशासन को जनता ने उखाड़ फेंका और माननीय भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में एक सुयोग्य सरकार राजस्थान में बनी और आज हमें इस बात का गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली में जाते हैं तो बराबरी की हैसियत से वहां बात करते हैं बंधुआ मजदूरों की स्थिति आज राजस्थान के मुख्य मंत्री की नहीं है। आज राजस्थान का गौरवमय इतिहास इस बात का साक्षी है कि माननीय भैरोंसिंह जी चाहे वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री हों, चाहे चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री हों, चाहे नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री हों, बंधुआ मजदूरों की सी स्थिति जो हरिदेव जी जोशी, शिवचरणजी माथुर और हीरालाल जी देवपुरा की थी वह आज नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सत्ता में आते ही प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति....(व्यवधान) आप बैठें, आपका नम्बर आने वाला है तब आप बोल लेना। मुख्य मंत्री जी ने गंभीर वित्तीय स्थिति को प्राथमिकता दी और उसमें किस प्रकार से सुधार हो उसके बारे में कदम उठाये। बेहतर वित्तीय अनुशासन अपना कर बजट घाटे को कम किया गया। राजकीय खर्चों में कमी की गई, राज्य की आय में वृद्धि की गई, राज्य की आय के साधन बढ़ाये गये और आज हमें इस बात की खुशी है कि कुशल वित्तीय प्रबन्ध के कारण प्रदेश में योजनागत विनियोग को बढ़ाया जाना संभव हो सका है। 1989-90 में जहां प्रदेश की वार्षिक योजना 795 करोड़ रुपए की थी

(श्री कालीचरण सराफ)

वह माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों के परिणामस्वरूप 956 करोड़ रुपए हो गई और 1991–92 में वार्षिक योजना का आकार 1166 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार 2 वर्षों में राज्य की वार्षिक योजना में 46 प्रतिशत की उपलब्धि निश्चित रूप से कीर्तिमान है। 1992–93 के लिए योजना का आकार 1400 करोड़ रुपये का रखा गया है। 3 साल में 76 प्रतिशत की वृद्धि निश्चित रूप से अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय कल्लाजी बोल गए कि मुद्रा स्फीति बढ़ी है इसलिए योजना का आकार बढ़ा है। मैं कल्लाजी को पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की तुलना में बिहार, मध्य–प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु व अन्य कई राज्य होंगे आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लीजिए कि उनकी पिछली बार राज्य की योजना कितनी थी और आज उनकी वार्षिक योजना कितनी है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां की वार्षिक वृद्धि 25 हजार करोड़ से ऊपर है।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह नहीं कह रहा हूं। आज तमिलनाडु की वार्षिक योजना में एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान की वार्षिक योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इससे आप स्वयं आंकलन कर सकेंगे।

श्री जुबेर खां : राजस्थान में जो वृद्धि पिछले दो साल में हुई है उससे ज्यादा वृद्धि हर स्टेट में मिलेगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : हमारे शासन के दौरान पिछले तीन वर्षों में चौदह सौ करोड़ तक योजना का आकार पहुंचा है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां तीन वर्षों में 76 प्रतिशत की वृद्धि वार्षिक योजना में हुई हो। वैसे पच्चीस हजार करोड़ की योजना है और यह है, यह तो आप कितनी ही बताओ, कम्पेरीजन करिये राज्यों में कि उड़ीसा में पहले कितनी थी और अब कितनी है, गुजरात में पहले कितनी थी और अब कितनी है, राजस्थान में पहले कितनी थी और अब कितनी है।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उड़ीसा की राजस्थान से ढाई प्रतिशत ज्यादा है। आप निकाल कर देख लीजिए। क्या बात करते हैं, रिकार्ड पढ़ कर देखें। आप करा लीजिए, ढाई प्रतिशत ज्यादा है राजस्थान से।

श्री कालीचरण सराफ : मैं वार्षिक योजना की बात कर रहा हूं, आप कहां उड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खानजी, आपका नम्बर आये तब आप बोल लीजिए। यह वाद-विवाद का समय नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह आपको सम्बोधित करके बोल रहे हैं इसलिए हम मुकाबला कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह हमसे पूछ रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं, बैठो साहब, इनको तकलीफ क्यों हो रही है।

Page No. 86

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह चुनौती दे रहे हैं, यह चुनौती नहीं दें, चुनौती देंगे तो बराबर जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : हां-हां, दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण किया और योजना राशि का साठ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च हो, इस प्रकार का तय किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इससे प्रदेश के विकास की ओर नई दिशा मिलेगी। हमें गर्व है इस बात का, कि सत्ता में आते ही मुख्य मंत्रीजी ने एलान किया कि भ्रष्टाचार को जड़-मूल से समाप्त कर दिया जायेगा। आज पहली बार राजस्थान में स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने आगे होकर कहा कि मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में आना चाहिए....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : शेखावत साहब के राज की नींव ही भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए बैरवा साहब।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे कई माननीय विपक्षी मित्रों ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार जड़-मूल से समाप्त कर दिया, इस प्रकार की बात कही और इसका मखौल उड़ाया। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि चालीस साल की गन्दगी दो साल में तो समाप्त नहीं होगी परन्तु जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना है, निश्चित रूप से भ्रष्टचार पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमको सहायता मिली है। मै कहना चाहूंगा कि इस सरकार को सत्ता में आये दो साल हुए हैं, छह सत्र विधान सभा के हो गये हैं परन्तु आज तक किसी भी माननीय विपक्षी सदस्य की यह हिम्मत नहीं हुई कि राजस्थान सकरार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकें और वही जब कांग्रेस का शासन था इस राजस्थान में, (व्यवधान) इस प्रदेश में, तो ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : असत्य आरोप लगाये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : यह स्वयं अपने आप में इस बात का द्योतक है कि उच्च स्तर पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है और उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है तो निश्चित रूप से निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से इनकी सरकार है, यह आरोप लगाते थे उनमें से किनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? सब असत्य आरोप थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आप सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, बार-बार इस प्रकार इन्टर फियर....

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला साहब, आप तो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कई बार आरोप लगे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कह रहे हैं कि आरोप लगते थे, आपने उन आरोपों का दो वर्षों में क्या किया ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : जांच करवा लीजिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए, हरिसिंहजी, आपको बोलना है थोड़ी देर बाद में।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने कल्ला साहब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

श्री कालीचरण सराफ : बैठो भाई, बैठिये। मैंने नहीं लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैरवा साहब। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिराजिए।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : प्रोसीडिंग्स में देख लीजिए, कल्ला साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। स्पष्ट करिये, यह बहुत गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बैरवा साहब। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्री जी को गृह मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहूंगा कि इन दो साल में कानून व्यवस्था की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है और इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण बना है। मेरे विपक्षी सदस्यों ने इसका भी मखौल उड़ाया, स्वाभाविक भी है, इनको मखौल उड़ाना ही चाहिए क्योंकि आज तक अपने शासन काल में भारतीय जनता पार्टी सम्प्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जायेगी, इस प्रकार की असुरक्षा की भावना अल्पसंख्यकों में पैदा करके यह कांग्रेसी अपनी दुकानदारी चलाते थे, रोजी-रोटी कमाते थे। आज निश्चित रूप से साम्प्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण बना है, इनकी दुकानदारी खत्म हो गई, इनकी रोजी-रोटी खत्म हो गई। इसलिए यह निश्चित रूप से इस प्रकार से ही मखौल उड़ायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय सदस्य, आपकी रोजी-रोटी तो चालू हो गई ना दो साल से, खूब रोजी-रोटी चल रही है ना।

श्री कालीचरण सराफ : बिराजिए महाराज।

श्री परसादीलाल मीणा : खूब चल रही है ना, खूब+++कर रहे हैं, खूब पैसा खा रहे हैं, खूब चल रही है।+++

श्री कालीचरण सराफ : बैठो भाई.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बैठ जाओ आप तो, बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं जानता हूं उनको।

श्री जुबेर खां : राशन की दुकानें किस को दी ?

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कालीचरण सराफ : सदन के वरिष्ठ सदस्य भूतपूर्व मुख्य मंत्री हीरालाल जी देवपुरा जब अभिभाषण की बहस में भाग ले रहे थे, उन्होंने कहा कि कानून–व्यवस्था की स्थिति कहां ठीक है। रोज हत्याएं हो रही हैं, दहेज हत्या के प्रकरण हो रहे हैं, चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें, पिछले पांच साल में कितनी हत्याएं किस वर्ष हुई, कितनी दहेज की हत्याएं हुई, कितनी चोरी और डकैतियां हुई, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो अपने आप आपकी समझ में आ जायेगा कि इन कम्पेरीजन ऑफ लॉस्ट ईयर इस साल कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है।

डा. चन्द्रभान : लास्ट ईयर भी तो आपका ही शासन था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितनी हत्याएं हो गई एक साल में आपके राज में....

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चालीस साल में जितनी हत्याएं नहीं हुई जितनी हत्याएं गत वर्ष हुई हैं, चार–चार मर्डर हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कानून–व्यवस्था ठीक है। आप पूछिये यह मंत्रीजी से कि कितने मर्डर हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एम एल. ए. कौन है ?

श्री परसादीलाल मीणा : मैं हूं एम. एल. ए.। गृह मंत्री कौन है, मैं गृह मंत्री थोड़े ही हूं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लगाते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। सराफ साहब, चालू रखिये।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरे विपक्षी मित्रों ने इस बात की बड़ी बढ़–चढ़ कर आलोचना की कि पंचायतें भंग कर दी गई है पुनर्गठन के नाम पर, गांवों में विकास का काम ठप्प पड़ा है। प्रशासन को जनता के निकट लाने के लिए यह बहुत आवश्यक था कि पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मना कौन कर रहा है ?

श्री कालीचरण सराफ : बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के आज पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुन तो लो।

श्री कालीचरण सराफ : यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रकार की नई व्यवस्था लागू करने में थोड़ा समय तो लगता है परन्तु इसको इस प्रकार से प्रचारित करना कि पंचायतों का काम ही ठप्प हो गया....

श्री यदुनाथ सिंह : बिलकुल सही बात है।

श्री कालीचरण सराफ : क्या आप उन लोगों के द्वारा पंचायतों में काम करवाना चाहते थे।

Page No. 89

श्रीमती तारा भण्डारी : बीस-बीस साल तक चुनाव नहीं हुए।

श्री यदुनाथ सिंह : बीच-बीच में मत बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ : 2700 कांग्रेसी सरपंच, जिन पर गबन और भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज उनकी जांच हो रही है, उन भ्रष्टाचारियों के माध्यम से गांवों का विकास नहीं हो रहा था, सारा पैसा उन सरपंचों की जेब में जा रहा था। इसलिए यह आवश्यक था और इसीलिए पंचायतों को भंग किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की अब तक ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। दो साल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, हो सकता है कि आपको भी कोई टुकड़ा मिल गया हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : चुनाव में जाते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती, गांवों में इनका एक सरपंच नहीं आये.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सत्य बात कह रहे हैं यह।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अटरू के सरपंच के ऊपर इकानवे हजार रुपये के गबन का आरोप है (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : 95 प्रतिशत विधायक देहातों के हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं कि अटरू के सरपंच पर इकानवे हजार रुपये गबन का आरोप सिद्ध है और वह कांग्रेस का सरपंच है। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, आप बिराजो। ....(व्यवधान)....ऑर्डर प्लीज, माननीय दिलावर साहेब, बिराजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों की सूची दे सकता हूं जो भ्रष्ट है जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही को बंद किया जा रहा है, सूची दे सकता हूं, अगर मंत्रीजी कहें तो।....

श्री यदुनाथ सिंह : आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। वाट इज पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री कालीचरण सराफ : मुझे समझ में नहीं आता कि इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं, हमने भी इनको शांतिपूर्ण तरीके से सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है, इन्होंने पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। आप क्या कह रहे हैं यदुनाथ सिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सदस्य कालीचरणजी, हम इसलिए उत्तेजित हो

(श्री यदुनाथ सिंह)

रहे हैं कि आपने एक तरह से सारे जन–प्रतिनिधियों को + + + बता दिया, जो अन्तिम छोर तक विकास की धारा को पहुंचाते हैं, पंचायतें, आपने सब सरपंच, सारे सरपंचों को....

श्री कालीचरण सराफ : 2700 सरपंचों पर गबन के आरोप हैं या नहीं ?

श्री यदुनाथ सिंह : उनको फांसी लगाओ ।....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : दो साल में आपने क्या किया ?

श्री प्रकाशचन्द गैरवा : दो साल में आपने क्या किया ? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज ।

आर्डर प्लीज....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस + + + शब्द को एक्सपन्ज किया जाये । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक्सपन्ज किया जाये इसको । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यदि + + + शब्द आया है तो उसको एक्सपन्ज कर दिया जाये । (व्यवधान)

एक्सपन्ज करवा दिया है ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य ग्राम विरोधी बातें कर रहे हैं स्वयं तो म्युनिसीपैलिटी क्षेत्र से चुनकर आते हैं । म्युनिसिपैलिटी के बारे में एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा है ।....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये डाक्टर साहब, (व्यवधान)

आर्डर प्लीज । सदन की कार्यवाही चलाने में कृपया सहयोग करावें ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको बार बार तकलीफ क्या हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि जो 1977 से 1980 तक अन्त्योदय योजना राजस्थान में चली और देश में जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गयी उसको सत्ता में आते ही मुख्य मंत्री जी ने पुनः प्रारम्भ किया जो कि + + +ने बन्द कर दी ।

एक माननीय सदस्य : क्या कहा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए । आप बिराजिये । अन्त्योदय योजना के बारे में कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कहा है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)....माननीय सदस्य विश्नोई जी आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि माननीय सदस्य अगर बोलते हैं तो कहां आपत्ति है लेकिन + + + कहना क्या औचित्य है। बीस तरह की योजनायें आप चलाते हैं और बीस तरह की योजनायें वह चलाते हैं....इनको बोलने की तमीज नहीं है।....

श्री उपाध्यक्ष : विवाद में दोनों तरफ से बोल रहे हैं, कोई अकेले सराफ ही नहीं बोल रहे हैं। आप भी कोई कसर नहीं रखते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बताया गया है कि चालू वर्ष में दिसम्बर तक 22 करोड़ रुपया व्यय करके 70 हज़ार व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। यह निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी एवं उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूंगा कि उन्होंने जो नयी औद्योगिक नीति इस प्रदेश में लागू की। आज उसी का परिणाम है कि अप्रवासी राजस्थानी और नये उद्योगपति राजस्थान की ओर आकर्षित होने लगे हैं। निश्चित रूप से इस नयी औद्योगिक नीति के कारण राजस्थान को औद्योगिक विकास में एक नयी दिशा मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी मित्रों ने अपने भाषणों में यह दावा किया कि योजना की 60 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की गयी परन्तु वह कहां खर्च की गयी वह इनको पता नहीं। मुझे सहानुभूति है ऐसे लोगों से कि राजस्थान में यह गांवों में घूमते हैं, गांवों में रहते हैं और उनको पता ही नहीं कि गांवों में किस प्रकार की योजनायें चल रही हैं। मैं पूछना चाहूंगा विपक्षी सदस्यों से कि क्या 1990–91 में बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में राजस्थान देश का प्रथम राज्य रहा या नहीं रहा ? बीस सूत्री कार्यक्रम में केन्द्र सरकार ने यह सर्टीफिकेट दिया है कि राजस्थान प्रथम राज्य था तो क्या वह गांवों में विकास नहीं हुआ ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले भी दो बार रहा।

श्री कालीचरण सराफ : पहले भी रहा होगा लेकिन इस बार रहा या नहीं, मैं पूछना चाहूंगा। जवाहर रोजगार योजना की क्रियान्विति में 131 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 170 करोड़ रुपये व्यय किये गये और 506 लाख मानव दिवस सृजित करके राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह ग्रामीण विकास का काम नहीं हुआ ?

एक माननीय सदस्य : यह आप जैसे लोग फर्जी मस्टररोल भर भर कर बैठ गये। राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ।

श्री कालीचरण सराफ : इन्दिरा आवास योजना जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कालीचरण सराफ)

तब इन्होंने चालू की इन्दिरा आवास योजना। अब उसके अन्तर्गत 41 हजार आवासों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में इस सरकार ने किया। तो क्या यह ग्रामीण विकास का काम नहीं है। 41 हजार आवासों का निर्माण किया और आप कहते हैं कि गांवों में कोई काम ही नहीं हुआ। तिलहन का उत्पादन 28 लाख टन का उत्पादन जो राजस्थान में हुआ, एक रिकार्ड स्थापित किया है राजस्थान ने कि पिछले वर्ष से तीन गुना वृद्धि हुई, क्या यह ग्रामीण विकास का काम नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : सरकार का क्या योगदान है इसमें ?

श्री जुबेर खां : न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने की वजह से 100 करोड़ रुपये सरकार के काटे गये अगर हिन्दुस्तान में कोई प्रदेश है तो वह राजस्थान है। आप कहते हैं सरकार की उपलब्धियां। 100 करोड़ आपके काटे गये क्योंकि लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी। आप क्या बात करते हैं इस सरकार की ? ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां विराजें।

श्री रामसिंह बिश्नोई : राज्य में 20 हजार बच्चे पैदा किये, सरकार ने क्या किया इसमें ?

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल किसानों को फसली ऋण के रूप में 26 करोड़ रुपया दिया गया था। इस वर्ष 96 करोड़ रुपया फसली ऋण के रूप में किसानों को दिये गये हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह ग्रामीण विकास का काम नहीं है ? अधिकारों का विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायतों को 50 हजार रुपया तक की लागत के कार्यों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी करने का अधिकार दिया। क्या यह गांव के लोगों को ज्यादा अधिकार देना ग्रामीण विकास के विरुद्ध कार्य है ? अपना गांव अपना काम, तीस जिले तीस काम गोपाल योजना–क्या यह ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के पहली बार 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर 1500 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के नेतृत्व में हुआ। तो क्या इससे गांवों का विकास नहीं होगा ? मैं पूछना चाहूंगा किस प्रकार से माननीय विपक्षी सदस्य केवल भाषण देने के लिए भाषण देना यहां पर चाहते हैं। जो ग्रामोन्मुखी योजनायें राजस्थान में चल रही हैं पहली बार पिछले दो सालों में गांवों का जिस द्रुत गति से विकास हुआ है उसको अवरूद्ध करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मलसीसर योजना किस के समय में प्रारम्भ हुई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रारम्भ कहां हुई है ? अभी तो लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही है।

श्री कालीचरण सराफ : सूरतगढ़ तापीय परियोजना का काम प्रारम्भ हो रहा है। धौलपुर के बारे में आपने कहा तो सर्वे

(श्री कालीचरण सराफ)

टीम आ गयी है और बातचीत चल रही है। आपके समय में जो ठंडे बस्ते में सारी परियोजनायें पड़ी थीं उनकी धूल झाड़कर उस पर विचार प्रारम्भ हो गया है और निश्चित रूप से यह परियोजनायें शीघ्र ही प्रारम्भ होंगी। कल्ला साहब एक चीज और बोले कि हमने 5 हजार स्कूलें खोलने की घोषणा की थी। आप पांच साल शासन में रहे, पहली साल आपने कितनी स्कूलें खोलने की घोषणा की? दूसरे साल कितनी खोलने की घोषणा की? चुनावी वर्ष को ध्यान में रखकर और बिना वित्तीय प्रावधानों के आपने 5 हजार स्कूलें खोलने की बात कही।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वित्तीय प्रावधान करके दो वर्ष में यह स्कूलें खोली गयी थीं।

श्री कालीचरण सराफ : 5 साल में कितनी खोली वह बताओ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 5 साल में लगभग दस हजार स्कूलें खोली।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : इस सरकार ने अभी तक एक भी स्कूल नहीं खोली है। कम से कम सरकार ने 5 हजार स्कूल खोली आपने एक भी स्कूल नहीं खोली दो साल में।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान राज्य की सरकार थोथी घोषणाओं में विश्वास नहीं रखती। बिना वित्तीय प्रावधानों के स्कूलें खोलने की घोषणा कर के वाहवाही नहीं लूटना चाहती। यह केवल धरातल पर काम करना चाहती है और इसी का परिणाम है कि इस साल 13 सौ प्राइमरी स्कूल और पांच सौ के लगभग मिडिल स्कूलें इस राज्य सरकार ने खोले....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कहां खोले? फरवरी हो गयी? लिस्ट कहां है? लिस्ट बताइये।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से विधायक चुन करके आया हूं और चन्द्रभानजी को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि आप गांव ही गांव के बारे में बोल रहे हैं, जयपुर के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। तो मैं यह बताना चाहता हूं माननीय चन्द्रभानजी को कि पिछले डेढ़–दो साल में जयपुर शहर में जितना समुचित और सर्वांगीण विकास हुआ है वह पिछले 40 साल में केवल इसलिए कि यहां से विपक्षी विधायक जीत कर आते थे, राजनीतिक द्वेषता के कारण जो राजस्थान की राजधानी होते हुए जयपुर में काम नहीं हुए। इस बार पिछले दो साल में इतना काम हुआ है कि आज जयपुर शहर की सारी जनता वाहवाही कर रही हैं। आज पूरे शहर में रोड पर सोडियम लाइटें लग गयी, ग्रेवल सड़कें बन रही हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब्जे हो रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : जवाहर सर्किल के नाम से एक परियोजना चालू की गयी है मालवीय नगर में सेटेलाइट हॉस्पिटल खुल गया है, विद्याधर नगर में हॉस्पिटल खुलने को है, जिला अस्पताल खोलने की घोषणा

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने इस विधान सभा में की थी परन्तु मेरे कांग्रेसी मित्रों को यह नहीं सुहाया। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता महेश जोशी नाम के कोर्ट में गये और स्टे ले आये और जो जिला अस्पताल जयपुर शहर में खुलने वाला था उसकी सुविधा से जयपुर की जनता को वंचित रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में इस सरकार ने कई समस्याओं का निदान किया है परन्तु फिर भी आज जयपुर की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रमुख समस्या है जयपुर शहर में 1982 से सी.टी.एस. बसें चलना बंद हैं जयपुर में। नगरीय परिवहन सेवा जयपुर शहर में नहीं है। आये दिन मिनी बसों से दुर्घटनायें हो रही हैं। पिछले दिनों विश्वविद्यालय के एक प्राख्याता के दो पुत्रों की किसी मिनी बस से दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में सी.टी.एस. बसें पुनः प्रारम्भ की जाय। इस बात की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने प्रत्युत्तर में करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में दूसरी प्रमुख समस्या कच्ची बस्तियों की है। आज 4 परिवार जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं उनका 1971 में सर्वे हुआ और 1981 में सर्वे हुआ। आज तक उनमें से अधिकांश लोगों को अलाटमेण्ट नहीं दिया गया। उनको अलाटमेण्ट दिया जाय और 1981 में सर्वे हुआ, 1991 में हो गया आज तक दोबारा सर्वे नहीं हुआ है। मैं राज्य सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि 1991 की जनसंख्या हो गयी। 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में सर्वे हुआ, 1991 में भी सर्वे होना चाहिए और जो इस प्रकार के गैर सर्वेधारी लोग हैं जो मजबूरी में कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं उनका भी सर्वे करवा करके उनको भू-खण्ड आवंटित किये जाने चाहिए।

तीसरी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की प्रमुख समस्या है कृषि भूमि पर बने मकान। 1981 में सरकार ने बड़ी जोर शोर से घोषणा की थी, समाचार पत्रों में छपा था कृषि भूमि रूपांतरण शुल्क जमा करवाओ और....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नियमतिकरण करवाओ। लोगों ने 14 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा भी कराये परन्तु आज तक कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमतिकरण नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले आते ही जयपुर की प्रमुख समस्या को प्राथमिकता दी। तेजकुमार कमेटी बनी उसके बाद वेरी समिति बनी। तीन मंत्रियों की उप समिति भी बनी उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान करना जयपुर की जनता की पहली आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसे करना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी इन समस्याओं की ओर ध्यान देंगे अन्त में मैं अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे +++ थोथी, केवल

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे और वास्तव में जो यह उपलब्धियों का वर्ष रहा है इसको सराहें और इस अभिभाषण का समर्थन करें। धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++ असंसदीय है इसको एक्सपंज किया जाय। +++ शब्द के बारे में आप राय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक्सपंज करने के लिए कह दिया है।

एक माननीय सदस्य : +++ को असत्य कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : असत्य शब्द कह दिया है।

मुझे सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अभी जिन-जिन दलों के वक्ताओं के लिए जितना समय शेष है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं :—बी.जे. पी. का 2 घण्टा 35 मिनट, कांग्रेस के 55 मिनट, जनता दल के 28 मिनट, जनता दल (डी) के एक घण्टा 24 मिनट, सी.पी.ए. के 5 मिनट हैं और निर्दलियों के 50 मिनट हैं।

माननीय श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य यहां राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने जो विचार व्यक्त कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह 1990 के अभिभाषण पर दिया हुआ पहले के भाषण के कागज इनके हाथ लग गये उसी को दोबारा पढ़ कर सुना रहे थे कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तित हुई है, किस तरीके से लोगों ने विश्वास प्राप्त किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोर-शोर से राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों ने राजस्थान में भ्रष्टाचार उन्मूलन और स्वस्थ प्रशासन की बात कही। कहने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगती है और सुनने में भी अच्छी लगती है लेकिन अपने आचरण में इसको सिद्ध करने में बहुत जोर आता है। आज भ्रष्टाचार राजस्थान में इस हालत में है कि पहले तो यह कहा जाता था और यह सुनते थे कि नौकरियों और तबादलों में लाइसेंस व परमिट के कोटे में रिश्वत दी जाती है लेकिन आज भ्रष्टाचार का आलम इस राजस्थान प्रदेश में इतना हो गया है कि अगर गांव का कोई गरीब किसान और शहर का कोई गरीब इन्सान अस्पताल में दवाई के अभाव में तड़फ-तड़फकर दम तोड़ दे तो उसकी लाश को भी वापस लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार की सूची और भ्रष्टाचारों के कारनामें आपके सामने रखूं तो समय ज्यादा लग जायगा इसके बजाय मैं एक शेर सुना देना ही पसंद करूंगा एक शायर ने सही कहा है कि "बरबादे गुलिस्ता करने में बस एक ही उल्लू काफी था, अब हाले गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पर उल्लू बैठा है" आज हर जगह +++ भ्रष्ट और अपराधी प्रवृत्ति के

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

लोग बैठे हैं ग्रौर चोर की दाड़ी में तिनके का नमूना ग्रापने यहां भी देखा....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माहिर ग्राजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा क्योंकि इसमें एक साल पहले ग्राप भी शामिल थे (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : किस में ? मैं सरकार में कभी शामिल नहीं रहा। हम तो देर ग्राये दुरूस्त ग्राये (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह का भूला शाम को घर ग्रा जाता है तो भी इन्सान कहलायेगा। मैंने तो छोड़ दिया ग्रब, ग्राप भी छोड़ दीजिए। ग्रापको भी मान लेंगे कि ग्राप भ्रष्टाचार से....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मतलब ग्राप + + +थे।

(2.00 म. प.)

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल इस सदन में परसों ही ग्रापको मालूम है कि हमारे माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि जो प्रशासनिक ग्रधिकारी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी उनमें से ग्राधों को तो एफ. ग्रार. में दे दी गयी ग्रौर ग्राधे ग्रधिकारियों की जांच ग्रभी पेंडिंग है लेकिन कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? इसका जवाब देने के लिए केवल दो नाम बताये इससे ग्राप ग्रंदाज लगा सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार भ्रष्टाचार को कितना समाप्त करना चाहती है या इसको बढ़ावा दे रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोर शोर से फिजूलखर्ची कम करने, मितव्ययता करने की बात कही गयी। वाकई में सरकार ने बड़ी मितव्ययता बरती। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप ग्रौर सारे सदस्य राजधानी जयपुर के ग्रन्दर ग्रावागमन करते हैं। इन चौपड़ों पर कभी तो सर्किल बनाये गये ग्रौर फिर उसके 15 दिन बाद उन सर्किलों को वापस तोड़ कर चौपड़ बना दी। मैं पूछता हूं, यह फिजूलखर्ची हुई या विनियोग हुग्रा, इन्वेस्टमेंट हुग्रा। कौन व्यक्ति इस बात के लिये दोषी है ? किसने तो पहले इन चौपड़ों को सर्किल बनाने की योजना दी ग्रौर बाद में फिर इनको वापस चौपड़ बनाने की बात कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, यह मैं नहीं कह रहा, यह ग्रापके सत्ता पक्ष के किशनगंज से ग्राने वाले माननीय विधायक ने मुख्य मंत्री महोदय को शपथ-पत्र दिये हैं सात व्यक्तियों के। श्री सुरेश चन्द पुत्र नारायण, गांव पीपलखेड़ी से सहायक ग्रभियन्ता, विद्युत खण्ड शाहबाद ने पांच हजार रुपये लिये, शपथ-पत्र दिये हैं। रामचरण पुत्र लक्ष्मणराम से पांच हजार रुपये लिये। घासीराम पुत्र जवाहर लाल से पांच हजार रुपये लिये। परसारी ग्रौर घोसू चमार, ग्रनुसूचित जाति के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया ग्रौर उनसे रिश्वत के रूप में पैसे लिये गये। यह एफिडेविट, शपथ-पत्र इस सदन के माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्रीजी

+ + + शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को 16.2.92 को दे दिये। आज 27 तारीख है, 11 दिन बीत चुके, आज भी वह अधिकारी अपने पद पर बैठा हुआ है और इसी तरीके से घूसखोरी कर रहा है। क्या इसका आपके पास कोई जवाब है, आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? बड़े जोर शोर से समर्थन कर रहे थे, दीजिये मेरी इस बात का जवाब कि इस पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई ? उल्टा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन भ्रष्ट और अपराधी अधिकारियों के हौंसले देखिये कि विधायक ने यह शिकायत की और इसको पकड़ा, शपथ–पत्र लेकर पेश किया तो उन अधिकारियों ने उल्टे विधायक के खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि यह मुझे मारने और हाथापाई करने आये थे। इतने हौंसले बुलन्द हो रहे हैं आपके राज के अन्दर इन भ्रष्ट लोगों के और आप स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं। आपकी बात बेमानी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई के साधनों का सवाल है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आठवीं योजना तक राजस्थान की स्थिति यह है कि इरिगेशन एरिया के जो सोर्स हैं, आज भी कैनालों से सिर्फ 10.9 प्रतिशत इरिगेशन की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आई. जी. एन. पी., चम्बल कैनाल, गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, माही सागर और दूसरी जितनी मौसमी नदियां और नहरें हैं उन सबसे मिलाकर केवल इतनी सिंचाई हो रही है। आज भी राजस्थान में सिंचाई का मुख्य आधार लोगों के ट्यूब वैल और कुएं हैं जिनसे 25 प्रतिशत के लगभग सिंचित क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। आप क्या सिंचाई के साधनों का विकास करने की बात करते हैं। जितना पैसा आपने इस इंदिरा गांधी नहर और दूसरी नहरों में जो घोटालों में गया उस पर खर्च किया, अगर आप काश्तकारों को उनके कुएं बनाने के लिये और ट्यूबवैल लगाने के लिये अनुदान देते तो राजस्थान की और ज्यादा उपज पैदा होती और राजस्थान के किसानों की माली हालत भी सुधरती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय साधनों का अभाव कह कर राजस्थान के विकास के कामों को टाला जाता है। राजस्थान के अन्दर अभी पिछले महीने माननीय मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली। उसका जिस तरीके से स्वागत किया गया वह स्वतः ही दर्शाता था वाकई में राजस्थान के अन्दर वित्तीय संसाधनों की कमी है। जिस तरीके से उसका स्वागत किया गया....(व्यवधान) आप सुन लीजिये, राजस्थान की बात कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा। पैसा तो राजस्थान का गया वह। आप चले कश्मीर में झंडा फहराने के लिये....(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात कह दीजिये। मेरा समय नहीं लीजिये।....(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : एकता यात्रा में कोई सरकारी साधनों का दुरुपयोग नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। डा. चन्द्रभानजी बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है इंदिरा गांधी नहर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गया है। दूसरी बात, इनको जिस प्रकार टेल का पता है इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहरु का पता है। यह बतायें दो साल में कोई भी घोटाला हुआ हैं ? माननीय सदस्य उसको बिल्कुल प्रमाणित करदें, वह कहें जो मैं करने को तैयार हूं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, आपका क्या मतलब है ?....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दो साल तो दूर इस शासन के बाद का बता दीजिये। इस शासन के बाद का एक घोटाला बता दें या तो मैं त्याग पत्र दे दूं या यह दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। डा. साहब बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : इनका क्या मतलब है ? यह चाहे जब खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। बिराजिये आप। आर्य साहब बिराजिये।

श्री हीरालाल आर्य : साम्प्रदायिक सौहार्द जो कांग्रेस ने पिछले चालीस सालों में समाप्त करने का प्रयास किया था वह साम्प्रदायिक सौहार्द उनके आने से बना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आर्य साहब, शानदार भाषण हो रहा है, बाद में कह देना आप। माननीय माहिर आजादजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक महोदय, मैं यह कह रहा था.... (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकेतों के और इसके नाम पर जो इस प्रकार की उग्र भावनाएं फैलाना चाहते हैं, इस देश में....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनों तो सही। अभी आगे तो सुनो। यह तो शुरूआत है। ट्रेलर देखकर घबरा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चन्द्रभान जी बिराजिये। शांत रहिये। माननीय मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान)

अगर इसी प्रकार हरेक मैम्बर बोलता रहा तो मैं सोचता हूं यह सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। माननीय माहिर आजादजी। बिराजिये ना आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकता यात्रा निकाली गयी और उसका उद्देश्य यह था कि कश्मीर की एकता और अखण्डता खत्म नहीं हो, कश्मीर के अन्दर झंडा फहराया जाय। हम भी यह चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो....(व्यवधान) लेकिन मैं एकता यात्रा निकालने वालों से यह पूछना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : यह जान-बूझकर रोकते हैं। इस तरह से नहीं चलेगी बात। यह जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं आप इनको इजाजत देते हैं या अपनी मर्जी से बोलते हैं। यदि इस तरह से चलेगा तो मुख्य मंत्रीजी को नहीं बोलने देंगे। हम मुख्य मंत्रीजी को जवाब नहीं देने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब भाषण चलता हो तो अवरोध पैदा नहीं करें। माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनको अवसर मिलेगा तब इसका जवाब दे दें.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी की मां ने दूध पिलाया है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनका अवसर मिलेगा, जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : जैन साहब, प्लीज, बहुत सीनियर मैम्बर हैं आप। एक बार उत्तर आ गया, कोई घंटा भर हीं करोगे प्रतिरोध।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, कश्मीर की चिन्ता है और होनी भी चाहिये। पहले गंगानगर के अन्दर खालिस्तान के झंडे फहराये गये उसके बारे में क्या स्थिति है, उसकी आपको चिन्ता होनी चाहिये थी।....(व्यवधान) आप राजस्थान की चिन्ता करिये।

एक माननीय सदस्य : उसमें गिरफ्तारी हो गयी। गंगानगर में जो झंडे फहराये उनके खिलाफ कार्यवाही हो गयी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट कर लिये वह।

डा. चन्द्रभान : आप जवाब दे रहे है क्या बहस का ? आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात का उत्तर नहीं है। विराजिये आप। मेरी समझ में यह कोई तरीका नहीं है। माननीय माहिर आजादजी कृपया शांत रहिये। गृह मंत्रीजी. बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई इन्टरवीन नहीं कर रहा। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, माननीय माहिर आजाद साहब, सीनियर मैम्बर हैं, इन्होंने खालिस्तान वाली बात कही, इनको खुद को मालूम भी है उसके बाद में सरकार ने एक्शन लिया है और वह गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो वह, आपको मालूम है वह गिरफ्तार हो गये, दुबारा उसको आज उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा किया तो उसके लिये धन्यवाद।

श्री हरिसिंह : किस बात की एकता यात्रा थी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसमें भी आपका हाथ है।

श्री हरिसिंह : पाकिस्तान के झंडे फहराने....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां झंडा फहराने में भी आपका हाथ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां अल्पसंख्यकों के नाम पर देश द्रोहिता नहीं फैलाने दी जायेगी। चाहे वह गंगानगर हो, चाहे कश्मीर हो....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : पाकिस्तान की हां में हां मिलाने वालों की नहीं चलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब । माननीय डा. चन्द्रभानजी ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्टरवीन होगा तो यहां पर बहस चलाना मुश्किल होगा । यह कोई तरीका नहीं है । हमारे दल का सदस्य बोलता, बारबार यह लोग बीच में समय नष्ट करते हैं । आप इनको अलग से समय दीजिये । यदि यह एक बार खड़े होंगे तो मैं दस बार खड़ा होऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहता हूं, एक बार खड़े होंगे तो मैं दस बार खड़ा होऊंगा ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, बिराजिये । माननीय माहिर आजादजी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका दल कौनसा है, यह तो बता दो । दल कौनसा है ?

डा. चन्द्रभान : दल जनता दल है, आपका कौनसा दल है बताओ आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो जनता दल दिग्विजय के हैं और रहेंगे । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप तो जनता दल के डिफेक्टर हो....(व्यवधान) आप भगोड़े हो....

एक माननीय सदस्य : आपकी कोई हैसियत तो पूछिये, हैसियत क्या है । आपकी पार्टी में कहां खड़े हो, यह तो पता करो ।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । हां, रोक रहे हैं, आप तो बिराजो ।

डा. चन्द्रभान : आप छोड़िये, जनता जानती है । आप जनता दल की पीठ में छुरा भोंकने वालों में से हो ।....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : इनको यह विश्वास नहीं है कि उनके साथ यह रहेंगे या नहीं रहेंगे ।

श्री रामकरण सिंह : मैं स्वागत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी ।

श्री बिरधाराम चौधरी : पाइण्ट आफ आर्डर । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय काउण्ट नहीं किया जाना चाहिए । जहां तक बिजली का सवाल है, बड़े जोर शोर से बिजली की बात कही गई थी । आज स्थिति यह हैं कि वर्तमान में राज्य विद्युत ऊर्जा की मांग और उपलब्धि के मध्य 31 प्रतिशत की खाई है । आज बिजली की स्थिति यह है कि 1991–92 में बिजली 2104 मेगावाट के स्थान पर हमारे पास 1573 मेगावाट ही उपलब्ध है । यानि 25.2 प्रतिशत की कमी तो यह है और 17.4 प्रतिशत की कमी हमारे पास बिजली में दूसरी उपलब्धता की है । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने कहा है कि वह यह प्रयास कर रहा है कि पीक लोड काल में लोड क्रम को समतल करने हेतु सायंकाल के साथ-साथ प्रातः काल के पीक

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लोड समय में उपयुक्त कटौतियां कर दैनिक लोड फैक्टर को 85 फीसदी बढ़ाया जायेगा। आज विद्युत सप्लाई के अन्दर बड़ा भेदभाव बरता जा रहा है। आज शहरी क्षेत्रों में तो डोमेस्टिक लाइट 24 घण्टे दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पावर के अलावा डोमेस्टिक लाइट भी नहीं दी जाती है। वहां के रहने वाले लोग रेडियो, ट्रांजिस्टर पर समाचार नहीं सुन सकते हैं और न वह बिजली के दूसरे उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी घरेलू उपयोग में ली जाने वाली बिजली तो कम से कम 24 घण्टे दी जानी चाहिए। (व्यवधान) मैं तो 22 तारीख को ही जाकर आया हूं और गांव जाने में आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तो आपको दौरे बनाने के लिए सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खनिजों का सवाल है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो सरकार विकेन्द्रीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ खनिज विभाग ने अभी एक नया नियम बनाया है कि जो भी खनन कार्य के लिए लीज लेना चाहेंगे, उसके पास दो चीजें होना आवश्यक है। या तो उसके पास कटिंग और पालिशिंग मशीन हो और या फिर उसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो। यह आत्मघाती और केन्द्रीयकरण की नीति को अपनाने वाला इन्होंने यह नियम बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा और केवल मोनोपोली बढ़ेगी। केवल वही पूंजीपति जिनके पास कटिंग और पालिशिंग मशीन, या एक्सपोर्ट के लाइसेंस हैं, वही इस काम को कर पायेंगे और जो श्रमिक खनन व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके रोजगार का संकट पैदा हो जायेगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण के अन्दर राजस्थान सरकार ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और बेरोजगारी को समाप्त करने के बारे कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। राजस्थान के उद्योग मंत्रीजी यहां नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि घर का पूत तो कंवारा डोले और पाड़ौसी के फेरे। आज शेखावटी और मारवाड़ के जो व्यवसायी हैं, वह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आसाम और गोहाटी के अन्दर बड़ी-बड़ी फैक्टरी और कारखाने लगा रहे हैं। मेरे तो आगे–पीछे, इधर-उधर सभी तरफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और उद्योग मंत्रीजी द्वारा उनसे बात करके राजस्थान का औद्योगिक विकास कराया जाना चाहिए और श्रम आधारित उद्योग लगाने पर जोर देना चाहिए ताकि रोजगार के साधन सुलभ हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो पांच ही मिनट हुए हैं और आपने घण्टी बजाना प्रारम्भ कर दिया। मेरा सारा समय तो शोर गुल के अन्दर निकल गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये अपनी बात। 20 मिनट पूरे कर लिये हैं आपने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं 5 ही मिनट हुए हैं। यह तो सारा झगड़े में चला गया।

श्री उपाध्यक्ष : कम्पलीट करिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राज्यपाल जी के अभिभाषण के अन्दर महिलाओं को सभी विकास प्रवृत्तियों का लाभ अगले वर्ष देने के लिए प्रयास किया जायेगा। क्या प्रयास किया जायेगा ? क्या विधवा और परित्यक्ता पेंशन लागू करेंगे ? आपको यह बताना चाहिए कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? मांग करना चाहता हूं कि विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन का सिस्टम आपको लागू करना चाहिए।

परिवार नियोजन की बात इसमें कही गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में केन्द्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उस चर्चा में एक प्रस्ताव यह भी आया था कि जिनके दो बच्चे हैं, उनको नौकरियों, चुनाव लड़ने में और अन्य कामों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की सरकार भी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव लाकर कानून बनाने का इरादा रखती है। यदि हां, तो अतिशीघ्र ही इसकी रूपरेखा बताकर इस पर अमल किया जाना चाहिए और उसमें भी एक बात और है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी पूरा कीजिए। आपके दल के कुल 28 मिनट हैं। जिसमें से 15–20 मिनट आप ले रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी 20 कह रहे हैं, अब 15 हो गये। अभी तो 6 मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुल 28 मिनट हैं। फिर कौन बोलेंगे। प्लीज कम्पलीट इट।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं बहुत ही स्पीड से कम्पलीट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पीड नहीं, कम्पलीट कर दीजिए ना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि परिवार नियोजन की नीतियों को अपनाने, इसकी समीक्षा और अध्ययन करने के लिए राजस्थान के कुछ प्रतिनिधियों को इंडोनेशिया भेजेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं। अभी तक तो भेजने पर अमल ही नहीं हुआ। इस पर भी अमल किया जाना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 20 पर कहा गया है कि सभी इच्छुक हज यात्रियों को हज पर भेज दिया जाये। यह बिल्कुल निराधार और तथ्यों से परे है और गुमराह करने वाली बात है। यह पैरा क्यों निकाला गया ? अगर हज यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों को भेजने का सरकार का इरादा था तो फिर इसकी लॉटरी क्यों निकाली गई ? बहुत सारे लोगों को नहीं भेजा गया। मेरे पास लिस्ट है और जो नियमित कोटा था वही भेजा गया। इसमें यह बात जरूर कही है कि राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह सही है कि बोर्ड का गठन किया है। मगर इसका दफ्तर कहां है, इसके मैम्बर्स

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कहां हैं ? (व्यवधान) वह तो वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक बोर्ड में अन्तर समझने के लिए दिमाग चाहिए, खोपड़ी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माहिर आजाद जी कम्पलीट करिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अच्छी बातों का समर्थन तो करवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : समर्थन ही समर्थन हो जायेगा। एक मिनट बोल जाइये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दो मिनट और बोलना चाहूंगा। अलबत्ता यह बात जरूर है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उसके लिए मुख्यमंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। 50 या 100 रुपये वजीफे में बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों को भंग कर दिया गया, लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कहते है कि सारे सरपंच भ्रष्ट थे, इसलिए भंग किया। तो जो भ्रष्ट सरपंच हैं, उनके खिलाफ आपने दो वर्ष में कार्यवाही क्यों नहीं की। क्या आप भी उसमें भागीदार थे ? आप भ्रष्ट सरपंचों को बर्खास्त कर देते। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल यह कहा गया कि पंचायतों का परिसीमन करके शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे, इसकी कोई समय अवधि नहीं है। इसकी समय अवधि भी दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम न करें। शायर ने सही कहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पायी। आपकी इस जरा सी गलती के कारण राजस्थान को बहुत नुकसान हो जायेगा, इसलिए इस पर सोचना चाहिए। जहां तक खाद्य वस्तुओं की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कम्पलीट इट। एक मिनट काफी लम्बा हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट। झुन्झुनूं जिले की बात है : वहां एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के, मारवर में गोदाम बने हुए हैं। उनके भाई रेलवे में है। उन्होंने जो झुन्झुनूं जिले का कोटा था, जो सीकर से झुन्झुनूं जाता था, यह कह दिया कि रेल का ट्रेक ही खराब है, जा ही नहीं सकता। आप तो चूरू से लेकर आये हैं और रेल बराबर जा रही है, लाइन में कोई खराबी नहीं है। मैंने मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी। उस पर एक्शन या कार्यवाही की बात तो दूर, आज तक उस चिट्ठी की पहुंच भी मुझे नहीं दी गई....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। डा. जितेन्द्र सिंह। कम्पलीट करिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : फरवरी में आपने अकालग्रस्त घोषित किये हैं। आपको अभावग्रस्त घोषित किया है। अकाल राहत संहिता के अनुसार अकाल ग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं अंत में केवल यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में, पहले पैराग्राफ में, एक बात कही गयी है कि साम्प्रदायिक सद्भाव रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक सदभाव रहा और इस एक वर्ष के अन्दर कोई साम्प्रदायिक दगें नहीं हुये। सांभर और सवाई माधोपुर में छुटपुट घटना हुई उसको गृह मंत्रीजी ने बखूबी रोका उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि एक काम आप और कर दें कि राजस्थान की विभिन्न जेलों में टाडा कानून के अन्दर जो बेकसूर लोग पिछले दो वर्ष से बन्द पड़े है, जब पंजाब के आपरेशन ब्लू स्टार के लोगों से केस वापस लिये जा सकते हैं तो इन्होंने इतने ज्यादा केस भी नहीं किये। तो इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिये या जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य साबित होते हों, उनके चालान पेश करके सजा दिलायें। मैं अंत में यही कह सकता हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर जो बात कही गयी है इससे राजस्थान के विकास की गति धीमी ही नहीं हो जायेगी बल्कि बिलकुल अवरुद्ध हो जायेगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है इसलिए मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं और मैं, इस राज्यपाल के अभिभाषण पर, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल डाक्टर एम. चेन्ना रेड्डी के अभिभाषण का पूर्णतया समर्थन करता हूं। पिछले दो वर्ष में वर्तमान सरकार का गठन हुआ और इस वर्तमान सरकार ने पिछले दो वर्ष में राजस्थान में अपनी कार्य–कुशलता और दक्षता की अमिट छाप छोड़ी है। सरकार ने स्वच्छ प्रशासन देने के निश्चित रूप से प्रयास किये हैं, अपनी संवेदनशीलता का प्रतीक साबित किया है।....

एक माननीय सदस्य : आपको तो मंत्री भी नहीं बना रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : आपने सिफारिश नहीं की वरना बना देते।

एक माननीय सदस्य : छह महीने बाद तो हम बना देंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह : पहले आप तो बन जाना। सरकार ने राजस्थान को स्वच्छ प्रशासन प्रदान किया है, भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी हुई है। जो अफसर–शाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही थी उनके मन में जो पिछले 40 वर्षों से....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह : जो पिछले 40 वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा था उस पर सरकार ने निश्चित रूप से नियंत्रण पाया है। अभी कुछ समय पूर्व ही इस सदन में एक वरिष्ठ सदस्य ने एक मिसाल उठायी थी कि राजस्थान की योजना के आकार स्वरूप में पिछले दो वर्ष में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई

(डा. जितेन्द्र सिंह)

है और तीसरे वर्ष में प्रस्तावित 1400 करोड़ रुपये की योजना है। उसको सम्मिलित करके 76 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी उसका मुद्रा स्फीति से अगर मूल्यांकन किया जाय तो वह नगण्य साबित होगी। मैं उन माननीय सदस्ये को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्ष में मुद्रास्फीति की दर में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और मुद्रा स्फीति की प्रक्रियां एक विश्व व्यापी फिनोमिना है जो समस्त विश्व में व्याप्त है। परन्तु पिछले दो वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में राज्य की योजना के स्वरूप का, प्रतिशत वृद्धि की दर से अगर तुलना की जाय तो निश्चित रूप से एक राज्य की योजना की वृद्धि में एक कीतिमान स्थापित हुआ है और सिग्नीफिकेण्ट इम्प्रूवमेण्ट इसमें हुआ है। इन्होंने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र की योजना 25 हजार करोड़ रुपये की है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की योजना 25 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है परन्तु हमको यह भी मानना होगा कि महाराष्ट्र भारतवर्ष का सबसे समृद्धिशाली राज्य है। राजस्थान की तुलना महाराष्ट्र से नहीं करी जा सकती। मुझे इस बात का खेद है कि अगर पिछले 40 वर्षों में इस बारे में और सही दिशा निर्देश दिये हुये होते तो हम भी उतने ही समृद्धिशाली होते और शायद इतने हजार करोड़ रुपये की हमारी योजना हो सकती थी।

(2.24 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आज भारतवर्ष की जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है वह हम सबके लिये एक चिन्ता का विषय है। दुर्भाग्यवश समस्त राष्ट्र में पिछले 40 वर्षों में कानून और व्यवस्था का एक ह्रास हुआ है, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है और आतंकवाद की गतिविधियों में निरन्तर बढ़ोतरी होती जा रही है पर मुझे इसी बात का हर्ष है कि पिछले दो वर्ष में राजस्थान में देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले शांति रही है, साम्प्रदायिक सद्भाव रहा है और अल्प संख्यक, बहुसंख्यक समुदाय में अन्य प्रान्तों की तुलना में अच्छा सामन्जस्य रहा है।

जहां तक सरकार ने पुलिस प्रशासन के सन्दर्भ में घोषणाएं की हैं, वह स्वागत योग्य है। पुलिस बल संख्या में वृद्धि और उनके लिये विशेष योजनाएं लागू की है वह स्वागत योग्य है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रान्त के कुछ सीमावर्ती और मरुस्थलीय जैसे जैसलमेर है जिसकी पाकिस्तान से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 400 किलोमीटर के लगभग है। उनकी भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे स्थानों में पुलिस को अधिक मोबेलिटी प्रदान की जाय, उनको अधिक गतिशील बनाया जाय, उनकी संख्या में वृद्धि की जाय। और इस तरह का प्रस्ताव आरक्षी विभाग के विचाराधीन भी है और मैं सोचता हूं राज्य सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और समस्त भारतवर्ष भी एक कृषि प्रधान देश है। इसमें अधिकांश जनसंख्या अपना गुजर बसर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कृषि पर ही करती है। राजस्थान में कृषि का निश्चित रूप से विकास हुआ है और वर्तमान सरकार ने जल संग्रहण विकास निदेशालय और तिलम संघ की स्थापना की है वह योजना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। राजस्थान में इस वर्ष तिलहन का रेकार्ड उत्पादन हुआ है और दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि सारे प्रान्त में तिलहन का रेकार्ड उत्पादन हुआ, खाद्यान्न का सामान्य उत्पादन हुआ पर मरुस्थली जिलों में अकाल की विभीषिका व्याप्त है यह एक विधि की विडम्बना है। जैसलमेर जिले में समस्त 575 गांव अकालग्रस्त और अभावग्रस्त घोषित है। जिले में एक भी गांव, एक भी ढाणी अकाल की विभीषिका से नहीं बच सका है। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। पिछले 40 वर्षों में अकाल निरन्तर एक परम्परा के रूप में पड़ता रहा है। परन्तु पिछली सरकारों ने इसका स्थाई हल ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र की जनता हर वर्ष अकाल की चपेट में आ जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करूंगा कि वह डेजर्ट डवलपमैण्ट बोर्ड, डेजर्ट डवलपमेण्ट प्रोग्राम का मूल्यांकन करें, एक समिति गठित हो जो उनके कार्य कलापों को अच्छी तरह से जांच करें और इसमें देखें कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत पिछले कई वर्षों से कितना व्यय हुआ है और इसने कितना प्रभावशाली काम किया है और मरुस्थलीय क्षेत्र में इसके विकास के कार्यों में कितना योगदान पिछले वर्षों में प्रदान किया है। इसको निश्चित समय अवधि प्रदान की जाय और वह अपनी रिपोर्ट दे ताकि इसका लाभ मरुस्थलीय जनता को मिल सके।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप सुझाव बताइये।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं आपको अवगत करवाऊंगा, आप भी उसी डिवीजन से हो, उसी क्षेत्र से हो।....

श्री रामसिंह बिश्नोई : इस साल तो सुझाव बता दें, कम से कम ऐसे कारण तो आप बता ही देवें।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं मेरे सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : वह तो मैं बताऊंगा।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप बता देंगे तो फिर महकमा चला जायेगा फिर आपके पास कौनसा महकमा रहेगा।

डा. जितेन्द्र सिंह : सरकार ने जो बारानी भूमि पर लगान माफ किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य योजना है। इससे बहुत से गरीब कृषकों को लाभ पहुंचेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो अपनी कृषि नीति घोषित करेगी और विश्व बैंक के तीन सौ करोड़ की स्वीकृति सहायता कार्यक्रम या कृषि विकास के लिए निर्धारित किया जायेगा उसमें रेगिस्तानी और जिलों के कृषि विकास हेतु निश्चित तौर पर कोई ठोस योजना का उसमें प्रावधान होगा।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि आपके विचार में अकाल

(डा. जितेन्द्र सिंह)

को दूर करने के क्या स्थायी प्रावधान हैं। इस संदर्भ में निवेदन है कि सरकार को मरू जिलों में भू-सर्वेक्षण दुवारा करवाना चाहिए। जहां पर भू जल स्रोत पाये गये हैं वहां अधिक से अधिक ट्यूब वैल खोदे जाने चाहिए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

दूसरा इंदिरा गांधी नहर में अभी काफी जल उपलब्ध है क्योंकि समुचित मात्रा में भूमि का आवंटन नहीं हुआ है और इस जल का उपयोग नहीं हो रहा है....

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि लाठी क्षेत्र में अथाह जल है और वहां पर ट्यूब वैल भी खोदे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग खेती नहीं करते हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह असत्य है। आपसे निवेदन करूंगा लाठी क्षेत्र में पानी का बाहुल्य है परन्तु जो पुराना भू-जल सर्वेक्षण हुआ है वह कुछ वर्ष पुराना है जो वस्तु स्थिति से स्पष्ट मेल नहीं खाता है और बहुत ज्यादा ट्यूब वैल नहीं है। सरकार ने 20 ट्यूब वैल खुदवाये हैं। आपको जल स्रोतों का दोहन करना है तो व्यापक स्तर पर जैसलमेर में ट्यूब वैल खुदवाने होंगे। (व्यवधान) अपन वाद विवाद नहीं करें। जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़ा जिला है उसकी तुलना दूसरे क्षेत्र से नहीं कर सकते है। 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्यूब वैल खुदे हुए हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब वहां पानी है तो किसान भी खुदवा सकता है।

डा. जितेन्द्र सिंह : किसान के पास पैसे कहां है। ट्यूब वैल खुदवाने के लिए लाखों रुपया चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : सरकार से कहिये।

डा. जितेन्द्र सिंह : इस वर्ष 16 ट्यूब वैल खुदवाये हैं। जो आज तक किसी ने नहीं खुदवाये।

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो चाहते है सारे किसान रामसिंहजी जैसे हो जायं।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले दो वर्षों में 16 ट्यूब वैल की स्वीकृति प्रदान हुई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कैनाल और ट्यूब वैल तो सब कांग्रेस राज में हुए हैं।

श्री मदनलाल सैनी : क्या कांग्रेस के राजस्थान में एक भी नहीं खुदा क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका जन्म भी कांग्रेस राज में हुआ था।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देकर निश्चित रूप से ऐसी कोई ठोस योजना बनायें जिससे हमारे जिले की अकाल की समस्या का स्थायी निराकरण हो सके।

मैं मुख्यमंत्रीजी का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में जैसलमेर पधार कर अकाल की भीषण स्थिति को देखते हुए राजस्व वसूली

(डा. जितेन्द्र सिंह)

तुरन्त रोकने के आदेश दिये और राजस्व वसूली जिले में सस्पेण्ड कर दी गयी। अकाल राहत कार्यों के बारे में मैं आपको सूचित करूंगा कि जैसलमेर जिले में 15 हजार मजदूरों को रोजगार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अकाल राहत के अन्तर्गत काम चल रहा है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले महीने के प्रारम्भ होते ही व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य शुरू किये जायेंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय।

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय विश्नोई साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को कितने कुएं काफी होंगे ?

डा. जितेन्द्र सिंह : जिससे एक तो मुद्रा स्फीति के कारण व्यय की बचत होगी दूसरा उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा और जिले की अकाल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य शान्त रहें।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह पोकरण लिफ्ट योजना को पूर्णरूप दें और जैसलमेर की खडीनों में इंदिरा गांधी नहर से जल उपलब्ध कराकर उनको भराने की जो पुरानी योजना थी उस पर पुनर्विचार करके स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करें। नहर का पानी तो आ जायेगा लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में है वह भू–आवंटन की है। उसमें कई पेचीदगियां रहीं और मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जो पिछले 30 वर्षों से स्थायी समस्या चली आ रही थी, जो काश्तकार वहां पर पीढ़ियों से, सदियों से, रहते आये थे उनको खातेदारी अधिकार से वंचित कर रखा था और उनकी पीड़ा को सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से नहीं सुना था। मगर मुझे इस बात का हर्ष है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने उपनिवेशन कानून की धारा 15 एएए को संशोधित करके काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की बात कही है, मंशा जाहिर की है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसका सम्पूर्ण जैसलमेर और कोलायत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और किसानों को राहत मिलेगी।

इसके उपरान्त इस क्षेत्र की एक भीषण समस्या भू–आवंटन की है। हमारी मांग है कि जो लोग पीढ़ियों से इस रेगिस्तानी इलाके में रहते आये हैं और जिन्होंने कभी पानी की एक बूंद नहीं देखी, जो पानी की एक बूंद के लिए तरसते रहे हैं, अब हिमालय का पानी उनके बीच से प्रवाहित होगा अत: उनको प्राथमिकता से भूमि आवंटित की जाय। जिस ग्राम के पास भूमि आवंटित की जाय सबसे पहले उस ग्राम के आवेदक को जमीन दी जाय। जब ग्राम के सब आवेदक भूमि ले लें तो तहसील और पंचायत समिति के लोगों को दी जायें और उसके उपरान्त भूमि जैसलमेर जिले के लोगों को दी जाय, उनको प्राथमिकता दी जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कानून तो है पर चालू नहीं है। बंद कर रखा है।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह वास्तव में समस्या है, सरकार ने संवेदनशीलता दिखायी है और वहां पर विशेष आवंटन की है। वहां के काश्तकार, जो पुराने बसे हुए हैं वह गरीब लोग हैं उनके लिए सम्भव नहीं है कि वह बोली लगाकर जमीन वहां पर खरीदें। वह नहीं खरीद सकते हैं। अधिकारीगण, विशेष आवंटन में जो भूमि अच्छी होती है, वह रिजर्व रखते हैं और जनरल आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए आवंटन रुका हुआ है। सरकार के पास आठ हजार आवेदकों के फार्म हैं सरकार की अब जनरल आवंटन खोलने की मंशा है और विशेष आवंटन बंद किया है। (व्यवधान) इसमें लिखा हुआ है आप गौर फर्मायें।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय महोदय, अलाटमेण्ट करेंगे तो जमीन ही चली जायेगी।

डा. जितेन्द्र सिंह : जैसलमेर के मूल निवासियों को जमीन दे दें उसके बाद राजस्थान के निवासियों को दे दें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जल और जमीन का उपयोग होना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान होना चाहिए। राजस्थान के अन्य लोगों को वंचित रहने की हमारी मंशा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाकिस्तानी नागरिकों को जो हो रहा है उसके लिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : पाक नागरिकों को नहीं हो रहे हैं। यह भ्रामक प्रचार है यह गलत बात है। मैं वस्तुस्थिति से अवगत हूं। किसी एक पाक नागरिक को भू-आवंटन हुआ हो तो सदन के सामने स्पष्ट करें। ठोस आधार होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, महावीर प्रसादजी को तो सपने में भी पाकिस्तान और मुसलमान नजर आता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाकिस्तान वालों को तो आप नजर आते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपनी शक्ल तो देखो।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इस सरकार का दृष्टिकोण ग्रामीण है और निश्चित रूप से बजट में भी प्रावधान 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण विकास के लिए किया गया है और मैं सरकार का इस कारण आभारी हूं कि उन्होंने जैसलमेर जिले के लघु सीमान्त किसान की परिभाषा, जो पहले 6.25 बीघा थी, उसको बढ़ाकर 75 बीघा कर दी। यह तर्क संगत है। इस सदन में उदयपुर से निर्वाचित माननीय वरिष्ठ सदस्य ने डी. आर. डी. ए. के अनटाइड फण्ड्स के बारे में सुझाव दिया था मैं उस सुझाव का पूरा समर्थन करता हूं और सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसमें निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का सहयोग होना चाहिये। वैसे जन प्रतिनिधि डी. आर. डी. ए. के मैम्बर्स होते हैं परन्तु इनके निर्देशों से भी कुछ फण्ड्स खर्च किये जाने चाहिये क्योंकि डी. आर. डी. ए. के पास काफी फण्ड्स होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के फण्ड्स का कभी कभी दुरुपयोग हो सकता है। जैसा कि आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक फैक्ट उजागर हुआ था अन्यथा इस फण्ड के दुरु–

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पयोग की प्रवृत्ति रह सकती है । वास्तव में वह ग्रामीण विकास के लिये फण्ड है और ग्रामीण विकास में ही जाना चाहिये ।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में पंचायतों को भंग करने के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है । मैं आदरणीय विपक्षी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने किसी जिला प्रमुख, किसी प्रधान, किसी सरपंच, किसी वार्ड पंच को अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व न निलम्बन किया है न भंग किया है । पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ, जन प्रतिनिधि तीन साल के लिये निर्वाचित हुए थे । सबसे पहले सरपंचों का और वार्ड पंचों का कार्यकाल समाप्त हुआ, वे निवृत हुए । उसके उपरान्त प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हुआ तब वे गये । उसके उपरान्त जिला प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हुआ । अपना भी कार्यकाल पांच साल के लिये है । क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि अपने को दो चार साल का एक्सटेन्शन दिया जाये । सेवा निवृत्ति और टरमीनेशन में बराबर तुलना नहीं कर सकते । यह सरकारी कर्मचारी भी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं.... (व्यवधान)....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है इसमें क्या बाधा आ रही है । परिसीमन के लिये जो आपने आयोग गठित किया है उसमें कम से कम दो साल लगेंगे । दो साल तो अब हो गये तो क्या चार साल में पंचायतों के चुनाव होंगे....(व्यवधान)....चुनाव क्यों नहीं करा देते....

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार ने 13 साल तक चुनाव नहीं कराये । तब कहां गये थे आप ?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आपको लग रहा है कि चुनाव होंगे तो आपका कोई सदस्य आयेगा नहीं । आपको चिन्ता इस बात की है ।

डा. जितेन्द सिंह : सदन के एक माननीय सदस्य ने यह तर्क दिया कि चुनाव क्यों नहीं कराये । मैं मानता हूं कि ग्रामीण विकास के लिये, देश के विकास के लिये, लोकतांत्रिक परम्पराओं के मूल्यों को कायम रखने के लिये पंचायतों का गठन और चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिये परन्तु जो पंचायतों का गठन था उसमें कई विसंगतियां थीं और उनका पुनर्गठन होना आवश्यक था । आप देखिये, लोकसभा और विधान सभा के क्षेत्रों का भी पुनर्सीमांकन होता है । लोकसभा में अभी सरकार ने घोषणा की है कि विधान सभा और लोकसभा के क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन होगा । क्या आप सोचते हैं कि 12–12 वर्ष तक जो प्रधान और प्रमुख चुने रहे क्या वह उचित बात थी । अपनी विधान सभा का कार्यकाल 20 साल कर दिया जाये क्या ?.... (व्यवधान) ...

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : विधान सभा के लिये भी दो तीन साल के लिये स्थगित करना पड़ेगा या राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

डा. जितेन्द्र सिंह : आप इतने उतावले मत हों । अभी तो साल भर भी सम्पूर्ण

(डा. जितेन्द्र सिंह)

नहीं हुआ है आप छः महीने में ही उतावले हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में उद्योग और खनिज के विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। जैसलमेर एक सर्वथा उद्योगविहीन जिला है परन्तु वहां खनिज का बाहुल्य है। क्वालिटी की दृष्टि से बहुत अच्छा खनिज उपलब्ध हुआ है जो रामगढ़ के पास सोनू है वहां तीन ग्रेड का लाइम स्टोन उपलब्ध हुआ है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ है। सरकार की यह उपलब्धि है कि इस खनन का दोहन प्रथम दो सालों में दुगना कर दिया गया है। माननीय उद्योग मंत्री जो इस सदन में विराजमान हैं उनसे मेरा निवेदन है कि रामगढ़ या सोनू में जहां पानी की कमी नहीं है, ग्राउंड वाटर बहुत है, ट्यूब वैल में बहुत पानी है। इन्दिरा गांधी नहर भी पास है। रामगढ़ में गैस आधारित एक विद्युत ताप घर भी स्थापित हो रहा है उससे बिजली की भी कमी नहीं रहेगी। सिर्फ एक कमी है वह यह कि ब्राडगेज लाइन नहीं है उसमें समय लगेगा परन्तु सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे कि जैसलमेर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाये। अगर कोई निजी उद्यमी इस ओर नहीं आये तो सरकार जाइंट सैक्टर में रीको के पार्टिसिपेशन से सीमेंट कारखाना स्थापित कराये अन्यथा एक मिनी सीमेंट प्लांट की योजना बनायी जाये जिससे प्रदेश का विकास हो सकेगा। इसके साथ ही मोहनगढ़ में जिप्सम पाया गया है वह भारतवर्ष की जिप्सम की खानों में सर्वश्रेष्ठ जिप्सम की क्वालिटी है। सन् 1967 में फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया जो भारत सरकार का एक उपक्रम है वहां वह कार्यरत था। दुर्भाग्यवश आर. एस. एम. डी. सी. और फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया में कुछ मतभेद हुआ, उसके बाद रीट्रेंचमेंट हो गया और वह मजदूर आज बेकार बैठे हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि चाहे भारत सरकार के उपक्रम इसकी परमिशन दे अन्यथा आर. एस. एम. डी. सी. स्वयं वहां खनन कर इस खनिज का उपयुक्त दोहन करें....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सबसे प्रमुख बात जो मैं सरकार के दृष्टिगत करना चाहूंगा वह यह है कि सरकार का मरुस्थलीय जिलों के लिये अपना मानदण्ड परिवर्तन करना चाहिये। पुराने समय से पिछली सरकारों से जो समस्त राजस्थान के लिये नार्म्स या मानदण्ड कायम किये हैं वह इन जिलों पर भी लगाये जाते हैं इनको न्याय संगत और तर्क संगत बनाने के लिये सरकार को सम्पूर्णतः रिवाइज करना चाहिये। जनसंख्या इस क्षेत्र में कम है, क्षेत्रफल बहुत अधिक है और आबादी का घनत्व कम है। इसलिये अगर आप यह मापदण्ड लगायेंगे कि कितने किलोमीटर सड़क बनी तो वह बड़ा मुश्किल होगा। वह मापदण्ड लगाना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि कितने पंचायत मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ा गया। इसी प्रकार अगर आप 25 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो जिले में कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुल सकता। ऐसे अनेक मापदण्ड हैं चाहे वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(डा. जितेन्द्र सिंह)

हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, इन सबकी समीक्षा करके इनको न्याय सगत और तर्कसंगत जब तक नहीं बनाया जायेगा तब तक उस क्षेत्र में समुचित विकास करने में व्यवधान आता ही रहेगा। मैं सरकार का इसके लिये भी आभारी हूं कि उन्होंने दधियुत सागर योजना को द्रुत गति से सम्पूर्ण कराने का प्रयास किया है। अभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय जैसलमेर आये थे और उन्होंने घोषणा की है कि उस योजना के वित्तीय चरण की क्रियान्विति के लिये सरकार ने 21 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। इसके लिये भी मैं सरकार का आभारी हूं। सरकार ने जो नई पर्यटन नीति जैसलमेर के लिये घोषित की है जिसकी एक महत्वाकांक्षी योजना 250 करोड़ रुपये से भी अधिक की है, केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी गई है, उसके लिये भी मैं सरकार का आभारी हूं। इन शब्दों के साथ ही मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सिंचाई मंत्री माननीय श्री कैलाश जी मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल द्वारा....

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। आपके दल के तीसरे आदमी बोल रहे हैं जबकि हमारे दल का सिर्फ एक आदमी बोला है। आप इस व्यवस्था को कराइये। बारी बारी से सबका नम्बर देने की व्यवस्था करिये।

श्री सभापति : इस संबंध में समय निश्चित है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : समय निश्चित का सवाल नहीं है। चाहे आप हमें दो मिनट का समय दें, हमारा नम्बर काट दिया आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, कैलाशजी मेघवाल, सिंचाई मंत्री जी इन्टरवीन करें तो किसी को एतराज नहीं है, हमें कहां एतराज है? परम्परा रही है, इण्टरवीन करते रहे हैं, करें। प्रश्न सिर्फ यह पैदा होता है, सभापति महोदय, कि लोकतन्त्र में जो पार्लियामेण्टरी प्रैक्टिस है उसकी स्वस्थ परम्परा के अनुसार एक सत्ता पक्ष, फिर एक विपक्ष। जे.डी. उनके आलाइन हैं पहले उनके बोल गये, अब वे बोल गये तो अब कांग्रेस के सदस्य का नम्बर आना चाहिए था। मेरा आपसे आग्रह है कि उस व्यवस्था को कृपया कायम रखें। सारी बदकिस्मती यह है कि यह लिस्ट आसन के द्वारा तैयार होती नहीं, हमारे सरकारी मुख्य सचेतक इस लिस्ट को तैयार करते हैं और वे पूरे कार्यक्रम को बदल लेते हैं। इसलिए हमेशा डिबेट के अन्दर सारे झगड़े वहीं खड़े होते हैं। मेरा, सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि चूंकि आपने मंत्री महोदय को बुला लिया है, वे बोल लें इसके बाद कांग्रेस का ध्यान रखियेगा।

श्री सभापति : सिंचाई मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, महामहिम

(श्री कैलाश मेघवाल)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करने हेतु, आभार प्रस्तुत करने हेतु जो प्रस्ताव उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने रखा था उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं प्रारम्भ से ही एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरा निवेदन आज केवल मात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित रखूंगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पर आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं, कुछ विचार रखना चाहता हूं और कुछ सवाल भी खड़े करना चाहता हूं। आजादी के....

श्री परसराम मदेरणा : आप सरकार में सम्माननीय मंत्री हो और अनुभवी भी हो, आप अपना भाषण एक कास्ट तक सीमित क्यों रखते हैं। मिनिस्टर किसी कास्ट का नहीं होता, वह राजस्थान की तमाम जनता का प्रतिनिधित्व करता है वहां पर आप व्यापक दृष्टिकोण रखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय परसराम जी मदेरणा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे व्यापक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी है। लेकिन आपके द्वारा उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापक बोलने में जो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कन्सण्ट्रेशन नहीं आता। जब कभी राजस्थान की अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर सरसरी तौर पर कभी किसी कारण से कभी किसी विषय पर चर्चा उठती है तो वह चर्चा सार्थक मुझे नहीं लगती। मैं पिछले सालों में 1977 से 1980 तक मंत्री के रूप में, 1980 से 1985 तक विधायक के रूप में और फिर लोक सभा में रहा हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि सीमित करूं। माननीय परसरामजी मदेरणा से निवेदन करता हूं कि मेरा जो कुछ निवेदन है वह आप सुनें। उसके बाद आपको लगेगा कि 45वें साल....

श्री परसराम मदेरणा : आप पूर्व में जब कभी अपना भाषण प्रारम्भ करते थे तो कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बल से करते थे, क्योंकि वह रटा हुआ था। वहां से शुरू करते थे, पर देश के लोगों से सिमट कर आप टेल पर आ गये।

श्री कैलाश मेघवाल : भारतीय संविधान के प्रीएम्बल के अन्तर्गत इस देश के आदिवासियों में, इस देश की अनुसूचित जातियों में एक विश्वास जगा था, एक आशा जगी थी। आजादी का जब सूर्योदय हुआ, माननीय सभापति महोदय, तो सबसे ज्यादा खुशी समाज के उस वर्ग को मिली जिसको सालों तक बेगार से गुजरना पड़ा, बंधुआ मजदूरी से गुजरना पड़ा और जिसे समाज के अनेकानेक अत्याचार बर्दाश्त करने पड़े।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान की 1981 की जनगणना के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि 1991 के फैले हुए आंकड़े मुझे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अधिकृत रूप से तैयार नहीं हुए हैं। अगर वे मुझे मिल जाते तो मैं उसके आधार पर आपके सामने आता। कुल जनसंख्या 1981 में 3 करोड़ 42 लाख 61 हजार 862 हमारे राजस्थान की थी। इसमें राजस्थान

Page No. 114

114

(श्री कैलाश मेघवाल)

में अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों की जनसंख्या 41 लाख 83 हजार 124 अर्थात् 12.21 प्रतिशत थी। इस जनसंख्या के आधार पर, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले लिटरेसी के आधार पर आपके सामने अपना कथन प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसको आप भी नोट करें, इसलिए नोट करें. सब सदस्यों से कहना चाहता हूं, ताकि अधिकारपूर्वक कुछ कह सकें, एक दिशा दे सकें। जनगणना वर्ष 1961 से चालू करूंगा, माननीय सभापति महोदय। 1951 से 1961 तक तो आजादी के बाद प्लान बनाने में, योजनाएं बनाने में, विकास की गंगा बहाने के लिए आधारभूमि तैयार करने में लग गये होंगे। 1961 में जो जनगणना हुई, माननीय सभापति महोदय, उस जनगणना में राजस्थान में साक्षरता का कुल प्रतिशत 15.21 था। इसमें से पुरुषों का प्रतिशत था 23.71 और महिलाओं का प्रतिशत था 5.84। इसके बाद देखिये, माननीय सभापति महोदय, उस जनसंख्या में आदिवासियों का कुल प्रतिशत 3.91 था साक्षरता का, 1961 में। उसमें आदिवासी पुरुषों की साक्षरता थी 7.29 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता उस समय थी दशमलव 29 प्रतिशत। 1961 की जनगणना ने दिया कि यह आदिवासियों की साक्षरता का प्रतिशत है। अब इसके बाद में 1971 पर आ जाता हूं। 1971 में जो जनगणना हुई उस जनगणना के आधार पर राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 19.07 आ गया। उसमें पुरुष 28.74 प्रतिशत थे और महिलाएं 8.46 प्रतिशत थीं। इसमें आदिवासियों का प्रतिशत, माननीय सभापति महोदय, था 6.47, आदिवासियों में पुरुषों की जो जनसंख्या थी साक्षरता की, वह थी 12.03 और महिलाओं की साक्षरता थी 0.49 प्रतिशत। यह हमने दस साल में आदिवासियों की साक्षरता में अभिवृद्धि की है।

1971 के बाद अब मैं 1981 के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 1981 में कुल जनसंख्या की 24.38 प्रतिशत कुल साक्षरता थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता थी 36.30 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता थी 11.42 प्रतिशत। आदिवासियों की साक्षरता, जिनको हम शिड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, बढ़ी है 10.27 प्रतिशत तक। वह जो जनसंख्या थी उसमें से 18.85 प्रतिशत आदिवासी पुरुष साक्षर थे और 7.20 प्रतिशत आदिवासी महिलाएं साक्षर हो सकीं। इसमें हमारा कार्यकाल भी सम्मिलित है 1977 से 1980 तक का, जब माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार बनी थी। हमने सबसे पहले जोर इस बात पर दिया था कि समाज का यह जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, जिसको आज तक केवल वोट लेने के लिए भ्रमित किया है, जिसकी आशाओं को केवल जगाया गया लेकिन कभी पूरा नहीं किया गया, उस वर्ग के प्रति हमने सबसे पहले कार्यक्रम चालू किये थे और यह प्रतिशत बढ़ा। ये सारे आंकड़े पीड़ा देने वाले हैं, आप सबको भी पीड़ा देंगे मुझे ही नहीं। अगर चवालीस सालों के बाद आदिवासियों की शिक्षा का प्रतिशत यह है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आप से पूछना चाहता हूं, सदन से पूछना चाहता हूं कि सदन की क्या जिम्मेदारी थी इस देश के गरीबों के

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रति ? यह सदन 42 साल आदिवासियों की समस्या के ऊपर बहस करता आ रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी, 1981 में लिटरेसी प्रतिशत 24.31 है। इसमें कृपया सदन की जानकारी के लिए यह भी बता दें, इससे स्थिति भी बहुत क्लीयर हो जाती, कि अरबन और रूरल एरिया का क्या प्रतिशत है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, कि उस सीमा तक मैंने आंकड़े नहीं लिये हैं, अरबन और रूरल के। जो नहीं हैं आंकड़े....

श्री परसराम मदेरणा : बेगार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी ही नहीं निकालते थे, सिस्टम जागीरदारी और राजा का ऐसा था कि जाट, विश्नोई और गुर्जर, सभी बेगार निकालते थे। उनके साथ भी बर्ताव कोई अच्छा नहीं था। उनका सामाजिक या दूसरा स्टेटस शिड्यूल्ड कास्ट के बराबर ही था उस सिस्टम के अन्तर्गत, यह आपको पता होना चाहिए।

(3.00 म.प.)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्री परसराम जी मदेरणा की भावना को समझता हूं। वह सामन्तशाही युग था और उस सामन्तशाही युग में सामन्तशाहियों के अत्याचारों से किसान वर्ग पीड़ित था लेकिन उसमें ज्यादा पीड़ित आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग थे। यह तो आप मानेंगे ना ?

श्री परसराम मदेरणा : अरबन और रूरल पर्सेन्टेज, आज जो 12 पर्सेन्ट आई है आउट आफ दी 24 पर्सेन्ट, आप रूरल का निकाल कर उससे आप बताइए कि रूरल वर्सेज आदिवासी उसमें कितने प्रतिशत हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके इस सवाल का जवाब, मेरे पास 1981 की सेंसर के आंकडे हैं और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि उसमें रूरल का अलग से दे रखा है और अरबन का अलग से दे रखा है। मैं उसको निकाल कर....

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी, आपको मंत्री बने हुए 7 दिन हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी के पास 1991 के आंकड़े हैं और जैसी कि मुझे जानकारी है कि उसकी एक एक कापी सभी मिनिस्टर्स के पास भेजी गई है। आपके प्राइवेट सैक्रेटरी से कह कर निकलवाइए। उन्होंने प्रिन्ट की है और प्रिन्ट कराने के बाद वह पापुलेशन पूरे राजस्थान की जिसमें यह सब आंकड़ें दिए गए हैं, लिट्रेसी वगैराह के, यह सब मिनिस्टर्स को एक एक कापी भेज दी गई है और जब मुझे यह मालूम पड़ा कि मिनिस्टर्स को एक एक कापी दी गई है तो सैंसस डिपार्टमेंट से डाइरेक्टली मैंने भी एक कापी मंगाली।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं 7–8 दिन का मंत्री हूं इसलिए मुझे नहीं मिली होगी। मैं अब ढूंढवा लूंगा मेरे कार्यालय में। वह मुझे मिल जाती तो मैं उसी से आंकड़ें तैयार करता।

श्री रामसिंह विश्नोई : पूरी जानकारी आपको नही है तो फिर भ्रमित क्यों कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : भ्रमित नहीं कर रहा हूं। 1991 के आंकड़े मेरे पास नहीं है यह मैंने प्रारम्भ में ही स्वीकार किया था। भ्रमित करने का सवाल ही नहीं उठता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस जन-गणना के आधार पर मैं आंकड़े दे रहा हूं वह मैं प्रमाणिकता से दे रहा हूं। श्री रामसिंहजी विश्नोई साहब, आप तो जानते हैं कि मैं भी थोड़ा पढ़-लिख लेता हूं। इसलिए जरा मुझे बोलने दीजिए।

अब मैं, सभापति महोदय, दूसरा एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और वह इसलिए रखना चाहता हूं कि राजस्थान के नक्शे का आपके सामने चित्रण करना चाहता हूं। आबू रोड पिंडवाड़ा से चलिए आप और जो उदयपुर जिला है और अब जो जिला बना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ के प्रतापगढ़ और उसके बाद शाहबाद और किशनगंज का, यह जो क्षेत्र है इसमें जनजाति योजनाओं का क्षेत्र है। इसमें दूसरी जो क्षेत्रीय जन-जातियां हैं, वह इस सारे क्षेत्र से, माननीय सभापति महोदय, अब तक एक आई. पी.एस. नहीं है, एक आई.ए.एस. नहीं है, एक आई.सी.एस. नहीं है....

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : एक आई. ए.एस. है।

श्री कैलाश मेघवाल : कौन है ? नाम बता दीजिए।

श्री देवेन्द्र सिंह : श्री एन.के. वर्मा आई.ए.एस. है।....(व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं. ट्राइब्लस की बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री परसरामजी मदेरणा, मैंने इसलिए कहा है कि बहस को सीमित करते हुए तथ्यात्मक स्थिति रखना चाहता हूं, इसलिए प्रीएम्बल से मैं छोटे विषय पर आ गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस आदिवासी बेल्ट से, जो मैंने बेल्ट बताया उस बेल्ट में से एक आई. पी.एस. नहीं है, आई.ए.एस. नहीं, आई.सी. एस. नहीं, अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं में एक व्यक्ति नहीं, अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं को छोड़ दीजिए, राजस्थान में आर.ए.एस. में केवल दो व्यक्ति हैं. एक ताम्होर और एक भील है। आर ए एस. में इन दो के अलावा राजस्थान में और कोई नहीं हैं, आर.पी.एस. में नहीं और दूसरी राज्य स्तर की सेवा में कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए कि 44 साल के बाद हमारी आत्मा दुखती नहीं है ? क्या किया है हमने इन लोगों के साथ ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : जिला सवाई-माधोपुर में से 25 आई.ए एस. हैं और 20 आई.पी.एस. हैं ट्राइब्स के। वह भी आदि-वासी हैं। फिर भी आप यह कह रहे हैं कि बैनिफिट नहीं मिला आदिवासियों को।.... (व्यवधान)....

श्री हेमराज मीणा : वह उस क्षेत्र के नहीं हैं, अनुसूचित जाति के आदमी नहीं हैं जिस क्षेत्र की माननीय मंत्रीजी बात कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभा-पति महोदय मैं क्षमा चाहता हूं कि इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

वाद विवाद को इस तरह के वर्गीकरण में, मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं तो आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और जिस आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, मैंने मना नहीं किया है....

श्री परसराम मदेरणा : आपने एक पर्टीकुलर क्षेत्र को लिया है जहां तक आपकी रिलेवेन्सी है लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री कैलाश मेघवाल : हां, पूछिए।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में आदिवासियों के अलावा कुछ सब्स्टेंशल बैकवर्ड पीजेंट्री क्लासेज हैं, भड़ेर हैं, जहां से आपने चुनाव लड़ा था, जालोर से, चिम्मन भाई पटेल भी भड़ेर के हैं। इनके भी सिरोही और जालोर के अन्दर डेढ़ लाख से ऊपर वोट हैं। इनके कितने आर.ए.एस. आफिसर हैं, आप मुझे बता दीजिए? सिरवी दूसरी बड़ी कौम है, सब्स्टेंशिल पीजेंट्री कौम है। गुर्जर हैं, यादव हैं, जाटों और विश्नोइयों की तरह उनके भी करीबन डेढ़ लाख वोट हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जोधपुर में। आप मुझे यह बता दीजिए कि उनके कितने आर.ए.एस. आफिसर हैं राजस्थान में? उनको तो छोड़ दीजिए, आप मुझे यह बता दीजिए कि गुर्जर कम से कम 12 जिलों के अन्दर आये हुए हैं, उनके आई.पी.एस. और आई.ए.एस. और आई.सी.एस., अगर पहले थे कोई, वे ही हैं? (व्यवधान) रेबारी कौम बहुत बैकवर्ड है और वह भी आदिवासियों में नहीं आते हैं। उनका कोई रेवेन्यू इन्सपेक्टर है? कोई इन्सपेक्टर रैंक का आफिसर है क्या उस जाति का?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय परसरामजी मदेरणा ने मेरे इस पाइन्ट को डाइल्यूट करने के लिए जो मुद्दे उठाये हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं जनजाति उपयोजना की बात कर रहा हूं, ट्राइब्ल एरिया डवलपमेंट में जो कवर होती है, क्योंकि ट्राइब्ल एरिया डवलपमेंट और माड़ा के अन्तर्गत आया हुआ क्षेत्र है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : जयपुर जिले में भी आदिवासी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : वह क्लास्ट है। आप इस बहस को यह मोड़ मत दीजिए। मैं दुर्भावना पैदा नहीं कर रहा हूं, माननीय श्री परसराम जी मदरेणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री महोदय, सवाईमाधोपुर से ही नहीं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, अब डिस्ट्रिक्ट दूसरा दौसा हो गया है, दौसा और जयपुर में भी आदिवासियों की बहुत बड़ी पापुलेशन है.... (व्यवधान) एक काम्पीटेंट मिनिस्टर को आप सपोर्ट सम्प्लीमेंट करने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे दया आती है आपके इस समर्थन पर। He himself is very competent. मैं निवेदन कह रहा था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी, (व्यवधान), राजगढ़ तो रिजर्व सीट है पर राजगढ़ के अलावा भी आदिवासियों की पापुलेशन 6 कान्स्टीट्यूएन्सी में अलग है। यह बहुत बड़ी पापुलेशन अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी है अलवर से गुड़गांवा के पास जो सीमा शुरू होती है उससे लेकर गुजरात तक चले जायें यह आदिवासियों का इलाका है। जो आपका

(श्री परसराम मदेरणा)

होम एरिया है जिस एरिया की वकालत करने के लिए आप खड़े हुए हैं कभी आप जालौर चले जाते हैं, कभी आप अजमेर में आ जाते है फिर वकालत कर रहे हैं।.... (व्यवधान) क्षेत्रीयवाद फैला रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे मन में यह कतई नहीं था लेकिन कई बार कई प्रश्नों के उठने से, कई फलितार्थ निकलते हैं, अगर इस बात से किसी को यह लगता है तो क्षमापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैंने जब आंकड़े तैयार किए थे उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी। राजस्थान में चाहे सवाई-माधोपुर की है, चाहे अलवर की हो, वह सब ट्राइब्स हैं।

श्री परसराम मदेरणा : We are not imputing your motives हम तो यह कह रहे हैं कि सदन को जानकारी पूरी हो। इस परिप्रेक्ष्य में, अगर पूरी जानकारी नहीं है तो इससे रांग साइडेड हो जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री परसरामजी मदेरणा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के चलने के दौरान अगर कभी अवसर आया तो मैं वह आंकड़े भी निकाल कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा, सदन के माध्यम से।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर पूरे आंकड़े नहीं है तो जो पूरे हों, वह बोलिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जनजातीय उप योजना क्षेत्र जहां 50 पर्सेन्ट से ज्यादा आदिवासी रहते हैं वहां तो स्वीकार किया गया है कि जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में नियोजन सरकारी कार्यालयों में जो किया गया है माननीय सभापति महोदय, उस नियोजन में चपरासी, जमादार, कनिष्ठ लिपिक केवल 12 पर्सेन्ट है। जो उनका अपना क्षेत्र है, उसमें 12 पर्सेन्ट लोग उनके लगे हुए हैं बाकी सब दूसरे लोग लगे हुए हैं। इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी जैसे आपने दूसरी पिछड़ी जातियों की बात उठाई, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले किस तरफ ध्यान दिया गया। श्री परसरामजी मदेरणा साहब ने सारे संविधान का अध्ययन किया है, आप मुझे बता दीजिए कि आदिवासी, वनवासी लोगों की तरफ सबसे ज्यादा जोर दिया गया है या नहीं ? जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की कौम थी, जिस कौम पर सबसे अधिक, मैं कहता हूं कि सारे संविधान की स्कीम को पढ़ लीजिए तो सबसे अधिक जोर इन वर्गों पर दिया गया है। इसलिए जैसा मैंने आज निवेदन किया है कि इन वर्गों के सम्बन्ध में अपन सार्थक बहस खड़ी करें। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर, मैं यह नहीं कहता कि सत्ताधारी पार्टी ने गलती की है, विपक्ष ने गलती की मैं--सारा सदन में एक सार्थक बहस होकर एक नई दिशा में कार्य करना चालू करें, जो हमने एक नया रास्ता अपनाया है। अब यह जो 12 प्रतिशत नियोजन है, अभी तक इन क्षेत्रों में, सभापति महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि पचास प्रतिशत नियोजन आदिवासियों का होगा उस उपयोजना क्षेत्र में जहां-जहां भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्यालय हैं उनमें। अब उसमें एक कानूनी अड़चन आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं कि इस सीमा से ज्यादा पर्सेण्टेज नहीं आना चाहिए तो उस कानूनी पेचीदगी को सुलझाने की स्थिति बन गई है। सारी कारोस्पोन्डेंस चल रही है और वह बहुत जल्दी उस पर निर्णय लेकर पचास प्रतिशत नियोजन इन्हीं आदिवासियों में से इन क्षेत्रों के कार्यालय में किया जाएगा। यह मैं सदन के सामने सूचना देना चाहता हूं।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत आरक्षण करने की क्रियान्विति में जो अड़चनें आई, मैंने बताया कानूनी कुछ दांव पेंच हैं। डिफरेंट हाई कोर्ट के डिफरेंट वर्शन्स हैं कि किस सीमा तक यह आरक्षण जाना चाहिए। उस दृष्टि से स्टैंडी करके सरकार बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले रही है। आजादी के पहले आदिवासी....(व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के लिए पचास पर्सेंट गई साल बजट में ही ही रख दिया था....

श्री कैलाश मेघवाल : वह फाइनल हो रहा है। मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। एक निर्णय लिया है, एग्जीक्यूसन अब हो रहा है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पर कई करोड़ हजार रुपये का विनियोजन किया गया। सभापति महोदय, एक अकाल, से सारे आदिवासी क्षेत्र में उस अकाल की चुभन चालू हो जाती है। अथाह गरीबी है अभी भी। मैं इस समय निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज भी अथाह गरीबी है, 44 साल में कई करोड़ हजार रुपए इन आदिवासियों के लिए खर्च करने के बाद भी एक बरसात अगर नहीं होती है तो सारे आदिवासी क्षेत्र में अकाल की छाया फैल जाती है। क्या हमारे लिए आज यह गम्भीरता से सोचने का विषय नहीं है कि हम ऐसी स्थितियां पैदा करें कि आदिवासी आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ें? यह जो मैंने बैल्ट चिन्हित किया है, सभापति महोदय, आप गणना कराएं कभी, मैंने कोशिश की है, मैं करूंगा, कारें किसी के पास इक्की दुक्की होंगी, जीपें नहीं, मोटर साइकिल नहीं, स्कूटर्स नहीं। आज क्या उस वर्ग के प्रति हम सबको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है? सभापति महोदय, आजादी के पहले सार वनों पर इन आदिवासियों का अधिकार होता था एक तरह से और क्योंकि उस समय ज्यादा आवागमन के साधन और ज्यादा मोटर गाड़ियां नहीं थीं इसलिए आदिवासी अपने सिर पर सारा लोड लाता था। उसको बेचकर जितना पैसा मिलता था उससे अपना पेट भरता था....

(3.13 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

दूसरा, उस समय जो वन उपज होती थी, लघु वन उपज गोंद वगैरहा, इस सारी उपज पर आदिवासियों का अधिकार था। वह जंगल से इनको ले जाते थे पंसारी के यहां, कहीं भी बेचकर अपना पेट पालते थे और जंगल में रहते थे। आजादी के बाद

(श्री कैलाश मेघवाल)

हमने अच्छे दृष्टिकोण से योजनाएं बनाई होंगी लेकिन सारे जंगल, माननीय परसराम जी मदेरणा तो किसान आन्दोलन के कारण और माननीय हरिदेव जी जोशी और माननीय माणक लाल जी वर्मा का वह कार्य क्षेत्र था, उधर गए होंगे, इतने घने जंगल थे, सभापति महोदय, सबसे पहला आदिवासियों के ऊपर अगर उनकी आर्थिक आजादी को छीनने का हमला हुआ तो जंगलों के ठेके देने से हुआ। मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता। इसी सदन में लम्बे-लम्बे समय तक जंगलों के ठेके देने की चर्चा हो चुकी है। पानरबा कांड की भी चर्चा हो चुकी है। मन्त्रियों को भी शायद उससे आरोपित होना पड़ा था। लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जंगलात जो हैं सारे समाप्त कर दिए गए। आज वहां जंगलात के नाम पर इक्के-दुक्के दरख्त खड़े हैं। सारी पहाड़ियां खाली पड़ी हैं। दूसरा जो उनकी उपज होती थी उस उपज के कारण जो उनको आमद होती थी वह आमद भी अब एक तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए आज आदिवासी के पास न जंगलात पर कब्जा है, न आदिवासियों के पास वहां की उपज पर कब्जा है। आज आदिवासी केवल मजदूरी पर निर्भर कर रहा है। क्षमा करें, राष्ट्रीय परम्परा जो है उसमें आदिवासी भी परिवार नियोजन के प्रति आकर्षित नहीं हुए हैं।

मैं स्वीकार करना चाहता हूं आदिवासियों की छोटी-छोटी होल्डिंग थी, छोटी-छोटी जोत थी। एक बारानी जमीन होती थी, वह हर पीढ़ी में भाई बांटे के साथ छोटी छोटी होती चली जाती थी। आज इतनी छोटी-छोटी उनके पास जोत हो गई है कि वह खेती करके तो कुछ कमा ही नहीं सकते हैं। अब अन्ततोगत्वा यह रह गया है कि वह मजदूरी पर निर्भर करें। या जो दूसरी अच्छी होल्डिंग्स हैं, मजदूरी पर जाए या नौकरी पर लगें आज उनका आर्थिक आधार तो यही रह गया है। इन जंगलात से मिलने वाला जो आर्थिक सहयोग था उनको अपने जीविकोपार्जन में, वह आज एक तरह से समाप्त प्रायः हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसका एक कारण महुआ का दरख्त भी है। किस उपयोग में आता है, मैं समझता हूं कि आपने भी देख लिया होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपका संकेत भी समझ गया हूं और यह महुआ आदिवासियों का एक परगेटिक है। यह भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर महुआ का दरख्त नहीं होता तो आदिवासियों के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता था और इसके कारण महुआ का दरख्त है वह आज उनकी आजीविका में थोड़ी बहुत मदद दे रहा है परगेटिव रूप में उनके स्वस्थ जीवन को चलाए रख रहा है इसको मैं स्वीकार करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं किसी आक्षेप से नहीं कह रहा लेकिन आदिवासियों के नाम पर कई हजार करोड़ रुपया लगा है और कैसे लगा जो उदाहरण देना चाहता हूं। क्योंकि यह मुद्दे हैं जिन पर हमको सोचना पड़ेगा। आदिवासियों के नाम पर सोम कम्लाम्बा एक नहर चालू हुई, डेम

(श्री कैलाश मेघवाल)

चालू हुआ है। माननीय परसराम जी मदेरणा को सारा मालूम है। इस सोम कमलाम्बा की मूल लागत थी चार करोड़ अड़तालीस लाख रुपया, यह आदिवासी पैसे से बन रही है क्योंकि आदिवासी बैल्ट है, उपयोजना बैल्ट में है और वह आदिवासियों के खाते ही जाता है पैसा क्योंकि उनके विकास के लिए उप योजना है। तो मूल लागत 1977-78 में 4.48 लाख की थी अब तक उस पर 69 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और रिवाइज्ड एस्टीमेट में उसका आया है 129 करोड़ रुपए का। आज तक एक हैक्टेयर की भी वहां से सिंचाई नहीं हुई है। एक आदिवासी भी उससे लाभान्वित नहीं हुआ है। ठेके में उनको जो मजदूरी मिलती है करने की वह अलग है। माननीय परसराम जी मदेरणा यहां विराजे हैं इसलिए एक बात यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि कालान्तर में इसके स्कोप में थोड़ा परिवर्तन भी किया गया है (व्यवधान) उनको मालूम है वह सिंचाई मन्त्री रहे हैं। लेकिन स्कोप में परिवर्तन अगर राइट टाइम पर हो जाता है तो 4 करोड़ 48 लाख की योजना सही टाइम पर पूरी हो जाती तो आदिवासियों में खुशहाली आती। मेरा सवाल यह उठाना है आज भी चल रही है 129 करोड़ रुपया, सरकार के खजाने की हालत, आप थोड़ा ज्यादा देते, हम जरा कम देंगे या हम ज्यादा देंगे इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर सोच तो हो, इन मुद्दों पर बहस करके एक कन्सेन्सस तो बनाई जाए कि आखिर ऐसी योजनाएं जो गरीबों के वैल्थ की है तो वह पहले खुशहाली की ओर जाएं।

श्री रामकरण सिंह : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति जी, जो केबिनेट के मन्त्री होते हैं अगर इस तरह से चर्चा में भाग लें उससे अच्छा इनको मौका मिलता है केबिनेट में बैठने का और केबिनेट में रिज्योल्यूशन ला सकते हैं। इसलिए यह परम्परा और टाइम की बरबादी न किया जाना वाजिब होगा इसकी मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : ऐसा है सदन में पूर्व में भी बीच में मन्त्री गण इंटरवीन कर सकते हैं इसलिए आपका जो पाइंट ऑफ आर्डर है इसको मैं ओवर रूल करता हूं।

श्री रामकरण सिंह : यह तो भाषण दे रहे हैं साहब और यदि पहले कोई परम्परा गलत है तो उसको आसन सुधार सकता है।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, जो सोम कमलाम्बा की बात कह रहे हैं तो आप जाखम की बात क्यों भूल गए ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बोल रहा हूं साहब।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर सोम कागदर की बात क्यों भूल गए और सोम कागदर को अगर भूलना ही चाहते हैं तो मल्टी परपज जो डेम है माही की भी बात कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माही की बात भी करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात और मत भूलिए रिफ्रेश कीजिए मैमोरी आपकी, सरकार आए दो साल हो गए, सूरतगढ़, धौलपुर थर्मल की बात कर रहे हो जिसके लिए इस सरकार ने शपथ ली थी उस वक्त सूरतगढ़ की प्राइसेस के ऊपर जो कोस्ट थी वह थी 450 करोड़, दूसरे साल में 600 करोड़ और इस साल के रिवाइज एस्टीमेट में 900 करोड और अभी तक आपने एक एस. ई. लगाया था, कल जो दो एस. ई. आपने तीन दिन पहले लगाए हैं, आप क्या कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं। अब आपके वक्त में 400 से 900 करोड़ रुपया हो गया बैठे बैठे और वहां पर बेस ही नहीं लगाया, एक पत्थर ही नहीं लगाया, दूसरों पर आरोप लगाते हो। यह जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कांच के महल में खड़े होके, तो आप यह ध्यान रखें आप जो कुछ कह रहे हैं यह काफी मामला ऐसा ही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठ नेता ने बहुत ही इन्टेलीजेन्टली मेरे द्वारा उठाये हुये जो पाइन्ट्स हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें राजनैतिक विवाद लाना नहीं चाहता। मैं केवल मात्र एक बात कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जाखम शिड्यूल पर चल रहा है। सोम कागदर और सोम कमला अम्बा पूरे इसलिए नहीं हो सके क्योंकि कई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिये थे। 8 वें प्लान के अन्दर जो अप्रोच टू दी प्लान था उसमें यही दिया है कि योजनायें बढ़ी है और इन्कम्पलीट हैं उनको पहले लिया जाय और नई योजनाओं को नहीं लिया जाय। आपका मतलब यह है कि अगर टाइम टाइम यह शिड्यूल्ड होता और इन्वेस्टमेण्ट जो भी है वह समयबद्ध पूरे होते तो इसका लाभ मिल जाता।

श्री कैलाश मेघवाल : यही मेरा मतलब है। और यह आपने स्वीकार कर लिया जो मैं आगे बोलने वाला था। मैं इन शब्दों को आपको समर्पित करते हुए अब ये शब्द नहीं बोलूंगा। मेरा मतलब ही यही था।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के सामने जो साइमलटेनियसली जो माइनर, मीडियम एवं मेजर बन्धे चलते हैं उसमें सभी तरह के कम्पलशन होते हैं, सभी जिले क्षेत्रों के होते हैं। इसलिये सरकार करेगी एक कम्पलीट, दूसरी कम्पलीट करेगी, यह इदी अमीन की गवर्नमेण्ट थोड़े ही है, यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेण्ट है। और डेमोक्रेटिक अर्जेज और विशेज के सामने नतमस्तक होना पड़ता है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और स्वतः ही दबावों से राज्य के हितों के विपरीत, राज्य के लाभान्वित होने वाली गरीब जनता के विपरीत यदि निर्णय लिये जाते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी की कमजोरी है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं ऐसी कमजोरियों को सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल कर दूर करनी चाहिए जो राज्य के हित में रहेगा, राज्य की बहुसख्यक जनता के हित में रहेगा। माननीय परसरामजी मदेरणा मेरा विचार है आप इससे सहमत होंगे। डेमोक्रेटिक प्रणाली ठीक करने में आपका सहयोग मिलेगा। मैं जाखम की बात कह रहा हूं। कम्पलीट नहीं हुआ

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाखम। जाखम 1963–64 में चालू हुआ था और उसकी मूल लागत 2 करोड़ 33 लाख की थी।

अब तक खर्चा इसमें हुआ 66 करोड़ रुपयों का। 66 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी रिवाइज्ड एस्टीमेट 84 करोड़ बन चुके हैं क्योंकि एक लेवल पर आकर पानी वहां इकट्ठा हो गया। उस पानी को कुछ हिस्सा भी हमने देना चालू कर दिया है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा पहले कहे हुए बिन्दुओं में मैंने जो स्कोप में वृद्धि व हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो जिक्र किया था, वह सोमकमलाबा के साथ कर दिया गया था, जिसको मैं विदड्रा करता हूं। वह जिक्र है मेरा जाखम के साथ, जाखम स्कोप भी बढ़ा है और स्कोप बढ़ाने के साथ हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी जुड़ा है लेकिन 2 करोड़ 33 लाख रुपया 1963–64 से चलता आ रहा है। आज उसमें 84 करोड़ रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है और उस एस्टीमेट के हिसाब से उपलब्ध पानी जो कब होगा, और कब कार्यवाही चालू होगी, यह आप देख लें।

माही 1972 में चालू हुई। माही की मूल योजना थी 31.36 करोड़, यह आदिवासियों से सम्बन्धित पैसा है। आपको भी चिन्ता होगी। मुझे भी चिन्ता होगी, हमें है कि जल्दी लाभान्वित हो, यह हम सबकी चिन्ता है।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन को आश्चर्य हो जायेगा और अचम्भे में पड़ जायेगा। That would an exclamation. इन्दिरा गांधी केनाल का जो एस्टीमेट शुरू का था वह बता दीजिए। वह कितने करोड़ का था। अब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम्पलीट होने में कितने करोड़ रुपये और लगेंगे, यह संसार की बहुत बड़ी योजना है। आप वह आंकड़ा देकर डेमेज को बताइये यह ज्यादा उपयुक्त है।

श्री कैलाश मेघवाल : मदेरणा साहब जब आपने इन्दिरा गांधी नहर का सवाल उठाया ही दिया है तो माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1958 में माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त ने इस योजना का शुभारम्भ किया था। उस समय 65.5 करोड़ की योजना थी और उसको 1973 में पूरा होना था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फेज्ड आउट प्रोग्राम के साथ और प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से 1973 में अगर यह योजना तैयार हो जाती तो परसरामजी मदेरणा वह राजस्थान की जनता को ज्यादा लाभान्वित करती। एस्केलेशन, आज जो यह एस्केलेशन शब्द आप बोले। इस एस्केलेशन शब्द को मैं भी समझता हूं। एस्केलेशन शब्द के मायने भी समझता हूं और इसका प्रभाव भी समझता हूं। और यही कमी रही है। इस दृष्टि से इसे पाइन्ट आउट कर रहा हूं। आखिर यह क्या हो रहा है। क्या दोनों पक्ष मिल कर उन राजनैतिक दबावों को दूर नहीं कर सकते, जिसके कारण राजस्थान की जनता को ज्यादा लाभ मिले। जल्दी से जल्दी मिले। यह मेरा पाइन्ट है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय उसमें विपक्ष के सदस्य जो सभी अनुभवी है, हम तो ढ़ाई साल शासन में रहे थे और

(श्री कैलाश मेघवाल)

अब मौका मिला है लेकिन मेरे से ज्यादा, हमसे ज्यादा जो शासन में रहे हैं उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की कमियां, प्रेशर्स और ड्रा बेक्स जो आ गये हैं उनको मिल कर दूर करें तो राजस्थान की जनता के लिए ठीक रहेगा। माही का क्या हाल है ? (व्यवधान)

आज मदेरणा साहब, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, चन्दनमलजी बैठ बैठ कर कोई निर्णय करें तो....

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो वेल्यूएबल सजेशन दिया है और सदन में इधर-उधर बैठने वालों की दो राय हो ही नहीं सकती, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स पूरे हों और विदइन टाइम हों। इस सदन के अपन मिल कर उसमें एक राय बन जाये, एक मत हो जाये, एक अभिमत हो अपना, तो वह अनुशंषा क्या है अभी तक समझ नहीं सका हूं। आज पासिटी आफ रिसोर्सेज है इसका कोई हल बताइये। यह आपके पास है तो ठीक है और रिसोर्सेज नहीं है तो भाषा के मकड़जाल में मामला कुछ होना नहीं।

श्री केदार नाथ : सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हर एक स्टेट के मेजर प्रोजेक्ट्स का फेट यही हुआ है, राजस्थान इसका एक्सेप्शन नहीं है। मेजर प्रोजेक्ट्स यही है, फेट है कि उसमें फाइनेन्शियल फ्रन्चेज का सवाल है, सोशियल फ्रन्चेज का सवाल है प्लानिंग के पिटफाल्स का सवाल है, और मेनेजमेंट का और मोनिटरिंग का भी सवाल है। ये कई फैक्टर्स हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सभापति महोदय, परसरामजी मदेरणा से निवेदन करना चाहता हूं कि बहस क्यों होती है, यह वाद विवाद क्यों होता है ? इस वाद विवाद से सोच बनती है, यह सामूहिक सोच हमको दिशा देती है, कानून बनाने के लिए एक संकेत देती है। इसलिए मैं ये सारे मुद्दे रख रहा हूं, कि इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है, यह सारा पैसा आदिवासियों के खाते गया हुआ है, इसलिये मुझे चिन्ता है। मेरी चिन्ता यह है कि हम आदिवासियों के खाते जब गिनाते हैं तो हम कहते हैं कि इतने हजार करोड़ रुपया आदिवासियों की खुशहाली के लिए खर्च हो गया। उसका लाभ कहां किसको मिल रहा है, कब मिलेगा, यह मेरी चिन्ता है।

इसलिए मैं इस सदन के सामने निवेदन कर रहा हूं कि माही 1972 में चालू हुई थी। मूल लागत 31 करोड़ 36 लाख की थी। अब तक उसमें 349 करोड़ रुपया लग चुका है और इसके रिवाइज्ड एस्टीमेट 549.32 करोड़ रुपये आये हैं। इसके भी स्कोप में वृद्धि हुई है। पहले इसमें केवल 65 हजार हैक्टेयर सिंचाई का प्रावधान था अब 1 लाख 44 हजार हैक्टेयर में सिंचाई का प्रावधान प्रस्तावित है। मेरी चिन्ता यही थी कि जल्दी से जल्दी पूरी हो, ऐसा कोई रास्ता निकल जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माही के अन्दर कमाण्ड एरिया, यह सब इसका विवेचन इतनी डिटेल में कर रहे हैं। निवाई से बांसवाड़ा जाने का इरादा है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपका सुझाव इसलिये नहीं मान सकता कि मैं आदिवासी नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्यों की जो चर्चा चल रही है। मेरा निवेदन है वरिष्ठ समस्यों से कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी का नारा दिया था वह कौनसी योजना बनाने के लिए दिया गया था। कौनसी योजना का नाम लिया जाकर इस देश को आजाद कराने की भाषा बोली थी। इसका उत्तर माननीय सदस्य मेरे को समझा दें।

श्री परसराम मदेरणा : महात्मा गांधी ने गांवों को स्वावलम्बी बनाने का नारा दिया था।

श्री नवनीतलाल नीनामा : कौन-कौनसी कॉस्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, अब मैं कुछ ऐसे बिन्दु रखना चाहता हूं। आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि आदिवासियों को जमीन आवंटित की गई, जमीन आवंटित करने वाली एक कमेटी थी और उनको जमीन आवंटित कर दी गई। आदिवासी काबिज हो गये, उस पर कुए बन गये और उसमें गलती क्या रह गई थी उसका नामान्तरण नहीं हुआ था। 20–22 साल पहले यह जमीन उनको कब्जे में दे दी गई। उन्होंने कुए खुदवा लिये, उन्होंने कर्जा ले लिया और नामान्तरण नहीं हुआ। नामान्तरण नहीं होने के कारण राजस्व विभाग की दफा 91 के नोटिस, वन विभाग के लोगों के नोटिस फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत। पिछले 20-22 सालों से उनको दो विभागों का शिकार होना पड़ा एक राज्य की गलती से। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि क्षतिपूर्ति कानून नहीं है। अगर क्षतिपूर्ति कानून होता तो 22 साल से उन लोगों को जलील किया जाता रहा राजस्व और वन विभाग के आधार पर जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और वे अपनी सारी पैदावार, अपनी सारी समृद्धि वकीलों के यहां, अफसरों के यहां और मुकदमें लड़ने में लगाते रहे। माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे करीब 1500–2000 मुकदमें राजस्थान में थे, उन सारे मुकदमों को विदड्रा करने का इस सरकार ने निर्णय ले लिया है और वे शीघ्रातिशीघ्र विदड्रा होंगें।

मैं इसी के साथ साथ माननीय सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आरक्षण दिया है। राजनैतिक आरक्षण के लिए कोई योग्यता नहीं। एम. एल.ए. और एम.पी. के लिए कोई भी लड़ सकता है लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए योग्यता है कदम-कदम पर। हायर सैकण्डरी भी है तो टाइप टेस्ट भी चाहिये, डिप्लोमा भी चाहिये और पिछले 44 सालों में हमारे इन आदिवासी बैल्ट का कोई नौजवान नौकरी में लगे, इनको सक्षम बनाने की कोशिश नहीं की गई कि वे नौकरियां जिस तरह की हैं, जोकि छोटी-छोटी नौकरियां हैं। क्लर्कस के लिए टाइप योग्यता चाहिये। आदिवासी इलाकों में टाइप की क्लासेज खुली नहीं, कामर्स चली नहीं, इस दृष्टि से हमारा आदिवासी लड़का तैयार होकर के आगे किस दिशा में कहां पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

नौकरी करेगा और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह इसलिये भी आवश्यक है कि आदिवासी जिस तरह का जीवन जीते हैं उसमें थोड़ा सा भी पढ़ लिखने के बाद हमारे क्षेत्र का, माननीय देवपुरा साहब भी अच्छी तरह परिचित हैं, वह जो लकड़ी काट कर ले जाने का काम है, उसे पढ़ा-लिखा लड़का पसन्द नहीं करता, नौकरी उसको मिलती नहीं। चूने डालने का काम कभी भी पसन्द नहीं करता उसकी हालत ज्यादा जर्जर हो जाती है और इसलिए हमारी सरकार ने डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा में तीन एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं जहां इनको जोब की दृष्टि से प्रशिक्षण दे करके नौकरियों में जाने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

तेंदू पत्ते इकट्ठे करने में भी हमने वृद्धि की है। पहले 10 रुपये रोज की मजदूरी....

श्री परसराम मदेरणा : संस्थान का नाम क्या है, एकलव्य ?

श्री कैलाश मेघवाल : एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान क्योंकि एकलव्य का अगूंठा आपने दान में ले लिया था।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन उसका गुरू कौन था ? तो आपने एकलव्य संस्थान में गुरू किसको लगाया है ? वह तो खुद ही गुरू मान करके प्रेक्टिस करता था। इसलिए आपने कोई गुरू लगाया है या नहीं संस्थान में।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आभारी हूं माननीय परसराम जी मदेरणा साहब का, उनके इंटेलिजेंट इंटरव्शन के लिए। गुरू तो प्रोफेसर केदार जी बैठे हैं जिनसे हमारी बहुत नजदीक की रिश्तेदारी भी है.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : नवनीत जी को भी बता दीजिये। राम राज्य में ऐसा भी होता है।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं। आप चाणक्य भी देखते होंगे। आपको यदि गुरू ही रखना है तो लम्बी चोटी वाला रखिये जो बच्चों को गुरूकुल में अच्छी तरह से शिक्षा दे सकेगा नहीं तो एकलव्य गंगा, भागीरथ गणेश आप इन योजनाओं में ही फंस जाओगे।

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी सूचना के लिये, व्यक्तिगत है, लेकिन मेरा सारा उदभव, शिक्षा-दीक्षा, मेरी परिवार की आर्य समाज की वजह से है। मैं स्ट्रिक्ट आर्य समाजी हूं। यह आपकी सूचना के लिए मैं निवेदन कर दूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे स्वयं भी आर्य समाजी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : तो यह हमारा भी एक रिश्ता हो गया। मैं निवेदन कर रहा था तेंदू पत्ता इकट्ठे करने वाले आदिवासी थे, उनकी मजदूरी 10 रुपये से 20 रुपये बढ़ा दी गई है जिससे एक साल में 5 करोड़ रुपये मजदूरी अधिक मिलेगी। यह प्रस्तावित अनुमान आये हैं।

आदिवासियों के खिलाफ छोटे-छोटे मुकदमे हैं, छोटे-छोटे मुकदमे बने हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय देवपुरा साहब भी जानते हैं कि मुकदमें क्या होते हैं ? मुर्गी चोर ले गया, और है क्या मुकदमा ? मुकदमा क्या हुआ है कि मटकी चोर ले गया, एक बोरी महुआ चोर ले गया। ऐसे छोटे–छोटे मुकदमें हैं और वहां की पुलिस के नियंत्रण से दूर वहां की जागृति का और इस तरह के छोटे–छोटे मामले आदिवासी इलाकों में होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों में पैदाइश से लेकर मौत तक शराब का किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं प्रयोग होता है। देवपुरा साहब इससे सहमत होंगे। हमने तो शराबबंदी की थी लेकिन जहां सामाजिक रस्मो–रिवाज में, शराब जुड़ी हुई हो। उसके यहां कोई पैदा हो और बोतल नहीं खुले, रस्म नहीं करें, शादी–ब्याह में रस्म नहीं करे या मृत्यु में रस्म नहीं करें। इस तरह मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में अवैध शराब भी बनाई जाती रही है और रहेगी क्योंकि यह उनके जीवन का एक अंग है। ऐसी स्थिति में 5 बोतलें पकड़ ले, 4 बोतलें पकड़ ले, तो पांच बोतल नीचे के जितने मुकदमें आदिवासियों के थे जो अब एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये थे, उन सब मुकदमों को भी विदड्रा करने का सरकार ने फैसला कर लिया है।

इसी तरह वन अधिनियम के अन्तर्गत 500 रुपये से कम कीमत की पैदावार की चोरी के जो मुकदमें बने, जो विवादों में उलझे हुए हैं, 500 रुपये से कम मूल्य की उपज तक के सारे मुकदमे भी वापस लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।

इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, 8000 मुकदमे आदिवासियों के विरूद्ध लगाये गये थे। वे सारे विदड्रा किए जा रहे हैं। इसके आगे....

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि छोटे–छोटे मुकदमें वापस लेने का जो निर्णय लिया है, क्या आपने यह निर्णय भी ले लिया है कि आगे से इस तरह के मामले दर्ज नहीं किये जायेंगे। यह मेरा पर्टिनेंट प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है, मामले दर्ज होंगे या नहीं, इस बारे में कोई निर्देश नहीं है लेकिन यह ब्लेंकेट आदेश वर्तमान कानूनों के अनुसार नहीं दिये जा सकते। कानूनी व्यवस्था जैसी है....

श्री गोपालसिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, जब ब्लेंकेट आदेश नहीं दिये जा सकते तो ये पुराने मामले वापस लेकर के किस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। खण्डेला से आने वाले माननीय विधायक, 8000 परिवार अदालतों में चक्कर लगाते रहे हैं, पेशियां बदलती रही हैं। जितना दण्ड नहीं है और जितना इन्वाल्वमेंट नहीं उससे ज्यादा उनका वकीलों में, आने-जाने में, अदालतों में जो पैसा खर्च हो सकता है, हो रहा है। उन आदिवासी परिवारों की हालत आप देखिये।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

आपने जो निर्णय ले लिया उसको मैं एप्रिशियेट करता हूं। मैं भी चाहता था आप और भी निर्णय ले कि आगे से इस तरह के मामले दर्ज नहीं होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है कानून प्रावधान जो है वो है। सरकार उनके लिए यह करके यह चाहती है कि कानून के प्रावधान भी हैं, अपराध भी नहीं हो, वन सम्पदा भी सुरक्षित रहे लेकिन इन सारे दृष्टिकोण से जो जलालत इन लोगों को हो रही थी और उनकी पेशियां कितनी बदलती हैं, सारे वकील इस बात को जानते हैं कि पेशियां न्यायालय में कितने चक्कर लगवाती है। झाड़ोल में खुल गया है। कोटडा का एक आदिवासी जब अपने मुक.में के लिए अगर उदयपुर आता था तो 2 दिन आने में लगते थे, 3 दिन जाने में लगते थे, वहां खाने-पीने का खर्चा और वकील का खर्चा और चोरी मात्र 500 रुपये की।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह जो भाषण दे रहे हैं इसमें कोई नीतिगत घोषणाएं कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्री कल नहीं बोलेंगे। क्या ये मुख्य मंत्री का पार्ट प्ले कर रहे हैं ? दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आदिवासियों की बात कही, एस. सी. की बात कही....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : It is joint responsibility ? (व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक करके बोल लें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों में ये घोषणाएं नई नहीं है। गये बजट सत्र में मुख्य मंत्री जी ने ये कर दी थीं।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बात कह रहे हैं कि आदिवासियों और एस. सी. के जो मुकदमें है वे उठा लिये गये हैं। तो क्या कैलाश जी मेघवाल मर्डर करेंगे तो उनका भी मुकदमा उठ जायेगा ? कोई दूसरी गरीब जातियों के लोग भी रहते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व में मैंने सुना भी था, महुआ का संकेत दिया था। आपने अपने उत्तर में कहा था कि थोड़ी सी शराब स्वास्थ्य के लिए वहां के क्लाइमेटिक कण्डीशन्स के हिसाब से जरूरी है। आपने एक पाइंट मेक आउट किया है कि इतने साल, 40 साल के बाद में भी उनके जीवन यापन में कोई सुधार नहीं हुआ.... और उनका लीविंग स्टेण्डर्ड ठीक होना चाहिए था। चाहे जंगल फैलिंग का मामला हो, नौकरियों का हो, आपका इशारा एक तरफ है।

श्री कैलाश मेघवाल : संकेत वही है, आपका ध्यान भी वहीं आकर्षित किया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं लेकिन मध्यप्रदेश में एक पड़ौसी गवर्नमेंट है वो बी. जे. पी. की है। यह बस्तर और झबुआ आदिवासी भूख से मर रहे हैं। Your Government and your regime is no better.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मेरा दायित्व राजस्थान के प्रति, राजस्थान के आदिवा-

(श्री कैलाश मेघवाल)

सियों के प्रति एवं सारी जनता के प्रति है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मदेरणा साहब, आदिवासियों की अकाल की जो चुभन है, भूख की जो चुभन है उसे यहां सरकार कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी प्रकार का आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस विभाग को देख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में 200 करोड़ से अधिक लागत की एक योजना है जो सीडा से स्वीकृत कराई गई है और उस पर लगभग 11 करोड़ रुपया वन विकास योजना और राष्ट्रीय प्रतिभूति विकास बोर्ड द्वारा खर्च किया जा रहा है। यह एक महती योजना हाथ में ले रखी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं क्योंकि अनुसूचित जन जातियों के ऊपर अपना कथन अभी समाप्त करता हूं और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं एवं परसराम जी इससे सहमत होंगे....

श्री परसराम मदेरणा : मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में आपने कम्पेरेटिव आंकड़े क्यों नहीं रखे ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो इन्फीरियरिटी काम्पलेक्स से क्या है आपको ? क्योंकि आप शिड्यूल्ड कास्ट से हैं इसलिए आपने वो आंकड़े नहीं रखे।

श्री कैलाश मेघवाल : अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में अपना कथन आरम्भ करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज काफी लोग बोलने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय सीमा फिक्स हो गई है, ठीक है मंत्रियों को ज्यादा समय दिया जा सकता है, हमारे दल के सिर्फ एक सदस्य बोले हैं और बोलने वाले काफी लोग हैं। इस स्वस्थ परम्परा को ध्यान में रखते हुए कल मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे ही और कुछ बातें आ जांय तो बेहतर रहेगा। अब एक तरफ ही करें....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बोलने के लिए ज्यादा मसाला है और वह मैं लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि माननीय प्रद्युम्न सिंहजी एतराज करेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, आप कृपया जारी रखें और सदन की भावना को भी ध्यान में रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, समय फिक्स है। मेरा आपसे निवेदन है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा है कि बड़ी रोचक बहस हुई है, सिंचाई मंत्रीजी ने कुछ बात कही हैं और हमारे भूपालगढ़ से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने भी कुछ जिज्ञासा जाहिर की, कुछ उत्तर दिए, कुछ जानकारियों प्राप्त की लेकिन कल मुख्य मंत्रीजी को पूरा समय मिलेगा उस पर तो कोई सीमा है नहीं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया सदन की भावना का ध्यान रखें। वे समाप्त करने लग गए, फिर किसी ने कह दिया कि आप इतना और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बता दीजिए तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका अंत कहीं होगा नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : परसरामजी मदेरणा ने कहा था उनका आग्रह था वे आपके वरिष्ठ साथी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आज के लिए थोड़े ही कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपको अवसर मिले तो वे आंकड़े भी आप प्रस्तुत कीजिएगा, मेरा ऐसा अनुरोध है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप इस पर विचार करें श्रीमान् और लोगों को अवसर दें जिससे डिबेट चल सके। दोनों तरफ से काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अब मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत जबर्दस्त भाषण दिया है, मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत अच्छा बोले आप। मैं मदेरणा साहब का भी आभारी हूं कि दोनों ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। अब यह निर्णय लेना सदन का काम है, जनता का काम है, इसलिए आप यहीं समाप्त करें और कुछ और लोगों को अवसर दें यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, यह मैटर इतना है कि शायद इस पर घंटा सवा घंटा लगे इसलिए मैं सारी तैयारी से आया हूं।

श्री सभापति : आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन सदन में वास्तव में मेरे सामने 24 आदमी बोलने वालों में से हैं और आजकल 6 बजे सदन का समय समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक ही निवेदन करके अपना कथन समाप्त करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप ये आंकड़े लेकर आयें कि मेघवालों की बेगार देने वालों की पर्सेन्टेज कितनी थी और जाटों की कितनी थी।

श्री कैलाश मेघवाल : मेघवाल तो हमेशा जाटों के यहां हाली रहे हैं। दोनों जुड़े हुए परिवार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेघवाल और जाट में बेगार देने में कोई फर्क नहीं था।

श्री कैलाश मेघवाल : मेघवाल और जाट तो जुड़े हुए हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। 1989 के बाद इस देश के राजनीतिक वातावरण के स्वरूप में परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को हमने स्वीकार करके सहयोग की सकारात्मक राजनीति की, एक–दूसरे सामंजस्य और सौहार्द्र की राजनीति अपनाई है। अब मैं सोचता हूं कि 1951 से 1977 व 1985 तक जैसा शासन रहा है, एकछत्र, तो मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सहयोग और सकारात्मक राजनीति को जन्म दे करके एक अन्य राजनीति स्वरूप के साथ काम करना चालू करें तो हम राजस्थान की ज्यादा सेवा कर सकेंगे और उसमें विशेषकर आदिवासी भाइयों की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस हो रही थी और जो बहस की जायेगी, अभी जो चर्चा यहां हो रही थी वह आदिवासियों के बारे में हो रही थी और आपने मुझ जैसे आदिवासी को अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : +++

श्री सभापति : यह +++ शब्द एक्सपंज कर दिया जाय । असंसदीय है ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, वो बनवासी हैं आदिवासी नहीं हैं ।

श्री सभापति : आप कृपया विराजें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों की बात करना बड़ा आसान है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स की बात करना बड़ा आसान है लेकिन उसके दुःख और दर्द को समझने में बड़ी दिक्कत आयेगी. आपको । आपको पता नहीं है गांव में रहने वाला वह आदिवासी, गांव में रहने वाला वह किसान जिसके साथ इस सरकार ने क्या अन्याय किया है । जो किसान खेती करते हैं और खेती करके अपनी गुजर करते हैं उनको जो बिजली के कनेक्शन मिलते थे वे क्या इन आदिवासियों की भलाई करने वाली सरकार ने उस कनेक्शन की क्या कीमत कर दी है ? पता है आपको ? पहले कांग्रेस के टाइम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सुविधा थी कि जो कनेक्शन दिये जाते थे उनमें न कोई लट्ठों की कीमत होती थी और उनको फर्स्ट प्रायरटी. मिलती थी लेकिन अब क्या हो गया ? आज न एस.सी., एस. टी. के लिए ऐसी बात नहीं है । आज जो लोग 1100 रुपये जमा कराते हैं उन लोगों का नम्बर आता है और उसके साथ साथ आपने जो अन्याय किया है वह है लट्ठे की कीमत 3200 रुपये रख दी हैं । बात करते हैं आदिवासियों की, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की । लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ा अन्याय किया गया है वो यह है कि आदिवासी और पिछड़ी जातियों के जो किसान थे उनके साथ आपने अन्याय किया है । सरकार किसान विरोधी और पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है, इस बात को मैं साबित कर सकता हूं ।

दूसरी बात आज पानी की समस्या ढाणियों और गांवों में बनी हुई है । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो ढाणियों में बसे हुए हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं उन लोगों के लिए कोई हैण्ड पम्प या अन्य व्यवस्था की है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कांग्रेस का भला हो जिन्होंने पिछड़ी जातियों और गरीबों का उत्थान करने के लिए जो योजनाएं बनाई थीं आपने वे योजनाएं भी बंद कर दी हैं । हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आ रहा है, कुए सूख गए, नल योजनायें जो आपके यहां विचाराधीन पड़ी हुई हैं । मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं, मैं भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र से रिजर्व सीट से जीतकर आया हूं ।

+++ शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री हेमराज : कौनसी योजनायें बन्द कर दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे यहां 4 योजनायें विचाराधीन थीं लेकिन आज 2 साल पूरे हो गये, माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चारों योजनाओं में से एक भी योजना मंजूर नहीं की गई, एक भी हैन्ड पम्प आपने नहीं लगाया हमारे क्षेत्र के अन्दर। फिर आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं। प्यासे मर रहे हैं आदिवासी। राम की बात करते हैं, वो राम थे जिन्होंने आदिवासियों को गले लगाया था। कल भी सारी बातें आपने राम की की थी। (व्यवधान) आप राम की बात करते हैं लेकिन ये राम को मानने वाले राम के आदर्शों को नहीं मानते। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप व्यवधान न डालें।

श्री मदन दिलावर : श्री रामजी या जय श्री राम कहो, केवल राम से काम नहीं चलेगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम....

श्री सभापति : आप कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, ये बीच में राम जी कहां आ गये ?

श्री रामस्वरूप मीणा : दुकान के ऊपर बैठकर किसान का खून चूसने वाले और राम की बात करने वालों में क्या मेल है ? बेकार की बात करते हैं राम की ? वो राम आदर्शवादी राम थे, उनका नाम लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिये। राम ने आदिवासियों को गले लगाया था। जिस राम ने गद्दी छोड़कर बनवास ले लिया था, आप उस गद्दी के लिए क्या-क्या बुरे काम नहीं कर रहे हैं ? आप लोगों को पता लगेगा जब आप जनता के सामने जाओगे कि आप राम की बात कर रहे हैं या जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप राम, रहीम और एकता यात्रा चाहे कितनी भी निकाल लें लेकिन गांवों में बैठे हुए आदिवासी, पिछड़ी जाति के लोगों के दुःख दर्द को आपने नहीं संभाला तो एक दिन वो आयेगा जब आपकी जमानत जब्त हो जायेगी। अभी आपकी जमानत जब्त हुई है, अभी उप चुनाव के अन्दर देख लीजिये आपकी क्या हालत हुई है भरतपुर के अन्दर। और भी क्षेत्रों के अन्दर देख लीजिए कि क्या हालात हो रहे हैं। पंजाब के अन्दर आपको पता लग गया क्या हालत हो गये आपके, बम्बई में आप देख लीजिये यह सारी बातें इस बात की सूचक हैं कि राम को धोखा देने वालों, एक दिन आप ही धोखा खा जाओगे। रामको धोखा नहीं दे सकते, राम तो सारे संसार को देख रहा है लेकिन आप जिस राम को धोखा देकर जनता जनार्दन को गुमराह करना चाहते हो, अब गुमराह नहीं होगी। मैं मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या के बारे में निवेदन कर रहा था, चार योजनायें आई, चारों योजना शिड्यूल ट्राइब्स से क्षेत्रों की थी, एक भी योजना को पास नहीं किया। मंत्री महोदय यहां बिराजमान नहीं हैं। उनके साथ-साथ मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री हेमराज मीणा : कौन सी योजनाएं थीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : कि हमारे जो अफसरों की बात आ रही थी मीणाओं के, एस.टी. के बहुत अफसर हो गये हैं, और सारी बातें हो गई हैं, उनकी भलाई की बात कर रहे थे माननीय मंत्री महोदय अभी, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इन मीणा जाति के अफसरों में ही बेईमानी पैदा हुई, क्या और जातियों के बेईमान अफसर नहीं थे ? तो फिर बी.के. मीणा को क्या कह कर उछाला था ? इकेतों जैसा उदाहरण दिया आपने उसका, आज वह क्या मीणा, वह आदिवासी, पिछड़ी जाति का नहीं था ? क्या और जातियों के अन्दर कोई भी बेईमान आदमी नहीं है ? आपने उसको भ्रष्ट बताया, मैं मानता हूं कि इन्क्वायरी चल रही है उस बात की लेकिन वह भी मीणा था इसलिए आपने उसको उछाला। बातें करते हो पिछड़ी जातियों की, क्या और कोई नहीं था जिसको आप उछालते ?

श्री मदन दिलावर : अफसर की कोई जाति नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, अफसर की कोई जाति नहीं होती।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आप मीणा हैं इसलिए तकलीफ हो रही है आपको।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें। बिराजिए।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है ?

श्री सभापति : ऐसा है, जो भी बातें यह कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री और अभी इन्टरवीन करने वाले मंत्रीजी उनका उत्तर दे देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस प्रकार और भी मैं उदाहरण पेश करूंगा। आपको दुख होगा। चिकित्सा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी चिकित्सक थे जिला सवाई माधोपुर के अन्दर, माननीय एम.एल.ए. साहब और आप बैठे हुए हैं, गलत जगह पर, आप भी मीणा हैं, आपने भी बहुत पैरवी की थी इस बात की कि जिला सवाई माधोपुर के अन्दर जितने भी डॉक्टर मीणा थे उनको बाड़मेर और जैसलमेर सीमा पर लगा दिया गया था अभी आपके राज के अन्दर। इस बात का मेरे पास रिकार्ड है और जिन लोगों की अच्छी प्रेक्टिस थी, जो लोग बड़े माने हुए थे, वह लोग तो अपने ट्रांसफर कैंसिल करा लाये लेकिन एस.टी. के जिन लोगों के ट्रांसफर कर दिये गये थे, जिनकी मेरे पास लिस्ट मौजूद है, आज तक चक्कर लगा रहे हैं आपके पीछे। भलाई की बातें करते हो, आप, मीणाओं की बात, शर्म आनी चाहिए इस बात की हम लोगों को, जो सब बैठे हुए हैं और हम आदिवासियों की बात करें यहां पर बैठ कर और आज उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कारण है कि छह महीने हो गये उनको चक्कर लगाते हुए, आपके क्वार्टर पर रोजाना ठहरते हैं डॉक्टर लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हकीकत को देखें, गुमराह

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नहीं हों। कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है माननीय सभापति महोदय।

इसके साथ-साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो प्रांतीय बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक हैं जिनकी छह महीने से हड़ताल चल रही है और आज तक उस हड़ताल के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे युवा साथी जो बाहर धरने पर बैठे हुए हैं जिनमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं, एस.सी. और एस.टी. के लोग बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, आज तक उनके रोजगार के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। जो सरकार पहले भी उनको रस पिला-पिला कर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त करवा चुकी है, आज वह भी आप लोगों के लिए बाहर बैठे आंसू बहा रहे हैं और आप एस.सी., एस.टी. की बातें करते हो यहां बैठ करके। इससे बुरी बात आपके लिए और क्या होगी। अगर आप लोग उनकी भलाई करना चाहते हो तो जाकर उनको आश्वासन दो। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको तो सात दिन हुए हैं अभी आये हुए सदन के अन्दर, बहुत अन्याय हो रहा है एस.सी., एस.टी. के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है कि आपने अभिभाषण के लिए धन्यवाद दे दिया लेकिन मैं सही कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण....

श्री रामसिंह बिश्नोई : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने नहले पर दहला दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन आप धन्यवाद दे दो या अखबारों में अपना नाम लाने के लिए सब कुछ कह जाओ, घोषणाएं कर दो लेकिन वह आदिवासी जो आप पर आंसू बहा रहे हैं गांवों में बैठ कर, वह आदिवासी इसको धन्यवाद नहीं देगा, यह मैं कह सकता हूं। अगर आप उससे धन्यवाद ले लो तो मैं आपको मान सकता हूं। अगर आपने उससे धन्यवाद नहीं लिया तो यहां आपकी घोषणाएं करना बेकार है। इसलिए आपसे ज्यादा नहीं कहता हुआ इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अभी बातें हो रही थी भ्रष्टाचार की कि इस सरकार के अन्दर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई, चोरी-डकैतियां बंद हो गई, सारी बातें हो गई लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिण्डौन, जो ए.सी. का रिजर्व क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ था पिछली बार, पिछली विधान सभा में मैंने एक बात रखी थी। वहां एक कोली जे.ई.एन., कोली जाति का था, नगरपालिका में जो जे.ई.एन. था, उस जे.ई.एन. की दिन–दहाड़े हत्या कर दी गई थी और जो मारने वाले लोग थे वह लोग खुले घूम रहे थे सड़कों पर। आज वहां पर बी.जे.पी. की नगरपालिका है और उस नगरपालिका के एक जे.ईएन. की हत्या कर दी जाय और आज तक मुलजिम का पता नहीं चले, इससे शर्म की और क्या बात होगी। जिला सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूं, मैं हिण्डौन की, पिछली बार सदन में मैंने इस बात को रखा था, माननीय मंत्री महोदय, आप उठाइये इस मुद्दे को, क्या हुआ उनके साथ। और जब बोलने लगा, आदिवासियों की बातें करने लगा, जिनके साथ अन्याय

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हुआ उनकी बातें मैंने की तो आप लोग मुझे सदन में सहन भी नहीं कर सके थे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा अनुसूचित जाति, जन-जाति और आदिवासियों की आवाज को उठाऊंगा, रिजर्व सीट से जीत कर आया हूं, हकीकत को आपके सामने निवेदन करूंगा। अगर आपने उनकी पानी की समस्या के बारे में नहीं सोचा और सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आप लोगों की तो आंखों में पानी नहीं रहा है, आप क्या पानी के बारे में सोचोगे। मंत्री महोदय उठ गये, पहले ही। मंत्री महोदय पहले ही उठ कर चले गये, वह जानते थे कि पानी की समस्या आयेगी। पिछली बार सदन के अन्दर वह आश्वासन दे चुके थे, उनको पता था कि वह समस्या फिर दुबारा उठेगी। वह उठ कर यहां से चले गये। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन आदिवासी शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के लोगों की ढाणियां, जहां पर पहले हैण्ड पम्प जो कांग्रेस के टाइम में लगे थे वह भी बंद हो चुके थे, जल नीचे जा चुका है, इतना पाप बढ़ चुका है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : वाह साहब, साले साहब।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, दो साल के अन्दर इतना पाप बढ़ चुका है, पानी का स्तर बिल्कुल सौ फीट नीचे चला गया है, इसलिए निश्चित मान लो, घड़ों में पानी तो रहा नहीं है इसलिए पाप का घड़ा तो फूटेगा। आखिर में कहां तक बचाओगे ? इसको तो फूटना ही पड़ेगा, कहां तक बचाओगे आप इसको ? ठीक है, मौज कर लो, हंस लो खूब। खूब हंस लो उन आदिवासियों की समस्याओं के ऊपर आप लोग, लेकिन आपको....

(3.56 म.प)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक दिन रोना भी पड़ेगा। यह खुशियां एक दिन रंज में बदल जायेगी। तब आपको पता लगेगा जब उन क्षेत्रों में जाओगे। आज आपके मंत्री लोग जब गांवों में जाते हैं क्या हालत होती है उनका घेराव हो जाता है, क्या कारण है कि वह घुस नहीं सकते गांवों में अन्दर जाकर। आप जाते हैं खाली उद्घाटन के नाम पर, उद्घाटन करने जा रहे हैं, मंत्री महोदय का प्रोग्राम है आज, चारों तरफ पुलिस लगवा लेते तो पहले ही, मेरी तरह खुले आम जाओ, एस टी. के क्षेत्रों में जाओ। पता लग जायेगा आप लोगों को इस बात का कि जनता आपको चाहती है या नहीं चाहती है। शिलान्यास करने लग गये, पत्थरों पर नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, नाम लिखो दुख–दर्द वाले लोगों के हृदयों पर, जिनको आपने सता रखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पिछड़े और गरीब लोगों की पानी की समस्या पर ध्यान दे।

श्री हेमराज मीणा : कितने हैण्ड पम्प लगाने हैं वैसे ही बता दो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने सारी लिस्ट पेश कर दी है और माननीय मंत्री महोदय होते तो मैं उनके सामने यह बात कहता।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इसके साथ–साथ जिला सवाई माधोपुर में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वहां की सीमेंट फैक्ट्री की समस्या। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। पांच हजार मजदूर भूखे–प्यासे मर रहे हैं, ऐसी बड़ी बात का भी इसमें जिक्र तक नहीं किया। आदिवासी हैं सारे वहां पर भी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सरकार ने पिछली बार घोषणा की थी, चुनाव में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आप लोग धुआं निकाल दो इस सरकार की, मैं इस सीमेंट फैक्ट्री में धुआं निकालूंगा। लेकिन आज तक आपने धुआं नहीं निकाला उस सीमेंट फैक्ट्री में और बातें करते हो। कभी केन्द्र सरकार पर थोपते हो, कभी इधर-उधर की बहानेबाजी लेते हो। पूछो उन लोगों से कि क्या दुख-दर्द है, उन पर क्या बीत रही होगी। फैक्ट्री का सारा सामान चोरी जा चुका है, घाटे की ओर चलती चली जा रही है, आप अपने सिर पर हाथ लगा कर बैठे हो माननीय मंत्री महोदय. आप सवाई माधोपुर आकर उन लोगों के दुख-दर्द पूछो, जो गुजर रही है उस बात को, आप यहां टाल जाते हो हमारी बातों को....

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये हैं आपको माननीय सदस्य। 25 मिनट रहे हैं खाली।

श्री रामस्वरूप मीणा : दम के मारे उनकी नाकों के अन्दर धुआं निकल रहा है और आप इस बात को कह रहे हो इसलिए आप जिला सवाई माधोपुर की इस सबसे बड़ी समस्या की ओर ध्यान दें जिसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है।

इसी प्रकार जिन नदियों में पानी ही नहीं रहा, उसके कारण वहां का जल नीचे गया, आपने कहा था कि हम एनीकट बनायेंगे ताकि जल स्तर ऊपर आ जायेगा। जिला सवाई माधोपुर में एम.पी. के चुनावों में घोषणा की थी कि महावीरजी के पास जो गम्भीर नदी है, बाई इलेक्शन में आपने घोषणा की थी कि गम्भीर नदी के ऊपर एनीकट बनाया जायेगा लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक एनीकट का कहीं पत्थर भी नहीं लगा। इसी का कारण है कि बाई-इलेक्शन के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए कितनी भी आप सच्चाई को छुपायें, छुपेगी नहीं। शायर ने भी कहा है किसी ने, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजें आप।

(4.00 म.प.)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह खुशबू नहीं आयेगी। अगर आपने अपनी रीति नीति को नहीं बदला और इस अभिभाषण में जो कुछ आपने असत्य बातें लिख दी हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाई हैं आपने, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे गांवों की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उद्योगों की समस्या, वहां पर होने वाले गरीबों के साथ

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार और जो मर्डर हुए हैं, उनको मार दिया गया है और आज तक उनका पता नहीं लगा है उसके बारे में आप विचार करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि जनता जनार्दन की जो आत्मा की पुकार है उसको आप अवश्य सुनेंगे। मैं आपके माध्यम से आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो....

श्री उपाध्यक्ष : कम्पलीट कीजिए मीणा साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो बोलने ही लगा हूं। कल से इन्तजार कर रहा था। माननीय मंत्री महोदय एक घंटा तक लगातार बोलते चले गए किसी ने टोका तक नहीं। एक भी घंटी नहीं बजाई और मैंने बोलना शुरू किया तब घंटी बजाना शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोतीलाल जी मीणा।....सदन की आप व्यवस्था नहीं मानते हैं। आप अपना कथन पूरा कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट में पूरा करता हूं। मेरा निवेदन है कि अभिभाषण में जो बातें कही गयी है अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और गांवों में अनुसूचित जाति, आदिवासी लोग और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं है, राम रहीम और कबीर की बात आप चाहे कितनी करते चले जाओ लेकिन आगे आने वाला समय आपका नहीं होगा। जनता जनार्दन के बीच में आपको जाना पड़ेगा इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो हमारे सामने पेश किया है मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस चल रही है उस पर मैं अपनी सहमति प्रकट करते हुए और अभी रामस्वरूप जी मीणा बोल रहे थे इन्होंने बताया कि जिला सवाई माधोपुर में पानी की समस्या को लेकर पिछले पांच-सात साल से यहां कहते आ रहे हैं और हर साल बजट भाषण में यह कहा जाता है कि गांव–गांव, ढाणी–ढाणी आदिवासी क्षेत्रों में, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर जो "लुभावने शब्दों के द्वारा राजस्थान की जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की गई, यह मिथ्या भाषण है। मेरे एरिया सवाई माधोपुर के अन्दर जहां नादौती, टोडा भीम और गंगापुर को पाचना बांध की लिफ्ट द्वारा पीने का पानी ही नहीं बल्कि वहां की कीमती जमीन को पानी सिंचाई के द्वारा भी दिया जा सकता है। लेकिन कभी नहीं सोचा। जब भी भाषण में लेख मिलता है पश्चिमी राजस्थान का या विकास का तो राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर के विकास का कोई शब्द नहीं मिलता।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न आता है मेरे क्षेत्र सवाई माधोपुर के अन्दर बहुत बड़ी लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना खण्डार क्षेत्र में पीपलदा–पपलोद पिछले पांच साल से पेन्डिंग पड़ी हुई हैं। गत सत्र के अन्दर

(श्री मोतीलाल मीणा)

हमने प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में सरकार ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने इसको जल आयोग, दिल्ली को भेज दिया गया है। पता नहीं भेजा या नहीं भेजा। बार–बार यह सत्र में जवाब दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के मिथ्या जवाब यह प्रश्न के जवाब में नहीं दिये जायें और सिचाई मंत्री जी श्री कैलाश जी मेघवाल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपसे हमें उम्मीद है और आपने अभी भाषण दिये, बड़े लुभावने और सुन्दर शब्दों के साथ हमारे विधायकों को आकर्षित किया, यदि आपमें सत्यता है और आदि–वासी क्षेत्र और शिड्यूल्ड कास्ट क्षेत्र के अन्दर विकास यदि आप चाहते हैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारे सवाई माधोपुर में लिफ्ट इरिगेशन की जो पेन्डिंग योजना है पीपलदा, इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

आपके इस अभिभाषण के अन्दर हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख हैक्टर में 9 करोड़ पौधे लगाने की सम्भावित योजना बताई है, मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि एक ओर तो आपने एक लाख हैक्टर में 9 करोड़ पौधे लगाने की सम्भावना व्यक्त की हैं। सवाई माधोपुर के खण्डार तहसील के अन्दर जून के महीने के अन्दर 11 लाख रुपये का बीजारोपण किया गया हवाई जहाज के द्वारा। क्या सरकार ने कभी यह ध्यान दिया कि उस हवाई जहाज के अन्दर डी. एफ. ओ. के बाल बच्चे घूमे या बीज बखेरा और कितना बीज उगा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि वहां के तत्कालीन या वर्तमान डी. एफ. ओ. और उनके रेन्जर्स मिलकर 11 लाख रुपये का दुरुपयोग किया है और मौके पर न बीज है और न पौधा है।

इसी तरह से सन् 1975 के अन्दर रणथम्भौर रोड के ऊपर शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को जमीन का अलाटमेन्ट होना था उस जमीन को तत्कालीन फील्ड डाइरेक्टर श्री पृथ्वीसिंह राठौड़ ने यह कह कर कि मैं राजपूत कौम का हूं, मेरा गांव देसर है वहां की जमीन मैं फलां व्यक्ति के नाम छोड़ता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को यह जमीन अलाटमेन्ट करवाई और सदन में यह मामला आया, हाईकोर्ट तक केस गया लेकिन उन लोगों को वह जमीन नहीं मिली। एक ओर तो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों की बात कही जा रही है दोनों पक्षों द्वारा, कांग्रेस पार्टी और बी.जे. पी. की पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से लेकिन मैं दावे से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी द्वारा जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन छीनकर और अवैध कब्जा करके 5 लाख का महल बनाकर अवैधानिक कार्य करवाया जा रहा है और यदि इस जगह पर कोई मीणा होता तो बरखास्त कर देते। मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि क्यों नहीं पृथ्वीसिंह जी राठौड़ को जेल भेजा जाये। यदि यहां एस. सी., एस. टी. का छोटा कर्मचारी होता तो उसको सस्पेण्ड कर दिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के अलावा जहां सड़क निर्माण का मामला है इसमें बताया गया है कि हर गांव की जहां आबादी 1500 से 3000 की आबादी है उस गांव को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

(श्री मोतीलाल मीणा)

कल झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था कि पहले के अभिभाषण में एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात थी और इसमें आपने 1500 से 2000 वाली आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात कही है। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष जी, कि यह सदन का सवाल है, इस भाषण को जो तैयार करते है पता नहीं उनकी बुद्धि कहां, किस ओर जा रही है। हर विधायक पढ़ता है, हर अधिकारी पढ़ता है। बुद्धि पीछे जा रही हैं। वहां तो हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की बात कही थी और अब 1500 और 3000 वाले गांवों की बात की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पी. डब्लू. डी. और कृषि उपज मण्डी के तहत सड़कें बनाई गई हैं—एक ओर कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, मैं दावे से कहता हूं कि मुझे कांग्रेस गवर्नमेन्ट में भी इन्डिपेन्डेन्ट चुनाव जीतने का मौका मिला है। मुख्य मंत्री दो-तीन रहे, माथुर साहब रहे और मैंने जो काम उस समय करवाये भ्रष्टाचार वहां भी था लेकिन जितना भ्रष्टाचार इन दो सालों के अन्दर इस वक्त पार्टी के अन्दर है चाहे पी. डब्लू. डी. में हो, चाहे कृषि मण्डी में हो, मैं सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूं और सुनें स्वास्थ्य मंत्री श्री चतुर्वेदी साहब, मेरे सवाई माधोपुर में खिरनीपुर से श्यामपुरा रोड के किलोमीटर 14, 15 और 16 दो साल से पड़ी है। वहां भी एक्स. ई. एन. और ए.ई.एन. कहते हैं कि हम क्या करें, हमको नेताओं को पैसा देना पड़ता है। मैंने पूछा कि किनको देना पड़ता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप समझिये। मैं उनको चैलेन्ज कर रहा हूं कि पी. डब्लू. डी. के अन्दर जितना भ्रष्टाचार सवाई माधोपुर के अन्दर है, कहीं नहीं है राजस्थान में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना कथन पूरा कीजिए।

श्री मोतीलाल मीणा : इसी तरह कृषि मण्डी का मामला है। सवाई माधोपुर में कृषि मण्डी के निर्माण के मामले में ऐसे-ऐसे सेक्रेटरी बैठा रखे हैं, टांग टूट रही है, कान बह रहा है। एक दिन मैंने जाकर उससे कहा भले आदमी थोड़ा देखना, मुझे सरकार ने भेजा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

यदि हम उनका गला पकड़ते हैं और ठोकते हैं तो फौरन हमारे खिलाफ केस दर्ज कर लेता है और यदि नहीं कहते हैं तो काम नहीं होता है, यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोतीलालजी साहब, बैठिये। 8 मिनट दिये और 10 मिनट बोल लिये। 8 मिनट था।

श्री मोतीलाल मीणा : 1850 करोड़ रुपये की लागत से 34 मध्यम और बड़े नये उद्योग लगाने की सम्भावना व्यक्त की इस अभिभाषण में, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जहां पिछले 5 साल से जयपुर उद्योग बंद पड़ा है, खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं है, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किस तरह आपका दिल कठोर

(श्री मोतीलाल मीणा)

हो रहा है। जब विपक्ष में बैठे थे, मुख्य मंत्री जोशीजी थे तब तो कहा था अब कराऊंगा, उस वक्त तो उन्होंने कहा मेरे पास राज नहीं है आज उनका राज है और इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा उस वक्त आपका भी राज था क्यों नहीं आपने खर्च कराये। अभी रामस्वरूप मीणा, टोडाभीम से आने वाले सदस्य ने कहा कि यह फैक्ट्री बंद है, लोग भूखे मर रहे हैं उस वक्त आपका राज भी था कांग्रेस गवर्नमेण्ट का, क्यों नहीं खोल पाये ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप अब, माननीय सदस्य। माननीय बंशीलालजी पटवा।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट हो गये। बिराजिये आप। आप कथन पूरा कर दीजिए।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीलालजी पटवा।

आपके दल का टाइम है नहीं।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था का सवाल है। सवाई माधोपुर जिले में दो साल में 35 मीणा जाति के लोग डकैत रामस्वरूप गव द्वारा मारे गये हैं। अभी एस. पी. जो के. एल. बैरवा थे उन्होंने दबिश डालने की कोशिश की थी छह महीने के अन्दर। क्या वजह है उनको छह महीने तक वहां भेजा गया और एडिशनल एस. पी. भाटी लग रहा है जो डकैतों को डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट प्रोटेक्ट करता है। भ्रष्टाचार का नमूना तो आपके सामने यहां मौजूद है और हम पेश कर रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय बंशीलाल पटवा।

श्री मोतीलाल मीणा : जब यहां रथ-यात्रा और एकता यात्रा पर लाखों-करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और इस देश में हिन्दू-मुस्लिम में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। महोदय, मंदिर और मस्जिद टूट सकते हैं और टूट कर बन सकते हैं, इन्सान के दिल टूट गये तो कौन जोड़ेगा ? आज भारतीय जनता पार्टी ने दिलों को तोड़ने का काम किया है, भेदभाव पैदा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय बंशीलालजी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : विरोध शब्द बोलना जरूरी नहीं, विरोध में सारी बातें कह दी।

श्री बंशीलाल पटवा : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने की दृष्टि से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे पिछले वक्ताओं में से कइयों ने नीतिगत

(श्री बंशीलाल पटवा)

बातें कही। कइयों ने प्रशासन की दृष्टि से आलोचनाएं कीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 40 वर्ष तक इस राजस्थान में और देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। ढाई वर्ष पहले भैरोंसिहजी की सरकार जनता पार्टी के राज के रूप में आई और दो वर्ष भैरोंसिहजी की सरकार के यह पूरे हो रहे हैं और दो वर्ष में ऐसा लगता है जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी और दिग्विजय सिंह, जनता दल की सरकार ने मानो जैसे कोई ऊंचा-नीचा, पता नहीं क्या कर डाला। ऐसा लगता है। जनतंत्र में सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, अच्छाई भी हैं और बुराई भी है लेकिन बुराई का मिनिमाइज हो, अच्छाई अधिक पनपे, अच्छा काम अधिक हो, इस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है और जो सरकार अच्छाई की दिशा में इच्छा-शक्ति से, मन से काम करती है वही सरकार एक अच्छी सरकार होती है। लेकिन बिजली की समस्या, यह दो वर्ष में हम लोगों ने पैदा कर दी, सड़कों की समस्या दो वर्ष में हम लोगों ने या हमारी पार्टी ने पैदा कर दी ? 40 वर्ष तक राज किया है फिर भी सड़कें क्यों नहीं बनीं, पानी की समस्या क्यों नहीं हल हुई और इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक सौहार्द्र की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ राम की बात आते ही लोग चिड़ जाते हैं, एकता यात्रा की बात आते ही लोग चिड़ जाते हैं। विचार अपने-अपने हैं। अच्छे विचार होंगे तो जनता स्वीकार कर लेगी और हम से अच्छे काम नहीं होंगे तो लोग हमारी सरकार को भी बदल देंगे जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को बदला है लेकिन बिजली की बात की जाती है राजस्थान में। हमारा देश कृषि प्रधान है। 40 वर्ष में कांग्रेस का लम्बी अवधि तक राज रहने पर क्यों नहीं बिजली जनरेट की गयी, क्यों नहीं पेयजल की और किसान के लिए पानी की व्यवस्था की ? आखिर हम वर्षा के भरोसे क्यों रहे ? यह सारी चीजें यदि हम आंकलन करेंगे, साढ़े चार वर्ष का राज, भैरोंसिह शेखावत का राज और 40 वर्ष का राज कांग्रेस का, अगर इसका विश्लेषण और तुलना करेंगे तो मैं सोचता हूं यह जो कुछ आपने बोया है उसके पौधे हम सेक रहे हैं। हालात खराब किसने किये ? इसका गम्भीरता से विचार करिये। भाषण में हम कहते हैं कि राज्यपाल का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन उनके अभिभाषण का हम समर्थन नहीं करते। गुड़ तो खायेंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे। यह स्थिति आखिर में क्या है ? आलोचना करो, इससे हम लोग नहीं घबराते हैं। हमारे अन्दर कोई बुराई होगी तो हम उसका सुधार करेंगे और अच्छाई होगी तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए और आपके अन्दर भी कोई अच्छाई होगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे।

मैं यह नहीं कहता हूं कि 40 वर्ष में कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, हुआ है लेकिन जिस ढंग की व्यवस्थायें थीं, राजनीतिक दृष्टि से जो भेद बरता जाता था और उस भेद को लेकर के हैंडपम्प लगाने से लेकर, बिजली के कनेक्शन से लेकर, एनीकट और बंधे बनाने से लेकर के यह जो सारे धंधे किये जाते हैं और इसके साथ-साथ राज्य के कर्मचारी और अफसर सुनवाई नहीं करते थे, भ्रष्टाचार होते थे और मैं

(श्री बंशीलाल पटवा)

यह नहीं कहता हूं कि हम लोगों ने बंद कर दिया भ्रष्टाचार को, लेकिन मिनिमाइज कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं। यह सारी चीजें देखने की और विश्लेषण करने की है। आज बिजली का एक यूनिट हमने जनरेट नहीं किया। किसान को बिजली, पानी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं की। हमने व्यवस्थाएं की लेकिन इसके साथ समस्यायें पैदा कीं। आज आपके जितने बड़े–बड़े प्रोजेक्ट जो राजस्थान में बने हुए हैं, आप चले जाइये क्योंकि मैं अधिक उदाहरण नहीं दूंगा, आपका बीसलपुर प्रोजेक्ट है, यह जो बन रहा है, जो इसके पीछे सारी योजना और जिस ढंग से अंदाज लगाया कि इससे इतने अंक सिंचाई के मिलेंगे, लोगों को लाभ मिलेगा लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जगह–जगह आपने ऐसे बंधे व एनीकट बना दिये, केचमेण्ट एरिया में, जो कानूनी अपराध हैं और उसके कारण जो रिजल्ट आना चाहिए, ब्यावर को पानी मिलेगा, अजमेर व जयपुर तक मिलेगा, नहीं मिल पाया है।

मेजा प्रोजेक्ट भीलवाड़ा में है उसके लिए मेजा फीडर बनाई गयी मातृ कुण्डिया से पानी लाने के लिए। वह फीडर ऐसी डिफेक्टिव बनी है कि मेजा में पानी आने के बजाए उसका पानी फीडर में चला जाय।

करोड़ों रुपये उस पर लगा दे गये। इसके साथ मेजा में पानी नहीं आता है क्योंकि ऊपर आपने बंधे बना दिये कैचमेंट एरिया में और एनीकट बना दिये जो एक अपराध है। कोठारी प्रोजेक्ट को आप उठा लीजिये, कोठारी प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाइये वहां पर बंधे बना दिये कैचमेंट एरिया में जो नहीं बनने चाहिये। इस तरह के राजनैतिक अपराध इस देश में हुए हैं और राजस्थान में हुए हैं। उनके लिये कौन जिम्मेदार है ? आज इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अपना मन टटोलो। राम की बात आती है जब हम चिढ़ जाते हैं लेकिन हम बोल रहे हैं यह भी राम है। लेकिन छाती के भीतर बैठा हुआ राम है उसको टटोलो और चालीस वर्ष के राज में क्या हुआ है इसका अन्दाज लगाओ।

आज पंजाब की बात कहते हैं, सरकार कांग्रेस की बन गयी। हम भी कहते हैं बन गयी। कितने प्रतिशत वोट लिये, इसकी भी आलोचना नहीं करते। लेकिन आज पंजाब में, कश्मीर में, असम में, त्रिपुरा में और देश की और भी हिंसा की राजनीति किस तरह से लम्बी दौड़ लगा रही है उसका विचार करिये। आज पंजाब की बात हम करते हैं लेकिन पंजाब में आजादी के बाद कभी मास्टर तारासिंह आये, कभी संत फतेहसिंह आये, कभी भिण्डरवाले आये, कभी महापंजाब की बात की गई, कभी भाषावार प्रान्त की बात की गयी। इन्हीं बातों से, इन्हीं योजनाओं से, इन्हीं नीतियों से है आज पंजाब की हालत खराब। चुनाव तो हो गये, सरकार बन गयी लेकिन क्या आतंकवाद दो दिन में ही मिटा देंगे ? जब आप दो दिन में आतंकवाद वहां नहीं मिटा सकते तो दो दिन में भैरोंसिंह शेखावत की सरकार भी जादू का डंडा नहीं है जो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन पांच वर्ष के लिये चुन कर आये हैं तो जो योजनाएं हैं, गांवों के लिये आज दिन तक 60 प्रतिशत पैसा किसी ने खर्च करने का अपने बजट में नहीं

(श्री वंशीलाल पटवा)

रखा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम आलोचना करते हैं. कभी कहते हैं हम हिन्दू मुसलमान को लड़ाते हैं। राज में बैठने के बाद न हम हिन्दू हैं, न कोई और हैं। हमारा एक राज का धर्म है सभी जातियों को जोड़ कर चलना चाहते हैं और उपासना की पद्धतियां भिन्न हो सकती है लेकिन भैरोंसिंह शेखावत के राज में मुसलमान मस्जिद में जायं, इबादत करें और हिन्दू मंदिर में जायं, घड़ियाल बजायें, हमको न ईसा से नाराजगी, न हमको पैगम्बर से नाराजगी, न हमें मोहम्मद साहब से नाराजगी। जहां अच्छाई है, हम लेना चाहते हैं। गांधी में अच्छाई है तो लेना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मेरा राजनैतिक जीवन जो शुरू हुआ है, मुस्लिम क्षेत्र से शुरू हुआ है जहां 60 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की थी और 40 प्रतिशत आबादी हिन्दुओं की थी और जनसंघ को जिस समय कट्टरवादी कहते थे उस समय जीतकर आता था और कौंसिल में चैयरमैन जनसंघ की दृष्टि से था। तो मेरा यह निवेदन है कि न हिन्दू मुसलमान का सवाल है, सवाल है राजस्थान में जितने लोग रहते हैं उनकी हम खुशहाली किस तरह से ला सकते हैं। एक व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं लेकिन सब मिलकर प्रयत्न करते हैं तो मेरे खयाल से रिजल्ट भी अच्छे निकलते हैं और बड़े पैमाने पर निकलते हैं। मेरे को एक बात बताइये आप, गांधीजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और गांधीजी के सिद्धान्तों को हम मानते हैं। लेकिन गांधीजी के सिद्धान्तों को चालीस वर्षों में जिस तरह से रौंदा गया है उसका भी अन्दर बैठा हुआ है राम, उसका विचार कर लीजिये। गांधीजी ने स्वदेशी की बात की, लघु उद्योगों की बात की। गांधीजी आज जिन्दा होते तो मिल में सूत बनवाते और घरों में कपड़ा बनवाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि गांधीजी की बात किसी ने नहीं मानी। आज विदेशी कोलोबरेशन से बनी हुई चीज क्या कांग्रेस के व्यक्ति उपयोग में नहीं लाते? मैं यह नहीं कहता कि हमारे इधर के लोग नहीं लाते होंगे। लाते हैं लेकिन विदेशी कोलोबरेशन से बनी हुई चीजें कौन काम में नहीं लेता इसका विचार कर लीजिये। लीवर ब्रदर्स का साबुन कौन उपयोग नहीं करता? इसके साथ साथ सेवन ओ क्लाक पत्ती से दाढ़ी कौन नहीं बनाता? हमारे देश की चीजें काम में आनी चाहिये। लम्बी अवधि का यह इतिहास है, यह लम्बी दौड़ से हम चले आ रहे हैं। हम कम से कम सोचें, भृकुटि बांध कर मर्जी आये जैसी बात कह दें, यह मेरे खयाल से चलने वाली इस देश में नहीं है। बहुत साफ और सुथरी बात है, जिन परिस्थितियों में भैरोंसिंह शेखावत ने राज सम्भाला और वह राज सम्भालने के बाद जिस ढंग की आप लोगों ने माली हालत छोड़ी है, जिस तरह से बेरहमी से धन का दुरुपयोग किया है उसके जितने रिजल्ट्स आने चाहिये वह नहीं आये। गांव में छोटी-छोटी स्कूल जो प्राइमरी एजूकेशन सेण्टर के नाम पर सरपंचों ने एक नहीं दस खड़ी कर लीं, उसके बाद कहा यह तो नर्स के लिये कमरा, यह पी. एच. सी. के लिये कमरा, यह पटवारी के लिये कमरा, दस स्कूल सैंक्शन की हैं और स्कूल सैंक्शन करने के बाद पहले इलेक्शन में तो दीवार खड़ी कर दी, फिर दूसरा इलेक्शन आयेगा तब

(श्री बंशीलाल पटवा)

छत बनवायेंगे, फिर तीसरा इलेक्शन आयेगा तब खिड़की लगेगी, दरवाजा लगेगा।.... (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, फिर आप उत्तर दे दीजिये। यह मैं यथार्थता बता रहा हूं आपको। आपको आगे भी कहूंगा, आप लोगों ने क्या किया है जो। मैं आपको बताऊं कि इस तरह से इन्होंने बेरहमी से दुरूपयोग किया। जो सड़कें 83 में, 82 में अकाल राहत के दौरान बनीं उन पर भैरोंसिंह शेखावत की सरकार से पहले एक तगारी इन्होंने धूला नहीं डलवाया, यह स्थिति इस देश में खड़ी की है।

इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं स्कूल्स की हालत यह है कि आज भैरोंसिंह शेखावत की सरकार आने के बाद एक-एक कांस्टीट्युएंसी में कहीं कम बने होंगे, कहीं ज्यादा बने होंगे मैं यह नहीं कहता, लेकिन भवन खड़े किये गये। इसके साथ-साथ छत बनी है, दीवारें बनी हैं, फर्श बनी है, प्लास्तर हुआ है, खिड़की और दरवाजे लगे हैं। आप जाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से गांवों में लोग यह सोचते हैं कि यह भैरोंसिंह शेखावत का राज है जो यह स्कूल हमको कम्पलीट देखने को मिलती है। आज आप चले जाइये, अधूरे भवन पड़े हुए हैं। आप चालीस साल में पंचायत भवन तक गांवों में नहीं बना सके, नालियां नहीं बना सके। हैण्ड पम्प तो आपने लगा दिये लेकिन छोटी हौदी बना कर, पाइप के जरिये उस पानी को गांव के बाहर डाल सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं जहां पानी कलेक्ट हो लेकिन यह काम भी आप नहीं कर पाये। पिछले सरपंचों ने पांच साला योजना बनायी जिसमें स्वार्थ कैसे पूरा हो सकता है ऐसी योजना बनायीं। लेकिन भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में लोगों की इच्छा के अनुसार काम होंगे और कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेद बरता गया वह भेद अब बरता नहीं जायगा। एक-एक पंचायत को 60 हजार, 70 हजार रुपये जे. आर.वाई. का मिलता है उसका दुरूपयोग करना रोका है। वह अधिक काम जन इच्छा के, जन शक्ति के आधार पर, लोगों के मन के अनुसार गांव के हित के हैं वह किये जाने लगे हैं। इसके साथ-साथ आपको बताऊं, 60 प्रतिशत पैसा गांवों के हित के लिये छोड़ा। कभी गोपाल योजना की आलोचना करते हैं, कभी भागीरथ योजना की बात करते हैं, कभी एकलव्य की बात करते हैं, (व्यवधान) हुकुम फरमाइये....

श्री परसराम मदेरणा : इसका ब्रेकअप बता दीजिये। 60 प्रतिशत जो गांवों में खर्च कर रहे हैं उसका ब्रेक अप बता दीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : वह बजट आ रहा है। मुझे मालूम है....

श्री परसराम मदेरणा : बजट आ रहा है, अभी आप बता दीजिये कहां है, मुझे नहीं पता।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे यह मालूम है, आपकी आदत छेड़छाड़ करने की है। मेरे तो बुजुर्ग हो आप।

श्री परसराम मदेरणा : मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे ब्रेक अप पूछ रहा हूं। इसका ब्रेक अप बता दीजिये आप 60 प्रतिशत का। केलकुलेशन किया है ना आपने ?

श्री बंशीलाल पटवा : जरूर बता देंगे बजट के समय। मेरा यह निवेदन है कि एक यूनिट जनरेट नहीं कर सके।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कह कर कि माननीय मदेरणा साहब की आदत छेड़छाड़ करने की है, मेरे ख्याल है कि इसको आप हुज्जत कर दें तो बढ़िया रहेगा।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा एक निवेदन है कि एक यूनिट जनरेट नहीं कर सके बिजली का और हम आलोचना करते हैं, अतिरिक्त बिजली लेकर किसानों को दे रहे हैं। यह तीन बिजलीघर जो शुरू किये गये हैं, निजी क्षेत्र में जो इस तरह का लाईसेंस दिया गया है, हम लोगों ने कम से कम इसको प्रोसेस में डालकर शुरू करने की बात तो पैदा की है, आप लोगों ने क्या किया ?

इसके साथ-साथ अपना गांव अपना काम, इस योजना की भी आलोचना। लोग पैसा लगाना चाहते हैं, राज सहयोग देना चाहता उसकी भी आलोचना। 30 जिले और 30 काम की तो महिमा अलग है। गांवों में जाइये और देखिये उनकी करामत। कहीं तो इरिगेशन के काम हो रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं जिले में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। मेरे जिले में और चित्तौड़ जिले में आप चले जाइये, और भी कहीं पानी के लिये पैसे उपयोग में लाये होंगे, गांव-गांव में पाइप लाइन बिछ रही है। डायरेक्ट सोर्स से पानी की व्यवस्था की जा रही है। जहां टंकी नहीं हैं वहां टंकी बन रही है। 30 जिले और 30 काम, एक-एक जिले में 70 लाख, 80 लाख रुपया दिया गया है। फिर यह कहते हैं कि भैरोंसिहजी सरकार की 30 जिले 30 काम योजना का कोई नतीजा नहीं है। नतीजे और क्या चाहते हो। जो काम उधेड़बुन से करना चाहते थे, अब व्यवस्थित किया जा रहा है। आप लोग सेंक्शन करते थे 50 हजार रुपए। गांव में दो स्कूल के कमरे बनाने का काम शुरू कर देते थे। अब इस तरह की योजना शुरू हुई है कि यदि 50 हजार है और 50 हजार में कौन सा काम कम्पलीट हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है। खिड़की, दरवाजा लग जाये, स्कूल भवन बन जाये, उसकी डिजाइन तैयार हो जाये, न्यूप्रिंट नहीं निकले तो स्केच बन जाये, इस तरह की एक व्यवस्थित योजना शुरू की। आप लोगों ने तो पंचायत के चुनाव नहीं होने दिये। तेरह साल से आपने चुनाव नहीं कराये। उस समय आपको नहीं लगा कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब हम लोकतन्त्र से हट गये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उस समय चर्चा थी।

श्री बंशीलाल पटवा : मेहरबानी करके विराजिये। मैं आपको डिसटर्ब नहीं करता हूं। आप बैठिये। मेरी बात का जवाब जब आपकी बारी आये तब बोल लेना।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपने सरपंच हटा दिये।

श्री बंशीलाल पटवा : सुनिये, मैं कह देता हूं और डा. साहब ने जो बात कही थी, जिनकी अवधि समाप्त हो गई, आप चाहते थे एक्सटेण्ड करो। नहीं करना चाहते थे और लम्बी अवधि के आधार पर जो पंचा-

(श्री बंशीलाल पटवा)

यतें बनी हुई थीं, मुझे ठीक से याद नहीं है 52, या 55 की जनसंख्या के आधार पर, अब 81 से हम उन पंचायतों का परिसीमन करके अच्छी बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर माण्डलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत में कालियास गांव है, 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। यदि हम उनको ठीक करना चाहते हैं, लोगों की सुविधा के अनुसार पंचायत ठीक बन जाये, चुनाव हो जायें और मान लो व्यवस्था करने में थोड़ी सी देर हो जाती है, तो क्या एतराज है? इसका मतलब हम लोकतन्त्र से हट गये हैं। म्युनिसपैलिटीज और कौन्सिलस के चुनाव हैं, आपके राज में कौन्सिलस के चुनाव 13-13 वर्ष तक नहीं हुए। आक्ट्राय कम आती थी और हालत इतने खराब थे कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी बैठा रखे थे। आक्ट्राय की चोरियां होती थी, कोई काम नहीं होता था, हालात खराब थे और आज जितनी कौन्सिलस चुनकर आई, आक्ट्राय बढ़ गई। आक्ट्राय बढ़ने के बाद जो चेयरमैन, अध्यक्ष सभापति बैठे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पाइप लाइन डाल रहे हैं। गांवों के साथ-साथ शहरों का भी विकास हो रहा है। लोकतन्त्र की दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के चुनाव नहीं हुए, वह लोकतन्त्र की बात करें, यह मेरे ख्याल से अतिशयोक्तिपूर्ण और हास्यास्पद लगता है। हम लोगों ने तो चुनाव कराये। हमारी पार्टी में ही हर साल जो चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री बनता है, उसको हमारी पार्टी के एम.एल.ए. ही चुनकर बनाते हैं। पिछले 40 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली के दरबार से जो सिपहसालार नियुक्त किये जाते थे, उस तरह की स्थिति तो आप लोगों की थी और आप लोगों के मुख्यमंत्री क्या करते थे कि जैसे कोई बच्चों को चने बांटता है, उसी तरह से आप लोग प्लान्स बांटते गये और ऐसे प्लान्स बांटते गये कि हमको वोट दो उद्योग लग जायेंगे, कारखाने लग जायेंगे। वोट लेने के लिए खंभे खड़े करवा देते। चुनाव के नतीजे निकलने के बाद खंभे वापस आ जाते थे। यह आप लोगों की स्थितियां थीं। मेरे पिछले चुनाव में रामप्रसाद जी लड्ढा ने 22 गांवों में खंभे लगवाये, लेकिन उसके बाद भी वह 26 हजार से हारे और दूसरे दिन वह खंभे उठकर आ गये। यह तो आपके राज की हालत है। तो मैं नीति, अच्छाई और पिछले राज में क्या बुराई हैं, इसकी व्याख्या कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इस चुनाव के अन्दर आपने भी यही किया है।

श्री बिरधाराम चौधरी : डीग में क्या हुआ।

श्री बंशीलाल पटवा : बातें पिछले चुनाव के समय आप लोगों ने की, 40 वर्षों में जो गलतियां की, उसकी सजा यह दी कि हम उधर थे और इधर आ गये और आप इधर थे और उधर चले गये। आज दूसरे हर सैक्टर को आप ले लीजिए, हम लोगों ने एक पैसा टैक्स नहीं लगाया और उसके बाद योजनाएं शुरू कीं। माली हालत खराब है। हमारा मुख्यमंत्री लोहपुरुष है। आपके मुख्यमंत्री तो दिल्ली के दरबार में जाकर के शरणम् गच्छामि दंडवत करते थे। हमारा मुख्यमंत्री लोहपुरुष की तरह खड़ा रहता है कि राजस्थान का हिस्सा आपको देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो राजस्थान की

(श्री बंशीलाल पटवा)

जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं रहेगी। भैरोंसिंह जी ने जिस कठिन परिस्थितियों में, जर्जरित हालत में इस राज को संभाला था और जिस ढंग से वह काम कर रहे हैं, मितव्ययता के आधार पर हो सकता है कि आप जितना सोचते होंगे, उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितनी अच्छाई हम ले सकते हैं और बुराई को मिनिमाइज कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रदेश का जो शासन है, जो पहले दंगे होते थे, संवेदनशील थे, आप ज्यादा दूर मत जाओ। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, उस जिले के मुख्यमंत्री थे। दीगोद में हालत खराब थे। दंगे, झगड़े होते थे, कभी कुछ होते थे। कभी राजस्थान में, यह जयपुर का जो दंगा हुआ, इसका दुख तो हम और आप दोनों को है। लेकिन उसके बाद सीमाओं की चौकसी, जिला प्लेसेज पर कम्पीटेंट व्यवस्था गृह विभाग की ओर से भी की गई। उद्योग की दृष्टि से भी ऐसी नीतियां लागू की गई, जिससे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। गैर प्रवासी भारतीय भी सम्पर्क कर रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से हम ऐसी कम्पीटेंट व्यवस्था करना चाहते हैं कि राजस्थान में आने वाले दो वर्षों में कोई भी कस्बा और गांव अछूता न रहे। वहां पर स्कूल खुलें और कम्पीटेंट व्यवस्था हो। उनके लिए भवन बन जायें, बच्चों के बैठने की जगह हो, गुरूजनों के बैठने की भी व्यवस्था हो, यह सारी कम्पीटेंट व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। पानी की दृष्टि से आप कहते हैं कि मेरे यहां एक भी स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। हमारे यहां भी नहीं हुई। उसके बाद भी मैं नाराज नहीं हूं। इस वर्ष नहीं हुई तो अगले वर्ष हो जायेगी। काम तो मितव्ययता से धीरे-धीरे चलेगा। कटोरदान में रोटियां यदि दस हैं और बीस को खिलाना चाहते हैं, तो यह असंभव है। भैरोंसिंह जी की सरकार की जो अच्छी व्यवस्था है, सक्षम व्यवस्थाएं हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, उद्योग का क्षेत्र ले लो, चिकित्सा का क्षेत्र ले लो। चिकित्सा की दृष्टि से पहले किसी जमाने में जो बदनामी थी, लोग इस तरह से पैसे लेकर डाक्टर और थानेदार लगाते थे। मैं यह नहीं कहता कि किसी ने दलाली की होगी लेकिन आज इस राज में थानेदार हम अपनी मरजी से नहीं लगाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जिनको भेजना है, भेज दिया जाता है। आज डाक्टरों और अन्य किसी के नाम पर किस तरह से सक्षम, कम्पीटेंट व्यवस्था हो सकती है, हर सैक्टर में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे आज के इस अवसर पर अधिक निवेदन नहीं करते हुए केवल एक बात कहनी है कि जो कुछ व्यवस्थाएं हमको विरासत में मिली हैं, वह 40 साल की देन है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो दिशा-निर्देश हैं, उस दिशा-निर्देश के अनुरूप कम से कम जब बजट पेश हो उस समय आप देखिये कि क्या व्यवस्था रहती है, किस ढंग की व्यवस्था की है। इसलिए मेहरबानी करके राजस्थान में जो कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी तारीफ तो आप करो। आप भैरोंसिंह शेखावत की जो सरकार है, कभी कहते हो कि आपकी सरकार तो जाने वाली है। जनतन्त्र में चुनकर आये हैं। यह सरकार 5 साल तक राज करेगी और 5 साल से पहले नहीं जायेगी। जिस किसी को संदेह हो तो वह अपना संदेह पालता रहे।

(श्री बंशीलाल पटवा)

ख्याली पुलाव पकाता रहे । इसमें कुछ नहीं है और यह सारी स्थितियां देश की हैं । आज कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पटवा साहब पूरा कीजिए ।

श्री बंशीलाल पटवा : दिल्ली की सरकार ने आपका रेल भाड़ा बढ़ाया है । रेल भाड़ा जब बढ़ता है तो चीजे महंगी होती हैं और चीजें महंगी होती है तो गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है । तो इसलिए केन्द्र की सरकार जो कुछ भी दे रही है, यह हमारा हक है । इसके लिए आप जोइण्ट रेसपोंसिबिलिटी से लड़ने की बात सोचिये । हम यह जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है । सरकार और हम तो लड़ते ही हैं, लेकिन अच्छाई में आप भी भागीदार बनो । केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा । कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ।

पहले के राज में कथनी और करनी में फर्क था आज हमारे राज में कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर इस राज को चला रहे हैं और यह राज पूरे पांच साल तक चलेगा । जो कुछ मैंने अपनी बात कही इसको लम्बा नहीं करते हुये माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उस अभिभाषण का भी स्वागत करता हूं और मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ में हम जो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं वह सब कुछ मंगल होगा, अच्छा होगा । इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलियों की तरफ से 50 मिनट आपने बचा कर रखे हैं और +++ हमने नाम दिये हुये हैं, हमारे साथी सब के सब तंग आकर चले जाते हैं ।....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये रामकरण सिंह जी साहब । सुनिये, हेतराम जी के बाद आपको बुलवाया जा रहा है ।

श्री रामकरण सिंह : इसलिये उन्हीं मुद्दों पर मैं सदन का आज बहिष्कार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी के बाद आपको बुलवाया जा रहा है । माननीय रामकरण सिंहजी, आपको बुलवाया जा रहा है ।....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था करवायें ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : जो आरोप लगाये गये हैं उनको एक्सपंज किया जाये ।

+++अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के खिलाफ आरोप लगाया है उसे एक्सपंज कर दिया जाये। आप आरोप शब्द को तो वापस लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कहना चाहता हूं, आसन पर कभी किसी माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार के गम्भीर आरोप नहीं लगाये जाते हैं। मैं, मतलब माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिये खेद प्रकट करें। आसन से सर्वोच्च....

श्री रामकरण सिंह : माननीय सदस्य जो टोंक से आने वाले हैं, इतना ही होश नहीं है कि हमें अपने हिसाब से चाहे कोई भी हो, न्याय की बात तो कहनी पड़ेगी। यह मोटापे से काम नहीं चलता। समझे। यहां बीच-बीच में आप खड़े हो जाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय रामकरणजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान में सर्वोच्च इससे बड़ा कोई वह नहीं है....

श्री रामकरण सिंह : कोई अन्याय है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंहजी, बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या आरोप लगायेंगे। आपने अपनी फोटो देखी है कभी।

श्री रामकरण सिंह : कोई जरूरत नहीं है। मैं फोटो नहीं, मैं सबूत चाहता हूं। सबूत चाहिये तो मैं रख दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आपने क्या-क्या किये हैं जो बताऊं। आसन पर इस प्रकार आरोप लगाते हैं। खेद प्रकट करना चाहिये इन्हें। यह सारा सदन इस आसन के प्रति यदि आदर नहीं रखेगा तो मैं समझता हूं क्या हो ? कोई परम्परा है, कोई मर्यादाएं हैं उनका पालन करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरणजी, यह महावीरजी कह रहे हैं, बात तो सही है।

श्री रामकरण सिंह : वाकई मैंने जो कुछ कहा है, सच्चाई है और सच्चाई को आप इन्कार करते हो तो आप मुझे संकेत दीजिये, आदेश दीजिये कि मुझे क्या करना है। क्या मैं मेरी सच्चाई नहीं कहूं और पक्षपात, जो पक्षपात कर रहे हो उसकी बात ही नहीं कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण जी, आसन पर जो आरोप शब्द लगाया गया है उसके लिये आपको खेद व्यक्त करना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसे खेत और खलिहान पर जिस प्रकार से यह करते हैं....

श्री रामकरण सिंह : यह क्या मतलब हुआ। कई माननीय सदस्य बैठे हैं, 50 मिनट है उनमें से एक नहीं देना चाहते; 50 मिनट दिये हैं, यूं के यूं रखे बैठे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना शब्द वापस लें, कार्यवाही नहीं चलेगी आज।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन यह है कि आसन की.... (व्यवधान)....सुनिये। मेरा यह निवेदन है कि आसन की ओर से जो व्यवस्था दी जाती है उसके बारे में हाउस का कोई भी मैम्बर डिफरेण्ट राय नहीं रख सकता। तो ऐसी स्थिति में, मैं वैसे रामकरण सिंहजी का बड़ा आदर करता हूं और वह मेरे बुजुर्ग हैं लेकिन जिस ढंग की बात की है और समय और व्यवस्था जो बंटी हुई हैं, तो उन्होंने जो बात कही है तो वह मेरे ख्याल से मेरा निवेदन है कि वह वापस लें या एक्सपंज किया जाये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक्सपंज तो हो गया ना।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आते हैं दलों से और यह अपनी ताकत पर सब दलों को पीट कर आते हैं और हम त्रिपक्ष, यह पक्ष और वह निष्पक्ष, विपक्षों को महत्व ज्यादा ही दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी, जो आरोप शब्द था वह आसन के खिलाफ लगाने के बारे में सदन के दो माननीय सदस्यों ने माननीय रामकरण सिंह जी से यह निवेदन किया है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : और व्यवस्था का प्रश्न यह है....

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाजिब....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पाइंट आफ आर्डर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आसन की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो बहस चल रही है उसमें दलों के आधार पर समय निर्धारण किया है। मैं और यह सदन जानना चाहता है कि जो समय निर्धारण किया है उसमें किस-किस दल ने कितना-कितना समय कन्ज्यूम किया है। ताकि किसी के मन में कोई भ्रांति हो तो वह दूर हो सकती है। रामकरणजी को जो आपत्ति है, हो सकता है उन्होंने कन्ज्यूम कर लिया हो उनके दल ने, निर्दलियों ने। तो इसलिये आप स्पष्ट करें कि किस-किस दल को कितना-कितना समय दिया गया है, वह आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सही है कि निर्दलियों के 50 मिनट अभी शेष हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : निर्दलियों को आपने एक मिनट भी आसन की तरफ से अभी तक नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दे रहे हैं अभी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तो निश्चित तौर से जब यह बात है तो उनके मन में क्यों नहीं बात आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब, मेरे से पूछ कर गये है मैंने कहा हेतरामजी के बाद आपके बोलने का नम्बर है। अभी-अभी बताया है, थोड़ी देर पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय नत्थीसिंहजी और डाक्टर चन्द्रभानजी दोनों बोल चुके हैं। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आपका पूरा समय है अभी। कुछ मिनट भी है लेकिन आप अपना समय पूरा लेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जब आपने यह व्यवस्था दे दी है कि इसके बाद रामकरण सिंहजी बोलने वाले हैं। तो अब तो उनको अपने शब्द वापस ले लेने चाहिये।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है कि इन शब्दों को एक्सपंज कर दिये गये हैं तो फिर....

श्री उपाध्यक्ष : हां, उस शब्द को एक्स-पंज कर दिया है।

श्री हरिसिंह : शेष क्या रह जाता है अब इस पर। आसन की तरफ से निर्णय हो चुका है, आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आप एक और स्पष्ट करें कि निर्दलियों का जो 50 मिनट का समय था और आपने बिल्कुल भी नहीं दिया तो अब आप एक मिनट बोनस का और दें, 51 मिनट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मिल जायेगा। माननीय हेतरामजी, बोलें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय हेत-रामजी के लिये कितना समय निर्धारित है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां फरमाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने यह कहा कि निर्दलियों के 50 मिनट बाकी हैं, 50 मिनट शेष हैं और निर्दलीय कोई बोले नहीं। जबकि दो निर्दलीय माननीय सदस्य बोल चुके हैं। नत्थीसिंहजी और डाक्टर चन्द्रभान बोल चुके हैं। निर्दलियों का समय पूरा हो चुका हैं।

श्री नत्थीसिंह : आप तो डिफेक्टर दलीय हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन से दल में हो ?

श्री नत्थीसिंह : हम जनता दल में है, आपके पेरेण्ट है. हम जनता दलीय आपके पेरेण्ट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असली जनता दल में हो कि नकली जनता दल में हो। "प" में हो, "स" में हो या "द" में हो।

श्री नत्थीसिंह : आपके पेरेण्ट, जो +++ होकर भाग गये।

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया जाय पहले। माननीय हेतरामजी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हेतरामजी के लिये कितना समय निर्धारित है।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन की कार्यवाही एक घण्टे बढ़ाने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से क्या सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये बढ़ायी जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये बढ़ायी जाती है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर
अग्रेतर वाद विवाद

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण हमारे समक्ष पढ़ा है उसमें मुझे कुछ कहना है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के साथियों ने इसका समर्थन किया है, माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव को रखा, अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव को। मैं बड़ी बारीकी से बात सुन रहा हूं कि यह सारी की सारी इस पूरे हाउस को इस रूप में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जो उन्होंने काम किया इस पिछले डेढ़ साल में तो बहुत कुछ अच्छा हुआ और 40 साल में हुआ वह सारा का सारा सत्यानाश हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह डाक्यूमेण्ट कोई कामों का ब्यौरा नहीं है। यह डाक्यूमेण्ट किसी भी सरकार की नीति का द्योतक है कि वह सरकार किस तरह के काम चलायेगी और किस तरह का काम किया। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आपकी सेवा में। माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं इस राजस्थान के 40 लाख मजदूरों के लिए, जो औद्योगिक मजदूर ही नहीं पत्थर के मजदूर, ईंटों के मजदूर, सारे प्रदेश के 40 लाख मजदूरों के बारे में इस पूरे डाक्यूमेण्ट में एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या आप मानेंगे कि कोई भी प्रदेश आज के समय में, आज के युग में बिना मजदूरों की खुशहाली के और बिना मजदूरों के सहयोग के उस स्थिति में पहुंच सकती है कि वह तरक्की करे ? आपने जो डाक्यूमेण्ट दिया है उसमें एक बात लिखी है मजदूरों के बारे में कि ऐसी व्यवस्था की है राजस्थान सरकार ने कि उससे उद्योगपति आकर्षित हों। यानि यह मजदूरों के बारे में लिखा है, आपने कि आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हो राजस्थान में, जिससे मजदूर काबू में रहें, उद्योगपति आकर्षित हों। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले एक साल में आपने यह दिखा दिया कि मजदूरों के बारे में आप यही राय रखते हैं। अनिल स्टील, जे. के. टायर, जे. के. सिन्थेटिक्स, जे. सी. टी., सब जगह यूनियन के नोटिस देते ही उसको 12(2)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के तहत, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत रेफर कर दिया और दूसरे ही दिन हड़ताल को बेन कर दिया। हड़ताल बेन करते ही मामला यहां तक बढ़ा कि आपने राजस्थान पत्रिका के मालिक को राजी करने के लिए उस राजस्थान पत्रिका कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन, जो यूनियन का रजिस्ट्रेशन है उसकी सुविधा भी नहीं दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कार्य करेंगे, मेहनत करने वालों के लिए कार्य करेंगे, आदिवासियों के लिए कार्य करेंगे। उनको संगठन बनाने की जो बुनियादी सुविधा हमारे विधान में मिली हुई है, उसको छीनने का आदेश भी आपके श्रम विभाग ने दिया। श्रम आयुक्त ने स्वयं बुलाकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की धमकी दी, रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मजदूरों के प्रति रवैया है, इस बात से जाहिर होता है कि आज तक राजस्थान की विधान सभा में इतना समय बीत गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाये। आज राज्य मंत्री हैं। केबिनेट के नम्बर दो मंत्री हमेशा श्रम मंत्री रहे हैं। राजस्थान सरकार की छवि बनाने के लिए इस विभाग की कितना आवश्यकता है। आपने इसको महसूस नहीं किया।

दूसरी बात, बहुत बड़ी बात कैलाश मेघवाल ने रखी। यह तो मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री इस मामले में बड़े कलाकार हैं। उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की। उनके साथी एक ही बात की रट लगाते रहे थे। उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की। एक बात निवेदन कर दूं कि क्या आदिवासियों का कल्याण एकलव्य बनाने से, दो को नौकरियां देने से, आदिवासियों के अन्दर चार आदमी पुलिस में भर्ती करने से हो जायेगा। आदिवासियों का बुनियादी कल्याण इस बात से होगा कि जो जमीन बड़े–बड़े साहूकारों ने उनसे छीन ली, उनको वापस दिलायी जाये यदि हिम्मत है तो। यदि यह सरकार आदिवासियों के हक में बोलने की, आदिवासियों के पक्ष में कुछ करने की हिम्मत करे और इस तरह के नियम बनाये कि जिन साहूकारों ने आदिवासियों की जमीन छीन ली, कर्ज देकर, मामूली कर्जा दिया, लिख दिया कुछ और सारी भूमि पर कब्जा बेनामी रूप से कर रखा है। क्या आपकी हिम्मत है ? मैं नहीं कहता, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं क्या आप हिम्मत कर सकते हैं कि जिस जमीन पर आदिवासी काबिज हैं, उस जमीन का राजस्थान सरकार उस आदिवासी को पट्टा देगी। उसका मालिकाना हक उसको दे देगी, क्या हिम्मत कर सकती है ? जमीन नहीं दी, रोजगार नहीं दे, उसको एकलव्य बना देंगे, अंगूठा काट करके दस्तख्त करो। याने यह तो निश्चित तौर पर वही है जो कांग्रेस के साथियों ने चालीस साल इन आदिवासियों के साथ किया है कि ऐसी योजनाओं को बनाओ कि एक बार वोट में बेवकूफ बन जाये। क्या वास्तव में राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी है ? मैं निवेदन करूं आपसे कि राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। कौन से किसानों की ? जिसके पास पांच बीघा, 10 बीघा जमीन है, जो खुद का करता है, क्या उसकी हिमायती है ?

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में अध्ययन

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर। क्या कोई ग्राफिसर लाबी में बैठकर पुस्तक पढ़ सकता है ? एक ग्राफिसर को हम देख रहे है निरन्तर पुस्तक पढ़े जा रहा है। यह ग्रापत्तिजनक है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इन्ट्रेस्टिंग है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : व्यवस्था का प्रश्न है, निर्णय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राफिसर लाबी में या सदन में कोई पुस्तक या ग्रखबार नहीं पढ़ सकता है। पुस्तक ग्रौर ग्रखबार पढ़ना मना है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर ग्रग्रेत्तर वाद विवाद

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो केन्द्र ने सब्सिडी समाप्त की ग्रौर किसानों को 170 रुपए बोरी से खाद मिलनी शुरू हुई राजस्थान की सरकार ने इशारा किया था हमको पिछले बजट के समय, पिछले सत्र के समय कि हम उनको राहत देंगे। क्या एक पैसे की भी राहत किसी किसान को दी है। एक बोरी भी खाद पुरानी कीमत पर मिली है ? क्या कहते हैं छोटे किसानों की मदद करेंगे ? छोटे किसानों की मदद करने के लिए जो बीज सप्लाई किया है उसका नमूना दिखाना चाहता हूं। गंगानगर जिले के किसानों से बीज लिया गेहूं का 370 रुपये, उसको वापस किसानों को दिया 8 सौ रुपए, यह किसानों के हितैषी हैं ? दो सौ रुपए केन्द्र सरकार ने गेहूं के बीज पर ग्रनुदान राशि दी थी वह ग्रनुदान राशि भी राजस्थान की सरकार हड़प कर गयी। उस किसान तक नहीं पहुंची। दिल्ली से ग्रायी वह भी नहीं दी, बीच में हड़प गये। मैंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा हम इसकी जांच कर रहे हैं। किसकी जांच कर रहे हैं ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पूरे प्रदेश में जो किसान हैं उसकी दो श्रेणियां हैं। एक वह किसान है जिसके पास जमीन है, जागीरदार है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रगर यही करना है ...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कर दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं संक्षेप में ही कर रहा हूं, मैं दोनों का समय ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट क्या 10 मिनट बोनस के दे रहे हैं ग्रापको। जल्दी करिये ग्राप।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार का पहला नमूना है किसान के पक्ष का। एक ही बात थी सरकार ने सीलिंग कानून लागू किया है। बड़े–बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर गरीबों में बांटने का। इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं। इन्होंने बड़े-बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर गरीबों में बांटने का। इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं। इन्होंने बड़े-बड़े लोगों से जमीन नहीं छीनी लेकिन ग्रापने तो सारे मुकदमें वापस ले लिये। ताज्जुब की बात है राज– की सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कैसेज चलते थे, राजस्थान की हाई कोर्ट

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ने यह तय कर दिया कि जमीन गरीबों में बांट दी जाये, उनको अलाट हो चुकी, उन्होंने कीमतें भर दी और आपकी सरकार ने आते ही उनके सारे मुकदमें वापस ले लिये। गंगानगर में एक लाख की कीमत है एक बीघा की। आपने लोगों को सौ-सौ बीघा जमीन दे दी। किस कीमत पर दे दी? आपका यह किसान प्रेम है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने, अभी चिकित्सा मंत्री यहां पर नहीं है, मैंने पहले निवेदन किया, चिट्ठी लिखी कि आपकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में छिन्न-भिन्न हो रही है। कोई डाक्टर गांवों में नहीं जाता है, जो जांच करने जाते हैं उनका क्या हाल है पता है? मेरे इलाके में ज्वाइंट डायरेक्टर है, मैंने उनको चिट्ठी लिखी। 26 नवम्बर को वह गये डाक्टरों की जांच करने के लिए, सांगरिया हास्पिटल में रात को 10 बजे डाक्टरों के साथ बैठकर शराब पी, सारे शहर में हंगामा हुआ, उस ज्वाइंट डायरेक्टर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद, शिकायतें करने के बाद वह अब डाइरेक्टर बन गया। जिसको हमने कहा–शराब पीता है, जांच नहीं करता है, लोगों से पैसे लेता है, बंधी लेता है, उसको डायरेक्टर बना दिया। मेरे पास एक चिट्ठी है, घड़साना से आयी है। एक गरीब ने लिखी है। उसकी पत्नी लकवे से पीड़ित थी, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। घड़साना के डा. गौड़ हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी के आपरेशन के लिए रायसिंह नगर से डाक्टर आयेगा। रायसिंह नगर से डाक्टर बुलाया, उसका आपरेशन हुआ, उसकी पत्नी मर गयी। वह हरिजन था। प्रेमनाथ नाम का हरिजन था। आपने कह रखा है हम हरिजनों को मुफ्त दवाई देंगे। उसकी लाश तब उठी घड़साना के अस्पताल से, जब उससे दो हजार रुपए आपरेशन की फीस दे दी गई। यह आपकी व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रीजी ने बहुत भाषण दिये हैं, वह इस मामले में माहिर हैं। एक निवेदन कर दूं, वह कहीं सुन रहे होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई यह समझता है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : उनको जितना समय है उतना दिया जा चुका है। 10 मिनिट ज्यादा दे दिये हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बोल रहे हैं तो मैं दो मिनिट में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं दे सकते। इसकी समय सीमा निश्चित है। पांच की जगह 15 मिनिट दे दिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 25 दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे दे दें। सम्भव नहीं है।

(5.00 सायं)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप किसके हितैषी हैं, आपकी सरकार किसकी हितैषी है, मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास इस बात के सबूत हैं। राजाओं की जमीन, जयपुर, में अमरूदों के बाग में, 50 बीघा जमीन थी, उसको पूरी की पूरी रेग्युलराइज कर दिया। अभी उदयपुर के अन्दर 3 लाख मीटर जमीन थी जयसमन्द झील के बीच

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वहां हमने इन्क्वायरी की कि कलक्टर ने एक सिल्वर शेडो एक्सपोर्ट्स है, उसको वह अलाट की है डेढ़ लाख रुपये में। उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ करोड़ रुपए की जमीन डेढ़ लाख रुपये में अलाट कर दी। किसने करवायी ? यह फाइलें कहां जाती हैं, कहां से सैंक्शन होती है। कोई बताने वाला है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे केसेज हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जिनकी फाइलें यहां अटकी हुई हैं। हमने नीचे से उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई। हनुमानगढ़ में एक सरावगी एक्स. ई. एन. हैं उनकी इन्क्वायरी हो गई, जांच हो गई, यह तय हो गया कि चालान होगा, ऊपर फाइल अटक गई। एक जितेन्द्र ए. सी.टी.ओ. है। 15 हजार रुपये लेते हुए रेड हेण्डेड पकड़े गये। एक महोना हो गया, नीचे से सब कुछ कार्यवाही हो गई, ऊपर फाइल अटक गई। कुरानी की फाइल ऊपर अटक गई। जैन जिन्होंने सीमेंट का घोटाला किया, फाइल ऊपर अटक गई। आप कैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हैं। भ्रष्टाचार नीचे नहीं है. भ्रष्टाचार कहीं न कहीं ऊपर अटका हुआ है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह पक्ष बैठा है यह समझते हैं सरकार अपने आप गिर जायेगी। मैं इस तरह के बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई भी गवर्नर, कोई भी महा महिम राज्यपाल चाहे वह कितना ही महा महिम हो, वह बड़ा सुन्दर है, बोले बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बोले वह तो ठीक बोले बाकी खराब बोले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि किसी भी गवर्नर को यह पावर दी जाये कि वह किसी चुनी हुई सरकार को डिसमिस कर दे। मैं डिसमिस करने के हक में नहीं हूं जैसा यह सोचते हैं कि सरकार अपने आप गिर जायेगी। निश्चित तौर से राजस्थान में समस्यायें हैं, राजस्थान में मुश्किलें हैं और जो मेघवाल जी ने कहा है अगर राजस्थान की सरकार कुछ करना चाहती है तो राज असत्य बोलने से नहीं चलता, आप यह समझते हैं कि असत्य बोलकर, लोगों को पत्ते दिखा कर एक ड्रामा करके राज चलाया जाये। सिर्फ एक मिसाल है हिन्दुस्तान में वह है वैस्ट बंगाल की। चारों बार हमने बंगाल में चुनाव जीते बिना असत्य बोले। यह जो असत्य बोल रहे हैं यह जानते हैं कि असत्य बोलेंगे तो इधर आयेंगे क्योंकि इनको पुराना अनुभव है कि राजस्थान की जनता को ख्वाब दिखाकर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर सरकार को चाहिये कि इस प्रदेश के गरीबों को इस प्रदेश के मेहनत करने वालों को, इस प्रदेश के अन्दर उन लोगों को जो जो आदिवासी हैं उनके लिये बुनियादी तौर पर मैदान में खड़े हों। मेरे एक साथी जितेन्द्र सिंह जी बोले थे। वह कहते थे अलाटमेंट का इसमें नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरा कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अलाटमेंट का इसमें नाम नहीं है। मैं आज तैयार हूं अगर इसमें अलाटमेंट का नाम हो। इसमें यह है कि जागीरदारों की जो जमीनें थीं उनमें कोई फर्जी आंकड़े लायेगा उसको अलाट करेंगे। यह और तमाशा लिखा है। यह तो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तब गुल खिलेगा जब पता चलेगा। यह वो देवी सिंह जी का झगड़ा चल रहा है, वह क्या है। देवी सिंह जी का यही झगड़ा है। देवी सिंह जी की हजारों बीघा जमीन इस तरह की जो रिकार्ड में नहीं है, करवाना चाहते हैं, मुख्य मंत्री जी अटके हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर आप राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता में छवि बनाना चाहते हैं तो उस तरह का प्रोग्राम रखिये तो मैं उनके साथ हूं, अन्यथा मैं मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने निर्दलियों का टाइम रिजर्व रखते हुए मुझे समय दिया तो मुझे हाउस के नेता की वह बात याद आई कि जब वह कहीं जाते और आम सभा करते उस समय कहा करते थे कि इस राजस्थान का कोई धनी धोरी नहीं है। इसलिये आज मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे निर्दलियों का कोई धनी धोरी नहीं है....(व्यवधान)....इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हुआ यह कहना चाहूंगा कि कम से कम इस विधान सभा में उनके लिये चाहे वह शून्यकाल हो, चाहे दूसरे भाषणों में जो भी चर्चा आये, उनको रियायत दिया करें। हम भी जनता की बात लेकर यहां आये हैं और उन्होंने बड़ी उम्मीदें की हैं कि हम किसी पार्टी से न जीतकर हम निर्दलीय जीते हैं हमें तो आपको तरजीह देनी चाहिये, यह मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सनाढ्य साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण में शुरू में ला एण्ड आर्डर की बात आई है। जितने खुले दिल से, जिन शब्दों में, जिस ढंग से कहा गया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं बता सकता हूं कि आज पुलिस का महकमा नीचे से ऊपर तक किस तरह की कार्यवाही कर रहा है। अलवर जिले के मेरे पास 7 केस हैं, भरतपुर के तीन केस हैं, सवाई माधोपुर के 13 केस हैं। जयपुर जिले के करीब 17 केस हैं। इसी तरह से बीकानेर साइड के भी हैं जिनमें आप आश्चर्य करेंगे। इन वकीलों को और जजों को किसी प्रकार से कोई रिश्वत देने न जायें इसलिये यह पुलिस से बातचीत करके पुलिस के दलाल पहुंच जाते हैं और यह कहते हैं कि 90 दिन तक हम चालान नहीं करेंगे, तुम्हारी जमानत हो जायेगी और केस कमजोर हो जायेगा। पब्लिक को लूटा जाता है और इसके लिये गृह मंत्री जी अगर चाहें तो मैं नाम व्यक्तिगत दे सकता हूं उन अधिकारियों के जिन्होंने इस तरह के काण्ड किये हैं। यही नहीं मान्यवर, अलवर का एक मर्डर केस है। उसमें एक महीना तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वह एस. पी. के साथ बैठकर चाय पीता है, डी. वाई. एस. पी. के साथ बैठकर चाय पीता है। उसके बाद वह केस सी. आई. डी. में आया। सी.आई.डी. से यहां से वापिस गया। वापिस जाने के बाद आज तक उसका चालान नहीं हुआ। यही नहीं इसके बराबर सात केस और हैं।

जयपुर जिले का मैं आपको बताऊं। एक केस जिसमें एक आदमी बनवारी लाल भूतपूर्व सरपंच उसने डाका दिया, 14 हजार

(श्री रामकरण सिंह)

रुपये का डाका दिया। एक मुसलमान लड़का, एक कुम्हार लड़का और एक राजपूत लड़का, तीनों को कोठड़ी में बन्द किया और कोठड़ी में बन्द करके उनसे कहा कि जब तक 14 हजार रुपये नहीं लाओगे और मुझे नहीं दोगे, तब तक नहीं छोड़ूंगा। अन्त में मजबूर होकर एक चाय वाले को उन्होंने बुलाया। घर से 14 हजार रुपये मंगवाये और दिये गये। स्थानीय पुलिस का वाकया बिल्कुल सही पाया। डी. वाई. एस. पी. ने सही पाया, एस.पी. साहब ने सही पाया और डी.आई.जी. ने सही पाया। आश्चर्य की बात है आपके इस पुलिस महकमें की और वह फाइल सी.आई.डी. में गई। सी. आई. डी में जाने से क्या होता है डी.आई.जी. का आदेश, डी.आई.जी. की जांच, एस. पी. की जांच को एक मामूली इन्सपेक्टर इसमें फाइनल दे देता है। आश्चर्य की बात है। यह क्या रवैया है। फिर आप पुलिस में शांति करना चाहते हैं। यह नहीं मैं आपको यहां का केस गूजर छात्रावास का बताऊं। उस केस में मैं पहले भी बजट सैशन में बोल चुका हूं और अब मैं कहना चाहता हूं आप ताज्जुब करेंगे कि +++ नाम का एक एडीशनल एस.पी. है वह माफिया गैंग को साथ लेकर करोड़ों रुपये कमा रहा है मगर सरकार की आखें बन्द हैं, उसके साथ धर्मेन्द्र के लड़के, मुझे माफ करेंगे मेरे साथी....

जो बजरंग दल का अध्यक्ष है उसके लड़के और एक जंवाई, तीन व्यक्ति.... (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : पैसे पहुंच जाते तो मर्डर नहीं करवाते। गूजर छोरा मरवा दिया आपने।

श्री रामकरण सिंह : माफिया गैंग के लोगों को....

श्री राजपाल सिंह शेखावत : गूजर छात्रावास की जगह रामकरणसिंह जी गुर्जर वहां पर खुद मकान बनवाना चाहते थे।

श्री रामकरण सिंह : हां, रामकरण का मकान तो अब भी बना हुआ है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आप वहां भी बनवाना चाहते थे।

श्री रामकरण सिंह : रामकरण इन मकानों के लिए नहीं....

श्री राजपाल सिंह शेखावत : गूजर छोरा मरवा दिया बेचारा।

श्री रामकरण सिंह : हां, मरवा दिया गूजर छोरा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : +++ करो आप थोड़ी बहुत तो (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : गूजर दिलवाला होता है, गूजरों में हिम्मत है। तुम्हारे जैसे केवल माइक पर बोलते हैं। दो मिनट दो गूजरों के छोरों के सोटे नहीं खा सकते आप। क्या गूजरों की होड़ करोगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण जी। माननीय राजपाल सिंह जी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को सम्बोधित कीजिए । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पाइण्ट आफ आर्डर पहले मेरा है ।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट इज योर पाइण्ट आफ आर्डर ? प्लीज, वन मिनट ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सदन की परम्परा और गरिमा के अनुकूल है कि इतने गम्भीर मसले के ऊपर माननीय सदस्य जो बनी पार्क क्षेत्र से आते हैं, माननीय सदस्य के ऊपर इस तरह से चार्ज लगा रहे हैं । डिबेट में इन्होंने भी हिस्सा लिया था, इनको सुनना चाहिए । आप इनको निर्देश दीजिए ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर मसला यह था । यह चार्ज का प्रश्न नहीं है, सवाल इस बात का है....

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे । मुख्य मंत्रीजी कल रिप्लाई देंगे ना इसका ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चार्ज का नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : जिस तरह से चार्ज आप लगाये जा रहे हैं.... (व्यवधान) रात के 12 बजे किसी मकान के ऊपर सौदेबाजी होती हो और गूजर छात्रावास ने जिस जमीन पर कब्जा कर लिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां इस मामले की जांच नहीं हो रही है ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : गूजर छात्रावास पर मीटिंग लेकर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल जी, यहां मामले की जांच नहीं हो रही है ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : हां मामले की जांच नहीं हो रही है मगर इस मुद्दे को भ्रष्टाचार से जोड़ना....

श्री उपाध्यक्ष : इतनी गम्भीरता से उन्होंने कहा भी नहीं है ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : उसको सरकार के भ्रष्टाचार से नहीं, किन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों से जोड़ना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजपाल सिंह जी । माननीय रामकरण सिंह जी ।

डा. चन्द्रभान : जो इस मुकदमे में मुलजिम हैं वे माननीय सदस्य के मित्र हैं, असलियत यह है । उनको बचाने की आप नाकाम कोशिश कर रहे हैं । उनको सजा मिलनी चाहिए । आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए इनको । किसकी जमीन है किसकी नहीं है, यह फैसला कोर्ट करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : इस केस के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी । माननीय रामकरण सिंह जी, अपना भाषण चालू रखिये ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को सही दर्द हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर सम्बोधित कीजिए आप।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सदस्य को सही दर्द हुआ है, क्योंकि उस +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी, यह स्पष्ट आरोप ऐसे नहीं। आप इसको एक्सपंज कर दीजिए। इसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उस समय जो माफिया गैंग है उस माफिया गैंग को बचाने के लिए यहां के कुछ मन्त्रियों ने अपने चैम्बर में रखा, कुछ विधायकों ने उनको सहयोग दिया।

डा. चन्द्रभान : मानसरोवर में किसने उद्घाटन किया था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रभान : मन्दिर के नाम पर जमीन पर कब्जा करके उद्घाटन किया था।

श्री रामकरण सिंह : +++ जो एडिशनल एस. पी. हैं उन्होंने तीन बजे दूसरे थाने में उनमें से किसी लड़के को बुलाकर एफ.आई.आर. तैयार करवायी और वहां के जो हथियार थे, बन्दूकें थीं, जिनसे गोलियां चलीं और 35 लड़के घायल हुए, उन हथियारों को अपनी जीप में रखकर उनको तितर-बितर किया। यही नहीं, अगर कोई माननीय सदस्य में हिम्मत है तो वह कहे कि धर्मेन्द्र के लड़के उस केस में नहीं हैं। माफिया के गैंग में एक भले आदमी का मकान, आई.ए.एस. अफसर है, उसके मकान को किराये लेकर उसको निकाल दिया। वह किराये के मकान में रह रहा है। और ये धर्मेन्द्र जी, जिनको हमारे बजरंग दल जैसे पवित्र दल में कलंकित करने के लिए कुछ लोगों ने अध्यक्ष बनाकर बैठा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : रामकरण सिंह जी, पूरा करिये अपना भाषण, 15 मिनट हो गये। और लोग भी हैं।

श्री रामकरण सिंह : मेरे तो 50 मिनट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलियों ने अपना अलग-अलग समय मांग रखा है। तीन माननीय सदस्य और हैं।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सदस्यों ने 50 मिनट मुझे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तीन मैम्बर और हैं, उनको भी टाइम देना पड़ेगा।

श्री अमृत परमार : उसमें हमारा भी हिस्सा है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसर अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : वे खड़े हुए हैं अमृत परमार।

श्री रामकरण सिंह : हां, आपका कितना है, काट लो। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं उस +++ ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी आर्य। आप पूरा कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : क्रास केस किया, क्रास केस बनाया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप पूरा कीजिए। माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह अन्याय है, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलियों को समय दिया उसके पहले तीन आदमी बी.जे.पी. के बोल चुके। हमारा एक आदमी बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नम्बर हरि सिंह जी का आ रहा है। एक ही नाम है मेरे पास, उनका आ रहा हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आज तो हमारे दो आदमी बोले हैं, टाइम देखिये आप हमारा।

श्री उपाध्यक्ष : संख्या के हिसाब से जो भी बुलाया जाता है, वे बोले हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : समय देखिये, कांग्रेस का समय देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो समय का वितरण किया गया है उसके अनुसार माननीय सदस्यों को बुलाया गया है, सब ठीक क्रम से बुलाया गया है। आपके पास 25 मिनट हैं खाली। (व्यवधान) आज की तारीख में अभी दे रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सचेतक जी, इनके बाद हरि सिंह जी का नम्बर आ रहा है। एक ही मैम्बर हैं, उनका आ रहा है नम्बर। (व्यवधान) जो कुछ भी बोले हैं, माननीय सचेतक महोदय, बिल्कुल क्रम से बुलाया जा रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : उस एडिशनल एस. पी. ने जो केस बनाया....

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्यों को बिल्कुल क्रमवार और बिल्कुल ठीक टाइम पर बुलाया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं इस क्रम के बारे में अपना स्ट्रांग प्रोटेस्ट जाहिर करता हूं। मेरा प्रोटेस्ट यह है कि मेरा सीधा आरोप है इस बात का कि बी.जे.पी. के मुख्य सचेतक महोदय इस लिस्ट को बनाते हैं। इसको हम एप्रूव नहीं

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करते हैं। मेरा आसन से निवेदन है कि भविष्य में कल से डिबेट के लिए जो भी लिस्ट तैयार की जाएगी वह आसन के द्वारा तैयार की जाएगी न कि बी.जे.पी. के सचेतक द्वारा तैयार की जाएगी। वह बिलकुल गलत परम्परा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : यह आरोप गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह लिस्ट तैयार की जाती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निर्दलियों का समय यूं ही व्यर्थ में गिना रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम देते हैं और माननीय अध्यक्ष जी सुबह 11 बजे से पहले....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनिये पहले। अपनी व्यवस्था देने से पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कल से, आप जिस प्रकार की सूची आती है, साथ में बैठकर कहां उसका क्रम आये, वह तय कर दीजिए। हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है, कल से बैठूंगा, लेकिन पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अब बात खत्म हो गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां बात खत्म हो गयी ? क्या बात खत्म हो गयी ? कैसे बात खत्म हो गयी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यही चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यही चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : चाहते क्या हैं, आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, कल प्रथम बार पूनमचन्द जी विश्नोई साहब को बुलाया। आज बी.डी. कल्ला साहब को बुलाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कायदा है वह तो। आपको जानकारी शायद नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो फिर आप क्यों गिना रहे हैं इसको ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके क्रम में कहां कमी आयी ? आपके जो रामस्वरूप जी थे उनको सारे क्रम तोड़कर पहले बुलाया गया है यहां पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या आसन ने वह अहसान कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बुलाया है यहां पर। आसन की मंशा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन ने कोई अहसान कर दिया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक जी, आसन की कुछ व्यवस्था तो मानोगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : बात कहिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बात सुनना नहीं चाहते। आज विपक्ष के नेता को बोलना था, वे नहीं बोले उस क्रम के अनुसार। दूसरा श्री बुलाकीदास जी का नम्बर था, वे बोले। आज आपने जो समय का आवंटन किया है वह मय सरकारी उत्तर के आपने समय का आवंटन किया है। मेरा अब आप से निवेदन है कि लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं, पार्लियामैण्टरी डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्पराओं को निभाएं। आपके बंशीलालजी पटवा बोले, उसके बाद रामकरण सिंह जी बोले। आपने बनाया कैसा क्रम है ? यह तो बड़ा अन्यायपूर्ण क्रम बनाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सचेतक जी, नाम पुकार लिया गया है। उसके बाद हरि सिंह जी का नाम है, 10 मिनट के बाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बुलवाइये। आसन जो करेगा....

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट के बाद हरि सिंह जी का नाम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन जो करना चाहेगा उसको हम रोक नहीं सकते। अगर आसन का यही रवैया रहा तो हम वाद-विवाद में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, हमको सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल से यह व्यवस्था कर दी गयी है, आप साथ बैठकर नाम तय कर लीजिए। हमेशा के लिए तय कर दीजिए आप, यह सदन चले तब तक।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल। यह होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का तो एतराज ही नहीं होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन आप अपनी पार्टी के तीन–तीन आदमियों को बुला लेते हैं और कांग्रेस के एक आदमी को बुलवाना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस के तीन बोल चुके हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमारी ओर से बी. डी. कल्ला बोले हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बात कर रहे हैं 5.20 का समय होने वाला है और हमारी पार्टी के सिर्फ दो मेम्बर ही बोले हैं। जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है। इस प्रकार के भेद-भाव की आसन से अपेक्षा नहीं है। आसन इस प्रकार का भेदभाव करेगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन कभी भी भेद-भाव नहीं करेगा और भविष्य में आप बैठकर तैयार कर लीजिए। श्री हीरालाल जी आर्य।....(व्यवधान).... आपका कथन पूरा कीजिए।....आपका पूरा होगा।

श्री रामकरण सिंह : देखिए, मैं तो माननीय सदस्य का टाइम ले रहा हूं। मुझे

(श्री रामकरणसिंह)

माननीय श्री भंवरसिंहजी ने और श्री अरुणसिंह जी ने अपना टाइम दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : 50 मिनट के समय में श्री अमृत परमार का नाम भी है।

श्री रामकरणसिंह : नहीं, तो उनका टाइम काट लीजिए। बाकी सबने मुझे टाइम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह जी साहब आप बिराजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री रामकरणसिंह : कोई बात सुनने को तो आप तैयार हों। अगर आप आदेश देंगे तो मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिए। माननीय श्री रामकरणसिंह जी सहयोग कीजिए।

श्री रामकरणसिंह : मेरा अनुरोध भी आसन नहीं सुनना चाहता है, मेरा आग्रह भी नहीं सुनना चाहता है क्या? आप बाद में आदेश देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या है?

श्री रामकरणसिंह : आसन से मेरा यह निवेदन है कि श्री भंवरसिंह जी ने मुझे अपना टाइम दे दिया, हमारे श्री अरुणसिंह जी ने टाइम दे दिया, श्री हजारीजी ने टाइम दे दिया और जितने लोग थे....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा आसन के पास कोई नोटिस नहीं है। ऐसा कोई नोटिस नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : श्री कन्हैयालालजी ने टाइम दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या 50 मिनट का समय आपको दे देंगे?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब निर्दलीय सदस्य बोल रहे हैं, अगर वह सरकार के खिलाफ कोई कड़वी बात बोलते हैं तो आसन को समय की कटौती कर सरकार के खिलाफ जो बात कह रहे हैं उनको बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृत परमार का नाम भी है।

श्री रामकरणसिंह : हां, तो उनको भी टाइम दीजिए। मैं कब कहता हूं कि मत दीजिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सदस्य जो यहां पर उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं पर माननीय सदस्य चाहे जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह जी आप बिराजिए। मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय श्री हीरालालजी आर्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 मिनट का समय इण्डिपेंडेंट्स के लिए है। उस 50 मिनट में 3 माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आप इनको बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आसन के पास ऐसा नोटिस है? हमारे पास कोई लिखित में ऐसा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीन सदस्य यह कह रहे हैं कि आप इनको बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सब कह देंगे तो क्या ? 50 मिनट इनको दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, सभी मैम्बर बराबर हैं। दूसरे मैम्बर जब यह कह रहे हैं कि इन्हें बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : लिस्टेड है, श्री अमृत-परमार का नाम भी है। माननीय मदेरणा साहब कृपया सहयोग कीजिए। आप सदन के वयोवृद्ध सदस्य हैं।

श्री रामकरणसिंह : माननीय श्री अरुणसिंहजी खड़े होकर यह कह रहे हैं फिर लिखकर क्या देंगे जब खड़े होकर यह कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण-सिंह जी आप विराजिए। अब यह चर्चा नहीं हो सकती।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ा कहां है। मान लीजिए दूसरे सदस्य और कोई बोलने वाले इनमें नहीं हैं तो आधा आधा बांट दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : 20–25 मिनट सब बोले हैं। 15 मिनट आप बोल चुके हैं इससे ज्यादा क्या टाइम मिलेगा ?

श्री यदुनाथसिंह : आप इनको बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सहयोग देवें।

श्री यदुनाथसिंह : इन दोनों में आधा-आधा बांट दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर निर्दलीय सदस्य श्री अरुणसिंहजी और दूसरे माननीय सदस्य उनको बोलने का मौका देते हैं.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : जितना वाद-विवाद होगा उतने ही माननीय सदस्य कम बोल सकेंगे।

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बी. जे. पी. वालों की बड़ाई करूंगा बुराई नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ना, जरुरत नहीं है आप और किसी मौके पर कर लीजिएगा। अब आप विराजिए।

श्री रामकरणसिंह : नहीं, नहीं अब मैं इनकी बड़ाई करूंगा, अब बुराई नहीं करुंगा। आप मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : You have compleed your business.

श्री रामकरण सिंह : अगर इस तरह से शासन ही हमारे हितों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप 5 मिनट में पूरा कर दीजिए।

श्री रामकरणसिंह : अब मैं इस प्रोटेस्ट में मेरा भाषण, निर्दलीय विधायकों के लिए जो टाइम मुझे दिया गया है उसके लिए वाक-आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री रामकरणसिंह एवं श्री अरुणसिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट तो प्रस्तावना में लगते हैं और अपनी बात कहते नहीं हैं। जाइए आप। माननीय श्री हीरालालजी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक साधन सम्पन्न तथा पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान को प्रकृति ने बहुत साधन सम्पन्न किया है। इसका विस्तृत भू-भाग, अन्नपूर्णा धरती, व्यापक खनिज सम्पदा, यहां के लोगों को कठिन मेहनत करने की क्षमता, उन्नत पशुधन, प्राकृतिक विविद विभिन्नताएं और जो मनमोहक हस्त कलाएं हैं वह हमारे विकास का आधार स्तम्भ है लेकिन इतना विपुल और व्यापक साधन सम्पन्न होते हुए भी कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण से राजस्थान प्रदेश पिछड़ा हुआ रहा। यही कारण है कि राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, विद्युत की दृष्टि से देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में नीचे से तीसरे या चौथे स्थान पर है। यह कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण नीतियां थी जिनकी वजह से राजस्थान आज इतना पिछड़ा हुआ रहा है।

यह बात सही है कि देश की संस्कृति और इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण स्थान रहा है और माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ऐसे गौरवपूर्ण प्रान्त में आने पर गौरव का अनुभव किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियां इस प्रकार की रही कि उसने यहां की संस्कृति, यहां के वीरांगनाओं की गौरवपूर्ण गाथाओं को कभी भी महिमा मंडित नहीं किया है। जब हम देश के दूसरे प्रान्तों का दौरा करते हैं तो उस समय देखने में आता है कि वहां पर प्रान्त और प्रदेश के वीरों, महापुरुषों की प्रतिमाएं प्रान्त के प्रमुख शहरों में, प्रमुख-प्रमुख चौराहों पर लगी हुई देखते हैं उस प्रकार से राजस्थान में ऐसी नहीं दिखाई देती हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के जिन महापुरुषों ने, वीरों और वीरांगनाओं ने इतिहास को गौरवता प्रदान की है—जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पन्ना धाय, मीरा बाई, अमरसिंह राठौड़, वीर दुर्गादास आदि की प्रतिमाएं प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्रमुख-प्रमुख चौराहों पर स्थापित की जानी चाहिए ताकि हम महापुरुषों के प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले दो सालों से हम देख रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है, कानून और व्यवस्था की स्थिति में आशातीत प्रगति हुई है। व्यापक रूप से तस्करी का माल बरामद किया गया है, उस पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध लगा है। हमारे प्रान्त से अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ती हैं, उन सीमाओं पर चौकसी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना है। कांग्रेस के लोग पिछले 40-45 सालों से साम्प्रदायिकता के बीज बो कर दुष्प्रचार करते रहे, जहर फैलाते रहे और उसके आधार पर सत्ता में बैठते रहे लेकिन साम्प्रदायिक सौहार्दता का वातावरण जो राजस्थान में बना है। माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा से राजस्थान में जिस

(श्री हीरालाल आर्य)

प्रकार का सौहार्दतापूर्ण साम्प्रदायिक वातावरण बना वह स्वागत योग्य है । उस वातावरण से कांग्रेस के लोगों की पोल खुल गई और एक प्रकार से जो उनका भ्रम था वह दूर हुआ है । (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पोल खुली है ?(व्यवधान)....

श्री हीरालाल आर्य : साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया और जिसके आधार पर यहां पर राज करते आये....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह आप साम्प्रदायिकता की उपलब्धि चाहते हैं ? (व्यवधान) उस साम्प्रदायिकता के शस्त्र को विध्वंस किया है, आपके भ्रम को तोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) क्या आपकी एकता यात्रा थी ? अगर श्री नरसिंह राव नहीं, होते तो रास्ते से ही वापस आते । रास्ते में बिखर जाते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कितने और मरवाओगे ?

श्री हीरालाल आर्य : साम्प्रदायिकता के शस्त्र को विध्वंस किया है, तोड़ा है । इससे आपकी पोल खुल गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है । राजस्थान में यद्यपि हमेशा सूखा पड़ता है और यहां सिचाई के व्यापक साधन नहीं हैं और यहां खेती करना कितना कठिन है । लेकिन राजस्थान सरकार ने जल ग्रहण विकास निदेशालय तथा तिलम् संघ का गठन करके यहां की जो शुष्क खेती है उसको भी जल ग्रहण करके यहां की खेती को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाने का जो प्रयास किया है वह स्वागत योग्य है । यही कारण है कि तिलहन की दृष्टि से आज राजस्थान का देश में नाम है । तिलहन उत्पादन की दृष्टि से जो इस साल 28 लाख टन का उत्पादन हुआ है उससे एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि को उन्नत करने की दृष्टि से 300 करोड़ की योजना जो स्वीडन सरकार के सहयोग से लागू की जा रही है उससे और भी इस देश की जो वास्तविकता है, उससे किसानों को उन्नत लाभ होगा, उससे किसानों की जो जमीन है उसको ठीक किया जा सकेगा, पशुपालन को उन्नत किया जाएगा । जो जल ग्रहण की दिक्कत है, शुष्क क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती वहां जल ग्रहण होगा, जमीन की उर्बरा शक्ति बढ़ेगी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास होगा । उस योजना से यहीं नहीं जो कृषि उपज मण्डी के क्षेत्र हैं किसानों को विपणन करने पर उनकी सही कीमत नहीं मिलती है वह सड़कें भी उस योजना के तहत बनाई जाएगी इससे निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का भला होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समितियों में पहले जब किसान माल एक

(श्री हीरालाल आर्य)

स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था तो एक जगह की बजाए जहां जहां कृषि उपज मण्डियां आती थी वहां वहां पर टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब राजस्थान सरकार ने यह निर्णय करके कि एक ही बिन्दु पर जहां टैक्स चुका दिया जाता है तो बार बार उसे दूसरे स्थान पर चुकाने की आवश्यकता नहीं है उससे जिले का धन गांवों में सड़क बनाने के काम आएगा । और उससे किसानों का माल दूसरी जगह बेचा जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में जो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराए हैं । इसके अलावा मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव हुए हैं और जो उपभोक्ता भण्डार हैं उनके चुनाव हुए हैं । जिला स्तर के, प्रान्तीय स्तर के चुनाव भी शीघ्र ही होंगे इससे सहकारिता के क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है । यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में जो 26 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता था इस बार 96 करोड़ रुपए का जो फसली ऋण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया गया है उससे सहकारी संस्थाओं के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ा है और उससे किसानों को लाभ मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो तिलहन है और सोयाबीन और सरसों का जो उत्पादन हुआ है, किसानों को जो सहकारी के माध्यम से, राजफैड के माध्यम से, नाफेड के माध्यम से, और सहकारी समितियों के माध्यम से जो उनकी उपज है इस साल क्योंकि सरसों की रिकार्ड फसल राजस्थान में हुई है और तिलहन की दृष्टि से राजस्थान ने देश में एक नाम किया है उसको खरीदने की सहकारी समितियों और इनकी विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था की है उससे निश्चित रूप से किसानों का लाभ होगा । इस बार जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की और जो विभिन्न प्रकार की जीन्स खरीदी जाएगी उससे किसानों को लाभ मिलेगा । राज्य सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय की यह देन है कि उनके कुशल प्रशासन, चातुर्यपूर्ण व्यवहार और उनका जो प्रशासन का लम्बा अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने योजनाओं का जो आकार बढ़ाया है और पिछले तीन साल में निरन्तर हर साल योजना का जो आकार बढ़ता जा रहा है, तीन सालों में 96 करोड़ रुपए की योजना में बढ़ोतरी हुई है वह वास्तव में स्वागत योग्य है उससे राजस्थान की स्थिति बहुत उन्नत होगी । साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि पहले राजस्थान में शहरों का विकास होता था गांव और किसानों की ओर किसी ने देखा नहीं था लेकिन राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि बजट का 60 प्रतिशत भाग केवल गांवों और गरीब के विकास के लिए खर्च किया जाएगा । उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को यह निर्देशित किया है कि अपनी योजनाएं इस प्रकार की बनाएं जिससे गांव के लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो । किसानों का अधिक से अधिक भला हो, गरीबों का अधिक से अधिक भला हो । यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय खुल रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में बिजली जा रही है । ग्रामीण क्षेत्र में कुएं

(श्री हीरालाल आर्य)

खुदवाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विभिन्न प्रकार के आयामों का विकास हो रहा है। यह स्वागत योग्य है।

केन्द्रीय सरकार गांवों के विकास का आंकलन करती है बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस साल बीस सूत्री कार्यक्रम का जो आंकलन हुआ है उसमें राजस्थान का स्थान प्रथम रहा है। यह राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसी प्रकार से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से 131 करोड़ के कम्पेरीजन में 170 करोड़ रुपए का जो व्यय कर 506 मानव दिवस सृजित करके लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है इससे भी गांवों में विकास हुआ है। इन्दिरा विकास योजना के माध्यम से 41 हजार आवास निर्माण किए हैं जिससे गरीब लोगों को और राहत मिली है। अन्त्योदय योजना का पुनर्गठन करके उनका चयन करके जिस प्रकार का प्रयास किया गया है। उसके माध्यम से 70 हजार व्यक्तियों को लाभन्वित किए जाने का जो प्रावधान है उससे गांवों को और किसानों को लाभ मिला है।

किसानों को विद्युत की बड़ी आवश्यकता है। किसान को कुएं में खेती के लिए बिजली चाहिए। उद्योगपतियों को अपने उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए। लेकिन बिजली की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय की कुशलता की वजह से जिस प्रकार के बिजली के और उत्पादन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कोटा थर्मल पावर की जो परियोजनाएं हैं उसमें 40 पर्सेंट की बजाए 63 पर्सेंट का उत्पादन किया है। और 210 मेगावाट की विद्युत योजना और बनाई जा रही है जिससे राजस्थान में बिजली की कमी दूर होगी। इस प्रकार से बरसिंहसर और सूरतगढ़ की जो योजनाएं हैं और धौलपुर की योजना के लिए और विभिन्न प्रकार की सौर ऊर्जा के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से राजस्थान में जो आज बिजली की कमी है और हमको बिजली के लिए दूसरे प्रान्तों की तरफ आज देखना पड़ता है आने वाले कुछ समय में राजस्थान आत्मनिर्भर होगा और उससे राजस्थान की बहबूदी का मार्ग प्रशस्त होगा।

गांव के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो इसकी बड़ी आवश्यकता है। राज्य सरकार ने गांव के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कराने के लिए इस साल जो नए जिला और सत्र न्यायालय खोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिए। और भी तो बहुत बोलने वाले हैं।

श्री हीरालाल आर्य : तथा 28 मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की है, 6 विशेष न्यायालय खोले हैं तथा 18 न्यायालयों को क्रमोन्नत किया है जिससे गांव वालों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होगा। यह एक बहुत बड़ी गांव वालों को राहत मिली है। यहीं नहीं विभिन्न प्रकार के विभागों में इस प्रकार के कानून बने हुए थे और उससे कई प्रकार की विसंगतियां पैदा हो रही थी जिसके लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक विधि

(श्री हीरालाल आर्य)

आयोग की स्थापना की है। जो कानूनों में आने वाली विसंगतियां थी उसके माध्यम से वह विसंगतियां दूर की जाएंगी।

मैं इस बात को मानता हूं कि राजस्थान में विकास की दृष्टि से कई क्षेत्रों में विकास हुआ है लेकिन राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में उन्नति की है, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति की है, उद्योग के क्षेत्र में उन्नति की है लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में आज भी उनकी दशा बहुत खराब है। यदि उनके नाम पर आज तक करोड़ों रुपया खर्च किया गया है लेकिन उनकी हालत शिक्षा की दृष्टि से, उनकी हालत आर्थिक दृष्टि से, उनकी हालत सामाजिक स्तर की दृष्टि से बहुत दयनीय है और पिछड़े हुए हैं और उनकी देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वोट बैंक के माध्यम से केवल उनका लाभ उठाया और उन्होंने कभी सच्चे मन से यह नहीं चाहा कि उस वर्ग का उत्थान हो। लेकिन मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है, शिक्षा की दृष्टि से और अधिक छात्रावास खोलने की आवश्यकता है। छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है और प्रमोशन्स में अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बैंक लाग का कोटा खाली पड़ा है। कई प्रकार के छोटे छोटे आरोप लगा कर उनको प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है। उनके साथ दुष्टता का व्यवहार किया जा रहा है और इस बात को लेकर अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों में बड़ा रोष है यह मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारों में जो विभिन्न प्रकार के नियम आये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। उनकी सामाजिक व आर्थिक दशा का विकास करना बहुत आवश्यक है.... (व्यवधान) यह आपने ही तो दिया है, यह आपकी बदौलत था। हमारे सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत विकास होने लगा है। अम्बेड़कर प्रशिक्षण केन्द्र और आदिवासियों के लिए एकलव्य योजना....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपके साथ तो ज्यादा हो गया होगा।

श्री हीरालाल आर्य : आदिवासियों में प्रशिक्षित लोग मिलते नहीं थे। आज आदिवासियों के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना खोलकर उनके प्रशिक्षण की सरकार ने व्यवस्था की है। यह एक बहुत बड़ी बात है। छात्रावासों को जो बहुत कम राशि मिलती थी, छात्रवासों की इसमें वृद्धि की है। मैं चाहता हूं और अधिक उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करके जो यहां भाषण दिया है निश्चित रूप से, और उसमें जो रीति नीति सरकार की दर्शाई है उससे मुझे विश्वास है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा और इस सरकार के हाथों में राजस्थान की जनता का विकास और भाग्य सुरक्षित है। माननीय राज्यपाल महोदय ने

(श्री हीरालाल आर्य)

कृपा पूर्वक यह अभिभाषण दिया उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद में मैं अपने आपको शरीक करूं इससे पहले मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर दना चाह रहा हूं कि अबकी बार मुझे सौभाग्य मिला है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने का । लेकिन ऐसा लचर, तथ्यहीन डाक्यूमेंट आज तक देखने को नहीं मिला ।.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं । एक कहावत है : "छोरी तेरी छाछ तू कूकरी को डाल" उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में हमेशा परम्परागत रूप से यह देखने को मिलता है कि वर्तमान सत्र में सरकार की क्या उपलब्धि रही है और आने वाले समय में सरकार की क्या कार्य करने की योजना है उसका मामूली सा इशारा होता है विकास के काम करने की तरफ । और इसमें ढेर सारी बातें कही गयी है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो बी. जे. पी. और उसके सहयोगी दल पहला चुनाव जीत कर आये थे वह तो मसला था राम मन्दिर और बाबरी मस्जिद का और आंधी में उड़ते उड़ते ऐसे भाई जो पान की दुकानों पर भी बैठे थे विधान सभा में आ बैठे । कहीं तो दिलबहादुर जीते और कौर कहीं कोई जीता लेकिन परीक्षा की घड़ी आई बाई इलेक्शन में, इसे मैं परीक्षा की घड़ी इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान के श्री रामदास अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने यह कहा था कि राजस्थान में जो चार विधान सभा के बाई–इलेक्शन हो रहे हैं वह बाई इलेक्शन हम हमारी उपलब्धियों के आधार पर लड़ेंगे । हम जनता को बतायेंगे कि भैरोंसिंह जी की सरकार ने जनता में कितने विकास के काम किये हैं यही आधार बनाकर के हम चुनाव लड़ेंगे इस डाक्यूमेण्ट में जो भी तथ्यपूर्ण, बेबुनियाद बातें हैं वह जनता ने बाई–इलेक्शन्स में साबित कर दी । अब शेष क्या रह गया है । बामनवास में उपाध्यक्ष महोदय मैं भी था । हेलीकाप्टर आसमान में उड़ रहा था और आंठ जगह भैरोंसिंहजी ने हेलीकाप्टर उतारा और जगह जगह यह कहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी जयपुर और जयपुर में स्थित विधान सभा का रास्ता नहीं जानता । उस दिन भैरोंसिंह जी की एक बात भी बामनवास के मतदाताओं ने नहीं सुनी और ढाई सौ जीपों पर जो अमला फिर रहा था उसकी परवाह नहीं की और कांग्रेस के हाथ में अपना हाथ मजबूती से डाल करके विधान सभा में हीरालाल को लाकर बैठा दिया । यह आपकी सरकार का जीता जागता....(व्यवधान)

उनकी जगह यहीं है बैठने की । इससे ज्यादा दुर्गति उपाध्यक्ष महोदय, डीग में हुई । आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में सत्ता पक्ष जब बाई इलेक्शन्स लड़ते हैं । तो ऐसा 40 वर्ष में कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की जमानत जब्त

(श्री हरिसिंह)

हो जाये और आप कहने को कह देंगे कि कांग्रेस भी हार गयी लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस वहां हारी नहीं वहां जीती। कांग्रेस ने आठ हजार वोट का सुधार किया पिछले चुनाव के वनस्पत तो वच्युअली हम राजस्थान में तीन जगह चुनाव जीते। अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भीलवाड़ा की बात कर रहे थे और भीलवाड़ा में भी हम शानदार विजय लेकर आये हैं और पिछली बार जहां हमारा उम्मीदवार पांच सौ से नीचे वोट से जीता था अब हम दो हजार वोट से जीतकर आये हैं। और भैरोंसिंहजी का यह दावा था कि मैं राजस्थान में अपने विकास के कामों के आधार पर वाई इलेक्शन लड़ रहा हूं, राजस्थान की जनता ने नकार दिया इसका मतलब यह हुआ कि भैरोंसिंह जी के राज्य में राजस्थान में ग्रामीण विकास के नाम पर, शहरी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जनता ने फैसला कर दिया, आप चाहें इन डाक्यूमेन्ट्स में कुछ भी लिखते रहें। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनेक भाई यहां बिराजमान हैं वह अपने हृदय से यह महसूस कर रहे हैं, कि हमारा राज्य कैसा चल रहा है। अकेले में मिलते हैं तो बड़ी सच्ची–सच्ची बात कह देते हैं लेकिन यहां इनको सरकार की चापलूसी करनी है। लेकिन एक बात बता दूं मेरे भाइयों अगर इस चापलूसी के बलबूते पर विधान सभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जाओगे तो जनता आपको जवाब देगी, वापस लौटकर नहीं आओगे। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी यह अनुरोध कर देना चाहता हूं कि चुगल, चापलूस और चवेना तीनों ही मुंह लगे खतरनाक होते हैं। जबकि उनके पीछे तो 80 का अमला चापलूसों का पीछे पड़ गया यह उनको सही स्थिति को नहीं देखने देगा। यह गुमराह कर रहे हैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को। कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत विकास हो रहा है। मैं आपसे और अनुरोध करूं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एकता यात्रा निकाली थी। माननीय मुरली मनोहरजी जोशी ने। कश्मीर में एकता यात्रा ले गये। कश्मीर में प्राब्लम है, दो दिन पहले प्राब्लम पंजाब में नहीं थी पंजाब में उग्रवाद नहीं था, आसाम में नहीं था। उनकी एकता यात्रा न आसाम जाय न पंजाब रुके वह कश्मीर जायेगी। क्योंकि उनके अन्तः स्थल में....(व्यवधान)

और राजस्थान में होकर जब एकता यात्रा गयी तो जिस अमले का उपयोग किया गया (व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की शुद्धि चाहता हूं कि कश्मीर अल्पसंख्यकों का है या कश्मीर भारत का है। कृपया यह सुधार करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने यह बोला ही नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : पंजाब में क्या हुआ, कितने एम. एल. ए. जीते, कितने एस. पी. जीते पता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री अमृत परमार : आप कश्मीर के टुकड़े करना चाहते हो। आप राष्ट्र को

(श्री अमृत परमार)

खण्डित करना चाहते हो । आपकी हिम्मत नहीं है काश्मीर में जाने की । आप काश्मीर को तोड़ना चाहते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । परमार साहब बिराजिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मूंछ वाले होकर असत्य मत बोलो ।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि जो दो मंत्री थे वो कश्मीर यात्रा में जाने के बहाने से इस्तीफा देकर गये । मुझे तो ये पता नहीं लेकिन लोग कह रहे हैं, प्रेस कह रहा है मीडिया कह रहा है । आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भैरोंसिंह जी ने इस्तीफा मांगा था लेकिन अपनी + + +बात अगर वे कह रहे हैं कि वे कश्मीर में रथ यात्रा में गये थे । मैं उनसे पूछता हूं कि वे कहां तक पहुंचे थे ? धन्यवाद दो भारत के प्रधान मंत्री को कि जिन्होंने तत्काल आपको विमान उपलब्ध करवा कर और वहां लाल चौक में आपके हाथ से झण्डारोहण करवाया । आप कहते हैं, हम एकता यात्रा के विरोध में हैं ? अगर विरोध में होते तो आप लाल चौक में झण्डा गाड़ते ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, ये बोलते बोलते कहां जा रहे हैं ? क्या इनका स्पष्ट संकेत है कि कश्मीर भारत का नहीं है । राष्ट्रीय झण्डा कश्मीर में फहराया जाना चाहिये कि नहीं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इससे देश का गौरव बढ़ा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकमकांत जी, बिराजिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त : कश्मीर उग्रवादियों का है या भारत का है ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां, कश्मीर भारत का है ।

श्री टीकमचंद कांत : भारत का है तो भारत का झण्डा क्यों नहीं फहराया जा सकता ?

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब, माननीय परमार साहब, माननीय कांत साहब बिराजिये । इनका पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई नहीं है, उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर है क्या ? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : इन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा है ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, कोई इशारा नहीं किया है। क्या इशारा किया है ? वे सबकी तरफ कर रहे हैं। बिराजिये श्राप। किसी एक की तरफ नहीं कर रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार्ज लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चार्ज लगाया है इन्होंने कोई चार्ज नहीं लगाया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि भैरोंसिंह जी ने मेरे से इस्तीफा लिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसा शब्द कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की भाषा नहीं बोली बल्कि इन्होंने यह कहा था कि इस्तीफे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि आपसे इस्तीफा मांगा। ऐसी बात नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और आप जैसे लोग उस भावना को नहीं समझ सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी, चालू रखिये।

श्री हरिसिंह : मैं मुख्य मंत्रीजी से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं। लाल चौक में उग्रवादियों ने पाकिस्तान का....

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी केबिनेट इस्तीफा देकर जाती। दोनों से इस्तीफा क्यों दिलाया ? एकता यात्रा तो बी.जे.पी. की थी।

श्री उपाध्यक्ष : वो तो इनके सोचने की बात है। That is a international matter.

श्री हीरालाल इन्दोरा : एकता यात्रा तो पूरी बी.जे.पी. की थी ना, फिर इन दोनों से ही इस्तीफा क्यों दिलाया ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय हरिसिंह जी....(व्यधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय हरिसिंह जी, आप विरोध क्यों करते हो, आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाल चौक में झण्डा फहराने का लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया गया था कि वहां पर पाकिस्तानी समर्थक लोगों ने पाकिस्तानी झण्डे फहरा दिये थे। लेकिन खालिस्तान में भी खालिस्तानी समर्थक लोगों ने झण्डे फहरा दिये थे। इस तथ्य को भी जानते थे माननीय मुरली मनोहर जोशी ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपकी शह से फहराये। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । +++ शब्द को एक्सपंज किया जावे । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : गंगानगर राजस्थान से अलग नहीं हो सकता । आपकी योजना सफल नहीं होगी । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुझे डर है कि सामने वाले बड़े जोर से बोल रहे हैं । कहीं मानसिक विकार हो जाये, स्वास्थ्य का ध्यान रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एकता यात्रा का विरोध करने वाले एकता नहीं चाहते, वे जनता का भला नहीं चाहते । (व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : जिन लोगों ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने के लिए सारा खेल खेला, जिन लोगों ने लाल डेंगो के साथ देश को तोड़ने वाला समझौता किया (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ....उग्रवादियों को प्रोटेक्शन देने वाले, एल.टी.टी.ई. को प्रोटेक्शन देने वाले राष्ट्र द्रोही हैं.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री मदन लाल सैनी : ....कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गंगानगर के बारे में जो चर्चा की है, उसको एक्सपंज करवा दिया जावे ।

श्री हरिसिंह : क्यों मैंने क्या कहा है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, राजस्थान को खंडित करने वाली बातें कहीं है, उसको डिलीट करवाया जावे । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह राजस्थान को खण्डित करने वाली बात है (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : ये राजस्थान को खण्डित करवाना चाहते हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चुल्लू भर पानी में डूब मरो । बोलने की घटना ही नहीं है । फिर किसलिए बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी, अपने भाषण को पूरा कीजिये । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आज गंगानगर में जो हालत पैदा हो गये हैं कि गंगानगर में खालिस्तानी झण्डे फहरा दिये गये । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिये कि जो हाउस में चर्चा हुई है, निश्चित रूप से गंगानगर के अन्दर ठेस पहुंचायेगी (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : ....ये पाकिस्तानी की भाषा में भाषण बोल रहे हैं । पाकि-

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री मदनलाल सैनी)

स्तान के एजेंटों की ऐसी भाषा हो सकती है। जो देश प्रेमी होंगे उनकी भाषा इस प्रकार की नहीं हो सकती। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सामने से जो भाषा आ रही है वो भाषा पाकिस्तान की भाषा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब फरमाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : ....कि गंगानगर में सिखों की आबादी, पंजाबियों की आबादी जिस तरह से हिन्दुओं के साथ मिलकर रहती है, हमने अपनी समस्याओं के लिए जिस तरह से एक होकर के, अभी-आपने देखा होगा, कि गंगानगर से पानी की मांग के लिए भी सिखों की तादाद हिन्दुओं से ज्यादा थी। इस तरह से हमारी एकता दुःख-सुख में, तकलीफों में, और राजस्थान के विकास में एक साथ मिलकर हम चलते हैं। किसी पागलपन में कुछ लोगों ने झण्डे लहरा दिये, इसको इस्तेमाल करके हम हाउस में इस तरह की बात करें.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य, कल आपने इस्तेमाल किया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे उस इलाके के लोगों को ठेस पहुंचेगी...(व्यवधान)....हमारी जिस तरह से एकता है वहां की जनता में यह बिल्कुल गलत तरीका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली है। आप भी अपनी गलती महसूस कीजिये। (व्यवधान) माननीय केदारनाथ जी बोल रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय हेतराम जी ने 24 तारीख को क्या कहा था ?

श्री हेतराम बेनीवाल : वो तो पंजाब से आये लोगों के लिए कहा है। हमने उन लोगों के लिए कहा है जो पंजाब से आये शरारती हैं। वे पंजाब खास करके गंगानगर जिले में आये हैं। यह बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय केदार नाथ जी।

श्री परसादी लाल मीणा : जैसी हेतराम जी ने बात कही थी, वैसी हमारे माननीय सदस्य ने कोई बात कही थी। आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये (व्यवधान)

श्री केदार नाथ शर्मा : बिराजिये। इन शब्दों से हमारे इलाके का जो नेशनल करेक्टर है उस पर रिफलेक्ट करेगी।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार जब तक बोले, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे ?

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय हरिसिंह जी जब तक बोले, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे....

Page No. 177

177

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय प्रोफेसर केदार जब तक बोलें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय हरि सिंह जी बोले जब तक....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : प्रोफेसर केदार जब तक बोले, तब तक समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री पूनम चंद विश्नोई : पाइंट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : श्री हरिसिंह जी बोले तब तक बढ़ाओ।

श्री पूनम चंद विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए आज सायं 6.02 बजे स्थगित की गई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

नव क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक	व्याख्याता विषय/ रिक्त	व. अध्यापक विषय/ रिक्त	अध्यापक विषय/रिक्त
1.	राबासीउमावि, कपासन		इतिहास 1 ना.शा. 1	शा.शि. 1	—
2.	रासीउमावि, छोटी सादड़ी		हिन्दी 1 अंग्रेजी 1 ऐच्छिक वि. 3	— —	— —
3.	रासीउमावि, कनेरा	1	हिन्दी 2 अर्थशास्त्र 1	व.अ. 1 शा.शि. 1	— — — —
4.	रामावि, बेगू	1	— —	— —	— —
5.	रामावि, उमण्ड	1	— —	अंग्रेजी 1 गणित 1 सा.मा./वि. 1	शा.शि. 1
6.	रामावि, केली	1	— —	अंग्रेजी 1 गणित 1 सामा/वि. 1	शा.शि. 1
7.	रामावि, खोडीप	1	— —	अंग्रेजी 1 गणित 1 सामा/वि. 1	शा.शि. 1
8.	रामावि बरसी, (गंगरार)	1	— —	अंग्रेजी 1 गणित 1 सामा/वि. 1	शा.शि. 1

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 61

(स्थगित)

वर्ष 1991–92 हेतु राज्य को गेहूं का आवण्टन

62. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार से राजस्थान को वर्ष 1991–92 में कितना गेहूं आवंटित किया गया ? माहवार आवंटित गेहूं का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार ने आवंटित गेहूं को निर्धारित समय अवधि में उठा लिया ?

(3) वर्ष 1991–92 में प्रत्येक जिले को कितना-कितना गेहूं आवण्टित किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त गेहू आवंटन का निवेदन किया है ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अतिरिक्त गेहूं का कोटा दिया है ? यदि हां, तो कितना तथा कब ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार से राजस्थान को वर्ष 1991–92 में जितना गेहूं आवंटित हुआ, उसका माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आवंटित गेहूं में से कुछ मात्रा भारतीय खाद्य निगम डिपोज पर गेहूं का पर्याप्त स्टॉक न होने और खाद्य निगम गोदामों पर मजदूरों की हड़ताल आदि के कारण नहीं उठाई जा सकी।

(3) वर्ष 1991–92 में प्रत्येक जिले को जितना-जितना गेहूं का आवंटन किया गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(4) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अतिरिक्त गेहूं के आवंटन हेतु किये गये निवेदन का विवरण संलग्न है।

(5) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को माह सितम्बर, 91 में 5 हजार मै. टन एवं अक्टूबर, 91 में 5 हजार मै. टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन दिया है।

वर्ष 1991–92

क्र. सं.	नाम माह	प्राप्त गेहूं की मात्रा (मै. टनों में)
1.	अप्रेल, 91	1,05,000
2.	मई, 91	1,00,000
3.	जून, 91	70,000
4.	जुलाई, 91	70,000
5.	अगस्त, 91	70,000
6.	सितम्बर, 91	70,000+5,000=75,000
7.	अक्टूबर, 91	70,000+5,000=75,000
8.	नवम्बर, 91	75,000
9.	दिसम्बर, 91	67,500
10.	जनवरी, 92	72,500
11.	फरवरी, 92	75,000
12.	मार्च, 92	75,000

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 1991–92 में किये गये गेहूं आवंटन की मात्रा (मात्रा मै. टनों में)
1.	अजमेर	78300
2.	अलवर	14900
3.	बाड़मेर	57880
4.	बूंदी	6100
5.	बांसवाड़ा	17790
6.	भरतपुर	13100
7.	भीलवाड़ा	20800
8.	बीकानेर	49100
9.	चूरू	50000

1	2	3
10.	चित्तौड़गढ़	12400
11.	डूंगरपुर	45300
12.	श्रीगंगानगर	7100
13.	जयपुर	61100
14.	जोधपुर	80850
15.	जैसलमेर	25500
16.	जालौर	30700
17.	झुन्झुनू	17800
18.	झालावाड़	7851–9
19.	कोटा	7800
20.	नागौर	23450
21.	पाली	53900
22.	सीकर	20700
23.	स. माधोपुर	11600
24.	सिरोही	23401–9
25.	टौंक	20551–9
26.	उदयपुर	50450
27.	धौलपुर	6700
28.	बारां	2880
29.	दौसा	11104–9
30.	राजसमन्द	18251–9

क्र. सं.	अतिरिक्त गेहूं के आवंटन हेतु अनुरोध किये जाने का दिनांक	विवरण
1.	दिनांक 7.8.91	माह अगस्त, 91 के लिए 30,000 मै. टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन हेतु खाद्य सचिव, भारत सरकार को वायरलैस दिया।

1	2	3
2.	दिनांक 10.9.91	माह सितम्बर, 91 के लिए खाद्य सचिव, भारत सरकार को 80,000 मै. टन अति-रिक्त आवंटन हेतु वायरलैस दिया।
3.	दिनांक 19.9.91	माह सितम्बर, 91 के लिए 80,000 मै. टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन हेतु खाद्य सचिव श्री पी. त्रिपाठी को वायरलैस दिया।
4.	दिनांक 25.9.91	माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, 91 के लिए 1.50 लाख मै. टन प्रति माह राज्य को गेहूं का कोटा दिये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय प्रधान मंत्रीजी, भारत सरकार, नई दिल्ली को अ. शा. पत्र लिखा।
5.	दिनांक 11.12.91	माह दिसम्बर, 91 के लिए 1,00,000 मै. टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन तथा राज्य का कोटा प्रति माह बढ़ाकर देने हेतु खाद्य सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को अ. शा. पत्र लिखा।
6.	17.12.91	माननीय खाद्य मंत्रीजी ने राज्य के समस्त लोक सभा सदस्यों को केन्द्र सरकार का ध्यान राज्य के गेहूं के कोटे में वृद्धि करने हेतु अ. शा. पत्र दिया।
7.	17.12.91	माननीय खाद्य मंत्रीजी ने श्री कमालुद्दीन अहमद, केन्द्रीय राज्य मंत्री, खाद्य एवं नाग-रिक आपूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली को राज्य का गेहूं का कोटा 1.50 लाख मै. टन किये जाने हेतु अनुरोध किया।
8.	17.2.92	माननीय खाद्य मंत्रीजी ने श्री तरूण गोगाई, खाद्य मंत्री, भारत सरकार को राज्य के कोटे में वृद्धि हेतु टेलेक्स दिया।

सीमली (बारां) का राजकीय सैकण्डरी स्कूल

63. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सैकण्डरी स्कूल सीमली (बारां) में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) सरकार द्वारा यहां से कितने अध्यापकों का डेपूटेशन कहां–कहां किया हुआ है ?

(3) गत सत्र में इस स्कूल में कितने छात्र अध्ययनरत थे तथा उनमें से कितने बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये ?

(4) क्या गत सत्र में भी अध्यापकों की कमी थी ? यदि हां, तो किस–किस विषय के कितने अध्यापकों के पद कितने समय तक रिक्त रहे ? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजकीय सैकेण्डरी स्कूल सीमली (बारां) में अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार है :—

(क) प्रधानाध्यापक	1
(ख) वरिष्ठ अध्यापक	6
(ग) अध्यापक (तृ.वे.श्रृ.)	7
(घ) शारीरिक शिक्षक	1
	15

(2) दो अध्यापकों का डेपूटेशन रा.सी. उ.मा. विद्यालय, बारां में किया हुआ था।

(3) गत सत्र 1990–91 में इस स्कूल में कक्षा 10 में 29 छात्र अध्ययनरत थे इनमें बोर्ड की परीक्षा में 2 छात्र उत्तीर्ण हुये थे।

(4) जी हां। गत सत्र में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी एवं गणित के पद जुलाई, 90 से दिसम्बर, 90 तक रिक्त रहे थे। इन रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है।

कुत्तों द्वारा पशुओं को काटने से उत्पन्न स्थिति का सर्वेक्षण

64. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि हजारों की तादाद में गांवों में कुत्तों के काटने से उपचार के अभाव में मर रहे हैं ?

(2) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुत्ते काटने से बिना उपचार के पशुओं के मरने की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(2) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। पशुओं को पागल कुत्ते के काटने की सूचना मिलने पर उपचार किया जाता है।

सोजत सिटी में डेयरी प्लाण्ट की विचाराधीन योजना

65. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत), **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सहकारी समितियों की मार्फत कितना दूध डेयरी विभाग को प्राप्त हो रहा है ?

(2) तहसील मुख्यालय पर डेयरी प्लाण्ट लगाने का क्या मानदण्ड है ?

(3) क्या सोजत सिटी में उक्त प्लाण्ट लगाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस स्थान पर कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी समिति नामक किसी समिति के मार्फत डेयरी को कोई दूध प्राप्त नहीं हो रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सोजत सिटी में फिलहाल प्लांट लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सोजत सिटी के ग्रामीण क्षेत्रों का दूध पाली एवं फालना अवशीतन केन्द्रों पर लाया जाकर शीतलीकरण किया जा रहा है अतः सोजतसिटी में पृथक से अवशीतन संयंत्र लगाने की कोई योजना नहीं है।

जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में भू-खण्डों के आवंटन में विलम्ब

66. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में भू-आवंटन में हो रहे विलम्ब से कृषि उत्पादन में देश और राज्य को काफी नुकसान हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि भू-आवंटन न होने से इंदिरा गांधी नहर के पूरे पानी का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है ?

(3) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में शीघ्र भू-आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) द्वितीय चरण में जहां तक नहरों का निर्माण हो चुका है वहां तक उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

(3) सामान्य भू-आवंटन की कार्यवाही चालू है। विशेष आवंटन शीघ्र शुरू किया जावेगा।

तहसील जमुवा रामगढ़ (जयपुर) की चरागाह भूमि में आवासीय बस्तियों का निर्माण

67. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवा-रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जमुवारामगढ़ में किन-किन ग्रामों की चरागाह भूमि में बिना

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

सरकार की अनुमति या किस्म परिवर्तन के बस्तियां बसाई गई हैं ?

(2) क्या ग्राम गांवली पंचायत लालवास के सरपंच द्वारा इन्द्रा कालोनी के लिए आवासीय पट्टे दिये गये हैं ?

(3) क्या उक्त भूमि चरागाह से आबादी में परिवर्तित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो पटवारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कब-कब की और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील जमुवारामगढ़ के 21 ग्रामों की चरागाह भूमि में बिना सरकार की अनुमति व किस्म परिवर्तन कराये बिना बस्तियां बस गई हैं। ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) पटवारी द्वारा उक्त अतिक्रमियों के खिलाफ दिनांक 16.2.91 व 20.8.91 को तहसील कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर उन्हें लगान की 10 गुना पेनेल्टी से दण्डित किया गया है।

तहसील जमवारामगढ़ में चरागाह भूमि में बिना सरकार की अनुमति से बनायी गयी ढाणियों की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत	ग्राम का नाम जहां ढाणियां बनी
1.	बासना	बासना
2.	घटवाडी	घटवाड़ी
3.	बासना	गूजरों का बास
4.	ताला	दंताला गूजरान
5.	रायसर	जोधराला
6.	सानकोटड़ा	सानकोटड़ा
7.	बहलोड	बहलोड
8.	लालवास	लालवास
9.	विरासना	विरासना
10.	नीमला	डगोता

क्र. सं.	नाम पंचायत	ग्राम का नाम जहां ढाणियां बनी
11.	डांगरवाड़ा	चतरपुरा
12.	राम्यावाला	राम्यावाला
13.	गांवली	गांवली
14.	भानपुर कलां	भानपुर कलां
15.	नटाटा	हाडी का बास उर्फ अजबगढ
16.	राहोरी	राहोरी
17.	पापड़	साऊं
18.	इन्द्रगढ	इन्द्रगढ
19.	जमवारामगढ	मेघराजसिंह पुरा
20.	खरकड़ा	पालडी खुर्द
21.	नायला	नायला

कलक्टर, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर डिपो के परि-चालकों की सेवा मुक्ति

68. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर डिपो से दिनांक 15-4-88 को कुछ परिचालकों को सेवामुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस कारण से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परि-चालकों ने न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर में निगम के उक्त आदेश के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया एवं दिनांक 27-8-91 को उक्त न्यायालय ने निगम के विरुद्ध एवं प्रार्थियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की अनुपालना में परिचालकों ने अपनी जोईनिंग रिपोर्ट निगम को दी ? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब, किस-किस अधिकारी को दी एवं किस-किस परिचालक को ड्यूटी पर कब-कब लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि श्री कमलाशंकर पुत्र श्री हीरालाल पुजारी (उदयपुर आगार) परिचालक ने भी अपनी

(श्री कुबेर सिंह)

जोइनिंग रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो क्या इनको निगम ने ड्यूटी पर ले लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार निगम के इस पक्षपातपूर्ण रवैये एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने एवं श्री पुजारी को निगम की सेवा में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 15.4.88 को केवल एक परिचालक को उदयपुर आगार से सेवा पृथक किया गया था। उनके विरुद्ध आरोप था कि वे बस में यात्रियों से किराया वसूल करने के उपरान्त भी बिना टिकिट उन यात्रियों को यात्रा करा रहे थे।

(2) जी हां। दिनांक 15.4.88 को सेवामुक्त होने वाले परिचालक ने न्यायाधीश औद्योगिक विवाद अधिकरण, उदयपुर को वाद प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय उनके पक्ष में हुआ था।

(3) जी हां। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट रजिस्टर्ड पत्र से मुख्य प्रबन्धक, उदयपुर और कार्यकारी निदेशक (यातायात) जयपुर को प्रेषित की थी जो क्रमशः इनके कार्यालय में दिनांक 2.11.91 एवं 4.11.91 को मिले। परिचालक को ड्यूटी पर नहीं लिया गया।

(4) जी हां। इन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया गया क्योंकि सेवामुक्ति के पूर्व वे निगम में दैनिक वेतन भोगी परिचालक के रूप में कार्यरत थे और निगम प्रशासन ने यह निर्णय लिया हुआ है कि यदि ऐसे परिचालक भ्रष्टाचार के प्रकरणों में पकड़े जावे और सेवामुक्ति के उपरान्त न्यायालय से उनके पक्ष में निर्णय निर्णीत हो तो भी उन्हें निगम सेवा में नहीं लिया जावे अपितु उक्त निर्णय की अपील आदि की जावे।

(5) निगम ने कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया अस्तु किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई विचार नहीं है। श्री पुजारी को भी निगम सेवा में वर्तमान में लेने का विचार नहीं है। श्री पुजारी के पक्ष में औद्योगिक न्यायालय द्वारा निर्णय किया; निर्णय के विरुद्ध निगम ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट प्रस्तुत कर दी है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओवर ड्राफ्ट कमेटी द्वारा ऋण भुगतान व अपलेखन की सिफारिशें

69. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की ओर ड्राफ्ट कमेटी ने निरन्तर तीन वर्षों से अकाल पड़ने के फलस्वरूप ऋण की किश्तों के भुगतान व भुगतान के अपलेखन की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक कितनी राशि का अपलेखन कर दिया

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गया है और कितनी राशि का अपलेखन करना शेष है ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की ओवर ड्राफ्ट कमेटी के गठन अथवा उसकी रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है ।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के संदर्भ में अपलेखन का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नागौर में सस्ते कपड़े का वितरण

70. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1989-90 एवं 1990-91 में नागौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सस्ता कपड़ा दिये जाने का कोटा निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो किस माध्यम से कितना कपड़ा दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही हैं कि जिस संस्था को कपड़ा दिया गया वह सस्ता कपड़ा बाजार में ब्लैक से बेच दिया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सन् 1989–90 एवं 1990–91 में नागौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सस्ता कपड़ा दिये जाने का कोटा निर्धारित किया गया था । क्योंकि खाद्य विभाग को सस्ते कपड़े का आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं होता है । जिले में जनता कपड़ा राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ लि, जयपुर के माध्यम से जिले की सहकारी संस्थाओं द्वारा मंगवाया जाता है । वर्ष 1989–90 में जनता कपड़ा वितरण के लिए नहीं मंगवाया गया । वर्ष 1990–91 में 134 गांठ जनता कपड़ा व एक गांठ ऊनी कम्बल मंगवाई गई ।

(2) जी नहीं ।

मालवीय नगर, जयपुर में संचालित आश्रम विद्यालय

71. **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) :

श्री निर्भयलाल जाटव (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मालवीय नगर जयपुर में आश्रम विद्यालय नाम से कोई विद्यालय चल रहा है ? यदि हां, तो यह विद्यालय कब से चल रहा है और इसकी कार्यकारिणी समिति में कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभाग द्वारा इस विद्यालय को रियायती दर पर भू-खण्ड आवंटित करने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो कितनी जमीन किस दर व किन शर्तों पर ?

(3) उक्त विद्यालय में प्रवेश के क्या मापदण्ड हैं ? क्या मेरिट के अलावा भी

(श्री भरोसीलाल)

किन्हीं को प्रवेश दिया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि अवैध रूप से बड़ी धनराशि लेकर प्रवेश दिये जाते हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नही क्योंकि मालवीय नगर जयपुर में आश्रम विद्यालय नाम से कोई विद्यालय नहीं चल रहा है।

राजस्व अपीलेट अधिकारी अलवर का रिक्त पद

72. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या अलवर में राजस्व अपीलेट अधिकारी का पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(2) सरकार इस पद को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्व अपील अधिकारी का पद दिनांक 17 अगस्त, 1991 से इस पद पर कार्यरत श्री राधेश्याम राजोरिया का स्थानान्तरण/पदस्थापन अतिरिक्त सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुआ था।

(2) इस पद पर श्री आर. डी. दुबे, आर. ए. एस. को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.2.92 द्वारा पदस्थापित किया जा चुका है।

चम्बल परियोजना क्षेत्र के खालों की कीमत

73. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के उपनिवेशन क्षेत्र में खालों की कीमत माफ करने हेतु निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ? खालों की कीमत एवं ब्याज वसूली कब से रोकी गयी ? गत दो वर्षों में इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से किये गये पत्र व्यवहार के पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्रों में खालों की मूल कीमत एवं ब्याज की राशि कितनी है ? परियोजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों परियोजनाओं के

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

द्वितीय चरण में खालों का निर्माण क्या राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के खालों की कीमत एवं चम्बल परियोजना के अन्तर्गत बने खालों की कीमत कब तक माफ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 6.3.91 को भूमि विकास कार्यों पर हुये व्यय को वसूल न करने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में तो दिनांक 20.7.87 से वसूली पर रोक है तथा चम्बल में भी वसूली नहीं की जा रही है। गत दो वर्षों में भारत सरकार को नौ पत्र प्रेषित किये गये।

(2) उक्त क्षेत्रों में खालों/भूमि विकास कार्यों की मूल कीमत व ब्याज (31.3.91) निम्न प्रकार से है :—

(राशि लाखों में)

परियोजना का नाम	मूल कीमत	ब्याज
इ. गां. न. प.	4817.16	3719.48
चम्बल	782.22	676.94
योग	5599.38	4396.42

(3) जी हां। राज्य सरकार ने खालों/भूमि विकास कार्यों पर किये गये व्यय को वसूल न करने की घोषणा कर दी है और न ही रा. भू. वि. नि. द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि की वसूली की जा रही है।

श्री अणदाराम चौधरी, भूतपूर्व संचालक, सहकारी समिति डुकिया (नागौर) के विरुद्ध शिकायत

74. **श्री हरीशचन्द्र** (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को श्री अणदाराम चौधरी, भूतपूर्व संचालक सहकारी समिति डुकिया के विरुद्ध सहकारी समिति डुकिया (जिला–नागौर) में भारी गबन घोटाले की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री भीभूराम पुत्र श्री उगमा राम, श्री अल्का पुत्र श्री मुकना, श्री लालू राम पुत्र श्री उगमाराम, श्री मुकमाराम पुत्र श्री रामदीन को ऋण माफी योजना की राशि का ब्याज वसूली में जो रसीदें दी गई उसमें रुपये अधिक व जो पड़त सहकारी समिति में रहती है उसमें राशि कम अंकित कर रोकड़ में भी कम राशि ही जमा की गई है ?

(3) क्या बाद में माह सितम्बर, 1991 को विधान सभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आने के पश्चात् रोकड़ आदि में भी कांट-छांट की गई है ? सम्बन्धित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रश्न के भाग 2 में वर्णित वसूली की राशि बैंक में कब जमा कराई गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त समिति

(श्री हरीशचन्द्र)

का रिकॉर्ड जब्त कर वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर जांच करा ली गई है।

(2) जी नहीं। शिकायत में वर्णित सदस्य भीपूराम पुत्र उगमा राम, मल्फा पुत्र मुकना एवं मुकनाराम पुत्र रामदीन को उतनी ही राशि की रसीद दी गई जितनी वसूल की गई है। लाबूराम पुत्र उगमा राम से कोई वसूली नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। रोकड़ वही के संबंधित पृष्ठ की फोटो प्रति परिशिष्ठ–अ पर संलग्न है।

(4) प्रश्न के भाग 2 में वर्णित सदस्यों से प्राप्त राशि अन्य सदस्यों से प्राप्त राशि के साथ ही दिनांक 23.11.90 को नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक कीरियां शाखा में जमा कराई गई।

(5) जी नहीं। जांच पूर्व में ही करा ली गई है। जिसमें शिकायतें निराधार पाई गई है।

रोकड़ बही

जमा डूकिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., डूकिया शाखा रियां बड़ी तहसील मेड़ता, जिला नागौर, वर्ष 1990 'अ'

	जमा कराने वाले का नाम	खाता नम्बर	हिस्सा	अमानत सदस्य अनिवार्य	अमानत सदस्य विशेष	अमानत असदस्य	ऋण लिया बैंक या अन्य से अल्प-कालीन	ऋण लिया बैंक या अन्य से मध्य-कालीन	वापसी ऋण (वसूली) सदस्य अल्प-कालीन	वापसी ऋण (वसूली) सदस्य मध्य कालीन	ब्याज जो लिया (वसूली) अल्प-कालीन	ब्याज जो लिया (वसूली) मध्य-कालीन	माल बिक्री से आमदनी	विविध आमदनी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17–10–90														
	श्री प्रो. पोता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17794-97
	,, भीकाराम/प्रहलाद भावी डूकिया	101	—	—	—	—	—	—	—	—	320	—	—	—	320–00
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	320	—	—	—	18114–97
	प्रा. पोता 22-10-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18114–97
	श्री मुगनाराम/रामदीन नायक सियास	40	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300–00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अफलाराम/मुगनाराम नायक सियास		150	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300–00
श्री जिम्पूराम/उगमाराम नायक सियास		38	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	150–00
श्री कालूराम/भयनाराम नायक सियास		36	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	—	160–00
श्री मांगुराम/भोलाराम नायक सियास		335	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	120–00
			—	—	—	—	—	—	—	—	1030	—	—	—	19144–97

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देहातों में खाद्य सामग्री का वितरण

75 प्रो. केदार नाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार शहरों व देहातों में प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी व खाने का तेल वितरित करती है ?

(2) राज्य सरकार ने केन्द्र से वर्ष 1992 के जनवरी व फरवरी माह के लिए कितना टन कोटा गेहूं, चीनी, चावल मांगा एवं कितना प्राप्त हुआ ?

(3) गंगानगर जिले में निगरानी कमेटी के कौन–कौन सदस्य हैं एवं उनका अधिकार क्षेत्र क्या है ?

उत्तर

(1) नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार शहर व देहातों में गेहूं 10 किलो तक, चीनी 425 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिमाह तथा चावल 6 किलो व खाद्यतेल 5 किलो तक प्रति राशनकार्ड वितरित करती है।

(2) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष के माह जनवरी व फरवरी के लिए गेहूं 200000 टन, चावल 5000 टन और चीनी 19000 टन प्रतिमाह मांग की थी, जिसके विरूद्ध गेहूं जनवरी में 72500 टन फरवरी में 75000 टन, चावल जनवरी में 3000 टन फरवरी में 4000 टन और चीनी जनवरी में 16997.7 टन एवं फरवरी में 18684.3 टन का आवंटन प्राप्त हुआ है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में क्रमश: जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं तहसील स्तर पर निगरानी कमेटियां गठित है, जिनका क्षेत्राधिकार क्रमश: जिला, उपखण्ड एवं तहसील क्षेत्र हैं। कमेटियों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट–"क"

श्री गंगानगर जिले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और इनकी उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु उपखण्ड स्तर व तहसील स्तर पर गठित की गई समितियों की सूची :—

1. श्रीगंगानगर	1 प्रो. केदारनाथ विधायक
	2. श्रीमती कृष्णा पैडीवाल, भू. अ व्यापार मण्डल समिति।
	3. सीताराम मोर्य, सामाजिक कार्यकर्त्ता
	4. श्री गोपाल राम वर्मा, प्राध्यापक
	5, श्री जगमोहन अरोडा, एडवोकेट

	श्रीगंगानगर	6. श्रीमती रूकमणीदेवी, महिला सामाजिक कार्यकर्ता
		7. श्री महेन्द्रसिंह भादू, अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
		8. श्री केसरीसिंह
		9. श्री जगदीशचन्द्र गणेशगढिया
2.	रायसिंहनगर	1. उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर–अध्यक्ष
		2. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा–सदस्य
		3. श्रीमती अविनाश हाण्डा–सदस्य
		4. श्री बेगाराम पूर्व सांसद–सदस्य
		5. श्री डी. पी. गुप्ता–सदस्य
		6. श्री सोहनलाल ढाबी–सदस्य
		7. श्री सतपाल कौशिक–सदस्य
		8. श्री गोपाल सिंहानिया–सदस्य अध्यक्ष जनसेवा समिति, रायसिंहनगर
3.	संगरिया	1. तहसीलदार–अध्यक्ष
		2. प्रवर्तन निरीक्षक–सदस्य
		3. श्री लाधुराम सरपंच, लीलावाली–सदस्य
		4. श्री बसन्तसिंह प्रतापनगर–सदस्य
		5. श्री दयालचन्द भाखरावाली–सदस्य
		6. श्री रूपराम–सदस्य
		7. श्री बहादुरसिंह गोदारा–अध्यक्ष
		8. श्री बंशीलाल धारणीय, भू. पू. अध्यक्ष नगरपालिका
		9. श्री लक्ष्मणदास–अध्यक्ष, व्यापार मंडल
		10. श्री रामकुमार, भू. पू. नगरपालिका सदस्य
		11. श्रीमती विमला भाटिया, सदस्य
4.	रावतसर	1. श्री तहसीलदार (राजस्व)
		2. श्री डूंगरराम, विधानसभा स. क्षेत्र
		3. श्री बृजलाल–सदस्य
		4. श्रीमती चंचलादेवी–सदस्य
		5. श्री दुलीचन्द–सदस्य
		6. श्री रामस्वरूप शर्मा–सदस्य

Page No. 196

		7. श्री रामेश्वर धूडिया
		8. श्री रमेशचन्द्र
		9. श्री भगवान दास
5.	पदमपुर	1. श्री राजेन्द्रप्रसाद मिश्रा, तहसीलदार (अध्यक्ष)
		2. श्रीमती गुरदीप कौर सदस्य
		3. श्री दौलतराम सदस्य
		4. श्री थारूमल नोरखा लघु व्यापारी सदस्य
		5. श्री बालकिशन अंगी अध्यक्ष व्यापार मण्डल सदस्य
		6. श्री रामदास नागपाल सदस्य
		7. श्री रामस्वरूप भाम्भू सरपंच रिडमलसर
		8. श्री नरेन्द्रसिंह कां, सरपंच 35 बी बी
		9. श्री प्यारेलाल कांकड़ा गजसिंहपुर सदस्य
6.	नोहर	1. उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष
		2. श्रीमती सुचित्रा आर्य एम. एल. ए.
		3. श्री जुगलाल भू. पू. विधायक सदस्य
		4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सदस्य
		5. अध्यक्ष नोहर क्रय विक्रय समिति
		6. चेयरमैन, नगरपालिका सदस्य
		7. श्री श्रीनिवास थिराती, एडवोकेट सदस्य
		8. प्रधान पंचायत समिति सदस्य
		9. प्रधानाध्यापिका गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल सदस्य
		10. श्री परमानन्द मघड सदस्य
7.	सादुलशहर	1. श्री उमेशचन्द तोमर, तहसीलदार अध्यक्ष
		2. श्रीमती राम पुत्र श्री रिडमल सदस्य
		3. श्री हन्सराज पुत्र श्री धन्नाराम सदस्य
		4. श्री रामसिंह पुत्र श्री बृजलाल जाट सदस्य
		5. श्री हंसराज पुत्र श्री मामराज सदस्य
		6. श्रीमती निर्मला पत्नि श्री गुलाबसिंह सदस्य
8.	हनुमानगढ़	1. श्री श्योपथसिंह जी
		2. श्री विनोदकुमार

3. श्री आत्मदेव त्यागी वकील
4. श्री विजयकुमार इन्दोरा (अ. जा.)
5. डा. श्रीमती तेज शर्मा
6. श्री बहादुरचन्द जैन
7. श्री मदनलाल जैन, अध्यक्ष व्यापार मंडल ज.

9. सूरजगढ
1. श्री नानकराम, शर्मा, रिटायर्ड तहसीलदार
2. श्री अध्यक्ष, व्यापार मंडल सूरजगढ
3. श्री भवानीशंकर मांजेक अरायजनवीस
4. श्री मोहनलाल सैक्सरीया, भू. पू. वार्ड सदस्य
5. श्री गोरीशंकर सोनारा, भू. पू. अध्यक्ष नगरपालिका
6. श्रीमती चन्द्रकला सारडा, भू. पू. सहवृत सदस्य

10. टी. बी.
1. श्री बृजलाल पटवारी
2. श्री कन्हैयालाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल
3. श्री जगदीश प्रसाद पू. अ. जी. एल. पब्लिक स्कूल
4. डा. जोगेन्द्रलाल
5. श्रीमती शांतिदेवी दीक्षित, पू. अ., कन्या वि.
6. श्री रामजस, अ. जा. उपसरपंच
7. श्री कालूराम महिपाल, पू. अ. रिटायर
8. श्री रामप्रसाद अग्रवाल, मैन बाजार टी बी
9. श्री बृजलाल राजस्व पटवारी

11. भादरा
1. श्री लालचन्दजी विधायक
2. श्री प्रतापसिंह प्रधान
3. श्री हंसराज आर्य
4. सचिव कृषि उपज मंडी सदस्य
5. श्रीमती विमला चौरी सदस्य
6. श्री हनुमानजी
7. श्री कन्हैयालाल
8. श्री राधेश्यामजी
9. श्री मांगीलाल

12. पीलीबंगा
1. श्री मनोहरलाल चावला तहसीलदार अध्यक्ष

	पीलीबंगा	2. श्री जीवराजसिंह राठौड एम. एल. ए.
		3. श्री रामेश्वरलालजी पेडीवाल
		4. श्री शिवलाल भरेजा
		5. श्री गंगाराम मेघवाल
		6. श्रीमती हिमांशु कालरा डाक्टर
		7. श्री मालचन्द बाथरा
13.	अनूपगढ	1. श्री तहसीलदार अध्यक्ष
		2. श्री चानरा नागपाल सदस्य
		3. श्री ओमप्रकाश चौधरी सदस्य
		4. श्री भाटी सदस्य
		5. श्री वेदप्रकाश सदस्य
		6. श्री सुन्दरसिंह विश्नोई सदस्य
		7. श्री प्रकाश गोयल सदस्य
		8. श्रीमती कौशिक सदस्य
14.	घडसाना	1. तहसीलदार अध्यक्ष
		2. श्री बल्लभ कोचर सदस्य
		3. श्री मनीराम सदस्य
		4. श्रीमती कृष्णा सोनी सदस्य
		5. श्री चेतराम सदस्य
		6. श्री मांगीलाल सदस्य
		7. श्री प्यारेलाल सदस्य
		8. श्री हजारीराम सदस्य
15.	श्री विजयनगर	1. श्री तहसीलदार अध्यक्ष
		2. श्री प्यारेलाल सदस्य
		3. श्री अमरचन्द सदस्य
		4. श्री हनुमानप्रसाद सदस्य
		5. श्री मोहन सिंह साठी सदस्य
		6. श्री नत्थुराम सदस्य
16.	श्री करणपुर	1. उपजिलाधीश
		2. श्रीमती इकबाल कौर, एम.एल.ए.

श्री करणपुर

3. तहसीलदार राजस्व
4. श्री ज्ञानचन्द गुप्ता
5. व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति
6. श्री सीताराम भादरवाले
7. श्री राज्यपाल एडवोकेट
8. श्रीमती कमला अरोडा

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु अनुदान

76. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ (24) एज्यू/ग्रुप–5/71, दिनांक 26–5–74 एवं प. 11(33) शिक्षा –6/83, दिनांक 7–2–85 के द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को बढ़े हुये महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान करने के लिये आनुपातिक दर से अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया था ?

(2) क्या उक्त आदेश की अनुपालना पूरे राज्य में हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) को ऐसे कितने प्रकरण किन–किन संस्थाओं ने अनुदान वृद्धि हेतु भेजे और किस-किस संस्था का अनुदान बढ़ गया ? यदि प्राप्त प्रकरण उक्त कार्यालय ने उच्च अधिकारियों को नहीं भेजे, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त आदेश की सख्ती से अनुपालना कराने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार डी.ए. के साथ ही बोनस, नवीन वेतनमान स्थिरीकरण, पी. एफ. में बढ़ोतरी आदि व्ययों पर भी उसी अनुरूप बढ़ने वाले व्यय पर अनुदान वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, जिन संस्थाओं द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि अनुमानित व्यय में मांग की जाती है उन्हें स्वीकृत की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में निम्नांकित तीन संस्थाओं ने जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर को महंगाई वृद्धि के प्रकरण भेजे थे :—

1. शान्ती जैन मा. वि. ब्यावर
2. शान्ती जैन उ. प्रा. वि. ब्यावर
3. जैन गुरुकुल प्रा. वि. ब्यावर।

(3) इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुदान

200

(शिक्षा मंत्री)

प्रार्थनापत्रों में बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि अनुमानित में सम्मिलित की जा चुकी है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। बोनस, नवीन वेतनमान स्थिरीकरण, पी.एफ. में बढोतरी आदि की राशि संस्था द्वारा वास्तविक भुगतान उपरांत मांग एवं लेखे प्रस्तुत करने पर भुगतान की जाती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 77

(स्थगित)

मुख्य सचिव को निगम/बोर्डों के पदाधिकारी के रूप में प्राप्त सुविधाएं

78. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य सचिव महोदय किस-किस बोर्ड या निगम के प्रशासक/चेयरमैन हैं और उन्हें उक्त बोर्डों व निगमों से क्या सुविधायें प्राप्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रशासन के शीर्ष स्थान पर बैठे अधिकारी को इतना समय है कि वह ऐसे निगमों व बोर्डों के कार्य का निष्पादन कर सकें ?

(3) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या अग्रिम कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में मुख्य सचिव किसी भी बोर्ड/निगम के प्रशासक/चेयरमैन नहीं है। अतः किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जैसा कि बिन्दु संख्या 1 में अंकित है कि मुख्य सचिव किसी बोर्ड/निगम के प्रशासक/चेयरमैन नहीं है, इसलिए इनके कार्य सम्बन्धी समय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री को दिशा निर्देश

79. **श्री सालिग राम** (बयाना) :
श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधान मंत्री द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री को महंगाई रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने के लिये क्या कोई पत्र लिखे गये हैं या निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्देशों व पत्रों में महंगाई रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने के लिये क्या उपाय सुझाए गये हैं व तदनुरूप उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। निश्चित संदर्भ के अभाव में प्रति सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(2) प्रधान मंत्री जी से प्राप्त पत्र में महंगाई रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करने के लिए सुझाये गये उपायों के अनुसार जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकेने के लिए आकस्मिक निरीक्षण कराये गये हैं। छापे मारे गये हैं। केन्द्रीय व राज्य सरकार के प्रचलित आदेशों/ नियमों का कड़ाई से क्रियान्वयन कराया गया है।

नागौर क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत पद

80. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक शाला से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उक्त पदों में से कितने पद किस-किस शाला में रिक्त हैं ? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

नागौर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद निम्नानुसार हैं :—

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	विद्यालय का स्तर	स्वीकृत पद व्याख्याता	वरि.	अध्या.	रिक्त पद व्या.	व.अ.	अध्यापक
1.	माध्यमिक एवं (छात्र) सी.उ.मा.वि	49	132	52	15	4	—
2.	माध्यमिक एवं (छात्रा) सी.उ.मा.वि.	20	17	42	6	—	—
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	29	152	1	—	42
4.	प्राथमिक विद्यालय	—	—	48	—	—	—
					22	4	42

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है एवं यथाशीघ्र भर दिये जायेगें।

बाबा गरीबनाथ शिक्षा सेवा समिति बहरोड (अलवर) को छात्रावास हेतु आवंटित भू-खण्ड

81. **श्री मोहनलाल (परबतसर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शहर अलवर के खसरा नं. 559 में बाबा गरीब नाथ शिक्षा सेवा समिति, बहरोड़ जिला अलवर को अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु कितनी भूमि आवंटित हुई थी व कब ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवंटित शुदा भूमि का पूरा कब्जा दे दिया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार पूरा कब्जा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस आवंटन में राजस्व अधिकारियों द्वारा अनियमित तौर पर रद्दो बदल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? रद्दो बदल करने के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ख. नं. 559 में आवंटन नहीं किया गया है। ख.नं. 859 में एक बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 18.12.89 को किया गया है। आवंटन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आवंटित भूमि में से उक्त संस्था को केवल 17 बिस्वा भूमि का दखल दिनांक 8.1.90 को दिया गया था। छात्रावास को भूमि आवंटन से पूर्व ही कलक्टर, अलवर ने दिनांक 07.0.3.86 को इसी ख.नं. की 10 बिस्वा भूमि गिरदावर कानूनगो के क्वार्टर निर्माण हेतु आवंटित कर दी थी। अत: 10 बिस्वा भूमि का दखल नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं।

कार्यालय कलक्टर, अलवर, जिला अलवर

(राजस्व प्रकोष्ठ)

क्रमांक :—12-3(169) एफ/81/160 दिनांक :—18-12-83

आदेश

यत: मन्त्री बाबा गरीब–नाथ शिक्षा सेवा समिति बहरोड़ जिला अलवर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अलवर शहर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रावास नहीं है। अत: हरिजन छात्रों हेतु अनुसूचित जाति छात्रावास उक्त समिति निर्माण करना चाहती है जिसके लिए खसरा नम्बर 859 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा सिवायचक भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना की है।

प्रकरण में तहसील कार्यालय अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 859 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा सिवायचक लगानी तहत सरकार अंकित है। भूमि जेल के चौराहे के निकट तिजारा अलवर मार्ग पर सड़क के किनारे है। नगर परिषद अलवर द्वारा उक्त भूमि पर ट्रेंच डाला जाता था अतः नगर परिषद् से प्रकरण में टिप्पणी प्राप्त की गई। उन्होंने उक्त भूमि के आवंटन किए जाने में कोई आक्षेप नहीं बताया है।

राज्य सरकार राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन या पत्रावली भिजवाने हेतु लिखे जाने पर मूल पत्रादि रिपोर्ट सहित प्रेषित किए गए। राज्य सरकार राजस्व विभाग जयपुर के आदेश संख्या प-1 (51) राज/ग्रुप-3/89/दिनांक 4-12-89 द्वारा अलवर शहर के आराजी खसरा नम्बर 859 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा सिवायचक भूमि श्री बाबा गरीबनाथ शिक्षा सेवा समिति बहरोड़ (अलवर) को अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व (राजकीय अनाधिवासित भूमियों का शाला, कालेज चिकित्सालय, धर्मशाला आदि जनोपयोगी भवनों हेतु आवण्टन) नियम, 1963 के अन्तर्गत शहर अलवर के आराजी खसरा नम्बर 859 रकबा 1 बीघा 87 बिस्वा सिवायचक कृषि भूमि को आबादी में किस्म परिवर्तन करते हुए श्री बाबा नाथ शिक्षा सेवा समिति बहरोड़ (अलवर) को अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माणार्थ निम्नांकित शर्तों पर निःशुल्क आवण्टन किया जाता है :—

(1) उक्त भूमि का आवण्टन 30 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा 30 वर्ष की अवधि पश्चात् राज्य सरकार द्वारा स्थिति का पुनर्विलोकन किया जावेगा कि प्रश्नगत भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है उसी में प्रयुक्त हो रही है और इसी उपयोग हेतु पुनः लीज पर आवण्टन की जा सकेगी।

(2) आवंटी को लीजडीड निष्पादन करनी होगी। लीजडीड उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रपत्र 1 में अंकित है।

(3) आवंटित भूमि का अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रयोजन में ही उपयोग किया जावेगा। भवन निर्माण आवण्टन की तिथि से एक वर्ष में कर लिया जावेगा।

(4) भूमि राज्य सरकार में निहित रहेगी।

(5) प्रश्नगत भूमि पर निर्मित भवन का प्रयोग जनोपयोग में रहेगा।

(6) आवण्टी उपरोक्त शर्तों को मानने के सम्बन्ध में एक लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगा।

(7) उक्त किसी भी शर्त की उल्लंघन की दशा में भूमि समस्त निर्माण सहित बिला मुआवजा राज्य सरकार में विहित होगी ।

कलक्टर, अलवर

क्रमांक :—12–3(169) राज/89/6161–63 दिनांक :—18–2–83

प्रतिलिपि :—(1) उप जिलाधीश, अलवर

(2) तहसीलदार, अलवर–आवंटित भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल बरामंद किया जावे व आवण्टी को कब्जा दिलाया जावें ।

(3) मन्त्री, श्री बाबा गरीब नाथ शिक्षा सेवा समिति बहरोड़ (अलवर)

(4) रक्षित पत्रावली ।

कलक्टर, अलवर

जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों का चयन

82. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु नियमों में यह प्रावधान है कि साक्षात्कार की सूचना आवेदकों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी जावे ? यदि हां, तो क्या इस नियम उल्लंघन में शिक्षकों के चयन हेतु साक्षात्कार के पत्र साधारण डाक द्वारा भेजे गये ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 26–10–91 को वनस्पति विभाग में व्याख्याताओं के चयन हेतु साक्षात्कार के पत्र तीन बार अलग-अलग तारीखों में जारी किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि वनस्पति शास्त्र में व्याख्याताओं के साक्षात्कार शुरू होने के बाद करीब दस ऐसे आवेदकों को बुलाया गया जो नियमानुसार साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाये जा सकते थे ?

(4) क्या ऐसे किसी व्यक्ति का चयन भी किया गया जिसको साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार का पत्र, साक्षात्कार शुरू होने के बाद जारी किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि कुलपति ने एक प्रार्थी को साक्षात्कार हेतु लाने के लिए विश्वविद्यालय की कार भेजी थी ?

205

उत्तर

(1) जी हां। रजिस्टर्ड पत्र के अतिरिक्त तार द्वारा भी सूचित किये जाने का प्रावधान है। आवेदकों के हित में स्थानीय अभ्यार्थियों को यू.पी.सी. द्वारा साक्षात्कार के पत्र भेजे गये।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। साक्षात्कार आरम्भ होने के बाद किसी को भी साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किया गया और न ही किसी ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ।

(5) जी नहीं।

206

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची

विचाराधीन आवेदन पत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम पेन्शनर	पेंडिग का कारण
	शहरी क्षेत्र (निम्बाहेड़ा)	
1.	श्रीमती हमीदा/वली मोहम्मद, निम्बाहेड़ा	एतराज की पूर्ति हेतु तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के यहां।
2.	नाथी बाई/मोडीलाल, बडी सादड़ी	एतराज की पूर्ति हेतु तहसीलदार, बडी सादड़ी के यहां।
3.	मोहनबाई/राधूदास, बडी सादड़ी	,, ,,
4.	गीता/मूलचन्द, छोटी सादड़ी	एतराज की पूर्ति हेतु पेंण्डिग है।
5.	श्री राजमल/रामचन्द्र तेली, छोटी सादड़ी	एतराज की पूर्ति हेतु तहसीलदार, छोटी सादड़ी में पेंण्डिग है।
6.	हरबंश कंवर/दामोदरसिह, निम्बाहेड़ा	एतराज की पूर्ति हेतु तहसील। निम्बाहेड़ा में पेण्डिग है।
7.	सुन्दरदास, निम्बाहेड़ा	,, ,, ,,
8.	भूरीबाई/कन्ना, बड़ी सादड़ी	,, ,, ,,
9.	नन्दू/छोगा भील, निम्बाहेड़ा	दिनांक 18–2–92 को प्राप्त होने से
10.	मोतिया बाई/माणकदास	,, ,, ,,
	ग्रामीण क्षेत्र	
11.	श्री हुरजी/हकरा मीणा, भागमड	दिनांक 20–2–92 को प्राप्त होने से
12.	नाकुडा/हुरजी मीणा, आजन्दा	,, ,, ,,
13.	सुगनकंवर/कारूसिह, रीछा	,, ,, ,,
14.	सोहनबाई/प्रेमचन्द, कोटडी	,, ,, ,,
15.	तेजकुंवर/शंकरसिह, पेंचेवा	,, ,, ,,
16.	सोहनबाई/जगन्नाथ सासरी, दलोट	,, ,, ,,
17.	गीता/रतनलाल सांसरी, निनोर	,, ,, ,,

क्र. सं.	नाम पेन्शनर	पेंडिंग का कारण
18.	मोतीया/प्यारा मीणा, भबुण्डला	दिनांक 20-2-92 को प्राप्त होने से।
19.	श्री मांगडी/बगदीराम, बडी साख्थली	,, ,, ,,
20.	श्री निर्मला/कालूसिंह, अरनोद	,, ,, ,,
21.	श्री गेन्दी/राजीग मीणा, सेवना	,, ,, ,,
22.	श्रीमती लक्ष्मीबाई/पुत्री भेरूलाल कुमावत	फोटो की वजह से पेंण्डिंग है।
23.	श्री हरिराम पिता कालूराम, निम्बोरी	,, ,, ,,
24.	श्री राम पिता देवी सिंह, बम्बोरी	,, ,, ,,
25.	श्रीमती सांगीबाई पत्नी रामा	,, ,, ,,
26.	श्रीमती हेमरी, बेवा गोपी गीर, नवाबली	जांच अधिकारी, जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से पेण्डिंग है।
27.	श्री दयाराम पिता उदा जाट, नपाबली	,, ,, ,,
28.	श्रीमती सुवागी बेवा बरदा रेगर, कन्नाज	,, ,, ,,
29.	श्रीमती नेरबाबनी बेवा सुल्तान खां भदसेर	,, ,, ,,
30.	श्री केलाराम/डालू पुविया, इन्दोरा	फोटो नहीं होने से।
31.	श्रीमती गोरी/चेनापाल, गंगरार	आयु प्रमाण पत्र नहीं होने से
32.	श्रीमती बालई बाई/श्रीराम तेली कुंवालिया	पहचान चिन्ह एवं प्रमाण पत्र नहीं होने से
33.	श्रीमती कमला देवी/शंकरलाल विल्यास	मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने से

208

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम भूमिधारी	भूमि का अवाप्त रकबा		अवाप्ति दिनांक
			बीघा	बिस्वा	
1.	नाहरगंज	मु. भूली बेवा कालू	94	00	14.13.1975
2.	नाहरगंज	श्री नारायण पुत्र गोपाल	575	18	6.8.1975
3.	नाहरगंज	रामचन्द्र, रामनारायण पिसरान धूला	160	00	6.8.1975
4.	सीसोला	श्री भंवरलाल, रामनिवास, सुखपाल, धूलीचन्द पिसरान देवीलाल	32	05	—
5.	सीसोला	ज्यानराय जी महाराज जरिये महन्त नारायणदास	419	03	22.7.1976

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

उप-तहसील फतेहगढ़ के पटवार सर्किलों के क्षेत्रफल की सूची

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	रकबा वर्ग किमी.	आर. आई. सर्किल	
1.	चेलक	006-42	खुहड़ी	(आंशिक)
2.	नरसीगी की ढाणी	105-54	,,	
3.	छतोगर	208-22	,,	
4.	अड़वाला	176-54	,,	
5.	फतेहगढ़	206-95	फतेहगढ़	(पूर्ण)
6.	डागरा	195-20	,,	
7.	रिवडी	131-62	,,	
8.	मन्डाई	151-62	,,	
9.	देवीकोट	253-23	,,	
10.	भाखराणी	153-29	,,	
11.	रासला	317-56	,,	
12.	रामा	224-60	,,	
13.	झिझनयाली	136-33	झिझनयाली	
14.	कुन्डा	114-44	,,	
15.	तेजमालता	99-99	,,	
16.	लखा	138-68	,,	
17.	मोठा	98-58	,,	
18.	देवड़ा	143-34	,,	
19.	कपूरिया	109-28	,,	
20.	कईया	154-00	,,	
21.	मूलाणा	253-67	चाधरा	
		3480-23		

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

फार्म की गायों हेतु क्रय की गई खाद्य सामग्री
एवं प्रतिदिन खिलाई गई सामग्री का विवरण

(1-4-90 से 31-1-92 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण)

क्र. सं.	फर्म का नाम	खरीदी गई सामग्री की मात्रा	दर
1.	मै. मोहम्मद इलियास/ अब्दुल रसीद, कैथून (कोटा)	962.80 क्विटल (कड़ब कुट्टी)	130/- रुपये प्रति क्विटल
2.	मै. दीप चन्द्र/मांगीलाल जैन डग (झालावाड़)	582.00 क्विटल (गेहूं तुड़ा)	95/- रुपये प्रति क्विटल
3.	मै. दीप चन्द्र/मांगीलाल जैन डग (झालावाड़)	300.00 क्विटल (गेहूं तुड़ा)	95/- रुपये प्रति क्विटल
4.	मै. को-आपरेटिव कैटल फीड फैक्ट्री, झोटवाड़ा (जयपुर)	2232.00 क्विटल (पशु दाना)	220/- रुपये प्रति क्विटल

फार्म की गायों को प्रतिदिन निम्न प्रकार से खाद्य सामग्री खिलाई जाती है :—

1.	पशु आहार (दाना)	3 किलो प्रति गाय प्रतिदिन
2.	सूखा चारा (ज्वार कड़ब, सूखा घास, गेहूं तुड़ा)	8 किलो प्रति गाय प्रतिदिन
3.	हरा चारा (हरा घास, रिजका, बरसीम) (फार्म पर उत्पादित किया जाता है)	1 किलो सूखे चारे के स्थान पर 3 किलो हरा चारा खिला कर पूर्ति की जाती है।

211

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

आसाम के पिछले समय में आये
प्रवासी परिवारों की सूची

1. श्री अमरचन्द पुत्र श्री मेघाराम जाति कुमावत
2. श्री सीताराम पुत्र श्री जगनाराम ब्राह्मण
3. श्री सुजानमल वैद्य
4. श्री बच्छ राज बांकिया

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची

निदेशालय प्रौढ शिक्षा राजस्थान, तोपखाना देश, जयपुर–302001

बांसवाड़ा में चल रहे प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की सूची

पंचायत समिति :—घाटोल

क्र. स.	केन्द्र का स्थान	क्र. सं.	केन्द्र का स्थान
1.	बस्सी	21.	पारों का फला
2.	हैण्डपम्प पला	22.	बस्सी ग्राडा
3.	बेडका पला	23.	डमतियाफला
4.	वेलूपाडा–I	24.	कटाराफला
5.	वेलूपाडा–II	25.	कबनियापाड़ा
6.	निनामाफला	26.	बुनकर बस्ती
7.	टामटिया	27.	बिथलापाड़ा
8.	टामटिया–II	28.	बावडीपाड़ा
9.	कोटेला	29.	डूंगरीपाड़ा
10.	कोडेलाफला, उपलाफला	30.	कालारा
11.	काटेली निचलाफला	31.	रेडपाडा
12.	रणैया निचलाफला	32.	खडनफाड़
13.	घडियाणा–I	33.	उपलाफला
14.	घडियाणा–II	34.	टमसफला
15.	उपलाफला	35.	ग्ररजेलाफला
16.	निनामाफला	36.	टपकिया
17.	कुडीकुग्रा	37.	निनामापाला
18.	कुडीकुग्रा–II	38.	राठोडफला
19.	ग्रादिबस्ती	39.	घाटीफला
20.	निचलाफला	40.	ढिंडोरफला

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
41.	डोडीयारपाड़ा	68.	हरिजन बस्ती
42.	हामीरपाड़ा	69.	ग्रादि. बस्ती
43.	नई ग्राबादी	70.	उपलापाडा–I
44.	यादव बस्ती	71.	उपलापाडा–II
45.	फाटाग्रम्बा	72.	बुजवाडा
46.	निनामापाड़ा	73.	कोटियापाडा
47.	मईडा पाड़ा	74.	बोरनाभाटडा
48.	पाटी. बस्ती	75.	भावाबाडा
49.	ग्रादिबस्ती	76.	बीचकावाडा
50.	बीडीखोता	77.	घाटाबाडा
51.	कटारापाड़ा	78.	डूंगरीपाडा
52.	यारराीवाड़ा	79.	पसीरपाडा
53.	रवाडा	80.	टोडियारपाडा
54.	रावलबस्ती	81.	बडपाडा
55.	हरिबस्ती	82.	वृहडीपाडा
56.	धाणीभुबासा	83.	गोदापाडा
57.	सोतरापाडा	84.	छोटीभापोर
58.	बन्दैयापाड़ा	85.	बोरदापाडा
59.	ग्रादि वस्ती	86.	हडपाडा
60.	नई नामसेल	87.	था. सा. पा.–I
61.	पटेलबस्ती	88.	,, ,, –II
62.	बीच का फला	89.	हरिबस्ती
63.	निंचलाफला	90.	सेनाफाडा
64.	डूंगरीफला	91.	केडवाडा–I
65.	निचलाफला	92.	केडवाडा–II
66.	ग्रादिबस्ती	93.	डामोरवाडा
67.	राजातकबस्ती	94.	मुजवाडा

क. सं.	केन्द्र का नाम		क. सं.	केन्द्र का नाम	
95.	आडियापाड़ा		122.	भारथा	
96.	आमलीवाड़ा		123.	गणेशपुरा	1
97.	गोदापाड़ा		124.	,,	2
98.	नई आबादी		125.	,,	3
99.	बीच का पाड़ा		126.	,,	4
100.	कुण्डली–I		127.	,,	5
101.	कुण्डली–II		128.	रुजिया	1
102.	कुण्डली–3		129.	,,	2
103.	कुण्डली–4		130.	बनबस्ती	
104.	कुण्डली–5		131.	जीमोवाडा	
105.	कुण्डली–6		132.	नान्दली छोटी	
106.	कुण्डली–7		133.	नान्दलीबड़ी	
107.	कुण्डली–8		134.	मरियापाडा	
108.	रूथनाथसिंह का गडा	1	135.	मातपाडा	
109.	,,	2	136.	वरतड	
110.	,,	3	137.	भुहवासा	
111.	,,	4	138.	पांचमहुडी	
112.	,,	5	139.	घटीबेग	
113.	,,	6	140.	दूण्डालवाडा	
114.	,,	7	141.	मिचलापाडा	
115.	रूंजिया	1	142.	पालियापाडा	
116.	,,	2	143.	रमजेलियापाडा	
117.	,,	3	144.	गनोतापाडा	
118.	,,	4	145.	गसनियापाडा	
119.	,,	5	146.	बस्सी आडा	
120.	,,	6	147.	नीनामापाडा–1	
121.	,,	7	148.	,, –2	

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
149.	ताबियाडपाड़ा	176.	भडापाड़ा
150.	डिण्डोरिया	177.	ददेवा
151.	लेम्बडियापाड़ा	178.	डीलवाडा
152.	सोसमगरी	179.	भरतीलपांडा
153.	बामनियापाड़ा 1	180.	तेम्बडीपाल
154.	,, 2	181.	मेगतलाई
155.	नबीमापाड़ा	182.	डमरीवाला
156.	तेम्बडापाड़ा	183.	छेडीपाडा
157.	थोडामगरी	184.	नागवाडा
158.	धारीपाडा	185.	गरियापाडा
159.	कालखेत	186.	नई आबादी
160.	पोटलियापाड़ा	187.	सरवरा
161.	तलीपवाड़ा	188.	सोतियाखेडा
162.	खेडवाडा	189.	टापरोवोलाई
163.	निचलापाड़ा	190.	बिदूलापाडा
164.	भण्डारमि-1	191.	राणिवाडगरी–1
165.	भण्डारिया–2	192.	,, –2
166.	सावणीपाड़ा	193.	खोवता
167.	मगरीपाड़ा–1	194.	होतोमता
168.	,, –2	195.	कंजरीफला
169.	पानावाली ओर	196.	बचला
170.	खेडापाडा	197.	भतियागंगरी
171.	बडेरापाडा	198.	भेजजीओडा
172.	दूदू का आदिवासी बसे	199.	मामापाडा
173.	उबावाणा	200.	हूलियावडा
174.	फतेरियावाड़ा	201.	बोदलीपाडा
175.	घनकाबस्ती	202.	जोगीबस्ती

क्र. सं.	केन्द्र का नाम
203.	वारियापाडा
204.	हामोदोल
205.	राजपूत बस्ती
206.	बोदली–1
207.	बोदली–2
208.	राणापाडा
209.	स्वर्णबस्ती
210.	गारी बस्ती
211.	नई ग्राबादी
212.	हरिजन बस्ती
213.	नायक बस्ती–1
214.	नायक बस्ती–2
215.	ग्रा. ब.
216.	ग्रा. ब.
217.	नायक बस्ती
218.	रावल बस्ती
119.	कवितकला
220.	ग्रामतीफला
221.	इटावलफडा
222.	श्रीगोडफला
223.	उगमणाफला
224.	डिडोरफला
225.	नीनामाफला
226.	शिपनपाडा
227.	जेहोपाडा
228.	ग्रादिवासी बस्ती
229.	राजापाडा
230.	कटारापाडा
231.	कन्जेडीपाडा
232.	राठौड पाडा
233.	राठौड पाडा-2
234.	बोदतापाडा
235.	बोदतापाडा–2
236.	कन्जेडीपाडा–2
237.	कमडीपाडा
238.	कन्गेडीपाडा–3
239.	ग्रादिवासी बस्ती
240.	स्वर्ण बस्ती
241.	ग्रादिवासी बस्ती 1
242.	,, 2
243.	,, 3
244.	,, 4
245.	,, 5
246.	,, 6
247.	,, 7
248.	,, 8
249.	मालनिया
250.	डूंगरीपाडा
251.	मच्छरवाडा
252.	हरिजन बस्ती
253.	नई ग्राबादी
254.	नई ग्राबादी–2
255.	जोगीवाडा
256.	माल का फला
257.	सुथारियापाडा
258.	वरजोडकला

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
259.	डूगरीवाडा	282.	नीनामाफला
260.	लेम्बडीपाडा	283.	बामणियाफला
261.	केलुग्रामंगरी	284.	घाटीफला
262.	रेटुग्राफला	285.	उमराखेरा
263.	भाटडा	286.	पोवली पाडा
264.	गबरता भाटा–1	287.	नाल काफला
265.	,, –2	288.	डिंडोरफला
266.	रणाखेडा	289.	नीनामा फला
267.	भाटडा	290.	बामणिया फला
268.	छतरपुरा	291.	घांटीफला
269.	परतापुरा 1	292.	उमराखेरा
270.	,, 2	293.	चेकला
271.	छतरपुरा 2	294.	कमलियाफला
272.	कलासुग्रा कला	295.	ग्रा. व.
273.	खेरियापाडा	296.	डूंगरीपाडा
274.	मदनपुरा	297.	दायमा बस्ती
275.	कन्जेडीपाडा	298.	ग्रहारी फला
276.	केसरपुरा	299.	रावणबस्ती
277.	पटेलिया	300.	चोराया
278.	ग्रामलीफला	301.	ग्रामलीफला
279.	पीवलीपाडा	302.	नीनामाफला
280.	नालू काफला	303.	पटेल बस्ती
281.	डिंडोरफला	304.	मन्दिर फला

निदेशालय प्रौढ शिक्षा राजस्थान, तोपखानादेश, जयपुर-302001

केन्द्रवार प्रौढ शिक्षा में उपलब्ध कराई गई सामग्री

क्र. सं.	नाम सामग्री	संख्या	
1.	पुस्तकें	264	
2.	स्टेट पेन्सिल पैकेट	10	
3.	पट्रोमेक्स	1	
4.	मंजीर जोडी	1	
5.	दरी पट्टी	1	
6.	साइन बोर्ड	1	
7.	शोपनर	1	
8.	चाक डिब्बे	36	
9.	कापियां	130	
10.	पैन्सिल	111	
11.	रोलप बोर्ड	5	
12.	जाजम	1	तथा महिला केन्द्रों पर 2
13.	कैप्स	2	
14.	स्लेट	30	
15.	लालटेन	5	
16.	चार्टस	2	
17.	अभ्यास पुस्तिका	300	
18.	जरिकेन	1	

महिला अच्छे केन्द्रों पर

1.	सिलाई मशीन	1
2.	ढोलक	1

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 की प्रति व सूची

राजस्थान सरकार

शिक्षा (स्टोर परचेज)

क्रमांक : प. (1) शिक्षा/स्टोर/परचेज/88 जयपुर दिनांक 19.2.90

प्रेषित :—मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद

शैक्षिक तकनिकी योजना (एजूकेशनल टेक्नोलोजी स्कीम) के अन्तर्गत राजस्थान के कुछ चुने गये जिलों में गयी पंचायत समितियों की उच्च प्राथ. पाठशालाओं में रंगीन टेलीविजन सैट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह टेलीविजन सैट दिनांक 31 मार्च, 90 से पूर्व क्रय करके सम्बन्धित स्कूलों में दिये जाने हैं। आपके जिले की जिन पंचायत समितियों की उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में ये सैट दिये जाने हैं उनके एवं प्रत्येक पंचायत समिति में दिये जाने वाले सैटों की संख्या का विवरण संलग्न है।

उक्त योजना के अन्तर्गत टेलीविजन क्रय करने हेतु लगभग रु. छः हजार की सहायता उपलब्ध करायी जावेगी एवं शेष धनराशि स्थानीय जन सहयोग अथवा छात्र कोष से खर्च की जानी है। इस विभाग ने टेलिविजन सैटों के क्रय करने हेतु निविदायें मांग ली हैं। इसलिये आप तुरन्त ही विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव मांगें कि किन उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में ये टेलीविजन सैट दिये जाने हैं। केवल उन्हीं पाठशालाओं को ये सैट उपलब्ध कराये जावेंगे जिनके लिये विकास अधिकारी स्थानीय पंचायत छात्र कोष अथवा अन्य प्रकार से जन सहयोग से रु. 3500/— की धनराशि जिला परिषद में जमा करवा देते हैं। कृपया ठोस प्रस्ताव तुरन्त हीं प्राप्त करें एवं पूर्ण सूचना दिनांक 5 मार्च, 90 की आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में लेकर आवें, ताकि उसी अनुसार क्रय कार्यवाही की जा सकें।

ह.

(धर्मवीर)

निदेशक, एवं शासन विशिष्ठ सचिव

प्रतिलिपि :—

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

(2) समस्त विकास अधिकारियों को भेज कर लेख है कि संलग्न सूची के अतिरिक्त

220

अन्य जिलों एवं पंचायत समितियों में भी यह टेलीविजन सेट्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं बशर्ते कि 3500/– की धनराशि प्रस्तावित उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की ओर से जिला परिषद में जमा करवा दी जाती हैं। अतः अन्य जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी निवेदन हैं कि वे भी अपने जिले के सभी विकास अधिकारियों से प्रस्ताव मांग ले एवं ये प्रस्ताव उक्त बैठक में लेते आवें।

ह.

निदेशक एवं शासन विशिष्ठ सचिव

पंचायत समिति वार उच्च प्राथमिक वार विद्यालयों की सूची जिनमें रंगीन टेलिवीजन सैट शैक्षिक तकनीकी योजना अन्तर्गत दिया जाना प्रस्तावित हैं :--

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	उ. प्रा. वि. की संख्या
1.	उदयपुर	1. बडगांव	25
		2. गिरवा	20
		3. गोगून्दा	10
		4. मावली	15
		5. झाडोल	15
		6. सप्तोर	15
		7. भिण्डर	10
		8. सारडा	10
		9. राजसमंद	10
			140
2.	जैसलमेर	1. सम	5
		2. साकड़ा	5
		3. जैसलमेर	10
			20

1	2	3	4
3.	अलवर	1. मण्डावर	20
		2. राजगढ़	20
		3. तिजारा	15
		4. लक्ष्मणगढ़	20
		5. थानागाजी	15
		6. बानसूर	10
		7. बहरोड	10
			110
4.	जोधपुर	1. मण्डोर	20
		2. श्रोसिया	30
		3. लेणी	20
		4. भोपालगढ	10
		5. विलाडा	10
			90
5.	बाड़मेर	1. बाडमेर	27
		2. बायतु	15
		3. सिन्धडी	15
		4. शिव	8
		5. चोहटन	5
			70
6.	श्री गंगानगर	1. करणपुर	20
		2. गंगानगर	45
		3. पदमपुर	25
		4. शादुलशहर	20
			110

1	2	3	4
7.	अजमेर	1. केकडी	10
		2. श्री गंगानगर	15
		3. जावजा	20
		4. पीसांगन	20
		5. भीनाय	10
		6. अरनाई	5
			80
8.	जयपुर	1. बस्सी	25
		2. झोटवाडा	10
		3. सांगानेर	25
		4. आमेर	25
		5. जमवारामगढ	30
		6. चाकसू	15
		7. फागी	10
		8. दूदू	10
		9. शाहपुरा	20
			170
9.	कोटा	1. लाडपुरा	15
		2. सुल्तानपुरा	15
		3. सागोद	20
		4. अन्ता	15
		5. खेरबाद	15
			80

1	2	3	4
10.	भीलवाड़ा	1. बनेडा	15
		2. कोटडी	20
		3. माण्डल	20
		4. शाहपुरा	10
		5. मुवाणा	15
		6. मांडेल	10
			90
11.	बून्दी	1. पाटन	10
		2. नैनवा	7
			17
12.	झुंझुनूं	1. चिडावा	10
		2. खेतडी	5
		3. झुंझुनूं	20
		4. नवलगढ़	20
		5. सूरजगढ़	5
		6. उदयपुरवाटी	10
		7. अलसीसर	10
			80
13.	चित्तौड़गढ़	1. चित्तौड	15
		2. कपासन	10
		3. निम्बाहेडा	10
			35

अतारांकित प्रश्न सं. 16

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वल्लभनगर (उदयपुर) के अधीन 20 विद्यालयों (उच्च प्राथमिक) के नाम जिनसे प्रत्येक से 3325/– रुपये रंगीन टी.वी. सैट के प्राप्त किये गये :—

1.	रा.उ.प्रा.वि.	नीमडी
2.	,,	बडोदिया
3.	,,	खासाणा
4.	,,	राजपुर
5.	,,	नादवेल
6.	,,	अमरपुरा
7.	,,	पटेवर
8.	,,	तारावट
9.	,,	मूण्डयी
10.	,,	वाना
11.	,,	धाडोली
12.	,,	मावली स्टेशन
13.	,,	महावली गांव
14.	,,	डूडिया
15.	,,	भेवाणा
16.	,,	वासनीकला
17.	,,	नाहरमगरा
18.	,,	रैथानी
19.	,,	सांगवा
20.	,,	माणकावास

कुल राशि 66500/– रुपये डी. डी. नं. बी–106537 दिनांक 29–3–90 द्वारा जिला परिषद् के पी.डी. अकाउन्ट में जमा करायें ।

परिशिष्ठ 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची

जालौर जिले की सांचोर तहसील की कबूली की ढाणी की
कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षावार छात्रा संख्या

कक्षा	छात्र संख्या
1. अभिव्यक्त इकाई	14
2. कक्षा तृतीय	8
3. चतुर्थ कक्षा	3
4. कक्षा पंचम	0
5. कक्षा षष्टम	2
6. कक्षा सप्तम	–
7. कक्षा अष्ठम	1
योग	28

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 148 की समय सारणी

क्र. सं.	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	चालू बस सेवाएं	प्रस्थान व पहुंच का समय			
				अप सेवा		डाउन सेवा	
				करौली	मण्ड्रायल	मण्ड्रायल	करौली
1.	करौली–मण्ड्रायल वाया चम्बल घाट	८	9	7.00 एएम	9.30 एएम	7.00 एएम	9.30 एएम
				8.00 एएम	10.00 एमम	8.00 एएम	10.30 एएम
				9.30 एएम	12.00 एएम	11.00 एएम	1.30 पीएम
				12.00 पीएम	2.30 पीएम	12.00 पीएम	2.30 पीएम
				1.30 पीएम	3.30 पीएम	2.30 पीएम	4.30 पीएम
				2.30 पीएम	4.30 पीएम	4.00 पीएम	6.00 पीएम
				4.00 पीएम	6.30 पीएम	6.45 पीएम	8.45 पीएम
				11.45 एएम	12.30 पीएम	9.30 एएम	10.45 एएम
				2.45 पीएम	3.55 पीएम	1.00 पीएम	2.15 पीएम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	करौली–रोधई वाया मण्ड्रायल	5	3	करौली	मण्ड्रायल	राधई	राधई	मण्ड्रायल	करौली
				8.30 एएम	10.30 10.45 प्र.	11.45	6.30 एएम	7.30 8.00 प्र.	10.00
				11.00 एएम	1.00 1.15 प्र.	2.15	9.30 एएम	10.30 11.00 प्र.	1.00 पीएम
				2.00 पीएम	4.00 4.15 प्र.	5.15	2.00 पीएम	3.00 3.30 प्र.	5.30 पीएम
3.	करौली–श्रोड–वाया मण्ड्रायल	3	2	करौली	मण्ड्रायल	श्रोड	श्रोड	मण्ड्रायल	करौली
				1.00 पीएम	3.00	4.30 पीएम	7.00 एएम	8.15	10.30
				3.00 पीएम	5.00	6.30 पीएम	9.00 एएम	10.15	12.30 पीएम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	01
	4. केलादेवी–करौली–मण्ड्रायल	2	2	मण्ड्रायल	करौली	केला देवी	केला देवी	करौली	मण्ड्रायल
				प्रस्थान		पहुंच	प्रस्थान		पहुंच
				10.00 एएम	11.15 एएम 11.30	12.15 पीएम	2.25 पीएम	1.10 1.20	2.35 पीएम
				11.25 एएम	12.35 पीएम 12.35	1.35	2.10 पी एम	3.10 3.30	4.35
	5. सम्बलगढ़–श्रोढी वाया मांगरोल श्रक्टारघाट मण्ड्रायल	1	1	सम्बलगढ	मण्ड्रायल	श्रोढी	श्रोढी	मण्ड्रायल	सम्भलगढ़
				15.30	16.20	16.50	16.55	17.20	18.20
				प्रस्थान	16.25	पहुंच	प्रस्थान	17.25	पहुंच

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 149 का विवरण

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर

चित्तौड़गढ़ जिले की संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दिये गये अनुदान का विवरण मय निरीक्षण तिथि वर्ष 1988–89 से 1990–91 तक

क्र. सं.	संस्था का नाम	वर्ष	कार्यक्रमों के नाम व अनुदान का विवरण: बालबाड़ी स्वी.	बालबाड़ी निर्गत	पोषाहार स्वी.	पोषाहार निर्गत	पालना गृह स्वी.	पालना गृह निर्गत	सं. पाठ्यक्रम स्वी.	सं. पाठ्यक्रम निर्गत	ए.जी.पी. स्वी.	ए.जी.पी. निर्गत	बाल अवकाश शि. स्वी.	बाल अवकाश शि. निर्गत	निरीक्षण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	भामाशाह भारती	88-89	3500/-	3500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	भवन समिति, पांडुपोल	89-90	3500/-	3500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	चित्तौड़गढ़	90-91	8500/-	8500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-1-91
2.	हैप्पी शिक्षा विकास	88-89	3500/-	3500/-	6787.50	5626.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	समिति, ग्राम-	89-90	3500/-	3500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9-11-89
	निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	90-91	5000/-	5000/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-1-91
3.	बालोदय समिति	88-89	3500/-	3500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	द्वारा संचालित शिशु घर शाला	89-90	3500/-	3500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	मीरा पार्क, चित्तौड़गढ़	90-91	7500/-	7500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-1-91
4.	महिला विद्या मंदिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़	90-91	8500/-	8500/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12-1-91
5.	जवाहर सेवा सदन,	88-89	—	—	—	—	12000/-	12000/-	—	—	—	—	—	—	31-12-87
	पहुंना, चित्तौड़गढ़	89-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		90-91	—	—	—	—	—	—	84750/-	19460/- 10000/-	—	10000/-	—	—	19-6-90 (वी. एम. आर.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	लोक भारती प्रति-	88-89	—	—	—	—	—	—	—	—	16000/-	16000/-	—	—	—
	ष्ठान बडबई, पोस्ट	89-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	डूंगला, चित्तौड़गढ़	90-91	—	—	—	—	—	—	—	—	10000/-	10000/-	6600/-	5675/-	8-7-90 28-6-90 (वीएमआर)

नोट :—ऐ. जी. पी. की राशि स्वीकृत व निर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सीधे ही की जाती है।

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची

विभागान्तर्गत स्वीकृत औषधालयों/चिकित्सालयों की संख्या

क. सं.	जिले का नाम	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	यूनानी	प्राकृतिक	मोबाईल (आयुर्वेद)	योग
1.	अजमेर	128	4	7	–	–	139
2.	अलवर	173	6	2	–	–	181
3.	बांसवाड़ा	110	3	1	–	1	115
4.	बांरा	55	3	2	–	–	60
5.	बाडमेर	84	2	4	–	1	91
6.	भरतपुर	124	4	3	–	–	131
7.	भीलवाडा	182	3	1	1	–	187
8.	बीकानेर	85	8	4	–	1	98
9.	बून्दी	60	5	1	–	–	66
10.	चित्तौडगढ	125	1	1	–	–	127
11.	चूरू	124	4	2	–	–	130
12.	दौसा	76	2	1	–	–	79
13.	धौलपुर	51	1	2	–	–	54
14.	डूंगरपुर	111	3	4	–	–	118
15.	श्री गंगानगर	171	3	1	1	–	176
16.	जयपुर अ क्षेत्र	188	4	4	–	–	196
17.	जयपुर ब क्षेत्र	98	8	3	–	–	109
18.	जैसलमेर	31	1	1	–	1	34
19.	जालौर	67	3	–	–	–	70
20.	झालावाड	74	4	1	–	–	79
21.	झुंझूनू	151	2	3	–	–	156
		118	3	7	–	–	128

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	कोटा	53	2	2	–	1	58
24.	नागौर	153	2	3	–	–	158
25.	पाली	128	6	2	–	–	136
26.	राज समंद	95	–	–	–	–	95
27.	सवाई माधोपुर	178	3	9	–	–	190
28.	सीकर	150	4	1	–	–	155
29.	सिरोही	57	3	1	–	–	61
30.	टोंक	98	2	2	–	–	102
31.	उदयपुर	173	7	2	1	–	183
	योग	3471	106	77	3	5	3662

नोट—उक्त के अलावा अजमेर में राज्य स्तरीय आयुर्वेद 200 शैय्या युक्त शल्य चल चिकित्सा इकाई संचालित है।

बाडमेर व जैसलमेर के उन औषधालयों की सूची जिनमें चिकित्सक पदस्थापित किये हुए नहीं हैं।

बाडमेर जिला

1. सज्जन का पार
2. धोरी मन्ना
3. जोखड़ा
4. होडू
5. सवाई पदमसिंह
6. खोखसर
7. भाण्डरवा
8. बामसिन
9. लंगेरा
10. जूनामीठाखेडा
11. खड़ीन बड़ी
12. जानपालिया

जैसलमेर जिला

1. "अ" श्रेणी चिकि., जैसलमेर (एक पद रिक्त)
2. असकन्दरा
3. सुयाला
4. म्याजलार
5. बारहट का गांव
6. लूंगावाला
7. जैसलमेर (यूनानी)
8. पोकरण (यूनानी)

चालू वित्तीय वर्ष 1991–92 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के खोले गये नवीन औषधालयों की सूची दिनांक 27.1.92 तक)

1. आयुर्वेद पद्धति

क्र. सं.	स्थान का नाम	तह./पं. सं.	जिला	आदेश दिनांक
1.	राजभवन	जयपुर	जयपुर	16.4.91
2.	सोंथलिया	झुंझुनू	झुंझुनू	4.6.96
3.	बरलूट	सिरोही	सिरोही	27.6.91
4.	शंखवाली	आहोर	जालौर	27.6.91
5.	अलोद	रामगंज मण्डी	कोटा	27.6.91
6.	डाबला मोज	पिडावा	झालावाड़	17.8.91
7.	तख्तगढ	सुमेरपुर	पाली	17.8.91
8.	गोगाथला	रेलमगरा	उदयपुर	17.8.91
9.	रामसनीबाला	सोजत	पाली	9.12.91
10.	सायला	—	जालौर	9.12.91
11.	रामपुरा	सिलधर	सिरोही	9.12.91
12.	कैलाश	दातारामगढ	सीकर	9.12.91
13.	जासालर	—	चूरू	9.12.91
14.	आमथला	—	सिरोही	9.12.91 (टी.ए.डी)
15.	आबडसर	—	चूरू	10.12.91

1	2	3	4	5
16.	कोटडी	सिवाना	बाड़मेर	27.1.92
17.	उनियारा	—	टोंक	27.1.92
	2. होम्योपैथी पद्धति			
18.	सिलेगढ	डग	झालावाड	17.8.91
19.	कुसुम्बी	—	नागौर	27.1.92
	3. यूनानी पद्धति			
20.	पोकरण	—	जैसलमेर	9.12.91
	4. प्राकृतिक पद्धति			
21.	जाडन	—	पाली	9.12.91

परिशिष्ट-14

तारांकित प्रश्न संख्या 152 का जांच प्रतिवेदन

जांच प्रतिवेदन

विषय :-- राउप्रावि सांचोर के प्रधानाध्यापक, बन्नारन एवं रेवारियों का गोलिया के प्र. श्र. रघुनाथाराम के द्वारा की जा रही लूट के क्रम में।

सर्व श्री हाजी खां, कर्णाराम प्रज्जाताराम, मालाराम के हस्ताक्षरित उपरोक्त विषयक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचोर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवारियों का गोलिया सांचोर के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये थे।

(1) विगत तीन चार साल से टी. सी. एवं प्रवेश पर 40/- प्रति छात्र की दर से अनाधिकृत रूप से राशि वसूल करना।

(2) उक्त राशि वसूलने हेतु गठित कमेटी ने किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, वकील, भूतपूर्व अध्यापक का सदस्य नहीं होना, एकत्रित राशि का बैंक में खाता नहीं होना, पूर्व में समिति कार्यरत होने पर भी नई समिति बनाना।

उक्त शिकायत कर्ताओं ने दोनों अध्यापकों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मूल शिकायत पत्र पंजिका पृष्ठ संख्या 27 पर नत्थी है।

उक्त शिकायत प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक: 618 दिनांक 7.7.88 द्वारा श्री प्रकाशचन्द जैन, उप जिला शिक्षा अधिकारी सांचोर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने उनके पत्रांक: 17.8.88 द्वारा अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की पंजिका पृष्ठ संख्या 80-82 जिसमें निम्न तथ्य दिये गये हैं:-

1. उक्त दोनों प्रधानाध्यापकों द्वारा पद का दुरुपयोग कर टी.सी./ प्रवेश देने के लिए प्रत्येक छात्र से अनाधिकृत रूप से 40/-रुपये प्रति छात्र लिया जाना परिस्थिति अन्य साथियों से स्पष्ट है।

2. दिसम्बर, 95 में विद्यालय विकास समिति का निर्माण हुआ जो कैसे हुआ इसका कोई ब्योरा नहीं मिल पाया। उसके बाद श्री राणमल खत्री तथा कथित कोषाध्यक्ष विकास समिति राउप्रावि सांचोर के द्वारा छात्रों को रसीद काटकर दी गई। ये रसीदें विकास शुल्क के रूप में छात्रों से राशि लेने का तथा छात्रों को राशि से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव समिति द्वारा पारित नहीं किया गया है।

3. इन दोनों विद्यालयों में 84–85 से 88–89 से अब तक 1773 छात्रों ने प्रवेश लिया तथा 945 छात्रों ने टी. सी. कटवाई है इस प्रकार एकत्रित की हुई यह राशि 90,000/ के करीब प्रतीत होती है।

4. समिति के पदाधिकारियों की जानकारी अनुपलब्ध किन्तु यह स्पष्ट हो गया है कि वन्ताराम, प्र.अ. राउप्रावि सांचोर इसके संयोजक हैं तथा श्री रघुनाथाराम प्र. अ. राउप्रावि, रेवारियों का गोलिया इसके सदस्य हैं।

5. संबंधित प्रधानाध्यापकों ने यह लिखकर दिया है कि उनके विद्यालय में निर्धारित फीस के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अन्य फीस वसूल नहीं की जाती है।

6. उक्त तथा कथित समिति के कोषाध्यक्ष जिनके द्वारा विकास शुल्क के नाम पर पैसा लिया गया है हिसाब देने के लिए इस बिना पर इन्कार कर दिया गया कि विकास समिति की अनुज्ञा के बिना हिसाब नहीं दिया जा सकता।

7. एकत्रित राशि का कोई बैंक अकाउन्ट नहीं खोला गया ।

8. जांच अधिकारी द्वारा हिसाब प्रस्तुत करने हेतु दबाब डालने पर एक प्रस्ताव पारित कर समिति द्वारा जांच अधिकारी को अविश्वासी एवं एक पक्षीय करार दिया जाकर जांच अधिकारी बदलने हेतु उच्चाधिकारियों से निवेदन किया गया।

9. समिति द्वारा बिना विभागीय अनुमति के विद्यालय भवन में निर्माण कार्य करवाया गया। जिसका कारण सिर्फ हिसाब को व्यवस्थित करना है।

उप जिला शिक्षा अधिकारी सांचोर ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निष्कर्षत: यह लिखा है कि यह मामला पूर्णत: अनअॉथराइज्ड कलेक्शन वाई अनअॉथराईज्ड पर्सन्स का है और एक बहुत बड़ी धनराशि के घोटाले का है।

उक्त प्रकरण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर जांच हेतु विचाराधीन रखा गया। किन्तु जांच नहीं की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कार्यभार ग्रहण करते ही उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय, भीनमाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया किन्तु उनके द्वारा भी जांच नहीं की गई एवं तदुपरान्त इनका स्थानान्तरण हो गया।

उक्त में दिनांक 5.4.89 को सांचोर पहुंच कर जांच की गई। सर्व प्रथम शाला विकास समिति के कोषाध्यक्ष श्री राणमल को पत्र लिखकर उन्हें समिति का आय व्ययक का अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया एवं उपस्थित समिति के सदस्यों के बयान किए गये।

श्री राणमल कोषाध्यक्ष ने अपने प्रकथन में पृष्ठ संख्या 17 में बताया कि समिति के पदाधिकारियों की सूची उनके पास उपलब्ध नहीं है। समिति प्रधानाध्यापक ने एक प्रस्ताव लेकर बनाई थी जो उनके पास ही होनी चाहिए। इस समिति के सदस्यों ने कोषाध्यक्ष का कार्य उन्हें सुपुर्द किया था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह के कोई चुनाव नहीं हुए थे। संयोजक प्रधानाध्यापक स्वयं थे। उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 16.2.86 को कोषाध्यक्ष का पद ग्रहण किया तब 5841/– रुपये की राशि जो रसीद संख्या 1 से 164 तक की प्राप्ति की है वो उन्हें 5841/–रुपये की रसीद कटवाकर उसके पेटे हिसाब चार हजार एक सौ छियालिस रुपये का दिया जो कैश बुक पृष्ठ संख्या 4 व 5 में जमा है उन्होंने यह भी बताया है कि समिति का कार्यवाही रजिस्टर प्रधानाध्यापक जी अपनी शाला में ही रखते है।

जांच के समय उपस्थित विकास समिति के सदस्यगण सर्वश्री प्रतापसिंह, शान्तिलाल मानसिंह एवं रायमल ने निम्न प्रकथन प्रस्तुत किया (पृ. सं. 16)

उपस्थित सदस्यों ने बताया कि राउप्रावि सांचोर की भूमि के अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही को दृष्टिगत रखतें हुए समिति का गठन किया गया था। विद्यालय में चार दीवारी बनाने एवं भौतिक विकास हेतु पूर्व में एकत्रित राशि एवं बाद में एकत्रित राशि जो कोषाध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई उसका विधिवत हिसाब वाउचर रखे गये है। समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों का विवरण रजिस्टर में संधारित किया जाता था जो विद्यालय में ही रखा जाता था। समिति के गठन के पश्चात राशि छात्रों द्वारा अभिभावकों द्वारा कभी-कभी विद्यालय चपरासी अध्यापकों द्वारा जमा कराई जाती थी। जितनी राशि कोषाध्यक्ष को प्राप्त हुई उसकी रसीदें दी गई है एवं पूरा हिसाब रखा गया है। विद्यालय में भौतिक विकास दोनों प्रधानाध्यापकों की सहमति से हुआ है। उन्होंने यह भी अनुरोध कि जो चारदिवारी अधूरी पड़ी है उसे शीघ्र पूरा कराया जाये एवं जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाये।

उप जिला शिक्षा अधिकारी सांचोर जिन्होंने पूर्व में उक्त प्रकरण की अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रेषित की थी वह पुनः पत्र लिखकर पूर्व जांच के समय उनके द्वारा एकत्रित तथ्यों को मूल रूप में कार्यालय को भेजने हेतु निर्देश दिये जाने पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन पत्रांक: 739 दिनांक 6.4.89 द्वारा प्रस्तुत किया जो पृष्ठ संख्या 24 से 78 तक नत्थी है उक्त प्रतिवेदन में उन्होंने पूर्व प्रेषित/अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के अतिरिक्त मिला तथ्य और प्रस्तुत किये हैं।

1. छः रसीदें मूल प्रेषित की एवं लिखा गया कि रसीद संख्या 20 पर लाल स्याही से टी. सी. इश्यू लिखा है जिससे स्पष्ट है कि छात्रों को टी. सी. रसीद कटवाने पर ही प्राप्त होती है। उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित 7 रसीदें जांच के समय एकत्रित रसीद बुकों के मिलान करने पर पूर्ण पाई गयी।

2. उप जिला शिक्षा अधिकारी के जांच के दौरान श्री पुखराज कानूनगो के द्वारा जन सहयोग का पैसा होने की बात खड़ी हो गई। जिसमें भी प्रमाणित होता है कि राशि से पूर्व में एकत्रित की जाती रही है

3. विद्यालय विकास समिति

4. जन सहयोग से क्रय सामग्री की विद्यालय में स्टाक प्रविष्टि नहीं की गई। दोनों प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिये जाने के बाद भी अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाया गया।

निष्कर्ष :—

उप जिला शिक्षा अधिकारी, सांचोर द्वारा प्रेषित अंतरिम जांच रिपोर्ट मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच के समय विकास समिति से प्राप्त अभिलेखों एवं बयानों से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं :—

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांचोर के प्रधानाध्यापक श्री बन्नाराम एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवारियों का गोलिया सांचोर के प्रधानाध्यापक श्री रघुनाथाराम द्वारा 16.2.86 जब से विकास समिति द्वारा रोकड पुस्तिका भरना प्रारम्भ किया गया है उससे पूर्व से ही छात्रों से प्रवेश एवं टी.सी. के नाम पर अनाधिकृत रूप से राशि वसूल की जाती रही है। एवं उसका कोई आलेख नहीं रखा गया है।

2. उन सहयोग से प्राप्त राशि से प्राप्त क्रय सामग्री का कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं की गई है जिसके लिए प्रधानाध्यापक ही उत्तरदायी हैं।

3. विद्यालय विकास समिति का विधिवत गठन नहीं किया है एवं न ही इसके पदाधिकारियों का विधिवत चयन किया गया है। विकास समिति न प्रधानाध्यापकों की जानकारी में शाला विकास के नाम पर छात्रों से राशि वसूल की। जांच के समय विकास समिति के कोषाध्यक्ष श्री राजपाल से विकास समिति की रोकड पुस्तिका, वाउचर फाइल एवं रसीद बुकें प्राप्त की गई। रोकड पुस्तिका एवं रसीद बुकों का मिलान करने पर पाया गया कि जितनी रसीदें कटी हैं वे सब रोकड पुस्तिका में जमा की गई हैं। एवं जितना खर्चा बताया गया है उसके वाउचर रखे गये हैं। किन्तु रोकड पुस्तिका पर प्रतिदिन की प्रविष्टि को प्रमाणित करने संबंधी किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं अन्तिम प्रविष्टि पर विकास समिति के कतिपय सदस्यों के अतिरिक्त श्री रघुनाथाराम एवं श्री बन्नाराम के हस्ताक्षर भी हैं। क्रय वाउचर द्वारा क्रय सामग्री की स्टाक प्रविष्टि का हवाला नहीं दिया गया है। विकास समिति द्वारा छात्रों से राशि वसूल करने संबंधी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया एवं प्राप्त राशि का बैंक अथवा पोस्ट आफिस में कोई अकाउण्ट नहीं खोला गया।

4. विकास समिति के माध्यम से विद्यालय में हुए अतिरिक्त निर्माण की पूर्व स्वीकृति प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने नियन्त्रण अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है। निर्माण कार्य में कई तकनीकी अधिकारी सम्मिलत नहीं किया गया है।

सबसे विचारणीय तथ्य तो यह है कि उपरोक्त प्रकरणों शिकायत की जांच हेतु उप जिला शिक्षा अधिकारी सांचोर द्वारा इन दोनों प्रधानाध्यापकों से राशि एकत्रित करने संबंधी सूचना चाही गई तो दोनों प्रधानाध्यापकों ने अपने लिखित प्रकरण में अपने विद्यालय में राशि एकत्रित होने संबंधी तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की जबकि शाला विकास समिति द्वारा एकत्र राशि दोनों प्रधानाध्यापकों की जानकारी में हुई एवं इनसे पूर्व भी राशि विद्यालय स्तर पर एकत्रित की गई।

ह./–
(श्री कृष्ण गुप्ता)
जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर